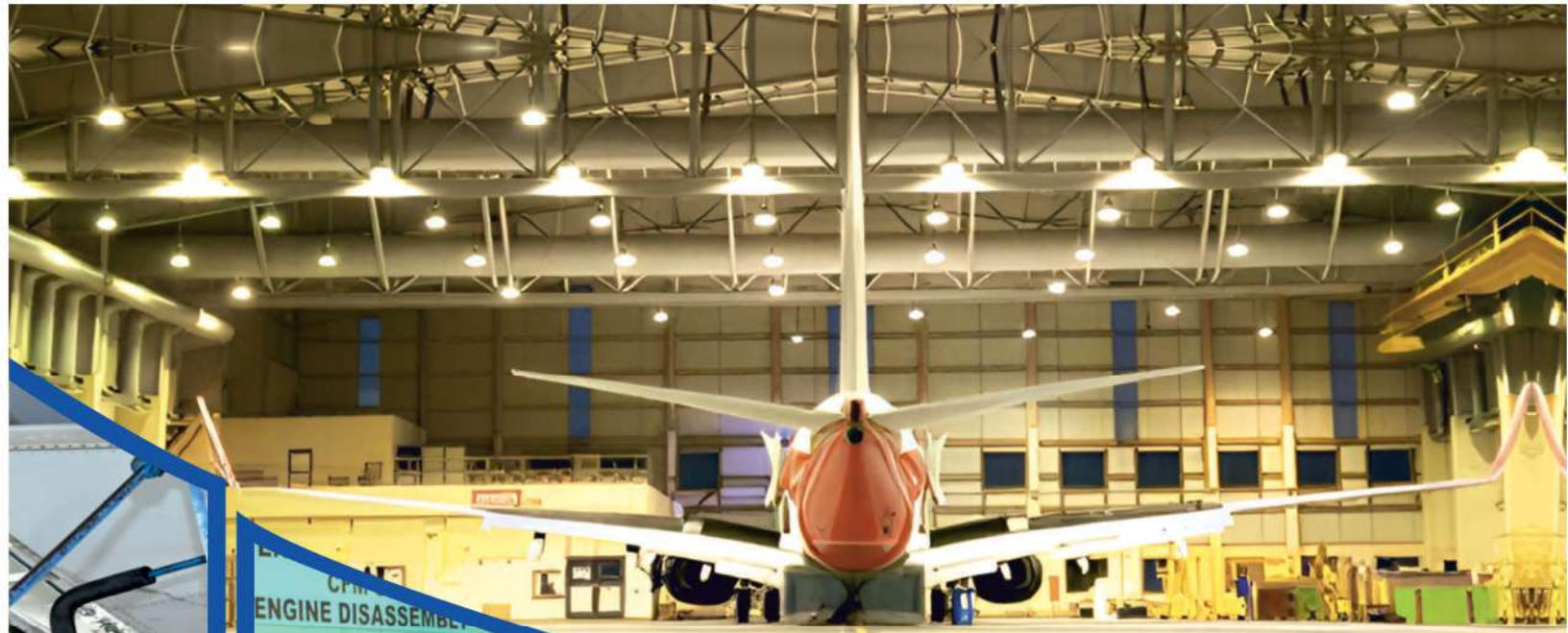




# एआई इजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

## 21<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट

### 2024-25



## निगमित सूचना

### पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय तल, सीआरए भवन, सफदरजंग,  
एयरपोर्ट एरिया सफदरजंग एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली,  
दिल्ली – 110003

टेलीफोन: +91-11-24600763

ई-मेल: [marketing.aiesl@aiesl.in](mailto:marketing.aiesl@aiesl.in); वेबसाइट: [www.aiesl.in](http://www.aiesl.in)

CIN: U74210DL2004GOI125114

### वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एएजेवी एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

### सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड  
कंपनी सेक्रेटरी

### बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI)  
HDFC बैंक  
ICICI बैंक

### आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी,  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

### कर लेखा परीक्षक

मेसर्स रजनीश एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

### रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA)

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया  
प्राइवेट लिमिटेड  
C 101, 247 पार्क, L B S मार्ग,  
विक्रोली (वेस्ट), मुंबई 400083



## विषय सूची

| क्र.सं. | विषय                                                                        | पृष्ठ सं. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.      | निदेशक मंडल                                                                 | 3         |
| 2.      | मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी)                                            | 4         |
| 3.      | अध्यक्ष का भाषण                                                             | 5         |
| 4.      | निदेशकों की रिपोर्ट                                                         | 9         |
| 5.      | प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट                                           | 51        |
| 6.      | वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट | 79        |
| 7.      | सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट और उस पर मैनेजमेंट के जवाब                        | 91        |
| 8.      | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट                                          | 111       |
| 9.      | 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट                               | 137       |
| 10.     | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण                   | 139       |
| 11.     | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण                      | 141       |
| 12.     | 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण          | 144       |
| 13.     | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स   | 146       |
| 14.     | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ                          | 200       |



## विज़न

रेगुलेटरी और सेफ्टी कंप्लायंस के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए कस्टमर्स को बेस्ट इन क्लास, टाइम पर क्वालिटी सर्विस देना।

## मिशन

### ग्राहक

- उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक रखरखाव की प्रणाली द्वारा ग्राहकों के विमानों को लगातार उड़ान योग्यता की स्थिति में बनाए रखना।
- ग्राहक को "वन स्टॉप" समाधान प्रदान करें।
- तेज़ टर्न अराउंड टाइम।
- भारतीय और विदेशी एयरलाइनों से अधिकतम बाज़ार पर कब्ज़ा करना।
- रक्षा क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाना।

### प्रक्रिया

- सीएआर 145 और 147 के अंतर्गत डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त करना।
- सभी प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के लिए FAA और EASA अनुमोदन प्राप्त करना।
- बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आक्रामक मार्केटिंग नीति।
- नियमित ऑडिट के माध्यम से गुणवत्ता और सुरक्षा की निरंतर निगरानी।
- सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए लगातार प्रयास, गुणवत्ता, सेवा और लागत प्रभावशीलता के मामले में उच्चतम ग्राहक संतुष्टि प्रदान करना और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध सुनिश्चित करना।
- क्वालिटी स्टैंडर्ड से समझौता किए बिना वर्ल्ड क्लास MRO बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश।
- कर्मियों के प्रशिक्षण और नवीनतम उपकरण प्राप्त करके क्षमता को अद्यतन और बढ़ाना।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल कर्मियों का सर्वांगीण विकास।
- परिचालन लागत का अनुकूलन।



## निदेशक मंडल



श्री अमित कुमार  
अध्यक्ष



श्री मनोज कुमार  
नामित निदेशक



श्री पदम लाल नेगी  
नामित निदेशक



श्री शोभित गुप्ता  
नामित निदेशक



श्रीमती नयोनिका दत्ता  
नामित निदेशक



## मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपीएस)



**श्री शरद अग्रवाल**  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



**श्री रजनी कांत**  
कंपनी सचिव



**श्री संजीव सिंघल**  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

## अध्यक्ष का भाषण

### प्रिय शेयरधारकों,

साल 2024-25 के लिए कंपनी की इक्कीसवीं (21<sup>वीं</sup>) एनुअल रिपोर्ट पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी को इस मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर कंपनी के वर्ष भर के प्रदर्शन की जानकारी साझा करना चाहता हूँ:

### कंपनी का प्रदर्शन

FY 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन इस तरह था:

- कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 404.66 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, जबकि पिछले वर्ष यह 257.66 करोड़ रुपये था।
- कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में Rs. 1946.05 करोड़ का राजस्व कमाया, जबकि Rs.1562.73 करोड़ का खर्च किया। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, राजस्व Rs. 2183.02 (10.85% की गिरावट) और खर्च Rs. 1552.45 करोड़ (0.66% की बढ़ोतरी) था।

गैर-वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो, FY 2024-25 के दौरान, AIESL ने एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, फ्लाई91, AFCOM कार्गो, अकासा एयर के साथ-साथ कतर एयरवेज, ओमान एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, स्कूट एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस बरहाद, एयर एशिया बरहाद, US बांग्ला, बिमान बांग्लादेश, डुक एयर, कोरेंडन एयरलाइन, कुवैत एयरवेज, रॉयल ब्रुनेई और दूसरे विदेशी कैरियर्स जैसे कई इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को लाइन मेंटेनेंस सर्विस दी। AIESL काठमांडू (इंटरनेशनल लोकेशन) पर भी लाइन मेंटेनेंस सपोर्ट देता है।

AIESL ने एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट, कुवैत एयरवेज, प्रधान एयर, फ्लाई91, ग्लोबल एयरोटेक, विलिस लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (WLFC), एविएशन कैपिटल ग्रुप (ACG), CCB लीजिंग, जैक्सन स्कायर एविएशन (JSA), ICBC और मिनशेंग फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी लिमिटेड (MSFL) जैसे बड़े कस्टमर्स को बेस मेंटेनेंस / इंजन मेंटेनेंस सर्विस दी। कंपनी ने A320 और ATR72 एयरक्राफ्ट के बेस मेंटेनेंस के लिए इंडिगो के साथ एक लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट भी साइन किया।

AIESL ने दिल्ली, मुंबई, नागपुर और तिरुवनंतपुरम में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, स्टोरेज रिकवरी, रिटर्न-टू-सर्विस (RTS) और री-डिलीवरी एक्टिविटी के लिए लीज पर देने वालों को सर्विस देना जारी रखा। सर्विस में BSI, इंजन स्टोरेज/प्रिजर्वेशन और उससे जुड़े मेंटेनेंस एक्टिविटी भी शामिल थीं।

एआईईएसएल को 16 विदेशी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त है, जिनमें एफएए, ईएएसए, केएससीएआर (कुवैत), क्यूसीएए (कतर), सीएसीआई (केमैन आइलैंड), ईसीएए (मिस्र), बीसीएए (भूटान), सीएएन





(नेपाल), एसएससीए (कंबोडिया), सीएबी (बांग्लादेश), सीएएम (मलेशिया), सीएसएस (सिंगापुर), एसए सीए (वेनेसुएला), सीए (ओमान), सीए (दक्षिण अफ्रीका) और सीएसएसएल (श्रीलंका) शामिल हैं।

AIESL उत्तरी क्षेत्र ने CFM LEAP1A इंजन चेक के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाने का काम किया है और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। नागपुर MRO में, इंजन टेस्ट सेल ने GEnx और GE90 इंजन की टेस्टिंग के लिए EASA और FAA से अप्रूवल ले लिया है। GEnx इंजन को QT (क्विक टर्न) मेंटेनेंस चेक की ज़रूरत होती है, नागपुर MRO में, हमने 4 QT चेक किए हैं।

दूसरे इलाकों जैसे दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में, ATRs, NEO और MAX एयरक्राफ्ट की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैपेबिलिटी बढ़ाने का काम किया गया है, जिन्हें भविष्य में एयरलाइंस चलाएंगी।

## ताकत

आपकी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ डेवलप की है:

- रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट और स्किल्ड टेक्निकल मैनुपावर के मामले में भारत में सबसे बड़ा MRO।
- भारत में एकमात्र MRO जिसमें B747, B777 और B787 सहित वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए लाइन और बेस मेंटेनेंस क्षमता है।
- भारत में एकमात्र MRO जिसे B747, B777, B787, A320 फ़ैमिली, B737NG/MAX और ATRs समेत अलग-अलग तरह के एयरक्राफ्ट मॉडल्स को संभालने का अनुभव है।
- इसके पास DGCA, FAA और EASA से मंज़ूर सुविधाएं हैं और पूरे भारत में इसकी मौजूदगी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और चेन्नई में 52 लाइन मेंटेनेंस स्टेशन और 7 मुख्य बेस मेंटेनेंस लोकेशन शामिल हैं, जो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरतों के लिए एक सच्चा वन-स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं।
- JT8D, CFM56-5B/7B, V2500, GE90, GEnx, PW4000 और LEAP-1A इंजन के लिए इंजन ओवरहॉल और टेस्टिंग में उपस्थिति।
- FAA ने मुंबई में A320 फ़ैमिली और B737 एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग गियर ओवरहॉल फ़ैसिलिटी को मंज़ूरी दी।
- IAF को उसके 06 एयरबस A321 एयरक्राफ्ट फ़्लीट के लिए पूरी मेंटेनेंस सपोर्ट देता है, साथ ही 02 VVIP बोइंग 777 एयरक्राफ्ट और 02 बोइंग 737-200 एयरक्राफ्ट के लिए मेंटेनेंस सपोर्ट भी देता है। इंडियन नेवी P8I एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर ओवरहॉल और रिप्लेसमेंट का काम AIESL कर रहा है।
- सभी बड़ी भारतीय एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस, अकासा, फ्लाई 91, AFCOM कार्गो, अलायंस एयर और इंटरनेशनल कैरियर्स जैसे कुवैत एयरवेज, ओमान एयर और कोरेंडन एयरलाइंस वगैरह को सर्विस देता है।
- कंपोनेंट रिपेयर जैसे APU, व्हील्स और ब्रेक्स, बैटरीज़, ऑक्सीजन बॉटल और एवियोनिक्स शॉप्स।
- डिफेंस से जुड़े मेंटेनेंस के लिए AS9110C क्वालिटी सर्टिफिकेशन।
- लीज़ रिटर्न मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट स्टोरेज और प्रिजर्वेशन, स्ट्रक्चरल रिपेयर और मॉडिफिकेशन, NDT, CAMO सर्विसेज़, ट्रेनिंग और टेक्निकल मैनुपावर सपोर्ट जैसी खास सर्विसेज़ में क्षमता।

## भविष्य की योजनाएं

कंपनी का मकसद मौजूदा क्षमताओं के साथ थर्ड पार्टी को MRO सर्विस देकर और नई क्षमताएं हासिल करके रेवेन्यू बढ़ाना है। AIESL ने एयरक्राफ्ट रीडिलीवरी बिज़नेस सेगमेंट को कवर करने के लिए त्रिवेन्द्रम में बेस मेंटेनेंस के लिए EASA से अप्रूवल लिया है। ऑर्गनाइज़ेशन को त्रिवेन्द्रम में बेस मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के लिए AS9110C अप्रूवल भी मिला है।

AIESL ने अपनी MRO सर्विस को डिफेंस सेक्टर में बढ़ाया है, DRDO, IAF और इंडियन नेवी को सर्विस दे रही है। कंपनी ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट को डिफेंस मिशन एयरक्राफ्ट में बदलने के लिए DRDO की बिड में हिस्सा लिया है। AIESL ने इंडियन नेवी के P8I एयरक्राफ्ट के फेज 56 चेक के लिए बोइंग को एक RFP भी सबमिट किया है।

नैरो-बॉडी और वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट के पैसेंजर-टू-फ्रेटर कन्वर्जन के बारे में OEMs और STC होल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है। AIESL एयरक्राफ्ट टियरडाउन और पार्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन्स में भी मौकों की जांच कर रहा है।

बिज़नेस डेवलपमेंट की कोशिशों में नासिक पेंटिंग फैसिलिटी में नैरो-बॉडी एयरक्राफ्ट (A320 और B737 दोनों फ़ैमिली) के लिए पेंटिंग सर्विस की खोज करना शामिल है। (जनवरी 2026 में नासिक में एक बड़ा एयरक्राफ्ट पेंटिंग असाइनमेंट पूरा हो चुका है)। AIESL त्रिवेन्द्रम में अपना खुद का स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट पेंट हंगर बनाने के प्रोसेस में भी है और उसके लिए टेंडर देने की प्रोसेस में है। (टेंडर दिसंबर 2025 में दिया गया है)। AIESL इंजीनियरों के लिए इन-हाउस पार्ट 147 ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बोइंग के साथ मिलकर बातचीत (जॉइंट वेंचर) कर रही है। इसके अलावा, AIESL और अकासा एयर, और स्पाइसजेट के बीच उनके फ़्लीट मेंटेनेंस को मैनेज करने के लिए एक लॉन्ग-टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत चल रही है। (इसके बाद, AIESL ने स्पाइसजेट के साथ लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं)

AIESL रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये उपाय लागू कर रहा है:

1. टेक्निकल डेटा, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट पाने के लिए CFMI जैसे OEMs के साथ मिलकर काम करना।
2. पूरे भारत में कई जगहों पर ऑन-कॉल और AOG सपोर्ट देने के लिए विदेशी कैरियर्स की लाइन मेंटेनेंस को बढ़ाना।
3. इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के साथ तालमेल बिठाने और और थर्ड-पार्टी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त FAA और EASA सर्टिफिकेशन पाना।
4. DRDO और इंडियन एयर फ़ोर्स के साथ पार्टनरशिप बनाना ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जिसमें कमर्शियल से ग्रीन एयरक्राफ्ट कन्वर्जन शामिल है।
5. लीज़ रिटर्न सर्विस देने के लिए लेसर के लिए खास वर्टिकल बनाना।
6. पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए क्लाइंट एयरलाइंस के लिए केबिन रिफ़र्बिशमेंट सर्विस देना।
7. विज़िबिलिटी बढ़ाने और इंटरनेशनल क्लाइंट पाने में सुधार के लिए विदेशी मार्केट एजेंट्स को शामिल करके मार्केट पहुंच बढ़ाना।

AIESL की स्ट्रेटेजिक पहलों ने, जो एक बड़े SWOT एनालिसिस से मिली जानकारी पर आधारित हैं, उसकी मार्केट



पोज़िशनिंग को काफी बेहतर बनाया है। अंदरूनी ताकतों का बाहरी मौकों के साथ इस्तेमाल करके और कमज़ोरियों और खतरों को कम करके, AIESL दुनिया भर में जाना-माना MRO लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है।

## वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनीज़ एक्ट, 2013 के नियमों के अनुसार एक CSR कमेटी बनाई है और समाज में अच्छा योगदान देने के मकसद से CSR पॉलिसी बनाई है।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 में बताए गए CSR प्रोविज़न के मुताबिक, AIESL ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान CSR एक्टिविटीज़ पर 11.92 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। फाइनेंशियल ईयर की कुल CSR ज़िम्मेदारी में से 5.72 करोड़ रुपये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिए गए और चल रहे CSR प्रोजेक्ट्स के लिए 6.20 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए, जिसके लिए कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135(6) के तहत रकम खर्च नहीं हुए CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। खर्च नहीं हुई रकम फाइनेंशियल ईयर के आखिर में मंज़ूर हुए हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है, और इस्तेमाल में देरी प्रोसेस से जुड़ी फॉर्मैलिटीज़ की वजह से हुई है, जिसमें इसे लागू करने में शामिल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को फाइनल करना भी शामिल है।

## कॉर्पोरेट प्रशासन

आपकी कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जैसा लागू हो। सेल्फ-इवैल्यूएशन के आधार पर, कंपनी पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए DPE कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के कम्प्लायंस के लिए 'एक्सीलेंट' ग्रेड में आती है। DPE ने FY 2022-23 के दौरान DPE कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के कम्प्लायंस के लिए AIESL को भी 'एक्सीलेंट' ग्रेडिंग दी है और FY 2023-24 और 2024-25 के लिए DPE ग्रेडिंग का इंतज़ार है।

## धन्यवाद

मैं, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन, DGCA, BCAS, AERA, AAI, DIAL, MIAL, AIAHL, IAF, DRDO, एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, स्पाइसजेट, अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और दूसरे एयरलाइन ऑपरेटर्स, ऑडिटर्स और वेंडर्स जैसे बड़े कस्टमर्स की कीमती मदद और गाइडेंस के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं बोर्ड में अपने साथियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूँ, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनकी लगन, समझदारी, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहरी समझ आपकी कंपनी के प्रदर्शन के लिए मुख्य वजहें रही हैं।

हम आपके लगातार सपोर्ट की उम्मीद करते हैं क्योंकि हम MRO इंडस्ट्री के अच्छे भविष्य के दौर में कदम रख रहे हैं, जहाँ आपकी कंपनी एक बड़ी भूमिका निभाएगी।

अमित कुमार

अध्यक्ष

## निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय सारांश और खास बातों सहित बिजनेस और ऑपरेशन्स पर अपनी इक्कीसवीं (21<sup>वीं</sup>) एनुअल रिपोर्ट पेश करते हुए खुशी हो रही है।

### 1. सामान्य जानकारी

एयर इंडिया लिमिटेड, जो उस समय की पेरेंट कंपनी थी, के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने साल 2010 में एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) को अलग करने की मंजूरी दी थी। एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एक अलग लाभ केंद्र के रूप में एयर इंडिया और इसकी अन्य सहायक कंपनियों के कैपिटल लोड के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियों के अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के तीसरे पक्ष के ग्राहकों के कार्यभार की सेवा प्रदान करना।

इसके अनुसार, AIESL को चालू करने के लिए साल 2012 में कैबिनेट से मंजूरी मिली। अलग-अलग कानूनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, 01-01-2015 को CAR 145 के तहत एक इंडिपेंडेंट MRO के तौर पर काम करने के लिए DGCA से फ़ाइनल मंजूरी मिली।

03-08-2020 से कंपनी का नाम "एयर-इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड" से बदलकर "एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड" कर दिया गया।

पहले, AIESL, एयर इंडिया लिमिटेड (AI) की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी थी, लेकिन AI के डिसइन्वेस्टमेंट और एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (AISAM) के फैसले के बाद, AIESL की पूरी शेयरहोल्डिंग 12-01-2022 को AI से AIAHL को ट्रांसफर कर दी गई और इस वजह से, AIESL, 12-01-2022 से AIAHL की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है।

### वित्तीय सारांश और मुख्य बिंदु

#### 2. साल के दौरान कंपनी का फाइनेंशियल प्रदर्शन नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

| विवरण                                | वित्तीय वर्ष<br>31-03-2025 को<br>समाप्त हुआ | वित्तीय वर्ष 31-03-<br>2024 को समाप्त हुआ<br>(पुनर्स्थापित) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| कुल राजस्व                           | 1946.05                                     | 2183.02                                                     |
| कुल व्यय                             | 1562.73                                     | 1552.45                                                     |
| असाधारण मदों से पहले लाभ (हानि)      | 383.31                                      | 630.57                                                      |
| जोड़ें: असाधारण आइटम                 | 120.83                                      | -259.50                                                     |
| कर से पहले लाभ (हानि)                | 504.14                                      | 371.07                                                      |
| घटाएँ: डेफ़र्ड टैक्स सहित टैक्स खर्च | 99.48                                       | 113.41                                                      |



|                                |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|
| कर के बाद लाभ                  | 404.66  | 257.66  |
| अन्य व्यापक आय                 | -7.21   | -19.25  |
| कुल व्यापक आय                  | 397.44  | 238.40  |
| पिछले वर्ष से अग्रेषित लाभ शेष | -685.18 | -923.58 |
| बैलेंस शीट में ले जाया गया शेष | -287.73 | -685.18 |

### 3. पूंजी संरचना

साल के दौरान कंपनी का ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल 1000 करोड़ रुपये था, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 100 करोड़ इक्विटी शेयरों में बंटा हुआ था।

साल के दौरान कंपनी का पेड-अप शेयर कैपिटल Rs. 166,66,65,000 था, जो Rs. 10 प्रति शेयर के 16,66,66,500 इक्विटी शेयरों में बंटा हुआ था।

इस साल के दौरान, आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं हुआ, और पूरी शेयरहोल्डिंग AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) और उसके नॉमिनी के पास है।

### 4. फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड की रिपोर्ट में बदलाव की डिटेल्स

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) में उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी के संबंध में अपने वित्तीय विवरण या बोर्ड रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है। हालाँकि, इस वर्ष की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वित्तीय विवरणों को फिर से प्रस्तुत किया गया है।

### 5. डिविडेंड

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर्स पर किसी डिविडेंड की सिफारिश नहीं करता है।

### 6. अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरण

क्योंकि पिछले सालों में कोई अनपेड / अनक्लेमड डिविडेंड नहीं था, इसलिए कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 125 के नियम लागू नहीं हुए।

### 7. बोर्ड द्वारा आरक्षित निधि में प्रस्तावित राशि

कंपनी के बोर्ड ने अपने रिज़र्व में NIL अमाउंट रखने का फैसला/प्रस्ताव किया है।

### 8. प्रमुख कार्यक्रम और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

FY 2024-25 के दौरान, AIESL ने ये उपलब्धियाँ हासिल कीं:

- 1) 32 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट पर 'C' चेक के लिए एयर इंडिया से RFP हासिल किया।
- 2) AIESL और स्पाइसजेट ने 5 साल के समय में CFM56-7B इंजन के मेंटेनेंस के लिए एक जनरल टर्म्स एग्रीमेंट (GTA) किया। इस एग्रीमेंट में शॉप में ऑफ-विंग रिपेयर सर्विस और CFM 56-7B इंजन के लिए

ऑन-विंग/लाइन मेंटेनेंस सर्विस शामिल हैं। इस GTA के बाद, स्पाइसजेट CFM56-7B इंजन को रिपेयर के काम के लिए मुंबई और JEOC शॉप में शामिल किया गया है।

- 3) प्रधान एयर के एक एयरबस A320 एयरक्राफ्ट को दिल्ली फैसिलिटी में मेजर चेक प्रोसीजर के लिए शामिल किया गया।
- 4) मेसर्स कॉन्फिटी कैपिटल पार्टनर्स ने EFW और SEC लिंक के साथ पार्टनरशिप में, भारत में एयरबस A330 पैसेंजर-टू-फ्रेटर कन्वर्जन सर्विस के लिए AIESL के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग साइन किया।
- 5) लाइन और साइट ऑपरेशन (LSO) के लिए GTA के लिए एक एग्जिबिट सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन और AIESL के बीच किया गया। यह एग्जिबिट LEAP-1A इंजन पर RBS मॉडिफिकेशन (रिवर्स ब्लीड सिस्टम) के कम्प्लायंस को कवर करता है, जिसे सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन AIESL को देगा। RBS मॉडिफिकेशन AIESL फैसिलिटीज़ पर किया जाएगा और इसे सभी LEAP-1A इंजन पर ग्लोबली लागू किया जाना चाहिए।
- 6) AIESL और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कोरापुट डिवीज़न ने पूरे एशियाई क्षेत्र में सिविल एयरक्राफ्ट इंजन के लिए MRO सर्विस देने में संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए।
- 7) नागपुर बेस पर सात बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के बेस मेंटेनेंस चेक के लिए कुवैत एयरवेज से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला।
- 8) AIESL को दो DRDO एयरबस A321 एयरक्राफ्ट को वापस सर्विस में लाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया।
- 9) AIESL ने लाइन मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए अलग-अलग घरेलू और इंटरनेशनल एयरलाइन ऑपरेटर और कार्गो कैरियर के साथ 28 लाइन स्टेशन एग्रीमेंट किए हैं। यह ऑर्गनाइज़ेशन अब रॉयल ब्रुनेई, बाटिक मलेशिया, एयर एशिया बरहाद, मलेशियन एयरलाइंस बरहाद, थाई एयर एशिया, स्काई अंगकोर, चार्म विंग्स, कतर एयरवेज़, ओमान एयरवेज़, एयर इंडिया, फ्लाई91, एम-जेट कार्गो, AFCOM कार्गो और SF कार्गो एयरलाइंस जैसी अलग-अलग एयरलाइन को सपोर्ट करता है। ये नए लाइन स्टेशन भारत और इंटरनेशनल लेवल पर अमृतसर, अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, काठमांडू, अगती, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कालीकट, जलगांव, त्रिवेंद्रम, जयपुर, पुणे, कन्नूर और चेन्नई जैसी खास जगहों पर हैं।
- 10) AIESL मुंबई बेस ने डिफेंस एयरक्राफ्ट की क्वालिटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लैंडिंग गियर, एक्सेसरीज़ व्हील्स और ब्रेक्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए NVT क्वालिटी सर्टिफिकेशन AS9110C हासिल किया।
- 11) मुंबई में AIESL लैंडिंग गियर ओवरहॉल शॉप फैसिलिटी को A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर की सर्विसिंग के लिए FAA से अप्रूवल मिल गया है।
- 12) A320 और ATR एयरक्राफ्ट पर भारी चेक से जुड़ी मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) के साथ एक GTA साइन किया है।
- 13) AIESL दिल्ली यूनिट ने TWC एविएशन कैपिटल के लिए लंबे समय से ग्राउंडेड B737NG एयरक्राफ्ट को सर्विस में वापस लाने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया।



- 14) AIESL त्रिवेन्द्रम बेस को A320 और B737 NG एयरक्राफ्ट के लाइन और बेस चेक के लिए EASA एंक्रेडिटेशन मिला।
- 15) AIESL ने एयरबस के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत गो एयर द्वारा पहले चलाए जा रहे चार एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए रिटर्न-टू-सर्विस (RTS) मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की जाएंगी। ये एयरक्राफ्ट लीज़र MSFL से जुड़े हैं।
- 16) AIESL मुंबई और त्रिवेन्द्रम बेस को भारी एयरक्राफ्ट (जिसमें मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं), व्हील और ब्रेक, ऑक्सीजन सिलेंडर और बैटरी के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए NVT AS 9110C क्वालिटी अप्रूवल मिला है। यह क्वालिटी सर्टिफिकेशन डिफेंस एयरक्राफ्ट सर्विसिंग के लिए एक ज़रूरी शर्त है।
- 17) कोरेंडन एयरलाइंस के साथ मेंटेनेंस सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया।
- 18) AIESL ने स्पाइस जेट के साथ एक MSA एग्रीमेंट किया। यह पूरा MSA AIESL को पूरे स्पाइस जेट फ्लीट के लिए लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस, और इंजन और कंपोनेंट ओवरहॉल एक्टिविटी करने का मौका देता है।
- 19) AIESL को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए अगले 05 सालों के लिए DGCA CAR 145 अप्रूवल मिल गया है।

कंपनी के ऑपरेशन्स को अलग-अलग रीजन/बेस यानी प्रॉफिट सेंटर्स में बांटा गया है। उनकी परफॉर्मेंस, साल के दौरान खास अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स नीचे दिए गए हैं:

## I. नागपुर एमआरओ:

MIHAN के स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में 50 एकड़ ज़मीन पर मौजूद MRO प्रॉपर्टी को एयर इंडिया लिमिटेड से AIESL को ट्रांसफर कर दिया गया है। 200+ बेस मेंटेनेंस चेक सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं।

नागपुर MRO का प्रदर्शन और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

### ए. बेस मेंटेनेंस

**नियामक अनुमोदन:** बेस मेंटेनेंस के लिए डीजीसीए की मंजूरी A320 फ़ैमिली एयरक्राफ्ट को A320 NEO/LEAP-1A को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया और '12 साल' की जाँच तक स्कोप बढ़ाया गया। नागपुर-MRO ने 11 सितंबर 2023 को कुवैत एयरवेज़ के लिए DGCA KCASR पार्ट 145 अप्रूवल हासिल कर लिया है।

फरवरी 2023 में A320 फ़ैमिली एयरक्राफ्ट के बेस मेंटेनेंस के लिए FAA की मंजूरी बढ़ा दी गई थी। इसके साथ, नागपुर बेस मेंटेनेंस को बोइंग 777 और एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए FAA की मंजूरी और बोइंग 777, एयरबस A320 और बोइंग 737 के लिए DGCA की मंजूरी मिल गई है।

### वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान

- 'डी' चेक (बी777 विमान) किए गए – 02
- 'सी' चेक (बी777 विमान) किए गए – 02

- फेज़ चेक (B777 एयरक्राफ्ट) किए गए - 25
- आइसोलेशन चेक (B777 एयरक्राफ्ट) किए गए - 09

FY 2024-25 के दौरान पूरे किए गए चेक की संख्या **38** थी, जिसमें 02 B777 D' चेक, 02 B777 C' चेक शामिल थे।

कुल **228 बेस मेंटेनेंस चेक** पूरे हो चुके हैं।

इसके अलावा, हमने मार्च-25 में कुवैत एयरवेज़ कंपनी (KAC) के साथ उनके सात B777 एयरक्राफ्ट के फ्लीट पर C-चेक करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहला एयरक्राफ्ट उसी महीने शामिल किया गया था। FY 2025-26 के लिए, KAC के साथ इस एंगेजमेंट से लगभग ₹ 50 करोड़ का रेवेन्यू जेनरेट होने का अनुमान है।

## बी. इंजन कार्यशाला

### GEnx इंजन असेंबली

- FY2024-25 के दौरान पैलेटाइज़ेशन और हॉस्पिटल शॉप विज़िट के लिए एक GEnx इंजन पर क्रिक टर्न (QT) रिपेयर पूरा किया गया और तीन और GEnx इंजन पूरे किए गए।
- कुल 16 GEnx इंजन क्रिक टर्न रिपेयर पूरे किए गए।

### इंजन परीक्षण कक्ष

- शुरुआत से लेकर अब तक नागपुर इंजन शॉप में कुल 5 GEnx-1B इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया।

### ऑन-विंग सहायता

- शॉप और टेस्ट सेल एक्टिविटीज़ के अलावा, नागपुर में बेस चेक से गुज़र रहे B777 एयरक्राफ्ट को ऑन-विंग सपोर्ट दिया जा रहा है।

## सी. सहायक कार्यशालाएँ

### (1) घटक ओवरहाल प्रभाग (सीओडी)

- एयरक्राफ्ट पर स्ट्रक्चरल रिपेयर और मॉडिफिकेशन COD स्ट्रक्चरल ग्रुप करता है।

#### सीओडी – संरचनात्मक समूह:

नागपुर एमआरओ के पास बोइंग {B777-200LR/300ER (GE90), B737-700/800/900 (CFM56), B787-8(GENX)} और एयरबस {AIRBUS A319/ A320/ A321 (CFM56-5B), A320 (V2500 सीरीज)} के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि समग्र सामग्री की मरम्मत, संरचनात्मक मरम्मत और संशोधन, पैनल – निर्माण और मरम्मत, फास्टर छिद्रों का ठंडा काम, मिश्र धातुओं और मिश्र धातु स्टील्स का ताप उपचार और धातुओं की वेल्डिंग के लिए डीजीसीए सी20 रेटिंग है

#### COD – केबिन सरवाइवल सेफ्टी इक्विपमेंट ग्रुप:



नागपुर एमआरओ के पास बी777-200एलआर/300ईआर (जीई90), बी737-700/800/900 (सीएफएम56), बी787-8(जीईएनएक्स) घटक सर्विसिंग जैसे विमान सीट कुशन कवर के विंग के लिए डीजीसीए सी6, सी15, सी18 रेटिंग भी है। विमान के पर्दे, विमान की आवाज़ प्रूफिंग, ज़िपर पैनल, कालीन और इंसुलेशन ब्लैकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर की चार्जिंग, कम्प्रेस्ड गैस सिलेंडर की हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टेस्टिंग और फायर एक्सटिंग्विशर बोतलों का वज़न चेक।

## (2) मानक कक्ष:

नागपुर MRO के स्टैंडर्ड्स डिवीज़न के पास अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, फ्लोरोसेंट पार्टिकल इंस्पेक्शन और मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के लिए DGCA D1 रेटिंग है और यह बेस मेंटेनेंस के लिए ऑन विंग सपोर्ट देता है।

## डी. बेसिक 147 OJT ट्रेनिंग

MRO, CAR 147 मेंटेनेंस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के स्टूडेंट्स को बेसिक OJT ट्रेनिंग देता है। अभी छह इंस्टिट्यूट ने AIESL, नागपुर के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं।

## ई. प्रशिक्षु का प्रवेश

अप्रेंटिस एक्ट-1961 के कम्प्लायंस के तहत, FY 2024-25 में 08 अप्रेंटिस शामिल किए गए।

## एफ. भविष्य की योजनाएं

- B777 और A320 फ़ैमिली एयरक्राफ़्ट के बेस मेंटेनेंस के लिए EASA की मंजूरी।
- इंजन शॉप की क्षमता बढ़ाने के लिए PRSV (परफॉर्मेंस रेस्टोरेशन शॉप विज़िट) टूल्स की खरीद।
- बैटरी/एक्सेसरीज़/इलेक्ट्रिकल/एवियोनिक्स/IFE कार्यशालाओं की स्थापना।

## II. त्रिवेन्द्रम (TRV) एमआरओ

टीआरवी एमआरओ सुविधा में केएल क्षेत्र के 5 स्टेशनों - त्रिवेन्द्रम, कोच्चि, कालीकट, कन्नूर और अगत्ती - का बेस रखरखाव, लाइन रखरखाव शामिल है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, एलायंस एयर, स्पाइस जेट और कतर एयरवेज की सेवा करते हैं और ऑक्सीजन चार्जिंग, बैटरी ओवरहाल और एनडीटी दुकानों का समर्थन करने वाले शॉप रखरखाव शामिल हैं।

### TRV MRO की मुख्य उपलब्धियाँ:

- I. B737-7/9 पर 3 साल तक और B737-8 (737 Max) पर 8 साल तक बड़े मेंटेनेंस चेक के लिए बेहतर क्षमता (DGCA और EASA दोनों)
- II. B737-NG के लिए 2 साल तक लाइन मेंटेनेंस की बेहतर क्षमता
- III. EASA की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ़ैसिलिटी को अपग्रेड किया गया। EASA डेस्कटॉप और फ़िज़िकल ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। EASA ऑडिटर्स की ज़्यादातर बातें संतोषजनक रहीं।

### बेस मेंटेनेंस कैपेसिटी और अप्रूवल:

- I. फैसिलिटी कैपेसिटी: दो एयरक्राफ्ट एक साथ मेजर चेक कर सकते हैं, साथ ही ओपन एप्रन एरिया में दो और एयरक्राफ्ट के लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी है।
- II. मंजूरी: B737-7/9 पर 3 साल तक और B737-8 पर 8 साल तक मेजर चेक के लिए मंजूरी मिल गई है। TRV पर B737 NG लाइन मेंटेनेंस के लिए भी 2 साल तक की मंजूरी मिल गई है।

### साल 2024-25 के दौरान प्रदर्शन की खास बातें नीचे दी गई हैं:

ए) बेस मेंटेनेंस -टीआरवी एमआरओ: वित्त वर्ष 24-25 में बीएमडी का गतिविधि-वार विवरण इस प्रकार है:

|                  |     |
|------------------|-----|
| I. चरण जाँच:     | 296 |
| II. मासिक चेक:   | 129 |
| III. सालाना चेक: | 13  |
| IV. C चेक:       | 16  |

बी) ओवरहॉल/रिपेयर शॉप्स: FY 24-25 में ओवरहॉल शॉप्स की एक्टिविटी के हिसाब से डिटेल्स इस तरह हैं:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| I. पहिए (मुख्य और आगे): | 1127 |
| II. ब्रेक:              | 164  |
| III. ऑक्सीजन:           | 48   |
| IV. बैटरियाँ:           | 206  |

सी) लाइन मेंटेनेंस: लाइन मेंटेनेंस डिवीज़न केरल रीजन के तहत, हमने FY 24-25 में अलग-अलग एयरलाइंस की लगभग 22141 फ़्लाइट्स को हैंडल किया है।

### ट्रिवेंद्रम एमटीओ

MTO, TRV को बोइंग और एयरबस फ्लीट ट्रेनिंग के लिए DGCA और EASA से मंजूरी मिली है। FY 24-25 के दौरान MTO, TRV ने 4 B737 MAX डिफरेंस कोर्स किए, एक B737NG B1.1 टाइप कोर्स (DGCA और EASA से मंजूर) और दो B737NG B2 कोर्स (DGCA और EASA से मंजूर)। साथ ही, EASA सर्विलांस (एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन) ऑडिट भी सक्सेसफुली पूरा हो गया है।

MTO, TRV, MRO, TRV के सपोर्ट से इन प्लांट ट्रेनिंग, इंटरनशिप और CAR 147 बेसिक स्कूल ट्रेनिंग (10 कॉलेज) भी देता है और इससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिलता है।

AIESL TRV MTO को A320, B737 NG और B737 MAX एयरक्राफ्ट पर B1/B2 टाइप ट्रेनिंग के लिए DGCA से मंजूरी मिली है।

इसके अलावा, MTO TRV को A320, B737 NG और B777 एयरक्राफ्ट पर B1/B2 टाइप रेटेड कोर्स के लिए EASA से मंजूरी मिली हुई है।



FY 24-25 के दौरान MTO, TRV में किए गए ट्रेनिंग कोर्स की संख्या नीचे दी गई है:

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम का प्रकार | पाठ्यक्रमों की संख्या | उम्मीदवारों की संख्या |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1           | ऑफ़लाइन पाठ्यक्रम   | 79                    | 936                   |
| 2           | ऑनलाइन पाठ्यक्रम    | 135                   | 1908                  |
| 3           | CAR147 बेसिक कोर्स  | 39                    | 576                   |

## भविष्य की योजनाएं

भविष्य के ऑपरेशन और क्षमताएं:

- एक नैरो बॉडी पेंट बूथ (पेंट हैंगर) शामिल करने के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाएं और इसके लिए DGCA, FAA और EASA से अप्रूवल लें।
- B737-Max के बेस मेंटेनेंस के लिए EASA की मंजूरी।
- कम्पोजिट मटीरियल/स्ट्रक्चरल रिपेयर अप्रूवल (DGCA में पहले ही अप्लाई किया जा चुका है)।
- A320 फ़ैमिली के लिए लाइन मेंटेनेंस अप्रूवल @ TRV 22500 FH/15000 FC/60 Mo तक और @ COK 3000FH/2400FC/12 Mo तक (DGCA में पहले ही अप्लाई किया जा चुका है)।
- B737-8/9 Max और A320 Neo व्हील्स और ब्रेक्स के लिए COD (कंपोनेंट ओवरहॉल डिवीज़न) कैपेबिलिटीज़ को बेहतर बनाना।
- केबिन की मरम्मत और मरम्मत, हीट एक्सचेंजर की सफाई, और टेस्टिंग।
- EASA के दायरे में MAX ट्रेनिंग को शामिल करना।
- पूर्ण SCOPE B 737-MAX DGCA अनुमोदन।

## III. जेईओसी (जेट इंजन ओवरहाल कॉम्प्लेक्स)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जेईओसी, दिल्ली का प्रदर्शन इस प्रकार है:

- इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, JEOC ने कुल 15 इंजनों की सफलतापूर्वक ओवरहॉलिंग की और डिलीवरी की:
  - एयर इंडिया के लिए 6 CFM56-5B इंजन,
  - भारतीय वायु सेना के लिए 2 JT8D इंजन,
  - मेसर्स ग्लोबल एरोटेक टेस्टिंग के लिए 7 V2500-A1 इंजन।
- ओवरहॉल के अलावा, हमारी टीम एयर इंडिया और AIX फ्लीट की तेज़ी से हो रही ग्रोथ के साथ तालमेल बिठाते हुए, ज़रूरी ऑन-विंग सपोर्ट देने में सबसे आगे रही है। इन सर्विसेज़ में शामिल हैं:
  - लाइन और बड़े मेंटेनेंस के दौरान वीडियो बोरस्कोप इंस्पेक्शन (BSI),
  - लीज़ पर लिए गए इंजनों की इन्वेंट्री की जाँच,
  - गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) निरीक्षण,

- LEAP-1A इंजन पर फ्यूल नोजल में बदलाव, और
- लीज़ रिटर्न इंस्पेक्शन।
- कुल मिलाकर, JEOC ने लगभग ऑन-विंग सपोर्ट दिया
  - 300 LEAP-1A इंजन, और
  - 325 CFM56-5B इंजन।
- हमारी इंजीनियरिंग टीम ने इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े पार्ट्स के लिए छोटा-मोटा सुधार का काम भी किया।

### **वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ**

- **कैपेबिलिटी बढ़ाना:** हमने स्पाइसजेट समेत ऑपरेटरों से रिपेयर और रेक्टिफिकेशन का काम लेने के लिए CFM56-7B इंजन के लिए लिमिटेड कैपेबिलिटी शुरू की है।
- **OEM मान्यता:** सफ़्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स के एक बड़े ऑडिट के बाद, JEOC को LEAP-1A और CFM56-5B इंजन के लिए MRO सर्विस के सप्लायर के तौर पर मंजूरी मिल गई है। यह हमारे सफ़र में एक बड़ा मील का पत्थर है।
- **रणनीतिक साझेदारियाँ:**
  - 26 अगस्त 2024 को साइन किए गए जनरल टर्म्स ऑफ़ एग्रीमेंट (GTA) नंबर SAE-MA-2024-00224 के तहत, सफ़्रान ने नॉन-एक्सक्लूसिव बेसिस पर AIESL को MRO सर्विसेज़ सब-कॉन्ट्रैक्ट करने पर सहमति जताई है।
  - इसके अलावा, लाइन और साइट ऑपरेशन (एलएसओ) नंबर SAE-MA-2024-00486, तारीख 20 फरवरी 2025, जेईओसी, नई दिल्ली और हमारी मुंबई फैसिलिटी को ऊपर बताए गए जीटीए के तहत एलएसओ सर्विस देने के लिए ऑथराइज़ करता है।
- **ग्लोबल सर्टिफिकेशन:** JEOC को LEAP-1A इंजन पर रिवर्स ब्लीड सिस्टम (RBS) मॉडिफिकेशन के लिए EASA, DGCA, और FAA से मंजूरी मिल गई है—जिससे दुनिया भर के ऑपरेटरों से थर्ड-पार्टी बिज़नेस के लिए दरवाज़े खुल गए हैं।
- **बुनियादी ढांचे का उन्नयन:**
  - हमने टेस्टिंग की सटीकता और बेहतर एफिशिएंसी के लिए अपने टेस्ट सेल को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है।
  - फेज़ 1 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसमें सर्वर बदलना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और पेरिफेरल्स शामिल हैं। सैफरन टेस्ट सेल्स द्वारा शुरू किए गए LEAP 1A और 1B इंजन के लिए JEOC टेस्ट सेल का CFD एनालिसिस।
  - Phase 2 जल्द ही शुरू होगा, जिससे हमारी फैसिलिटी भविष्य के लिए तैयार रहेगी।
- **डिफेंस सेक्टर सपोर्ट:** JEOC इंडियन एयर फोर्स के JT8D इंजन और DRDO के CFM56-5B इंजन के मेंटेनेंस सपोर्ट के साथ नेशनल डिफेंस को सपोर्ट करने की अपनी शानदार परंपरा को जारी रखे हुए है।

हमारा स्ट्रेटेजिक फोकस अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने, क्वालिटी और रिलायबिलिटी बढ़ाने, और लगातार रेवेन्यू



जेनरेशन पक्का करने के लिए थर्ड-पार्टी बिज़नेस को बढ़ाने पर है।

#### IV. मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र):

इस दौरान वेस्टर्न रीजन (WR) का प्रदर्शन इस तरह रहा:

##### ❖ समूह – ए

2024-25 फाइनेंशियल ईयर के दौरान नैरो बॉडी, वेस्टर्न रीजन, एयरबस ग्रुप की खास उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

#### ए. वेस्टर्न रीजन, ग्रुप A की MRO कैपेबिलिटीज़:

##### ➤ लाइन रखरखाव:

- ✓ एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए मुंबई समेत 09 एक्टिव लाइन स्टेशनों को हैंडल करना।
- ✓ 2024-25 के दौरान हर दिन औसतन 101 फ्लाइट्स हैंडल की गईं, जो इस तरह हैं:

| सीनियर | एयरलाइंस                       | कुल उड़ानें (2024-25) |
|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 1      | एयर इंडिया                     | 30861                 |
| 2      | एएएएल                          | 2970                  |
| 3      | श्रीलंका एयरलाइंस              | 625                   |
| 4      | कुवैत एयरलाइंस                 | 468                   |
| 5      | फ्लाइनास एयरलाइंस              | 426                   |
| 6      | सिंगापुर एयरलाइंस              | 321                   |
| 7      | कतर एयरलाइंस                   | 261                   |
| 8      | युगांडा एयरलाइंस               | 154                   |
| 9      | सलाम एयरलाइंस                  | 136                   |
| 10     | फ्लाई दुबई एयरलाइंस            | 106                   |
| 11     | वियत जेट एयरलाइंस              | 99                    |
| 12     | इराकी एयरलाइंस                 | 92                    |
| 13     | रॉयल नेपाल एयरलाइंस            | 76                    |
| 14     | हज चार्टर                      | 47                    |
| 15     | फ्लाई 91 एयरलाइंस              | 17                    |
| 16     | वीवीआईपी/वायुसेना/अन्य उड़ानें | 36                    |
|        | कुल (2024-25)                  | 36695                 |
|        | <b>औसत /दिन</b>                | <b>101</b>            |

- ✓ ATR-72 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए कैपेबिलिटी लिस्ट में दो नए स्टेशन जलगांव (JLG) और अमरावती (AVT) जोड़े गए हैं।

➤ **बेस रखरखाव:**

- ✓ बेस मेंटेनेंस को A320 फ़ैमिली (CFM & PW) एयरक्राफ्ट के लिए DGCA और FAA से मंजूरी मिली हुई है।
- ✓ एयर इंडिया एयरक्राफ्ट के लिए कुल 68 बड़े चेक ('A' चेक/OOPS टास्क) पूरे किए गए हैं
- ✓ पूर्व गो एयर विमान VT-COA, VT-COJ और VT-CWH का भंडारण, संरक्षण और RTS (सेवा में वापसी) किया गया।
- ✓ मेसर्स RCDL के VT-IAH एयरक्राफ्ट का मेजर चेक (60 महीने) पूरा हो गया है और मेसर्स RCDL को लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस में लगातार टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है।
- ✓ Gr. 'A' की सभी मेंटेनेंस सुविधाएं NEC से OAP में शिफ्ट कर दी गई हैं, जिससे भविष्य में हेंगर किराए में काफी बचत होगी।

**बी. पश्चिमी क्षेत्र, ग्रुप बी की एमआरओ क्षमताएं:**

**लाइन रखरखाव:**

a) लाइन रखरखाव का दायरा निम्नलिखित है-

- B737-7/8/9, B747-400, B777- 200/300, B787-8/9 एयरक्राफ्ट पर OOPS टास्क समेत ट्रांज़िट चेक करना।

**2024-2025 में LMD मुंबई में किए गए चेक का विवरण: -**

|                                             |   |      |
|---------------------------------------------|---|------|
| - कुल फेज़ चेक किए गए                       | - | 53   |
| - कुल 'A' चेक किए गए                        | - | 136  |
| - कुल ट्रांज़िट चेक किए गए                  | - | 3202 |
| - इंजन परिवर्तन                             | - | 08   |
| - कुल विदेशी एयरलाइन हैंडलिंग               | - | 1075 |
| - कुल विदेशी एयरलाइन सर्टिफिकेशन            | - | 98   |
| - विदेशी एयरलाइन स्टैंडबाय/ ऑन कॉल हैंडलिंग | - | 728  |

**मुख्य सफलतायें: -**

LMD मुंबई ने रिकॉर्ड समय में B787 और B777 एयरक्राफ्ट पर ज़ीरो LOPA टास्क सफलतापूर्वक पूरे किए।

24 घंटे में दो B787 एयरक्राफ्ट का वज़न किया गया।

स्टीयरिंग सिस्टम की समस्या का समाधान – B777/B787 पर नोज़ व्हील स्टीयरिंग की समस्याओं को रिकॉर्ड समय में ठीक किया गया।



शिकागो में एक AOG इवेंट के दौरान नोज़ काउल रिपेयर किया गया, जिससे तुरंत फेरी फ्लाइट क्लियरेंस मिल सका।

B787 पर HF संचार की एक गंभीर बाधा को ठीक किया, जिससे ETOPS डिस्पैच के लिए लंबी दूरी की संचार प्रणालियाँ बहाल हो गईं।

### **बेस रखरखाव:**

ए) बेस मेंटेनेंस में 4 हैंगर हैं (2, #3, #4A और #4B)

बी) बेस मेंटेनेंस के पास सभी 4 हैंगर के लिए DGCA का अप्रूवल है और #3 हैंगर के लिए FAA का अप्रूवल है।

सी) बेस मेंटेनेंस का स्कोप ये है -

- B747-400, B777-200/300 (GE90) पर संशोधन सहित D तक MPD कार्य करें,
- OOPS टास्क और B787-8/9 (GE GEnx) पर मॉडिफिकेशन सहित 48000 FH /24000 FC /12 साल तक MPD टास्क करें,
- 48000 FH /36000 FC /20 साल तक के MPD काम करें, जिसमें B737-700/800/900 (CFM 56) पर मॉडिफिकेशन शामिल है।
- 24000 FH /15000 FC /06 साल तक MPD काम करें, जिसमें B737-7/8/9 (CFM LEAP-1B) में बदलाव भी शामिल है।

### **2024-2025 में BMD मुंबई में किए गए चेक का विवरण:**

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - कुल "डी" चेक          | - 03     |
| - कुल "सी" जाँच         | - 03     |
| - कुल चरण जाँच          | - 04     |
| - कुल Oops Checks       | - 13     |
| - कुल ट्रांज़िट चेक     | - 08     |
| - लैंडिंग गियर परिवर्तन | - 05 सेट |
| - इंजन परिवर्तन         | - 08     |

### **मुख्य सफलताएँ:**

- B737 एयरक्राफ्ट पर 'C' चेक करने के लिए BMD सुविधा को बढ़ाना।
- BMD ग्रुप बी मुंबई ने स्पाइस जेट B737 एयरक्राफ्ट पर 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में पहला 'C' चेक सफलतापूर्वक किया है।
- AIESL BMD, B787-8 एयरक्राफ्ट (VT-ANH) पर 'D' चेक करने वाला पहला MRO है। यह चेक नवंबर 2024 में पूरा हुआ।

- कुवैत एयरवेज़ B777 विमान का प्रमुख निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- बीएमडी ने भारतीय नौसेना के विमान (पी 8आई) पर 02 लैंडिंग गियर परिवर्तन किए हैं।

### **भविष्य की योजनाएं:**

- बीएमडी ग्रुप बी मुंबई ने एस9110सी मान्यता के लिए आवेदन किया है। प्रोसेस पूरा हो गया है, और इस महीने के आखिर तक मान्यता मिलने की उम्मीद है। इससे हमें रक्षा क्षेत्र से अधिक रखरखाव अनुबंध प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- दोनों SESF एयरक्राफ्ट के D चेक इस साल (2025) के तीसरी तिमाही में BMD ग्रुप B मुंबई में प्लान किए गए हैं।
- जेट एयरवेज के B777 एयरक्राफ्ट की री-डिलीवरी चेकिंग भी पाइपलाइन में है।
- LMD ग्रुप B मुंबई, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी (जैसे EASA, FAA, GCAA, CAA, और रीजन-स्पेसिफिक लाइसेंस) से और अप्रूवल के लिए अप्लाई करने का प्लान बना रहा है, ताकि मुंबई एयरपोर्ट पर ज़्यादा विदेशी कैरियर को मेंटेनेंस दिया जा सके।

### **सी. इंजन ओवरहॉल डिवीजन- मुंबई:**

इंजन शॉप को डीजीसीए (भारत) द्वारा **सीएआर-145 रखरखाव संगठन**, एफएए द्वारा **एफएआर-145 मरम्मत स्टेशन (1999)** और ईएएसए द्वारा **ईएएसए-145 संगठन (2001)** के रूप में अनुमोदित किया गया है।

इंजन ओवरहॉल सुविधा CFM56-7B सीरीज़ इंजन की ओवर हॉलिंग और GE90-100 सीरीज़, GEnx-1B सीरीज़, APU 331-500, APU 131-9B और APS 5000 की आंशिक मरम्मत के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

इंजन शॉप में ये इक्विपमेंट और प्रोसेस भी उपलब्ध हैं जैसे स्टैटिक/डायनामिक बैलेंसिंग मशीन, को ऑर्डिनेट्स मेजरिंग मशीन, केमिकल और मैकेनिकल क्लीनिंग, NDT, स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ जैसे बोरस्कोप इंस्पेक्शन (BSI) और बोरो-ब्लेंडिंग, ब्लेड इंस्पेक्शन-O/H, गियरबॉक्स ओवरहॉल, बेयरिंग इंस्पेक्शन, वगैरह।

कम्प्यूटराइज़्ड टेस्टिंग के साथ 100,000 lbs थ्रस्ट कैपेसिटी।

इंजन शॉप में सेंट्रल रिपेयर फैसिलिटी भी है, जिसमें TIG वेल्डिंग, रीवर्क, मशीनशॉप, हीट-ट्रीटमेंट, शॉट-पीनिंग, प्लेटिंग और प्लाज़्मा क्षमताएं हैं।

### **उपलब्धियां/ थर्ड पार्टी काम:**

जीईएनएक्स और पीडब्लू 4000 सीरीज़ इंजनों और एआईएक्स प्रेस सीएफएम56-7बी सीरीज़ इंजनों के



कैप्टिव कार्य के अलावा, इंजन ओवरहॉल सुविधा ने क्लिक जेट, स्पाइसजेट और स्पेक्ट्रे के लिए सीएफएम56-7बी सीरीज इंजनों की मरम्मत का कार्य भी किया है।

नीचे दी गई टेबल EOH मुंबई द्वारा बनाए गए इंजन दिखाती है।

| महीना / वर्ष                 | पीडब्लू4056                             | सीएफएम56-7बी                                | जीई90                                      | जेनएक्स                                    | कुल |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| अप्रैल – 24 से<br>मार्च – 25 | लागू नहीं                               | 12 (इंजन रिपेयर /<br>परफॉर्मेंस रिस्टोरेशन) | 15 (फैन स्टेटर<br>असेंबली /<br>डिसअसेंबली) | 11 (फैन स्टेटर<br>असेंबली /<br>डिसअसेंबली) | 38  |
| अप्रैल – 24 से<br>मार्च – 25 | 09 (शिपमेंट<br>के लिए इंजन<br>पैकेजिंग) | 15 (अन्य छोटे काम)                          | 03 (अन्य छोटे<br>काम)                      | 02 (अन्य छोटे<br>काम)                      | 29  |

- इंजन ओवरहॉल सुविधा रेगुलर तौर पर अकासा एयर से मिले पार्ट्स पर NDT कर रही है।
- इंजन ओवरहॉल फैसिलिटी ने स्पिनर पेंटिंग जैसे अलग-अलग कामों के अलावा, P81 इंजन पर फैन केस एब्राडेबल को भी सफलतापूर्वक रिपेयर किया है।
- एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस के इंजनों के लिए संरक्षित बौद्धिक डेटा पर्याप्त राजस्व का स्रोत है।
- इंजन ओवरहॉल फैसिलिटी द्वारा मेंटेन किए गए टूल्स और इंजन स्टैंड एयर इंडिया को दिए जाते हैं और इसने पिछले दो सालों में एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया है।
- स्पाइसजेट समेत अलग-अलग कस्टमर्स के लिए लैंडिंग गियर के पार्ट्स, रिपेयर, प्लेटिंग वगैरह के लिए इंजन ओवरहॉल फैसिलिटी के सेंट्रल रिपेयर फैसिलिटी में आ रहे हैं।

### भविष्य की योजनाएँ और प्रस्तावित परियोजनाएँ:

LEAP 1B इंजन की क्षमता में बढ़ोतरी और LEAP 1B इंजन के टेस्ट के लिए बाद में टेस्ट सेल अपग्रेडेशन CFM56-7B कैपेसिटी को उसकी पूरी कैपेसिटी तक इस्तेमाल करने की कोशिश बाजार की मांग के अनुसार बीएसआई क्षमता वृद्धि

### डी. ओवरहॉल शॉप्स- मुंबई:

#### 1. कंपोनेंट ओवरहॉल डिवीजन (सीओडी) – ग्रुप बी

##### सर्टिफिकेशन और मंजूरी:

- **DGCA स्वीकृत:** B747-400, B777, B787, B737-800, B737-8 MAX
  - **FAA अप्रूव्ड:** B737 और A320 लैंडिंग गियर ओवरहॉल
  - **AS9110-C सर्टिफाइड रिपेयर स्टेशन:** डिफेंस एयरक्राफ्ट और कंपोनेंट्स के लिए।
- COD में 882 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने की क्षमता है और यह इनमें माहिर है:**
- संरचनात्मक मरम्मत और संशोधन

- मेटैलिक और कम्पोजिट स्ट्रक्चर (नैसेल कंपोनेंट सहित)
- 24x7 AOG/LMD सेवाओं और रिमोट डिप्लॉयमेंट के साथ ऑन-विंग/ऑफ-विंगसपोर्ट
- **पुराने विमान का मूल्यांकन**
  - OEM-अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल रिपेयर स्कीम बनाना
- **लैंडिंग गियर, पहिए और ब्रेक**
  - कई फ्लीट में कंपोनेंट्स की ओवरहॉल और रिपेयर
- **उड़ान नियंत्रण प्रणाली**
  - कंट्रोल सतहों की मरम्मत, के बल बनाना, हाइड्रोलिक ट्यूब की मरम्मत, और हीट एक्सचेंजर
- **केबिन सुरक्षा और जीवन रक्षा प्रणालियाँ**
  - रेडोम, दरवाज़े, खिड़कियाँ, सीटें, एस्केप स्लाइड, ऑक्सीजन और आग बुझाने वाली बोतलें
- **सेकेंडरी स्ट्रक्चरल केबिन पार्ट्स**
  - गैली और दूसरे अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत
- **गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी)**
  - एडीकरंट और फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन
- **इन-हाउस प्रक्रिया क्षमताएं**
  - हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग, मशीनिंग, कोल्डवर्किंग, और यथास्थान हाइड्रोलिक ट्यूबिंग की मरम्मत
- **केबिन इंटीरियर और फर्निशिंग**
  - फैब्रिक/लेदर सीट कवर, पर्दे, कार्गो लाइनर, डीकंप्रेशन पैनल, कारपेट कटिंग और बीडिंग

#### वित्त वर्ष 2024-25 के मील के पथर

- **प्रमाणित घटक:** 1,356
- **AOG रिकवरी:** 14 एयरक्राफ्ट रिकवर किए गए (एयर इंडिया, AI एक्सप्रेस, इंडियन नेवी, अकासा एयर, वगैरह)
- **फील्ड सपोर्ट:** दिल्ली, नागपुर और त्रिवेंद्रम में 6,184 मैन-घंटे दिए गए
- **रक्षा क्षमता:**
  - इंडियननेवी P-8I एयरक्राफ्टकेलिए 4 सेट (12 लैंडिंगगियर) का ओवरहॉल पूरा हुआ
  - AIESL AMEs और टेक्नीशियन (असेसमेंट, NDT, P-8I पर रिपेयर) के लिए इंडियन नेवी से ऑथराइज़ेशन मिला।
- **नई क्षमता:**
  - A320 कंपोनेंट ओवरहॉल (लैंडिंग गियर, पहिए, ब्रेक, प्रेशरवेसल, वगैरह)



**ग्राहक आधार:** एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर, कुवैत एयरवेज, स्पाइसजेट, रिलायंस, एचएन सफल एविएशन, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, एसईएसएफ

## 2. एक्सेसरीज़ और एवियोनिक्स ग्रुप (ए एंड एजी) – मुंबई

मुंबई में एवियोनिक्स शॉप, जिसमें **इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरहॉल डिवीज़न (EOD)**, **इंस्ट्रूमेंट ओवरहॉल डिवीज़न (IOD)**, **एक्सेसरीज़ ओवरहॉल डिवीज़न – इलेक्ट्रिकल (AOD-इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल)** शामिल हैं, कई एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए DGCA/FAA-सर्टिफाइड ओवरहॉल, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग और सपोर्ट सर्विस देना जारी रखे हुए है। इस साल, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, रिलायंस, ब्लू डार्ट, स्टार एयर, SESF जैसे बड़े ऑपरेटरों के लिए **कुल 4,764 कंपोनेंट की** सर्विस की गई है, जिससे सुरक्षा, कम्प्लायंस और ऑपरेशनल उपलब्धता के ऊंचे स्टैंडर्ड सुनिश्चित हुए हैं।

### ए. क) एक्सेसरीज़ ओवरहाल डिवीज़न-मैकेनिकल

- **DGCA/FAA सर्टिफाइड:** B747, B737, B777, B787 CFM 56-5B/-7B इंजन के 435 LRU, A320 लैंडिंग गियर कम्पोनेंट
- **मुख्य गतिविधियाँ:**
  - टेस्टिंग और ओवरहॉल: इंजन न्यूमेटिक हाइड्रोलिक फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स में L/G एक्चुएटर्स फ्यूज़, एयर चिलर्स, फ़िल्टर, चेक V/V, VSV एक्चुएटर्स, ऑयल फ्यूल हीट एक्सचेंजर्स ऑयल कूलर्स, सर्वो फ्यूल हीटर शामिल हैं
  - भारतीय नौसेना के P8i विमान के लैंडिंग गियर सिस्टम के पुर्जों की मरम्मत
  - B737 स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक सिस्टम फ्यूज की मरम्मत

**सर्विस की गई यूनिट्स: 488**

### ख) एक्सेसरीज़ ओवरहाल डिवीज़न – इलेक्ट्रिकल

- B747, B737, B777, B787 के लिए **DGCA/FAA सर्टिफाइड**; बैटरी और EPSU के लिए **A320 कैपेबिलिटी जोड़ी गई।**
- **मुख्य गतिविधियाँ :**
  - टेस्टिंग और ओवरहॉल: एयरक्राफ्ट बैटरी, इमरजेंसी पावर सप्लाय यूनिट (EPSU), गैली सिस्टम पार्ट्स, इंटीरियर लाइटिंग, इंजन/APU हार्नेस।
- **सर्विस की गई यूनिट्स: 1,152**

### बी. इंस्ट्रूमेंट ओवरहॉल डिवीज़न (आईओडी)

- **DGCA प्रमाणित:** B747, B737, B777, B787 में 287 LRU।
- **मुख्य गतिविधियाँ :**

- टेस्टिंग और ओवरहॉल: डिस्प्ले यूनिट्स, DFDR डाउनलोड/रीडआउट, AIMS मॉड्यूल, कॉकपिट पैनल, पिटोट प्रोब, TAT प्रोब, AOA सेंसर।
- ऑक्सीजन मास्क/वाल्व और कॉकपिट नेविगेशन सिस्टम के पार्ट्स की सर्विसिंग।
- **सर्विस की गई यूनिट्स: 1,626**

**सी. इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरहाल डिवीजन (ईओडी)**

- **DGCA प्रमाणित :** B747, B737, B777, B787 में 217 LRU।
- **मुख्य गतिविधियाँ:**
  - टेस्टिंग और ओवरहॉल: CVRs, ELTs, HF/VHF कम्युनिकेशन सिस्टम, वेदर रडार।
  - सिस्टम कैटेगरी: कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ऑडियो, IFE.
- **सर्विस की गई यूनिट्स: 1,498**

**डी. मानक प्रभाग: NABL मान्यता प्राप्त अंशांकन केंद्र**

**क) गैर विनाशकारी परीक्षण**

- **सर्टिफिकेशन:** अल्ट्रासोनिक (UT), एडी करंट (ECI) और रेडियोग्राफी (RT) टेस्टिंग तरीकों के लिए पूरी NDT सर्टिफिकेशन रेटिंग और FAA और EASA लिमिटेड सर्टिफिकेशन रेटिंग
- **वित्तवर्ष 2024-25 के लिए किए गए कार्य**
  - **UT:** 166 टास्क
  - **ECI:** 38 टास्क
  - उपरोक्त कार्य में समग्र प्रभाव क्षति निरीक्षण, पक्षी हिट निरीक्षण, बिजली हड़ताल निरीक्षण और दरार निरीक्षण शामिल हैं।
- **AOG सपोर्ट:** ग्राउंडेड एयर क्राफ्ट के लिए तुरंत ऑन-कॉल इंस्पेक्शन सर्विस।

**ख) विमान का वजन**

- क्षमता: हेलीकॉप्टर सहित सभी प्रकार के विमान।
- पूरा किया गया काम: 11 एयरक्राफ्ट।

**ग) रासायनिक प्रयोगशाला**

- **कार्य:**
  - एनालिसिस: हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, इंजन ऑयल्स।
  - एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग (एमबीटी)।

**घ) केंद्रीय कैलिब्रेशन सुविधा**

- **स्कोप:** मैकेनिकल डाइमेंशन, प्रेशर इंडिकेटिंग, टॉर्क जेनरेटिंग और इलेक्ट्रो-टेक्निकल



डिवाइस के कैलिब्रेशन में NABL एक्क्रेडिटेशन

- **वॉल्यूम:** BMD, LMD, नागपुर और सभी ओवरहॉल शॉप्स के लिए हर साल 3,000 इंस्ट्रुमेंट्स/टूल्स कैलिब्रेट किए जाते हैं।

## ई. एमटीओ मुंबई क्षमता/योग्यता और अनुमोदन

### 1. DGCA 147 और EASA 147 स्वीकृत

- **MTO के पास DGCA 147, B1.1 और B2 टाइप लाइसेंस ट्रेनिंग अप्रूवल हैं**
- बी737-700/800/900(सीएफएम56), बी737-7/8/9(सीएफएम लीप 1 बी, बी777-200/300(जीई 90), बी787-8/9( जीईएनएक्स ), ए318/319/320/321(सीएफएम 56), ए319/320/321(वी2500), बी747-400 (पीडब्लू 4000),
- शॉप अप्रूवल के खास कोर्स। B737, B737 Max, B777 , B787 स्ट्रक्चर रिपेयर कोर्स।
- **MTO के पास ये EASA 147 टाइप लाइसेंस ट्रेनिंग अप्रूवल हैं**
- बी737-600/700/800/900(सीएफएम56), बी777-200/300(जीई90), ए318/319/320/321 (सीएफएम 56)

### 2. मुख्य उपलब्धियाँ/ थर्ड पार्टी का काम

- MTO मुंबई, बोइंग की तरफ से अपने क्लाइंट्स को B737 Max पर ट्रेनिंग देने के लिए कोर्स चलाता है, MTO ने उनके लिए एक B737Max B1.1 टाइप लाइसेंस ट्रेनिंग भी रखी है।
- हम इंडियन एयर फ़ोर्स के लिए पेमेंट बेसिस पर B777-300(GE 90) B1.1 और B2 टाइप Fam कोर्स कराते हैं। MTO मुंबई इनप्लान्ट ट्रेनिंग भी देता है।
- इंटरशिप और CAR 147 बेसिक स्कूल ट्रेनिंग (10 कॉलेज) MRO, मुंबई के सपोर्ट से होती हैं और इससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिलता है।
- MTO, BOM में साल 2024-2025 के लिए किए गए ट्रेनिंग कोर्स की संख्या नीचे दी गई है:

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का प्रकार | पाठ्यक्रमों की संख्या | उम्मीदवारों की संख्या |
|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | ऑफ़लाइन पाठ्यक्रम   | 311                   | 4, 506                |
| 2       | ऑनलाइन पाठ्यक्रम    | 117                   | 1, 550                |
| 3       | CAR147 बेसिक कोर्स  | 40                    | 800                   |

### 3. भविष्य की योजनाएं और प्रस्तावित परियोजनाएं

- B737-7/8/9(CFM LEAP 1 B), B787-8/9( GENx ), A319/320/321(LEAP 1A)
- EASA 147 अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जा सकता है: इससे AIESL को मैनपावर को ट्रेनिंग देकर EASA145 के लिए अप्लाई करने में आसानी होगी।

## एफ. सहायता सेवाएँ

### LMD में 3 शिफ्ट में PPC- प्रोडक्शन प्लानिंग सपोर्ट दिया जाता है

- RAMCO वर्क पैकेज बनाकर BMD/LMD को देना। और, पहले से तय समय में RAMCO में अपलोड करना।
- कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के साथ लगातार संपर्क में रहकर बदलाव (वर्क-पैक टास्क को हटाना/जोड़ना) और अपडेट करने की मंजूरी देना, साथ ही यूजर के साथ मिलकर यह पक्का करना कि Ramco में पूरे हो चुके टास्क पूरे हो जाएं।
- बेस मेंटेनेंस पर सभी चेक के लिए गैट चार्ट तैयार करें और मेंटेन करें, ASES चार्ट, एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी तैयार करें और हैंगर विज़िट प्लान मेंटेन करें।
- सालाना लगभग: OOP 30(BMD) /HVYCHK 13 (BMD)
- टीसी (4 प्रति दिन) एलएमडी

### सामग्री प्रावधान

- एलएमडी, बीएमडी और शॉप्स अर्थात सीओडी, ईओडी, आईओडी, एओडी और जेओडी के लिए अतिरिक्त प्रावधान।
- अलग-अलग AIESL वर्कसेंटर के लिए थर्ड पार्टी जॉब पाना और मैनेज करना।
- दूसरे थर्ड-पार्टी कामों के लिए खर्च होने वाली और इस्तेमाल होने वाली चीजों का इंतज़ाम।
- थर्ड पार्टी कस्टमर्स के लिए मटीरियल के लिए मार्केटिंग में एस्टिमेशन/इनपुट दें।
- ऑडिट ऑब्ज़र्वेशन/NCs का जवाब देना और संबंधित सेक्शन को बंद करना।

### अप्रैल 2024-मार्च 2025 के बीच कुल वर्क ऑर्डर – 9879

- इनमें से 3<sup>rd</sup> पार्टी W/o (AI/AIX) के अलावा = 926

### वर्क ऑर्डर की मौजूदा स्थिति:

- बंद किए गए वर्क ऑर्डर = 4003
- पूरे हुए वर्क ऑर्डर = 447
- ड्राफ्ट वर्क ऑर्डर = 229
- नए वर्क ऑर्डर = 7
- प्रगति पर कार्य आदेश = 50
- नियोजित कार्य आदेश = 160
- पहले से बंद वर्क ऑर्डर = 597
- (BMD/LMD चेक सहित)
- **SESF-** PP और MP सपोर्ट AIESL और IAF के बीच LTMA एग्रीमेंट के तहत दिया गया।



### इंजीनियरिंग सुविधा प्रभाग:

उद्देश्य ईएफडी का उद्देश्य सभी हवाई अड्डों पर एआईईएसएल हैंगर/दुकानों और एप्रन में विमान रखरखाव के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग सुविधाएं प्रदान करना है, जहां बीओएम, डीईएल, एनएजी, सीसीयू, एचवायडी और टीआरवी में ईएफडी कार्यशालाओं/टीम के माध्यम से एआईईएसएल रखरखाव गतिविधियां चल रही हैं।

EFD के पास AIESL फैसिलिटी और दूसरे कस्टमर (जैसे RCDL, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो, ब्लू डार्ट, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स वगैरह) में इस्तेमाल होने वाले सभी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टूल्स और इक्विपमेंट देने, मेंटेन करने, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करने की क्षमता है। EFD मुंबई फैसिलिटी में हैंगर, दुकानों और स्टोर्स का मेंटेनेंस और सभी चार हैंगर और एनेक्स बिल्डिंग का भी काम करता है। EFD 140 kVa ग्राउंड पावर यूनिट (SFC यूनिट्स), न्यूमेटिक लाइन सिस्टम का ग्रिड, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, EOT क्रेन, हैंगर लाइट्स से लैस हैंगर के लिए ये सुविधाएं दे रहा है।

EFD नीचे दिए गए इक्विपमेंट को मेंटेन कर रहा है, जिनका बड़ा क्लासिफिकेशन और लगभग मात्रा इस तरह है:

| क्रमांक | उपकरण                          | मात्रा |
|---------|--------------------------------|--------|
| 1       | ट्राइपॉड जैक                   | 40     |
| 2       | एक्सल जैक                      | 100    |
| 3       | व्हील डॉली                     | 50     |
| 4       | ट्रेस्टल्स                     | 300    |
| 5       | विविध जीएसई                    | 15     |
| 6       | क्रेन                          | 100    |
| 7       | N2 कार्ट्स                     | 15     |
| 8       | इंजन स्टैंड                    | 20     |
| 9       | एपीयू स्टैंड्स                 | 12     |
| 10      | N2 नियामक                      | 15     |
| 11      | सेंट्रल एसी सिस्टम (1650 टीआर) | 14     |
| 12      | स्प्लिट एसी                    | 200    |
| 13      | विंडो एसी                      | 100    |
| 14      | पानी वाला कूलर                 | 80     |
| 15      | पानी शुद्ध करने वाला यंत्र     | 70     |
| 16      | डीप फ्रीजर                     | 9      |
| 17      | कंप्रेसर                       | 13     |
| 18      | एसी पैकेज यूनिट                | 30     |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 19 | वाहन उपकरण     | 25 |
| 20 | बिजली उपकेंद्र | 4  |

### ईएफडी उपलब्धियां 2024-25

1. एस-9110सी ऑडिट (पहली बार किया गया), महाराष्ट्र फैक्टरी अधिनियम के अनुसार एआईईएसएल फैक्टरी परिसर का व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ऑडिट और इंजन ओवरहाल और एसटीडी रूम का ईएसए ऑडिट, रखरखाव सुविधा का एफएए ऑडिट भी किया गया जिसमें ईएफडी के शून्य निष्कर्ष मिले।
2. अगस्त 24 में NEC से V8 में LMD शिफ्टिंग के लिए T2 एयरपोर्ट पर जगह डेवलप की गई।
3. जलगांव, अमरावती में नए आउटस्टेशन EF इक्विपमेंट की प्रोविजनिंग और 25 फरवरी को प्रधान एयर व्हील चेंज के लिए नासिक एयरपोर्ट पर EF इक्विपमेंट देना।

**EFD 2025-26 में भविष्य की प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स:** हैंगर 3 OAP अपग्रेडेशन, जिसमें सभी एनेक्स की बिल्टिंग्स में PU / एपॉक्सी फ्लोरिंग दी जाएगी, स्ट्रक्चरल ऑडिट की ज़रूरत के हिसाब से बड़े सिविल काम।

## V. दिल्ली बेस (उत्तरी क्षेत्र)

**वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तरी क्षेत्र (समूह - ए) में प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:**

- **1945 तृतीय पक्ष प्रमाणन** (एआई और समूह कंपनियों/एएएल/आईएएफ के अलावा अन्य पक्ष) किए गए।

इस गिनती में ये खास काम शामिल हैं:

- लीज़-रिटर्न एयरक्राफ्ट पर वापसी के लिए किया गया काम (जैसे GO-AIR, वगैरह): 7
- प्रधान एयर के लिए लैंडिंग गियर रिप्लेसमेंट : 2
- प्रधान एयर, स्पाइसजेट , 2 TWCA: 4 के लिए 'C' चेक किया गया
- **एयर इंडिया** लिमिटेड के एयरबस फ्लीट पर कुल 33,929 ट्रांज़िट चेक किए गए।
- बेस मेंटेनेंस, NR में, 2024-25 के दौरान एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के एयरबस फ्लीट पर किए गए चेक की संख्या इस प्रकार है:
  - 1ए-चेक - 30
  - 2ए-चेक - 29
  - 3ए-चेक - 14
  - 4ए चेक - 20
  - इंजन परिवर्तन गतिविधि - 57
  - 6 वार्षिक चेक - 6



- 1बी चेक - 3
- 1सी चेक - 3
- विमान में मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर - 1
- इंडक्शन/नोवेशन चेक - 8
- ऑपरेटर (एयर इंडिया) ने सितंबर 2024 से अपने बदले हुए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्लान (AMP) के आधार पर 'A' चेक की मेंटेनेंस फिलॉसफी बंद कर दी है। 'A' चेक की जगह अब 'आउट ऑफ फेज या OOPS' चेक / हेवी चेक पैकेज ले लेंगे।
- सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच किए गए आउट ऑफ फेज या OOPS चेक / हेवी चेक की कुल संख्या: 93
- **और भी काम किए गए:** अलग-अलग ऑपरेटरों का वज़न, इंजन ट्रिम बैलेंसिंग, VBV स्नैग, डिटर्जेंट वॉटर-वॉश, रडर फिटिंग मॉड, इंजन फोम वॉश, स्नैग रेक्टिफिकेशन, वगैरह।

**कुल: 243**

- इसके अलावा, **1 AAAL एयरक्राफ्ट** (VT-RKF) पर **स्ट्रक्चरल रिपेयर** का काम भी किया गया।

## दिल्ली बेस (उत्तरी क्षेत्र) ग्रुप-बी

**वित्तीय वर्ष: 2024-25**

### 1. ऑपरेशन का ओवरव्यू

लाइन मेंटेनेंस, दिल्ली बेस (नॉर्थ रीजन), AIESL के वाइड-बॉडी MRO ऑपरेशन्स के लिए एक ज़रूरी हब के तौर पर काम करता रहता है। यह फैसिलिटी फ्लाइट हैंडलिंग में मदद करने में अहम भूमिका निभाती है और AIESL के कुल रेवेन्यू में बड़ा योगदान देती है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऑपरेशनल क्षमताएं इसे कंपनी के बिज़नेस फ्रेमवर्क का आधार बनाती हैं।

### 2. वित्तीय प्रदर्शन

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान, नॉर्थ रीजन (वाइड बॉडी) ने कुल 235.89 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेशन रिकॉर्ड किया, जिसका डिटेल नीचे दिया गया है:

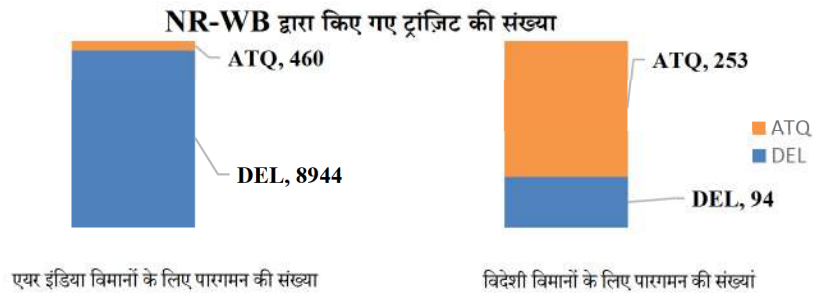
| वर्ग                       | राजस्व (करोड़ रुपये में) |
|----------------------------|--------------------------|
| एयर इंडिया बेड़े को सेवाएँ | 234.54                   |
| अन्य एयरलाइनों को सेवाएँ   | 1.35                     |
| <b>कुल</b>                 | <b>235.89</b>            |

### 3. ऑपरेशनल हाइलाइट्स

- **पारगमन जाँच**

एयर इंडिया के B787/B777 फ्लीट के लिए कुल **9,404 ट्रांज़िट चेक** किए गए:

- दिल्ली: 8,944
- अमृतसर (ATQ): 460
- विदेशी/दूसरी एयरलाइंस के लिए सर्टिफिकेशन  
B787/B777/B737 एयरक्राफ्ट पर कुल **347** सर्टिफिकेशन किए गए:
  - दिल्ली: 94
  - अमृतसर (ATQ): 253



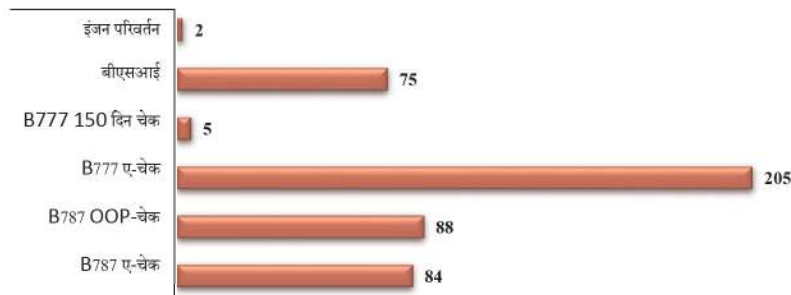
#### 4. प्रमुख रखरखाव गतिविधियाँ

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिल्ली बेस पर की गई प्रमुख रखरखाव गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है:

| एस.एन. | गतिविधि                     | विमान का प्रकार | गतिविधियों की संख्या |
|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1      | ए-चेक                       | बी787           | 84                   |
| 2      | आउट-ऑफ-फेज (OOP) चेक        | बी787           | 88                   |
| 3      | ए-चेक                       | बी777           | 205                  |
| 4      | 150-दिवसीय चेक              | बी777           | 5                    |
| 5      | बोर स्कोप निरीक्षण (बीएसआई) | बी787/बी777     | 75                   |
| 6      | इंजन परिवर्तन               | बी787/बी777     | 2                    |



FY-25 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों की संख्या



## 5. मुख्य उपलब्धियाँ

### ए) रेडोम डायवर्टर स्ट्रिप का निरीक्षण और प्रतिस्थापन

रेडोम डायवर्टर स्ट्रिप का इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक किया गया, जिससे एयरक्राफ्ट का डाउनटाइम कम हुआ और एयरक्राफ्ट को मुंबई भेजने में होने वाली देरी से बचा गया।

### बी) B787 फ्लाइट डेक चेयर कम्प्लायंस (P1 और P2)

दिल्ली के एक एयरक्राफ्ट के लिए, B787 फ्लाइट डेक चेयर (P1 & P2) के लिए ज़रूरी एयरवर्दीनिस डायरेक्टिव्स (ADs) और सर्विस बुलेटिन (SBs) का, तय तारीख से 10 दिन पहले ही, पहले से पालन किया गया।

### सी) स्लाइड राफ्ट्स का समय पर प्रतिस्थापन

100 से ज़्यादा हार्ड टाइम कंपोनेंट्स (स्लाइड राफ्ट्स) तय टाइमलाइन के अंदर बदले गए, जिससे लगातार कम्प्लायंस और ऑपरेशनल रेडीनेस पक्का हुआ।

### डी) B787 लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन टेस्ट

दिल्ली में पहली बार B787 लैंडिंग गियर का सफल रिट्रैक्शन टेस्ट किया गया, जो स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण टेक्निकल मील का पत्थर साबित हुआ।

## 6. भविष्य के ऑपरेशन और क्षमताएं:

ए) LMD ट्रांज़िट चेक के लिए दूसरी एयरलाइंस के साथ सहयोग

बी) B787/B777/B737 एयरक्राफ्ट पर बेस मेंटेनेंस के लिए EASA की मंजूरी।

सी) सेवा क्षमताओं का नियोजित विस्तार

- संरचना मरम्मत सुविधाएं
- घटक मरम्मत सुविधाएं
- रेडोम मरम्मत सुविधाएं
- गैली इंसर्ट मरम्मत की कार्यशाला
- केबिन सुरक्षा और जीवन रक्षा उपकरण की कार्यशाला

## VI. हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र):

### अप्रैल 2024 – मार्च 2025 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएँ

#### हैदराबाद बेस और दक्षिणी क्षेत्र

#### **वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदर्शन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:**

हैदराबाद में AIESL MRO, AIESL नेटवर्क में अपने स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट और सबसे नए MRO के साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सर्विस में सबसे आगे है। हैदराबाद में रीजनल हेड ऑफिस तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को दी जाने वाली इंजीनियरिंग सर्विसेज़ और इन राज्यों से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ज़िम्मेदार है। हम रेगुलेटरी और सेफ्टी कम्प्लायंस के सबसे ऊँचे स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए कस्टमर्स को बेस्ट-इन-क्लास, समय पर और क्वालिटी सर्विसेज़ देते हैं।

#### **ए) हैदराबाद हैंगर की क्षमता**

➤ **ए320 (आईईई वी2500)**

48000 FH/ 36000 FC/ 12 साल का चेक, 20 साल के टास्क, जिसमें OOP टास्क भी शामिल हैं।

➤ **ए319/ए320/ए321 (सीएफएम56)**

750 FH/600 FC/120 DAYS और इसके मल्टीपल और वर्क पैकेज में 12 साल तक का चेक, 20 साल तक का इंस्पेक्शन टास्क शामिल है, जिसमें OOP टास्क के साथ-साथ मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल रिपेयर और इंस्पेक्शन भी शामिल है।

➤ **ए320 (सीएफएम लीप 1ए)**

750 FH/ 600 FC/ 120 DAYS और इसके मल्टीपल 144 Months/45000 FH/36000 FC इंस्पेक्शन तक, जिसमें OOP टास्क के साथ मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल रिपेयर और इंस्पेक्शन शामिल हैं।

➤ **A321 (सीएफएम लीप 1ए)**

18000 FH / 14400 FC / 6 साल (72 MO) तक एयरबस MPD काम जिसमें OOP इंस्पेक्शन के साथ-साथ मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल रिपेयर और इंस्पेक्शन शामिल है।

➤ **एटीआर 72-212ए (पीडब्ल्यूसी पीडब्ल्यू120)**

सभी MPD टास्क 70,000 फ़्लाइट लैंडिंग, 46,000 फ़्लाइट घंटे, 15 साल तक, जिसमें मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन, रिपेयर और OOP टास्क शामिल हैं।

➤ **बी737-700/800/900 (सीएफएम56)**

48000 FH/ 50000 FC/ 12 साल तक के MPD काम, जिसमें बदलाव, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और मरम्मत शामिल हैं।

➤ **B737-7/8/9 INCL. 8200 (CFM LEAP 1B)**

15000 FH/ 5500 FC/ 36 महीने तक के MPD काम, जिसमें बदलाव, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

इसके अलावा A320 इंजन चेंज, इंजन का बोरस्कोप इंस्पेक्शन, रैम एयर टर्बाइन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल और फ्लोरोसेंट पार्टिकल इंस्पेक्शन, NDT, ET और UT जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विस भी देते हैं।

## बी) दक्षिणी क्षेत्र में किए गए मेंटेनेंस एक्टिविटी की खास बातें

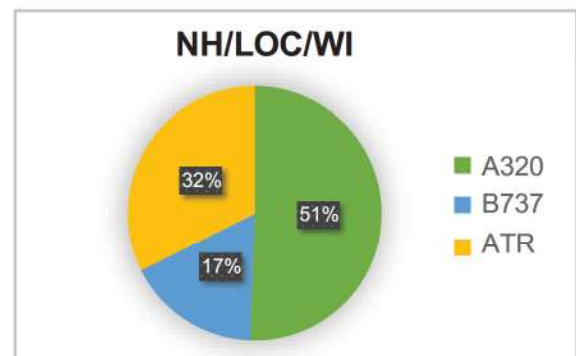
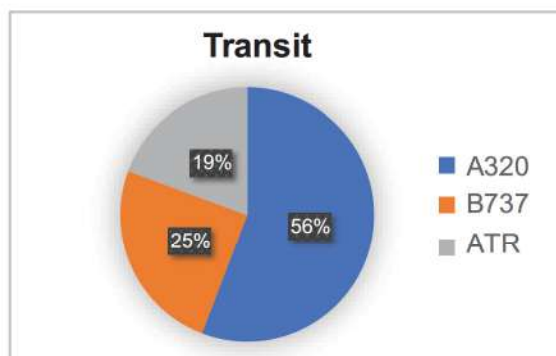
### ➤ दक्षिणी क्षेत्र में लाइन मेंटेनेंस एक्टिविटी:

रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान, दक्षिणी क्षेत्र के अलग-अलग स्टेशनों पर **A320, B737, और ATR72-600** एयरक्राफ्ट टाइप के लिए कुल लगभग **29,460 ट्रांज़िट सर्टिफिकेशन** किए गए। ये सर्विस एयर इंडिया, अलायंस एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया बरहाद, इंडियन एयर फ़ोर्स (AB), कुवैत एयरवेज़, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, Fly91, कतर एयरवेज़, स्कूट टाइगरएयर, मलेशिया एयरलाइंस, बिमान बांग्लादेश, और रॉयल ब्रुनेई जैसे कई क्लाइंट्स को दी गईं।

ट्रांज़िट सर्टिफिकेशन के अलावा, A320/B737/ATR फ़्लीट के लिए ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की गईं:

- 647 रात्रि विश्राम जाँच
- 1,499 लेओवर चेक
- 1,075 साप्ताहिक चेक

इन गतिविधियों का विमान-प्रकार-वार वितरण साथ में दिए गए पाई चार्ट और बार चार्ट में दर्शाया गया है, जो **A320, B737 और ATR** विमान परिवारों में संभाले गए आनुपातिक कार्यभार को दर्शाता है।



### ➤ उन्नत लाइन रखरखाव गतिविधियाँ और विशेष सहायता सेवाएँ

रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान, कुल 105 B737 एयरक्राफ्ट की लाइन मेंटेनेंस सर्विस हुई, जिसमें 500 फ़्लाइट आवर (FH) चेक, A1 से A7 चेक, और दूसरे MPD (मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट) काम शामिल थे।



रूटीन इंस्पेक्शन के अलावा, एलायंस एयर के लिए 400 FH चेक और उससे ज़्यादा के साथ हायर-लेवल मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ भी की गई। हैदराबाद स्टेशन पर लाइन मेंटेनेंस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर बोरस्कोप इंस्पेक्शन भी किए गए।

इसके अलावा, एयरएशिया बरहाद, मलेशिया एयरलाइंस और दूसरी कई इंटरनेशनल एयरलाइंस को AOG (एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड) सपोर्ट सफलतापूर्वक दिया गया, जिससे कम से कम डाउनटाइम और ऑपरेशनल कंटीन्यूटी बनी रही। क्रिकजेट जैसे क्लाइट्स के लिए कुल 320 हेडसेट सपोर्ट सर्विसेज़ दी गई।

#### ➤ शमशाबाद हंगर में बड़ी चेकिंग गतिविधि:

बेस मेंटेनेंस, HYD में 2023-24 के दौरान किए गए चेक की संख्या इस प्रकार है

शमशाबाद हंगर में फ्लीट टाइप और किए गए चेक के टाइप के हिसाब से सर्विस किए गए कुल एयरक्राफ्ट की संख्या नीचे दी गई टेबल में दी गई है:

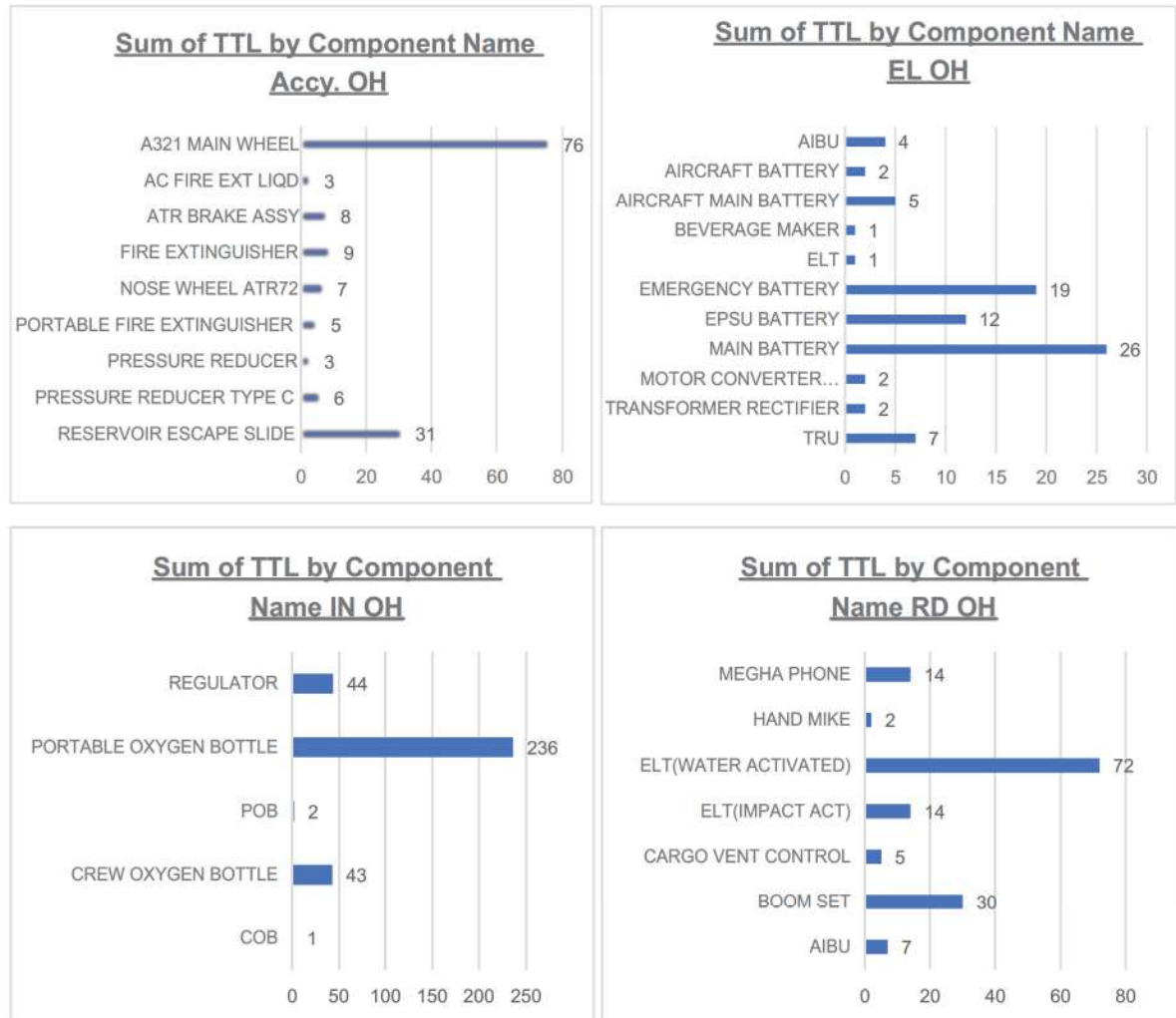
| विमान का प्रकार | कुल सर्विस किए गए विमानों की संख्या | किए गए चेक का प्रकार                                                                            | MHRS से करीब आय हुई |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ए320            | 82                                  | वीकली, OOP टास्क, BSI, इंजन चेंज, स्ट्रक्चरल रिपेयर और NDT, क्रिटिकल AD/SB                      | 36547               |
| एटीआर 72-600    | 36                                  | हर हफ़्ते, 400FH, A1 से A9, 4000FH, 1 साल, C चेक, BSI, स्ट्रक्चरल रिपेयर और NDT, MLG चेंज वगैरह | 76998               |
| बी737           | 17                                  | 500FH, A1 से A7, OOP टास्क, क्रिटिकल AD/SB                                                      | 1303                |

#### ➤ हैदराबाद में ओवरहॉल शॉप्स की प्रोडक्शन रिपोर्ट:

FY 2024-25 के लिए AIESL, HYD में ओवरहॉल शॉप्स पर सर्विस किए गए कंपोनेंट्स की संख्या इस तरह है:

- Accy . OH शॉप - 148
- इलेक्ट्रिकल ओएच शॉप - 81
- इंस्ट्रूमेंट OH शॉप - 326
- रेडियो ओएच शॉप - 144

हर OH शॉप के लिए कंपोनेंट के हिसाब से ब्रेकअप (ग्राफ़)



### सी) भविष्य की योजनाएं:

- हैदराबाद में B737 (NG & MAX) और A321 Neo की क्षमता में बढ़ोतरी (लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस दोनों)

B737 (NG & MAX) और A321 Neo के लिए हैदराबाद MRO & LM की कैपेबिलिटी बढ़ाने का काम आखिरी स्टेज में है। इन सुधारों की डिटेल्स इस तरह हैं

#### (i) बेस मेंटेनेंस

- B737-7/8/9 8200 सहित (CFM LEAP-1B)

30000FH या 15000FC या 08 साल तक के MPD काम, जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ काम, बदलाव, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और मरम्मत शामिल हैं

#### (ii) लाइन रखरखाव

- A319/A320/A321 (CFM 56) और एयरबस A320/A321 (LEAP 1A)

22500FH या 15000FC या 60 महीने तक के MPD काम, जिसमें मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

➤ **एटीआर-212 ए, 600 संस्करण (पीडब्ल्यूसी पीडब्लू120)**

5000FH या 15000FC या 2 साल तक, जिसमें MPD टास्क, आउट ऑफ़ फेज़ टास्क शामिल हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

इन कैपेबिलिटी एनहांसमेंट से AIESL की रेवेन्यू वैल्यू में काफी बढ़ोतरी होगी और यह भारत में MRO इंडस्ट्री में बढ़ते वर्कलोड को पूरा करते हुए ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विस दे पाएगी।

**VII. कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र) वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदर्शन की मुख्य बातें इस प्रकार थीं:**

**पूर्वी क्षेत्र**

**1. 2024-25 के दौरान उपलब्धियां**

- गुवाहाटी स्टेशन की कैपेसिटी को ATR फ़ैमिली एयरक्राफ़्ट के लिए WI तक अपग्रेड किया गया है
- काठमांडू की कैपेसिटी को अपग्रेड करके बोइंग B737 NG/MAX के PF/ट्रांज़िट इंस्पेक्शन को शामिल किया गया है।
- रूपसी, तेजू को ATR नेटवर्क में जोड़ा गया।

**2. लक्ष्य-**

- ईस्टर्न रीजन का मेन टारगेट 2 हेंगर (हेंगर 1 और 2) खरीदना और उन्हें FAA स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड करना है ताकि ज़्यादा बिज़नेस मिल सके।
- कोलकाता स्टेशन की कैपेसिटी को "22500 FH/ 15000 FC/ 60 MO MPD टास्क तक बढ़ाया जाएगा और इसमें आउट ऑफ़ फेज़ टास्क, मॉडिफिकेशन, A319/ A320/ A321/(CFM56) और A320/ A321 (CFM LEAP-1A) के लिए स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन शामिल होंगे।"
- इसके अलावा, ATR 72-212A की क्षमता को "5000/15000 FC/ 2 YRS MPD टास्क तक और आउट ऑफ़ फेज़ टास्क, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन सहित" के रूप में बढ़ाया गया है।
- B737 Max के लिए कैपेसिटी बढ़ाने की जानकारी 3 साल से 8 साल के लिए।
- P&W1100G के साथ A320 के लिए कैपेसिटी एनहांसमेंट 12 साल का चेक।
- IAE V2500 के साथ A320 के लिए कैपेबिलिटी एनहांसमेंट 12 साल का चेक।
- CAR147 बेसिक ट्रेनिंग स्कूल के लिए क्षमता में बढ़ोतरी।

**3. बेस मेंटेनेंस परफॉर्मेंस-**

- **121** मेजर चेक और OOPS टास्क किए गए
- बोइंग B737 मैक्स एयरक्राफ़्ट पर **58** मेजर चेक और OOPS टास्क किए गए
- **73** मेजर चेक और OOPS टास्क किए गए
- **2** BSI और **1** AOG किया गया
- **2** ताशी एयर सी चेक किए गए

**4. लाइन रखरखाव प्रदर्शन**



- 18 आउटस्टेशन संभाले और प्रदर्शन किया
- **3180** पीएफ निरीक्षण
- **583** एनएच निरीक्षण
- **412** एलओ निरीक्षण
- **192** WI निरीक्षण
- **5 400** घंटे के निरीक्षण

04.01.2025 से एयर इंडिया से लाइन मेंटेनेंस सपोर्ट वापस लेने के बाद, 31.03.25 तक कुल 19 OOPS टास्क किए गए :-

- 13 बोइंग बी737 मैक्स
- 6 एयरबस A320 परिवार

45 VVIP फ्लाइट्स के साथ-साथ CCU, GAU, IXB, IXZ, IXA, IMF, BBI और IXS में 192 DRDO फ्लाइट्स हैंडल की गईं।

पूर्वी क्षेत्र ने 901 LO, 205 WI, 36 400FH, 11 NHPF चेक के साथ 7071 ATR ट्रांजिट उड़ानें संभाली हैं। एयर एशिया बरहाद की डेली एयरबस A320 फ्लाइट्स को कोलकाता और IXZ ने हैंडल किया है।

इस दौरान काठमांडू ने 1405 फ्लाइट्स और 1 AOG हैंडल किया।

## 5. ओवरहालशॉप का प्रदर्शन

### एपीयू ओवरहाल शॉप

8 131-9A APUs, 3 GTCP 85-129,5 B737 CSD ऑयल कूलर, 9 131-9A APU ऑयल कूलर, न्यूमेटिक स्टार्टर के कंपोनेंट्स पर 3 NDTs, 3 B737 P&D वाल्व, 1 B737 कूलिंग फैन असेंबली, 1 B737 APU ऑयल कूलर असेंबली, 2 JT-8D FCOC, RCDL APU परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, RO/MRN (IAF कंपोनेंट्स के लिए)।

### इलेक्ट्रिकल ओवरहाल शॉप

इलेक्ट्रिकल ओवरहाल शॉप्स ने 20 एयरक्राफ्ट बैटरी, 2 स्टार्टर मोटर, 2 सेंट्रीफ्यूगल स्विच और 1 APU ब्लीड वाल्व की सर्विस की।

## 6. एमटीओ प्रदर्शन

एमटीओ कोलकाता ने आयोजित किया है

- 2 एयरबस A320 टाइप कोर्स,
- 3 ATR72-600 प्रकार का कोर्स और
- 162 नॉन-टाइप रेटेड/रिफ्रेशर कोर्स।

## क्षमताओं

### बेस मेंटेनेंस

A319 (CFM 56)-750 FH 600 FC 120 दिन और इसके मल्टीपल और 12 साल तक के वर्क पैकेज, जिसमें मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

A320/A321 (CFM56) 45000 FH/36000 FC/12 साल तक MPD काम और इसके मल्टीपल, जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ काम/बदलाव, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और मरम्मत शामिल हैं।

A320/321 (CFM LEAP 1A)- 45000 FH/36000 FC/12 साल तक MPD काम और इसके मल्टीपल, जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ काम/बदलाव, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और मरम्मत शामिल हैं।

एटीआर 42-500/72-212ए- 46000 एफएच/70000 एफसी तक / 15 साल एमपीडी कार्य और इसके गुणज जिसमें चरणबद्ध कार्य/संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल हैं।

B737-700/800/900 (CFM56)- 48000 FH/36000 FC तक / 12 साल MPD काम और इसके मल्टीपल जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ काम/मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

B737-7/8/9 जिसमें 8200 (CFM LEAP-1B) शामिल है- 15000 FH/5500FC तक / 3 साल के MPD काम और इसके मल्टीपल, जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ काम/बदलाव, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

### लाइन रखरखाव-

A319/ A320/ A321 (CFM56) और A320/ A321 (CFM LEAP-1A) के लिए -> 22500 FH तक, 15000 FC/ 60 MO MPD टास्क और आउट ऑफ़ फ़ेज़ टास्क, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन शामिल हैं।

B 737-700/800/900 (CFM56), B737-7/8/9 जिसमें 8200 (CFM LEAP-1B) शामिल है -> 15000 FH/ 5500 FC/ 36 महीने तक MPD काम, जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ काम, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

ATR 72-212A के लिए -> 5000 FH/ 15000 FC/ 2 YRS MPD टास्क तक और इसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ टास्क, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन शामिल हैं।

ATR 42-500 के लिए -> A चेक और इसके मल्टीपल, MPD टास्क 5000 FH/ 15000 FC/ 2 साल तक, जिसमें आउट ऑफ़ फ़ेज़ टास्क, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन और रिपेयर शामिल हैं।

तक लेकिन नीचे B747-400 (PW4000), B787-8/9 ( GEnx ), B777-200/300 (GE90) के लिए क्षमताओं की जाँच करें।

## VIII. विदेशी परिचालन:

### काठमांडू

AIESL ने काठमांडू में अपने ब्रांच ऑफिस के ज़रिए एयर इंडिया लिमिटेड, AIX कनेक्ट को एयरबस A320 और B737 एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए लाइन मेंटेनेंस सर्विस देना जारी रखा। यह ऑर्गनाइज़ेशन अभी हर हफ़्ते लगभग 39 फ़्लाइट्स हैंडल करता है।

## 9. राजभाषा का कार्यान्वयन

डिपार्टमेंट ऑफ़ ऑफिशियल लैंग्वेज (OL), मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

AIESL में ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया जा रहा है।

## 10. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

रिज़र्वेशन पॉलिसी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से लागू की गई थी।

## 11. आरटीआई अधिनियम, 2005 का अनुपालन

एक्ट के नियमों के मुताबिक, सभी चार रीजन और कॉर्पोरेट ऑफिस में नोडल ऑफिसर/CPIO/अपीलेट अथॉरिटी नियुक्त किए गए हैं। साल 2023-24 के दौरान RTI एप्लीकेशन की डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

- वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या: 34
- साल के दौरान निपटाए गए RTI एप्लीकेशन की संख्या: 34
- वित्त वर्ष के अंत तक लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या: शून्य

## 12. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी में एक्ट के नियम लागू कर दिए गए हैं और काम की जगह पर महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए समय-समय पर मिली गाइडलाइंस के हिसाब से ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है। एक्ट के सेक्शन 22 के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट केस फाइल हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

- साल में मिली यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या: 01
- साल के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: 01
- नब्बे दिनों से ज़्यादा समय से लंबित मामलों की संख्या: शून्य
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आयोजित वर्कशॉप या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: 9
- कंपनी ने सुधार के लिए क्या कदम उठाए: कई ट्रेनिंग प्रोग्राम किए गए, और कर्मचारियों को एक्ट और पॉलिसी के अलग-अलग नियमों के बारे में बताया गया।

## 13. एमएसएमई अनुपालन

हमेशा से कोशिश रही है कि वह माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSEs) और लोकल सप्लायर्स को सपोर्ट करे। AIESL ने MSEs से बताई गई चीजें खरीदने के लिए भारत सरकार की जारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को लागू करने समेत कई कदम उठाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान MSEs से असल में 47.92 करोड़ रुपये की खरीद हुई।



## 14. प्रबंधन

### 14.1 निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय दायित्व

FY 2024-25 के दौरान कंपनी के डायरेक्टर्स के गठन की जानकारी नीचे दी गई है:

| एस. नं. | नाम                   | पद का नाम                                    | अपॉइंटमेंट की तिथि | समाप्ति की तिथि |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.      | श्री असंगबा चुबा एओ   | निदेशक<br>(01-01-2024 से<br>चेयरमैन चुने गए) | 01-01-2024         | 11-03-2025      |
| 2.      | श्री अमित कुमार       | अध्यक्ष एवं नामित<br>निदेशक                  | 13-03-2025         | --              |
| 3.      | श्री पदम लाल नेगी     | निदेशक                                       | 18-01-2023         | --              |
| 4.      | श्री राहुल जैन        | निदेशक                                       | 12-12-2023         | 14-05-2024      |
| 5.      | डॉ. आलोक पांडे        | निदेशक                                       | 16-05-2024         | 25-02-2025      |
| 6.      | श्री मनोज कुमार       | निदेशक                                       | 28-02-2025         | --              |
| 7.      | श्री शोभित गुप्ता     | निदेशक                                       | 25-05-2024         | --              |
| 8.      | श्रीमती नयोनिका दत्ता | महिला निर्देशक                               | 12-02-2024         | --              |

\*नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) के अनुसरण में फ़ाइल संख्या 17046/56/2019-AI दिनांक 14-05-2024 को OM दिनांक 08-02-2024 के साथ पढ़ें और MoCA द्वारा जारी दिनांक 26-02-2024 का आदेश, AIESL के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री राहुल जैन 14-05-2024 से AIESL के बोर्ड से नॉमिनी डायरेक्टर के पद से हट गए। इसके अलावा, AIESL बोर्ड ने अपने रेज़ोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जिसका रेफ़रेंस नंबर AIESL/HQ/CS/10/01/2024-25, तारीख 27-05-2024 था, के ज़रिए श्री शोभित गुप्ता को 25-05-2024 से और डॉ. आलोक पांडे को 16-05-2024 से AIESL के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया। यह नियुक्ति उन तारीखों से प्रभावी हुई जब उन्होंने अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) लिया था और 27-05-2024 को ज़रूरी रेज़ोल्यूशन पास किया गया। इसके अलावा, श्री असंगबा चुबा एओ, CMD-AIAHL होने के नाते, 14-05-2024 से AIESL के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में केवल एक पद पर थे और MoCA/AIAHL से किसी भी अगले संचार तक बोर्ड और आम बैठकों के लिए कंपनी के बोर्ड में अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष बने रहे।

\*\*इसके अलावा, MoCA द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) फाइल नंबर 17046/56/2019-AI तारीख 25-02-2025 के अनुसार, DIPAM के जॉइंट सेक्रेटरी (JS) श्री मनोज कुमार को 28-02-2025 से AIESL के बोर्ड में डॉ. आलोक पांडे की जगह, एक्स-ऑफिशियो कैपेसिटी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसे देखते हुए, AIESL के बोर्ड में ये बदलाव हुए:

डॉ. आलोक पांडे 25-02-2025 से AIESL के बोर्ड से नॉमिनी डायरेक्टर और चेयरमैन के पद से हट गए।

इसके अलावा, AIESL बोर्ड ने अपने रेज़ोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जिसका रेफरेंस नंबर AIESL/HQ/CS/10/04/2024-25, तारीख 04-03-2025 था, के ज़रिए श्री मनोज कुमार को 28-02-2025 से (यानी उस तारीख से जब उन्हें अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा) AIESL के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट और चुना था और MoCA/होल्टिंग कंपनी से कोई और निर्देश मिलने तक 04-03-2025 को ज़रूरी रेज़ोल्यूशन पास किया था।

\*\*\*इसके बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फ़ाइल संख्या AV17015/02/2015-AI दिनांक 11-03-2025, श्री अमित कुमार को AI एसेट्स होल्टिंग लिमिटेड (AIAHL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, यानी 30-06-2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, AIESL के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री अमित कुमार, CMD-AIAHL, को AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के बोर्ड में उनकी एक्स-ऑफिशियो कैपेसिटी में नॉमिनी डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर 13-03-2025 से, यानी उस तारीख से जब उन्होंने अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) लिया था, नियुक्त किया गया और श्री असंगबा चुबा एओ 11-03-2025 से कंपनी के बोर्ड से हट गए।

बोर्ड ने कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में अध्यक्ष एवं नामित निदेशक के रूप में श्री असंगबा चुबा एओ, नामित निदेशकों के रूप में श्री राहुल जैन और डॉ. आलोक पांडे द्वारा अपने-अपने कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की।

#### प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

| एस. नं. | नाम                   | पद का नाम                      | अपॉइंटमेंट की तिथि | समाप्ति की तिथि |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.      | श्री शरद अग्रवाल      | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) | 01-05-2022         | -               |
| 2.      | *श्री राकेश कुमार जैन | मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)  | 20-05-2022         | -               |
| 3.      | सुश्री साक्षी मेहता   | कंपनी सचिव (सीएस)              | 09-11-2021         | -               |

\*कार्यकाल पूरा होने के कारण, श्री राकेश कुमार जैन 09-01-2026 से कंपनी के CFO नहीं रहे।

#### 14.2 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान, कंपनीज़ एक्ट, 2013, कंपनीज़ (बोर्ड की मीटिंग्स और उसकी पावर्स) रूल्स, 2014, DPE (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) गाइडलाइंस 2010 और मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा इस बारे में दी गई छूट के प्रोविज़न के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पाँच बोर्ड मीटिंग्स हुईं। कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 173 के अनुसार। बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

| एस नं. | बैठक | बैठक की तिथि | बोर्ड की ताकत | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|--------|------|--------------|---------------|----------------------------|
|--------|------|--------------|---------------|----------------------------|



|    |       |            |   |   |
|----|-------|------------|---|---|
| 1. | 89वां | 04-06-2024 | 5 | 4 |
| 2. | 90वां | 07-08-2024 | 5 | 3 |
| 3. | 91वां | 06-11-2024 | 5 | 4 |
| 4. | 92वां | 04-02-2025 | 5 | 4 |
| 5. | 93वां | 26-03-2025 | 5 | 3 |

### 14.3 बोर्ड समितियां:

कंपनी के बोर्ड में ये कमेटियां हैं:

ए) लेखा परीक्षा समिति

बी) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

#### ए) लेखा परीक्षा समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिस्से के तौर पर और कंपनीज़ एक्ट, 2013 और DPE गाइडलाइंस के नियमों के मुताबिक, ऑडिट कमेटी को शुरू में मार्च 2016 में बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मंजूरी से बनाया गया था, जिसमें टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को अपनाया गया था और होलिंग कंपनी / एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स में कोई बदलाव होने पर समय-समय पर इसे फिर से बनाया गया। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) ने समय-समय पर जारी अपने कई OMs के ज़रिए AIESL के बोर्ड को फिर से बनाया था और इसके बाद बोर्ड ने लागू नियमों के मुताबिक समय-समय पर बोर्ड कमेटियों और ऑडिट कमेटी को फिर से बनाया था।

#### समिति की संरचना:

31-03-2025 तक, ऑडिट कमेटी के सदस्य, पदेन क्षमता में, ये थे:

| निदेशकों का विवरण                                          | समिति में पद |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार-एमओसीए | अध्यक्ष      |
| श्री अमित कुमार, सीएमडी-एआईएचएल                            | सदस्य        |
| श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-दीपम                         | सदस्य        |
| श्री शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव-MoCA                       | सदस्य        |
| श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक-एमओसीए               | सदस्य        |

बोर्ड ने ऑडिट कमेटी की सिफारिशें मान ली हैं।

#### बी) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनीज़ एक्ट 2013 की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, बोर्ड ने शुरू में 08-11-2019 को एक CSR



कमेटी बनाई थी। लेकिन, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) के समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग OMs के ज़रिए बोर्ड को फिर से बनाने के बाद, AIESL बोर्ड ने भी लागू नियमों को पूरा करते हुए समय-समय पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कमेटी को फिर से बनाया। 31-03-2025 तक, CSR कमेटी में एक्स-ऑफिशियो कैपेसिटी में ये सदस्य थे:

| निदेशकों का विवरण                                          | समिति में पद |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| श्री अमित कुमार, सीएमडी-एआईएचएल                            | अध्यक्ष      |
| श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार-एमओसीए | सदस्य        |
| श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-दीपम                         | सदस्य        |
| श्री शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव - नागरिक उड्डयन मंत्रालय   | सदस्य        |
| श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक-एमओसीए               | सदस्य        |

ऑडिट कमेटी और CSR कमेटी से जुड़ी दूसरी जानकारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। साथ ही, FY 2024-25 के लिए CSR एक्टिविटीज़ पर एनुअल रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ अटैच है।

#### 14.4 निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति

##### अपॉइंटमेंट पॉलिसी:

AIESL, AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 96 के अनुसार, कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या तीन से कम और पंद्रह से ज़्यादा नहीं होगी। इन सभी को AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड / एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जो यह तय करेगा कि वे कितने समय तक डायरेक्टर के तौर पर पद पर रहेंगे और उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरों को अपॉइंट कर सकता है और कोई भी खाली जगह भर सकता है।

##### पारिश्रमिक नीति:

कंपनी के डायरेक्टर्स को मिलने वाले मेहनताने के बारे में सेक्शन 197, AIESL पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर GSR463(E) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार है। कंपनी के डायरेक्टर्स को कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है। KMPs को दिया गया मेहनताना 'एनुअल रिटर्न' में बताया जाएगा।

#### 14.5 प्रदर्शन मूल्यांकन

GSR463(E) के अनुसार, वह कथन जिसमें यह बताया गया है कि बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है, कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वह एक सरकारी कंपनी है।

#### 14.6 निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स कन्फर्म करता है कि:

- (a) एनुअल अकाउंट्स तैयार करते समय, लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है, साथ ही ज़रूरी गलतियों के बारे में सही जानकारी भी दी गई है।
- (b) डायरेक्टर्स ने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चुनी हैं और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे फैसले और अनुमान लगाए हैं जो सही और समझदारी भरे हैं ताकि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में कंपनी के हालात और उस समय के लिए कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का सही और सही अंदाज़ा मिल सके।
- (c) डायरेक्टर्स ने कंपनी के एसेट्स को सुरक्षित रखने और फ्रॉड और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए एक्ट के नियमों के अनुसार सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने का सही और काफ़ी ध्यान रखा है।
- (d) डायरेक्टर्स ने सालाना अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर तैयार किए हैं।
- (e) कंपनी असूचीबद्ध होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ई) लागू नहीं होता।
- (f) डायरेक्टर्स ने सभी लागू कानूनों के नियमों का पालन पक्का करने के लिए सही सिस्टम बनाए हैं और यह भी पक्का किया है कि ऐसे सिस्टम ठीक हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं।

#### 14.7 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

इसके बिज़नेस को सही तरीके से और अच्छे से चलाने के लिए सही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मौजूद हैं, जिसमें कंपनी की पॉलिसी का पालन करना; इसके एसेट्स की सुरक्षा करना; फ्रॉड और गलतियों को रोकना और उनका पता लगाना; अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता; और कंपनी के ऑपरेशन के हिसाब से भरोसेमंद फाइनेंशियल जानकारी समय पर तैयार करना शामिल है।

कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक इंडिपेंडेंट फर्म को इंटरनल ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि कंपनी के सिस्टम और प्रैक्टिस कंपनी के ऑपरेशन के साइज़ और नेचर से मैच करने के लिए सही इंटरनल कंट्रोल के साथ डिज़ाइन किए गए हैं।

इसके अलावा, कंपनी इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को मज़बूत करने की प्रोसेस में है ताकि सोचे गए सभी एरिया को कवर किया जा सके और स्टेशनों, रीजनल ऑफिस और यूज़र डिपार्टमेंट में असरदार इंटरनल कंट्रोल पक्का किया जा सके।

#### 14.8 धोखाधड़ी के संबंध में प्रकटीकरण

ऑडिटर द्वारा ऑडिट कमेटी या बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं दी गई।

### 15. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य

लागू नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान कंपनी के पास कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है।

जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक



नियुक्त करने से छूट दी गई है।

**16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से इस रिपोर्ट की तिथि तक हुए भौतिक परिवर्तनों या प्रतिबद्धताओं का विवरण**

फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की तारीख से कोई भी ज़रूरी बदलाव या कमिटमेंट पर असर नहीं पड़ा।

**17. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित खुलासे**

कंपनी की कोई सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी नहीं है।

**18. जमाराशि का विवरण**

कंपनी ने 31 मार्च 2025 को खत्म हुए साल के दौरान कोई पब्लिक डिपॉज़िट स्वीकार नहीं किया है, जैसा कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 76 और कंपनीज़ (डिपॉज़िट स्वीकार करना) नियम, 2014 के तहत आता है।

**19. लोन, गारंटी और निवेश का विवरण**

लोन, गारंटी और इन्वेस्टमेंट, अगर कोई हो, की जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है।

**20. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण**

फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी ने रिलेटेड पार्टिज़ के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट/अरेंजमेंट/ट्रांज़ैक्शन किए, वे बिज़नेस के आम तरीके से और आर्म्स लेंथ बेसिस पर थे।

AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) और दूसरी ग्रुप कंपनियों (AAAL, AIASL और HCI) के साथ FY 2024-25 के दौरान तय लिमिट तक MRO से जुड़ी सर्विस देने के लिए ट्रांज़ैक्शन करने के लिए ऑडिट कमीटी और बोर्ड की ओमनीबस मंजूरी ली गई थी। AOC-2 फ़ॉर्म में रिलेटेड पार्टिज़ ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स अटैच हैं, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी ज़रूरी रिलेटेड पार्टिज़ ट्रांज़ैक्शन नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ कोई टकराव हो सकता था।

**21. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े खुलासे**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के तहत सीएसआर के लिए प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होगा, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ तीन पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। FY 2024-25 के दौरान CSR एक्टिविटीज़ के लिए 11.92 करोड़ रुपये की रकम, यानी पिछले तीन फाइनेंशियल सालों के एवरेज नेट प्रॉफ़िट का 2%, बोर्ड ने मंजूर की। फाइनेंशियल ईयर के लिए कुल CSR जिम्मेदारी में से, 5.72 करोड़ रुपये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ़ फंड में दिए गए और 6.20 करोड़ रुपये चल रहे CSR प्रोजेक्ट्स के लिए बिना खर्च किए रह गए, जिसके लिए कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135(6) के अनुसार बिना खर्च हुए CSR अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी गई। बिना खर्च हुई रकम फाइनेंशियल ईयर के आखिर में मंजूर हुए हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है, और इस्तेमाल में देरी प्रोसेस से जुड़ी फॉर्मैलिटीज़ की वजह से हुई है, जिसमें इसे लागू



करने में शामिल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को फाइनल करना भी शामिल है। इसे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) ने भी सर्टिफाई किया है, जो इस रिपोर्ट के साथ अटैच है।

## 22. कर्मचारियों और औद्योगिक संबंधों का विवरण

कार्यकारी : 449

स्टाफ : 4191

कुल : 4640

तकनीकी कर्मचारी उपरोक्त में से थे : 4105

दूसरी सब्सिडियरी कंपनियों से डेप्युटेशन पर आए कर्मचारी: कोई नहीं

दूसरी कंपनियों में डेप्युटेशन पर कर्मचारी: 01

## 23. ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

**(ए) एनर्जी का कंजर्वेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल:** आपकी कंपनी ने एनर्जी के नॉन-रिन्यूएबल सोर्स के कंजर्वेशन और एनर्जी के दूसरे सोर्स का इस्तेमाल करने के लिए जहाँ भी हो सका, पूरी कोशिश की है।

- AIESL ने नॉन-रिन्यूएबल एनर्जी के कंजर्वेशन के मकसद से मुंबई और दिल्ली में अपने हेंगर में LED लाइटिंग शुरू कर दी है।
- नॉन-रिन्यूएबल एनर्जी के कंजर्वेशन के मकसद से दिल्ली में अपने जेट इंजन ओवरहॉल कॉम्प्लेक्स में LED लाइटिंग लगाई है।
- AIESL ने एनर्जी के दूसरे सोर्स इस्तेमाल करने के मकसद से नागपुर में अपनी MRO फैसिलिटी में सोलर पैनल लगाए हैं। इनका इस्तेमाल अलग-अलग स्ट्रीटलाइट के लिए क्लीन एनर्जी और वॉशरूम के लिए गर्म पानी देने के लिए किया जाता है।

**(बी) कमाई और खर्च के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर**

| विवरण  | राशि रुपये में |
|--------|----------------|
| आय     | 209.74 करोड़   |
| रवानगी | 163.53 करोड़   |

## 24. जोखिम प्रबंधन

कंपनी से जुड़े रिस्क को मैनेज करने और कम करने के नज़रिए से एक पूरी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई और 06-01-2022 को हुई बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की 74 वीं मीटिंगमें इसे मंजूरी दी गई। यह पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट लिंक <https://www.aiesl.in/RiskManagementPolicy.aspx> पर उपलब्ध है।

एविएशन मटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) इंडस्ट्री अपने तेज़ी से बदलते और अनिश्चित नेचर की वजह से मुश्किल है। AIESL में, हमारा मेन फोकस सेफ्टी, रिलायबिलिटी और स्मूद ऑपरेशन बनाए रखने

पर है।

हम यह पक्का करते हैं कि सभी रिस्क की पहचान हो, उन्हें रेगुलर रिव्यू किया जाए और ठीक से मैनेज किया जाए। रिस्क ओनर्स की ज़िम्मेदारी है कि वे रिस्क डिटेल्स को अप-टू-डेट रखें और उन्हें प्लानिंग और फैसले लेने में शामिल करें।

हमने अपने भविष्य के बिज़नेस प्लान को सपोर्ट करने के लिए एक डिटेल्ड SWOT एनालिसिस (ताकत, कमज़ोरी, मौके और खतरे) भी किया। इसके नतीजे हमें अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने, नए एरिया में आगे बढ़ने और मज़बूत एविएशन MRO बनने में मदद कर रहे हैं। SWOT नतीजों को अपने रिस्क मैनेजमेंट के काम के साथ मिलाकर, हम चुनौतियों से निपटने और ग्रोथ के लिए नए मौकों का इस्तेमाल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।

मज़बूत प्रोसेस, रेगुलर रिव्यू और हमारी टीम और स्टैकहोल्डर्स के सपोर्ट के साथ, AIESL रिस्क को मैनेज करने और सुरक्षित और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह तैयार है।

## 25. नियामकों के सामग्री आदेश

इस साल के दौरान रेगुलेटर्स या कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स ने कोई ज़रूरी और मटीरियल ऑर्डर पास नहीं किया है, जिससे कंपनी के गोइंग कंसर्न स्टेटस और भविष्य में कंपनी के ऑपरेशन पर असर पड़े।

## 26. सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंता की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, होल्डिंग कंपनी यानी AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) का विजिलेंस डिपार्टमेंट, AIESL समेत AIAHL की सब्सिडियरी कंपनियों के विजिलेंस फंक्शन को कवर करता है।

## 27. लेखा परीक्षकों

### वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने मेसर्स AAJV & एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था।

ऑडिटर्स की रिपोर्ट और उस पर मैनेजमेंट के जवाब **अटैच हैं**।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दिए गए नोट्स खुद ही समझ में आने वाले हैं और उन्हें और समझाने की ज़रूरत नहीं है।

### सचिवीय लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने FY 2024-25 के लिए कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज़ को सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट किया था। सेक्रेटेरियल ऑडिटर



की दी गई सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट और उस पर मैनेजमेंट के जवाब/कमेंट्स, अगर कोई हों, तो इस रिपोर्ट के साथ अटैच हैं।

### **आंतरिक लेखा परीक्षक**

मेसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने FY 2024-25 और FY 2025-26 के लिए कंपनी का इंटरनल ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया था।

## **28. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियाँ**

इसके अलावा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ धारा 143(6) के तहत अपने सप्लीमेंट्री ऑडिट में, वित्त वर्ष 2024-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में "शून्य" कमेंट दिए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) के कमेंट इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और अटैच हैं।

## **29. सचिवीय मानकों का अनुपालन**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का आपकी कंपनी द्वारा लागू सीमा तक अनुपालन किया गया।

## **30. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरण:**

रिव्यू किए जा रहे साल के दौरान, कंपनी के नाम पर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी या कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं थी।

## **31. एक बार के सेटलमेंट पर वैल्यूएशन अमाउंट और बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते समय वैल्यूएशन के बीच अंतर की डिटेल्स**

रिव्यू किए गए साल के दौरान, बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन का कोई वन-टाइम सेटलमेंट नहीं हुआ है।

## **32. रिपोर्ट के अनुलग्नक:**

नीचे दिए गए सर्टिफिकेट / रिपोर्ट वगैरह साथ में दिए गए हैं और इस रिपोर्ट का ज़रूरी हिस्सा हैं:

### **ए. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट**

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक-ए' के रूप में संलग्न है।

### **बी. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट**

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक-बी' के रूप में संलग्न है।

### **सी. वार्षिक रिटर्न का अंश**



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित, 31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट यानी <https://www.aiesl.in/AnnualReturn.aspx> पर उपलब्ध होगा।

**डी. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित पार्टी लेनदेन होल्टिंग कंपनी और अन्य समूह कंपनियों के साथ थे, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनुमोदित किए गए थे। फॉर्म AOC-2 में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट में 'अनुलग्नक-सी' के रूप में संलग्न है।

**ई. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):**

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर (CSR) नीति, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और तत्कालीन सीएफओ (CFO) द्वारा सीएसआर उपयोग प्रमाणपत्र क्रमशः 'अनुलग्नक-डी', 'अनुलग्नक-ई' और 'अनुलग्नक-ई-1' के रूप में संलग्न हैं।

**33. आभार**

बोर्ड वर्ष के दौरान एयर इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्टिंग लिमिटेड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और सचिवीय लेखा परीक्षक और विभिन्न अन्य एजेंसियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त करता है।

आपका बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स इस मौके पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के लगातार सपोर्ट और योगदान की तारीफ़ करता है। आपका बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स इस मौके पर रिपोर्ट के समय में शेयरहोल्डर्स से मिले सहयोग और मदद के लिए अपना शुक्रिया अदा करता है और दिल से धन्यवाद देता है। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स आपके भरोसे और लगातार सपोर्ट को मानता है और भविष्य में भी ऐसे ही सपोर्ट की उम्मीद करता है।

निदेशक मंडल की ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के

अमित कुमार

अध्यक्ष

तारीख:

स्थान: नई दिल्ली

डीआईएन: 11001643

## 'अनुलग्नक - ए'

### प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

#### वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण:

##### आय

FY 2024-25 के दौरान कुल कमाई Rs. 2183.02 करोड़ थी, जबकि FY 2023-24 के दौरान यह Rs. 1946.05 करोड़ थी, यानी लगभग Rs. 236.97 करोड़ (10.85%) की कमी।

##### व्यय

FY 2024-25 के दौरान कुल खर्च 1552.45 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1562.73 करोड़ रुपये (रीस्टेट) था, यानी लगभग 10.28 करोड़ रुपये (0.66%) की बढ़ोतरी हुई।

#### उद्योग विश्लेषण

##### अवलोकन

इंडियन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) इंडस्ट्री एविएशन इकोसिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा बनी हुई है, जो एयरक्राफ्ट की उड़ने लायक क्षमता, सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पक्का करती है। FY 2024-25 के दौरान, इस सेक्टर को हवाई यात्रा में मज़बूत सुधार, लगातार फ्लीट बढ़ाने और भारत सरकार से पॉलिसी सपोर्ट का फ़ायदा मिला। आने वाले सालों में एयरलाइनों की बढ़ती ज़रूरतों की वजह से इस पर ज़्यादा ज़ोर दिए जाने की उम्मीद है, जिन्होंने बड़े एयरक्राफ्ट खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। जबकि भारत अभी भी विदेशी MRO सुविधाओं पर काफ़ी निर्भर है, घरेलू MRO इकोसिस्टम लगातार बदल रहा है, जिसे टैक्स को आसान बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी से मदद मिल रही है।

##### बाजार का आकार और वृद्धि

- बाजार का आकार (वित्त वर्ष 2024-25): भारतीय एमआरओ (MRO) बाजार का अनुमान 2.0-2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- ग्रोथ आउटलुक: मार्केट के 8-10% CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो 2030-31 तक USD 4.0-4.5 बिलियन तक पहुँच जाएगा।
- फ्लीट का विस्तार: भारत का कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लीट FY 2025 में 750 एयरक्राफ्ट को पार कर गया है और 2030 तक इसके 1,200 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक में से एक का सपोर्ट मिला है।

##### प्रमुख चालक

- बढ़ता एयर ट्रैफ़िक: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रैफ़िक महामारी से पहले के लेवल से आगे निकल गया, जिससे एयरक्राफ्ट का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और MRO सेवाओं की मांग बढ़ी।
- फ्लीट का विस्तार और मॉडर्नाइज़ेशन: भारतीय एयरलाइन कंपनियों द्वारा बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर और पुराने फ्लीट को बदलने से लाइन मेंटेनेंस, भारी चेक, इंजन ओवरहॉल और रीडिलिवरी सर्विस की लगातार मांग बढ़ रही है।



- सरकारी नीति समर्थन: उड़ान योजना के निरंतर कार्यान्वयन, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी), एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी में कमी (5% तक), और "आपूर्ति के स्थान" पर नीति स्पष्टता ने भारतीय एमआरओ की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है।
- कॉस्ट एडवांटेज: ग्लोबल MRO हब की तुलना में भारत की तुलनात्मक रूप से कम लेबर और इंजीनियरिंग कॉस्ट लंबे समय तक स्ट्रक्चरल एडवांटेज देती है।

### चुनौतियां

- टैक्सेशन और ड्यूटी: हालाँकि सर्विसेज़ पर GST कम कर दिया गया है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी और कंज्यूमेबल्स पर GST कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर असर डाल रहे हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: सिंगापुर और दुबई जैसे हब की तुलना में बड़े पैमाने पर इंजन और कंपोनेंट ओवरहॉल सुविधाओं की सीमित उपलब्धता।
- रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी: सर्टिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस में टाइम लगता है, खासकर ग्लोबल रेगुलेटरी तालमेल के लिए।
- स्किल्ड मैनुपावर: भारत में मजबूत टैलेंट बेस के बावजूद, लाइसेंस और टाइप-रेटेड इंजीनियरों की कमी एक रुकावट बनी हुई है।

### नव गतिविधि

- इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार: बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर और गिफ्ट सिटी क्षेत्र में नई और विस्तारित एमआरओ (MRO) सुविधाएं, जिनमें एयरफ्रेम, घटक और इंजन रखरखाव क्षमताएं शामिल हैं।
- तकनीकी विकास: टर्नअराउंड टाइम को बेहतर बनाने और अनशेड्यूल्ड डाउनटाइम को कम करने के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, डेटा एनालिटिक्स, AI-बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) का इस्तेमाल बढ़ाना।
- बढ़ी हुई पार्टनरशिप: कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडियन MROs, ग्लोबल OEMs, और इंटरनेशनल MRO प्रोवाइडर्स के बीच जॉइंट वेंचर और लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट।

### भविष्य का दृष्टिकोण

- इन्वेस्टमेंट के मौके: अच्छा पॉलिसी माहौल और फ्लीट ग्रोथ प्राइवेट इक्विटी, OEM के नेतृत्व वाले इन्वेस्टमेंट और विदेशी हिस्सेदारी को आकर्षित कर रहे हैं।
- टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन: डिजिटल MRO प्लेटफॉर्म, कंडीशन-बेस्ड मेंटेनेंस और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स पर ज़्यादा भरोसा।
- सस्टेनेबिलिटी फोकस: ग्रीन MRO प्रैक्टिस अपनाना, एनर्जी बचाने वाले हैंगर, वेस्ट कम करना, और ग्लोबल एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स का पालन करना।

### विमान एमआरओ

एशिया-पैसिफिक MRO मार्केट, फ्लीट बढ़ाने और कॉस्ट में फ़ायदे की वजह से ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत अभी 7<sup>वां</sup> सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने की



मज़बूत स्थिति में है, जिससे घरेलू MRO कैपेसिटी की लंबे समय तक अच्छी-खासी डिमांड बन रही है। सुधारों के बावजूद, भारत की लगभग 85-90% MRO ज़रूरतें अभी भी आउटसोर्स की जाती हैं, जो घरेलू ग्रोथ के लिए काफ़ी गुंजाइश दिखाता है।

### बाजार के रुझान

- भारतीय MRO मार्केटके FY 2025 में ~USD 2.0 बिलियन से बढ़कर FY 2031 तक ~USD 4.0 बिलियन होने की उम्मीद है।
- 1,000 से ज़्यादा एयर क्राफ्ट का ऑर्डर है, जिसका मतलब है कि हर साल 200-300 बड़े मेंटेनेंस इवेंट्स की डिमांड है।
- मॉडर्नाइज़ेशन और स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम की वजह से डिफेंस और हेलीकॉप्टर MRO की मांग बढ़ रही है।
- रीजनल एविएशन, टियर-2 और टियर-3 शहरों, और छोटे एयरक्राफ्ट फ्लीट पर ज़्यादा फोकस।

### प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

भारतीय MRO इंडस्ट्री अभी भी ठीक-ठाक ही है, जिसमें मुख्य प्लेयर्स शामिल हैं:

- एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)
- एयर वर्क्स ग्रुप
- जीएमआर एयरोटेक्निक
- इंडेमर एविएशन
- अधिकतम एमआरओ
- बर्ड एक्ज़ीक्यू जेट

AIESL मार्केट लीडर बनी हुई है और फुल-स्केल इंजन ओवरहॉल कैपेबिलिटी वाली अकेली इंडियन कंपनी बनी हुई है। विदेशी MROs से कॉम्पिटिशन अभी भी मज़बूत है; हालांकि, डोमेस्टिक कंपनियों को नज़दीकी, कॉस्ट में फ़ायदे और एयरलाइन के मज़बूत रिश्तों से फ़ायदा होता है।

### इंजन एमआरओ:

- ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO मार्केट (2024): ~USD 40 बिलियन
- अनुमानित बाज़ार (2029): ~USD 55 बिलियन, CAGR ~6%
- भारत और एशिया-पैसिफिक: फ्लीट में बढ़ोतरी और ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट की वापसी के कारण सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से हैं।
- इंजन एमआरओ: यह सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक MRO खंड बना हुआ है, जो कुल MRO मूल्य का 50-55% है।

OEMs अवेलेबिलिटी-बेस्ड और पावर-बाय-द-आवर कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए इंजन MRO पर हावी हैं, जो रियल-टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग और कंडीशन-बेस्ड मेंटेनेंस मॉडल्स का फ़ायदा उठाते हैं।

## इंडियन मिलिट्री एयरो-इंजन एमआरओ कैनवास:

इंजन के क्षेत्र में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एकमात्र असली भारतीय कंपनी है, जिसके इंजन डिवीज़न का अलग-अलग इम्पोर्टेड डिज़ाइन के लाइसेंस प्रोडक्शन का लंबा इतिहास रहा है। इंडियन एयर फ़ोर्स के फ़्लीट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, मॉडर्नाइज़ेशन स्ट्रेटेजी और एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोजेक्ट के साथ-साथ बढ़ते डिफेंस खर्च को देखते हुए, इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन मार्केट साल-दर-साल बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले समय में कुछ बड़े इंजन प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एवरो, An-32, LCA तेजस, AMCA के लिए होंगे और इसमें लगभग 3400 से 4000 इंजन खरीदने होंगे। इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम पर काम कर रही है और उनकी ज़रूरतों का मकसद 2027 के आखिर तक अटैक, यूटिलिटी, मल्टी-रोल और एयरलिफ्ट प्लेटफ़ॉर्म सहित 1000 से ज्यादा रोटरी-विंग प्लेटफ़ॉर्म खरीदकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर एसेट्स को मज़बूत करना है।

AIESL और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कोरापुट डिवीज़न ने पूरे एशियाई क्षेत्र में सिविल एयरक्राफ्ट इंजन के लिए MRO सर्विस देने में संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए।

### अवसर:

- भारत का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट के तौर पर उभरना
- घरेलू हवाई यातायात और रक्षा खर्च में वृद्धि
- GIFT सिटी में IFSC-आधारित विमान लीजिंग और फाइनेंसिंग का विकास
- विदेशी मुद्रा बचत और रोजगार सृजन

### खतरे:

- विदेशी MRO पर निरंतर निर्भरता
- इंजन आफ्टर मार्केट में OEM का दबदबा
- कौशल की कमी और बुनियादी ढांचे की बाधाएं

## एमआरओ क्षेत्र की संभावनाएं

भारतीय MRO सेक्टर लंबे समय तक ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार है। सपोर्टिव पॉलिसी, बढ़ते एयरक्राफ्ट इंडक्शन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ, भारत में MRO इंपोर्ट को काफी कम करने, फॉरेन एक्सचेंज बचाने और अगले दशक में एक रीजनल MRO हब के रूप में उभरने की क्षमता है।

## पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी ने हमेशा एनर्जी सेविंग और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन को एक ज़रूरी लक्ष्य माना है और इस साल इसे बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी डिटेल्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दी गई हैं।

## कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित खुलासे

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के तहत सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों के लिए लागू होना चाहिए, जिनकी नेट वर्थ की सीमा ₹ 500 करोड़ या टर्नओवर ₹ 1,000 करोड़ या पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी के



दौरान शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक हो। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 11.92 करोड़ रुपये की राशि, यानी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%, को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व में से 5.72 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और 2.50 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान दिए गए। चालू सीएसआर प्रोजेक्ट्स के संबंध में 6.20 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार राशि को खर्च नहीं किए गए सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। खर्च नहीं की गई राशि वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रोजेक्ट्स से संबंधित है, और उपयोग में देरी प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण हुई है, जिसमें इसके कार्यान्वयन में शामिल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को अंतिम रूप देना भी शामिल है।

### आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने ऑपरेशन के साइज़, स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। कंपनी ने अपने बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए हैं। इसके अलावा, मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और FY 2025-26 के लिए इंटरनल ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया गया।

### चेतावनी कथन:

मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस में दिए गए वक्तव्य भविष्योन्मुखी वक्तव्य हो सकते हैं। असल नतीजे बताए गए या छिपे हुए नतीजों से काफी अलग हो सकते हैं। बिज़नेस के माहौल और इंडस्ट्री के हालात के साथ-साथ भविष्य के नज़रिए पर चर्चा, जहाँ भी बताया गया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद जानकारी और एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के बताए गए विचारों और मैनेजमेंट के भरोसे पर आधारित है। जो ज़रूरी बातें कही गई बातों में, चाहे बताई गई हों या छिपी हुई, फ़र्क ला सकती हैं, उनमें आर्थिक हालात, घरेलू और ग्लोबल, जैसे बाज़ार में काम करने वाली डिमांड और सप्लाई की ताकतें, सरकार की पॉलिसी, नियम और रेगुलेशन, जिन्हें समय-समय पर बदला जाता है, जिसमें टैक्स कानून और दूसरे कानून शामिल हैं, साथ ही बिज़नेस के माहौल पर असर डालने वाले दूसरे अचानक आने वाले फैक्टर शामिल हैं।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड  
के निदेशक मंडल की ओर से

अमित कुमार

अध्यक्ष

तारीख:

स्थान: नई दिल्ली

डीआईएन: 11001643



## 'अनुलग्नक - बी'

### कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

#### 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पर कंपनी की फिलॉसफी

कंपनी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पक्का यकीन करती है और हमेशा इसे अपनाती रही है। कंपनी की खास पहचान ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज़्म और अकाउंटेबिलिटी की वैल्यूज़ से बनती है। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को पाने के लिए कमिटेड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में कंपनी की सोच अपने सभी कामों में ट्रांसपेरेंसी पक्का करना, जानकारी देना और कानूनों और नियमों के दायरे में सभी स्टैकहोल्डर्स की वैल्यू बढ़ाना है।

#### 2. निदेशक मंडल

AI इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (AIESL) एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है, जो भारत सरकार का एक अंडरटेकिंग है। इसके डायरेक्टर्स को होल्डिंग कंपनी / एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, यानी, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) ने समय-समय पर AIESL के बोर्ड को फिर से बनाया था। इसके अनुसार, 31-03-2025 तक बोर्ड की बनावट नीचे दी गई है:

#### ए) 31 मार्च 2025 तक बोर्ड की संरचना

| एस. नं. | निदेशक का नाम                                                                                 | पद का नाम                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | श्री अमित कुमार<br>अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड             | अध्यक्ष एवं नामित निदेशक    |
| 2.      | श्री पदम लाल नेगी<br>संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएसएंडएफए),<br>नागरिक उड्डयन मंत्रालय | नामित निदेशक                |
| 3.      | श्री मनोज कुमार<br>संयुक्त सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन<br>विभाग (DIPAM)          | नामित निदेशक                |
| 4.      | श्री शोभित गुप्ता<br>संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय                                     | नामित निदेशक                |
| 5.      | श्रीमती नयोनिका दत्ता<br>संयुक्त निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय                               | नामित निदेशक (महिला निदेशक) |

\*नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) के अनुसरण में फ़ाइल संख्या 17046/56/2019-AI दिनांक 14-05-2024 को OM दिनांक 08-02-2024 और MoCA द्वारा जारी आदेश दिनांक 26-02-2024 के साथ पढ़ें, AIESL के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री राहुल जैन 14-05-2024 से AIESL के बोर्ड से नॉमिनी डायरेक्टर के पद से हट गए। इसके अलावा, AIESL बोर्ड ने अपने रेज़ोल्यूशन बायसर्कुलेशन, जिसका रेफरेंस नंबर AIESL/HQ/CS/10/01/2024-25, तारीख 27-05-2024 था, के ज़रिए श्री शोभित गुप्ता को 25-05-2024 से और डॉ. आलोक पांडे को 16-05-2024 से AIESL के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर (यानी उन तारीखों से जब उन्होंने अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया था) नियुक्त किया और 27-05-2024 को ज़रूरी रेज़ोल्यूशन पास किया। इसके अलावा, श्री असंग बाचु बाएओ, सीएमडी-एआईएचएल होने के नाते, 14-05-2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में केवल एक पद पर थे और एमओसीए/एआईएचएल से किसी भी अगले संचार तक बोर्ड और आम बैठकों के लिए कंपनी के बोर्ड में अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष बने रहे।

\*\*इसके अलावा, MoCA द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) फाइल नंबर 17046/56/2019-AI तारीख 25-02-2025 के अनुसार, DIPAM के जॉइंट सेक्रेटरी (JS) श्री मनोज कुमार को 28-02-2025 से AIESL के बोर्ड में डॉ. आलोक पांडे की जगह, एक्स-ऑफिशियो कैपेसिटी में नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इसे देखते हुए, AIESL के बोर्ड में ये बदलाव हुए:

डॉ. आलोक पांडे 25-02-2025 से AIESL के बोर्ड से नॉमिनी डायरेक्टर और चेयरमैन के पद से हट गए। इसके अलावा, AIESL बोर्ड ने अपने रेज़ोल्यूशन बायसर्कुलेशन, जिसका रेफरेंस नंबर AIESL/HQ/CS/10/04/2024-25, तारीख 04-03-2025 था, के ज़रिए श्री मनोज कुमार को 28-02-2025 से (यानी उस तारीख से जब उन्हें अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा) AIESL के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट और चुना था और MoCA/होल्डिंग कंपनी से कोई और निर्देश मिलने तक 04-03-2025 को ज़रूरी रेज़ोल्यूशन पास किया था।

\*\*\*इसके बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फ़ाइल संख्या AV17015/02/2015-AI दिनांक 11-03-2025, श्री अमित कुमार को AI एसेट्स होलिंग लिमिटेड (AIAHL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, यानी 30-06-2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, AIESL के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री अमित कुमार, CMD-AIAHL, को AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के बोर्ड में उनकी एक्स-ऑफिशियो कैपेसिटी में नॉमिनी डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर 13-03-2025 से, यानी उस तारीख से जब उन्होंने अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) लिया था, नियुक्त किया गया और श्री असंगबा चुबा एओ 11-03-2025 से कंपनी के बोर्ड से हट गए।

बोर्ड ने श्री असंगबा चुबा एओ द्वारा अध्यक्ष और नामित निदेशक के रूप में, श्री राहुल जैन और डॉ. आलोक पांडे द्वारा कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में नामित निदेशकों के रूप में उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की।

साल के दौरान, बोर्ड और शेयरहोल्डर्स की सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता कंपनी के चेयरमैन ने की।

## बी) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

AIESL पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी है, इसलिए इसके डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होलिंग कंपनी/एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री करती है। कंपनी का कोई भी फुल-टाइम डायरेक्टर नहीं है।



नॉमिनी (पार्ट-टाइम) डायरेक्टर्स को कंपनी से कोई मेहनताना नहीं मिलता है।

कंपनी के किसी भी डायरेक्टर को प्रदर्शन से जुड़े इंसेंटिव देने की कोई पॉलिसी नहीं है। सरकारी कंपनियों को कंपनी एक्ट के सेक्शन 178 के तहत डायरेक्टरों के मेहनताने से जुड़ी पॉलिसी बनाने से छूट दी गई है।

कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन स्कीम शुरू नहीं की है।

### सी) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:

i) फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान बोर्ड की पांच मीटिंग हुई, जिनकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

| एस नं. | बैठक  | बैठक की तिथि | बोर्ड की ताकत | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|--------|-------|--------------|---------------|----------------------------|
| 1.     | 89वां | 04-06-2024   | 5             | 4                          |
| 2.     | 90वां | 07-08-2024   | 5             | 3                          |
| 3.     | 91वां | 06-11-2024   | 5             | 4                          |
| 4.     | 92वां | 04-02-2025   | 5             | 4                          |
| 5.     | 93वां | 26-03-2025   | 5             | 3                          |

ii) अनुपस्थिति की छुट्टी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (बी) के अनुसार दी गई थी।

iii) FY 2024-25 के दौरान हुई बोर्ड मीटिंग्स और पिछली एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में डायरेक्टर्स की मौजूदगी की डिटेल्स:

| निदेशक का नाम                                     | शैक्षणिक योग्यता                                         | बोर्ड मीटिंग्स की संख्या 2024-25 |              | पिछली AGM और स्थगित AGM में शामिल हुए |                           | अन्य कंपनियों का विवरण                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                          | (अपने-अपने कार्यकाल के दौरान)    | में भाग लिया | 20-12-2024                            | 08-07-2025 (स्थगित एजीएम) | कंपनियों में निदेशक पद                                                                                                                     | समितियों में धारित सदस्यताएँ                                                                                                                                                                  |
| श्री असंगबा चुबा एओ (01-01-2024 से 11-03-2025 तक) | एम.ए. (इंग्लिश लिट.) और एम.ए. (पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन) | 4                                | 4            | हाँ                                   | लागू नहीं                 | <b>चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर:</b><br>1<br>एआईएचएल 01-01-2024 से प्रभावी<br><b>अध्यक्ष</b><br>4 01-01-2024 से [AIESL, AIASL, HCI, AAAL] | <b>अध्यक्ष: 3</b><br><u>लेखा परीक्षा समिति:</u><br>1 [AAAL]<br><u>सीएसआर समिति:</u><br>2 [एआईईएसएल और एआईएसएल]<br><b>सदस्य: 7</b><br><u>A. लेखा परीक्षा समिति:</u><br>2 [एआईईएसएल और एआईएसएल] |

|                                            |                                  |   |   |           |     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                  |   |   |           |     | <b>निदेशक:</b><br>6 [पीएचएल, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, एएएल (18-01-2023 से प्रभावी), एआईएचएल, एआईईएसएल, एआईएसएल]                                      | B. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:<br>2 [एआईएचएल, पीएचएल]<br>C. मानव संसाधन समिति:<br>1 (एएएल)<br>D. हितधारक संबंध समिति:<br>1 [एआईएचएल]<br>E. उड़ान सुरक्षा समिति:<br>1(AAAL) (AAAL)                                                                                                                         |
| श्री अमित कुमार<br>(13-03-2025 से प्रभावी) | बीई (इलेक्ट्रिकल), आईआईटी रुड़की | 1 | 1 | लागू नहीं | हाँ | <b>चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर:</b><br>1<br>एआईएचएल 13-03-2025 से प्रभावी<br><b>अध्यक्ष</b><br>4 13-03-2025 से प्रभावी<br>[AIESL, AIASL, HCI, AAAL] | <b>अध्यक्ष: 4</b><br>सीएसआर समिति:<br>2 [एआईईएसएल और एआईएसएल]<br>उड़ान सुरक्षा समिति:<br>1 (एएएल)<br>मानव संसाधन समिति: 1 (एएएल)<br><b>सदस्य: 7</b><br>ऑडिट कमेटी:<br>5 [एआईएसएल, एआईईएसएल, एआईएचएल, एएएल और एचसीआई]<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:<br>1 [एआईएचएल]<br>हितधारक संबंध समिति:<br>1 [एआईएचएल] |



|                                                      |                                                                         |   |   |           |           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री पदम लाल नेगी, निदेशक<br>(18-01-2023 से प्रभावी) | आईडीएस 1992,<br>एम.ए.<br>(राजनीति विज्ञान) और<br>एम.ए.<br>(समाजशास्त्र) | 5 | 4 | हाँ       | हाँ       | <b>निदेशक:</b><br>7 [एआई, एआईएचएल, एआईईएसएल, एआईएसएल, पीएचएल, आईआरडीए और एसईसीआई]           | <b>अध्यक्ष: 3</b><br><u>लेखा परीक्षा समिति:</u><br>3 [एआईएचएल, एआईईएसएल और एआईएसएल]<br><b>सदस्य: 2</b><br><u>सीएसआर समिति:</u><br>2 [एआईईएसएल और एआईएसएल]                                                                                                                                                             |
| श्री राहुल जैन<br>(12-12-2023 से 14-05-2024 तक)      | सीए, आईएस                                                               | 0 | 0 | लागू नहीं | लागू नहीं | <b>निदेशक:</b><br>6<br>[एआईएचएल, एआईईएसएल, एआईएसएल, एनएफएचसीएल, आईटीसी लिमिटेड, एनएलएमसीएल] | <b>सदस्य: 7</b><br><u>लेखा परीक्षा समिति:</u><br>2 [ एआईईएसएल, एआईएसएल]<br><u>सीएसआर समिति:</u><br>2 [एआईईएसएल, एआईएसएल]<br><u>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:</u><br>1 [एआईएचएल]<br><u>हितधारक संबंध समिति:</u><br>1[एआईएचएल]<br><u>प्रशासक/सलाहकार मंडल के रूप में कार्यरत व्यक्तियों का निकाय:</u><br>1 [एनएफएचसीएल] |
| श्रीमती नयोनिका दत्ता<br>(12-02-2024 से प्रभावी)     | अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री                                           | 5 | 3 | हाँ       | हाँ       | <b>निदेशक:</b><br>3<br>[एआईईएसएल, एआईएसएल, एएएल]                                            | <b>सदस्य: 5</b><br><u>लेखापरीक्षा समिति:</u><br>2 [ एआईईएसएल, एएएल]<br><u>सीएसआर समिति:</u><br>1 [एआईईएसएल]<br><u>मानव संसाधन समिति:</u><br>1 [AAAL]<br><u>उड़ान सुरक्षा समिति:</u><br>1 [आआल]                                                                                                                        |

|                                                 |                                                          |   |   |           |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डॉ. आलोक पांडे<br>(16-05-2024 से 25-02-2025 तक) | पीएचडी (आईआईएम-बैंगलोर), बीई (मैकेनिकल), एनआईटी-इलाहाबाद | 4 | 3 | नहीं      | लागू नहीं | <b>निदेशक:</b><br>4<br>[एआईएचएल, एआईईएसएल, एआईएसएल, इंडियन बैंक] | <b>सदस्य: 2</b><br>लेखा परीक्षा समिति:<br>1 [एआईएसएल]<br>सीएसआर समिति:<br>1 [एआईएसएल]                                                                                                                   |
| श्री शोभित गुप्ता<br>(25-05-2024 से प्रभावी)    | एम.टेक (पावर इलेक्ट्रॉनिक्स), आईआईटी कानपुर              | 5 | 2 | हाँ       | हाँ       | <b>निदेशक:</b><br>3 [अय्याहल, एआईएसएल, एआईएसएल]                  | <b>सदस्य: 7</b><br>लेखा परीक्षा समिति:<br>3 [एआईएसएल, एआईएसएल, एआईएसएल]<br>सीएसआर समिति:<br>2 [एआईएसएल, एआईएसएल]<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:<br>1 [एआईएसएल]<br>हितधारक संबंध समिति:<br>1 [एआईएसएल] |
| श्री मनोज कुमार<br>(28-02-2025 से प्रभावी)      | बीए (ऑनर्स), एमए, एलएलबी                                 | 1 | 1 | लागू नहीं | नहीं      | <b>निदेशक:</b><br>3 [अय्याहल, एआईएसएल, एआईएसएल]                  | <b>सदस्य: 6</b><br>लेखा परीक्षा समिति:<br>2 [एआईएसएल, एआईएसएल]<br>सीएसआर समिति:<br>2 [एआईएसएल, एआईएसएल]<br>नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:<br>1 [एआईएसएल]<br>हितधारक संबंध समिति:<br>1 [एआईएसएल]          |

### नोट्स:

1. डायरेक्टरशिप की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा इस लिमिट के अंदर है:  
-कंपनी एक्ट, 2013 के तहत 20 कंपनियां (जिनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 पब्लिक कंपनियां होंगी)।

2. डायरेक्टर एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ कोई पैसे का रिश्ता या लेन-देन नहीं होता।
4. डायरेक्टर्स की कमेटी मेंबरशिप की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दस के अंदर है, जिसमें DPE कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस, 2010 (DPE गाइडलाइंस) के तहत पांच चेयरमैनशिप की मंज़ूर लिमिट भी शामिल है। इस लिमिट में सिर्फ़ ऑडिट कमेटी को गिना जाएगा।
5. बताई गई कंपनियों के पूरे नाम:
  - a) एएआई – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
  - b) एआईईएसएल – एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
  - c) एआईएसएल – एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
  - d) AAAL – एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
  - e) एचसीआई – होटल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
  - f) एनएफएचसीएल – नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड
  - g) पीएचएल – पवन हंस लिमिटेड
  - h) SECI – सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
  - i) इरेडा – भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
  - j) आरएचएल – रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड
  - k) एनएलएमसीएल – राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड

### 3. बोर्ड प्रक्रियाएं:

बोर्ड की मीटिंग आम तौर पर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या होल्डिंग कंपनी, यानी AIAHL के ऑफिस में, जो नई दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के ज़रिए होती थीं। मीटिंग आम तौर पर काफी पहले से तय होती हैं। ज़रूरत या अर्जेंट होने पर, सर्कुलेशन से प्रस्ताव पास किए जाते हैं। मीटिंग का एजेंडा संबंधित अधिकारियों / CEO द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के चेयरमैन द्वारा मंज़ूर किया जाता है। बोर्ड पेपर आम तौर पर बोर्ड मेंबर्स को पहले से सर्कुलेट किए जाते हैं। बोर्ड के मेंबर्स को सारी जानकारी मिलती है और वे चर्चा के लिए एजेंडा में किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए आज़ाद हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बोर्ड मीटिंग में आने और ज़रूरत पड़ने पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए बुलाया जाता है। एक्शन टेकन रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड के सामने रखी जाती हैं। कंपनी के मामलों पर बेहतर और ज़्यादा ध्यान देने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस मकसद के लिए बनाई गई बोर्ड की कमेटियों को सौंप देता है।

### 4. आचार संहिता:

CPSEs के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर DPE गाइडलाइंस की ज़रूरतों के हिसाब से, बोर्ड ने डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट अपनाया है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों द्वारा कोड का पालन करने की पुष्टि करने का एक सिस्टम है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ कंप्लायंस का डिक्लेरेशन इस रिपोर्ट के साथ 'एनेक्सर – B-1' के तौर पर अटैच है।



## 5. बोर्ड समितियाँ:

### लेखा परीक्षा समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिस्से के तौर पर और कंपनीज़ एक्ट, 2013 और DPE गाइडलाइंस के नियमों के मुताबिक, ऑडिट कमेटी को शुरू में मार्च 2016 में बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मंजूरी से बनाया गया था, जिसमें टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को अपनाया गया था और होलिंग कंपनी / एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स में कोई बदलाव होने पर समय-समय पर इसे फिर से बनाया गया। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) ने समय-समय पर जारी अपने कई OMs के ज़रिए AIESL के बोर्ड को फिर से बनाया था और इसके बाद बोर्ड ने लागू नियमों के मुताबिक समय-समय पर बोर्ड कमेटियों और ऑडिट कमेटी को फिर से बनाया था।

### ए) समिति की संरचना:

31-03-2025 तक, ऑडिट कमेटी के सदस्य, पदेन क्षमता में, ये थे:

| निदेशक का विवरण                                            | समिति में पद |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार-एमओसीए | अध्यक्ष      |
| श्री अमित कुमार, सीएमडी-एआईएचएल                            | सदस्य        |
| श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-दीपम                         | सदस्य        |
| श्री शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव-एमओसीए                     | सदस्य        |
| श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक-एमओसीए               | सदस्य        |

**\*विचारणीय विषय:** लेखापरीक्षा समिति के विचारणीय विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (4) के तहत निर्धारित हैं:

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना;
- ऑडिटर की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना;
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन को मंजूरी देना या उसके बाद उसमें कोई संशोधन करना;
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच करना;
- जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;
- पब्लिक ऑफर और उससे जुड़े मामलों से जमा हुए फंड के आखिरी इस्तेमाल पर नज़र रखना।

### बी) समिति की बैठकें:

ऑडिट कमेटी ने साल के दौरान चार बार मीटिंग की, जिसमें बोर्ड को जमा करने से पहले कंपनी के साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समेत अलग-अलग मुद्दों का रिव्यू किया गया, जिसकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

| एस नं. | मीटिंग नंबर | बैठक की तिथि | उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की संख्या |
|--------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1      | 40वां       | 04-06-2024   | 4                                  |
| 2      | 41वां       | 07-08-2024   | 3                                  |
| 3      | 42वां       | 06-11-2024   | 4                                  |
| 4      | 43वां       | 26-03-2025   | 3                                  |

### कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनीज़ एक्ट 2013 की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, बोर्ड ने शुरू में 08-11-2019 को एक CSR कमेटी बनाई थी। लेकिन, मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) के समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग OM's के ज़रिए बोर्ड को फिर से बनाने के बाद, AIESL बोर्ड ने भी लागू नियमों को पूरा करते हुए समय-समय पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कमेटी को फिर से बनाया।

31-03-2025 तक, CSR कमेटी में ये सदस्य थे, जो पदेन थे:

| निदेशकों का विवरण                                          | समिति में पद |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| श्री अमित कुमार, सीएमडी-एआईएचएल                            | अध्यक्ष      |
| श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार-एमओसीए | सदस्य        |
| श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-दीपम                         | सदस्य        |
| श्री शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव-MoCA                       | सदस्य        |
| श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक-एमओसीए               | सदस्य        |

FY 2024-25 के दौरान 2 CSR कमेटी मीटिंग हुईं।

| एस नं. | मीटिंग नंबर | बैठक की तिथि | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|--------|-------------|--------------|----------------------------|
| 1      | 04वां       | 04-06-2024   | 4                          |
| 2      | 05वां       | 26-03-2025   | 3                          |

### 6. पिछले तीन वर्षों के दौरान आम बैठकें

पिछले तीन फाइनेंशियल सालों में हुई कंपनी की जनरल मीटिंग्स, यानी एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) और एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) की डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

| एजीएम / ईजीएम      | बैठक की तिथि और समय     | बैठक का स्थान                                                                                                                      | विशेष संकल्प |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19वां स्थगित एजीएम | 08-07-2025<br>15:00 बजे | रजिस्टर्ड ऑफिस: दूसरी मंज़िल,<br>सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट एरिया, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली-<br>110003 | नहीं         |

|                                |                          |                                                                                                                                    |      |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19 <sup>वीं</sup> एजीएम        | 20-12-2024<br>14:30 बजे. | रजिस्टर्ड ऑफिस: दूसरी मंज़िल,<br>सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट एरिया, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली-<br>110003 | नहीं |
| 18 <sup>वीं</sup> स्थगित एजीएम | 27-03-2024<br>11:30 बजे. | रजिस्टर्ड ऑफिस: दूसरी मंज़िल,<br>CRA बिल्डिंग, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट एरिया, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली-<br>110003   | नहीं |
| 18 <sup>वीं</sup> एजीएम        | 21-12-2023<br>11:00 बजे  | रजिस्टर्ड ऑफिस: दूसरी मंज़िल,<br>सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट एरिया, सफदरजंग<br>एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली-<br>110003 | नहीं |
| 17 <sup>वीं</sup> स्थगित एजीएम | 30-01-2023<br>12:30 बजे. | रजिस्टर्ड ऑफिस: एयरलाइंस<br>हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज<br>रोड, नई दिल्ली 110 001                                                | नहीं |
| 17 <sup>वीं</sup> एजीएम        | 30-12-2022<br>12:00 बजे  | रजिस्टर्ड ऑफिस: एयरलाइंस<br>हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज<br>रोड, नई दिल्ली 110 001                                                | नहीं |
| 04 <sup>वीं</sup> ईजीएम        | 14-01-2022<br>15:00 बजे  | रजिस्टर्ड ऑफिस: एयरलाइंस<br>हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज<br>रोड, नई दिल्ली 110 001                                                | हाँ  |

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) जिसका पता सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई – 400083 है, कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है।

## 7. प्रकटीकरण और वैधानिक अनुपालन:

डायरेक्टर के इंटरैस्ट, रिलेटेड पार्टि ट्रान्ज़ैक्शन, स्टैच्युटरी रजिस्टर के मेंटेनेंस से जुड़े ज़रूरी डिस्क्लोज़र लिए गए हैं और समय-समय पर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के सामने रखे गए हैं ताकि सोच-समझकर फैसले लिए जा सकें। बोर्ड बिज़नेस मामलों को संभालने के लिए खास अधिकारियों को काम देने और ऑथराइज़ेशन देने की साफ़ पॉलिसी का पालन करता है। डिस्क्लोज़र, इंटिमेशन, अलॉटमेंट और अपॉइंटमेंट के बारे में MCA फाइलिंग



टाइम-बाउंड तरीके से की गई हैं और कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। सेल्फ-इवैल्यूएशन के आधार पर, कंपनी पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए DPE कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के कम्प्लायंस के लिए 'एक्सीलेंट' ग्रेड में आती है। DPE ने FY 2022-23 के दौरान DPE कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस के कम्प्लायंस के लिए AIESL को भी 'एक्सीलेंट' ग्रेडिंग दी है और FY 2023-24 और 2024-25 के लिए DPE ग्रेडिंग का इंतज़ार है।

#### 8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही कम्प्लायंस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सच्चाई और फेयरनेस के बारे में लिखकर सर्टिफाई किया है, जिसे ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया था ( इस रिपोर्ट में 'अनुलग्नक – बी-2' के तौर पर रखा गया है )।

#### 9. कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट FY 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बताए जाने वाले डेटा के संबंध में कानूनी ज़रूरतों का पूरी तरह से पालन करती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के पालन के बारे में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से मिला सर्टिफिकेट इस रिपोर्ट के 'अनुलग्नक – बी-3' में दिया गया है।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के  
निदेशक मंडल की ओर से

अमित कुमार

अध्यक्ष

तारीख:

स्थान: नई दिल्ली

डीआईएन: 11001643

## 'अनुलग्नक – बी-1'

### आचार संहिता

#### घोषणा

CPSEs के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर DPE गाइडलाइंस के अनुसार, सभी बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा अपनाए गए कोड ऑफ़ कंडक्ट का पालन करने की पुष्टि की है।

शरद अग्रवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तारीख:

स्थान: नई दिल्ली

## 'अनुलग्नक – बी-2'

### जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

दिनांक: 19-12-2025

हमने साल 2024-25 के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ़्लो स्टेटमेंट का रिव्यू किया है और हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक:

- (ए) (1) इन कथनों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छूटा है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।
- (2) ये कथन एक साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- (बी) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस साल कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जो धोखाधड़ी वाला, गैर-कानूनी या कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाला हो।
- (सी) हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी लेते हैं और हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जुड़े कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के असर को जांचा है और ऑडिटर और ऑडिट कमिटी को ऐसे इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन या ऑपरेशन में कोई कमी, अगर कोई हो, जिसके बारे में हमें पता है, और इन कमियों को ठीक करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया है।
- (डी) हमने ऑडिटर्स और ऑडिट कमिटी को बताया है:
- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उनका खुलासा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
- (3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें जानकारी हुई है और इसमें प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो, तो सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

एसडी/-

राकेश कुमार जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

एसडी/-

शरद अग्रवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी



## 'अनुलग्नक - बी-3'

### मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

[डीपीई गाइडलाइन्स 2010 के पैरा 8.2.1 के अनुसार]

को

सदस्य

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

(सीआईएन: U74210DL2004GOI125114)

दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,

सफदरजंग एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, इंडिया, 110003

हमने नियमों के पालन के संबंध में संबंधित किताबों, रिकॉर्ड और बयानों की जांच की है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन: U74210DL2004GOI125114) के कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तें, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा घोषित "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों पर दिशानिर्देश" में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच सिर्फ़ उन तरीकों और उन्हें लागू करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी ने गाइडलाइन्स में बताई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का पालन पक्का करने के लिए अपनाया था। हमारी रिपोर्ट/सर्टिफिकेशन न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट पर राय का इज़हार है।

पेश किए गए रिकॉर्ड, एक्सप्लेनेशन और दी गई जानकारी की हमारी जांच के आधार पर, हम सर्टिफ़ाई करते हैं कि कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन्स की ज़रूरी शर्तों का पालन किया है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए, 2010 के अनुसार, कार्यात्मक निदेशकों की संख्या 50% से अधिक होगी और बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

हम आगे यह भी कहते हैं कि ऐसा कम्प्लायंस न तो कंपनी के भविष्य के वायबिलिटी का कोई भरोसा है और न ही मैनेजमेंट ने जिस असरदार तरीके से कंपनी के काम किए हैं, उसकी असरदारता का।

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

सहकर्मि समीक्षा संख्या 3020/2023

फर्म पंजीकरण संख्या P2002DE043100

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 30-01-2026

यूडीआईएन: F005430G003736344

एसडी/-

सौरभ अग्रवाल

पार्टनर

FCS नंबर: 5430

सीपी संख्या: 4868

## 'अनुलग्नक - सी'

### फॉर्म संख्या AOC-2

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

1. कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट या ट्रांज़ैक्शन का ब्यौरा जो बिना किसी भेदभाव के हो: NIL
2. कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट या लेन-देन का डिटेल्स।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान एक्ट के सेक्शन 188(1) के तहत कंपनी ने रिलेटेड पार्टिज़ के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट/अरेंजमेंट/ट्रांज़ैक्शन किए, वे आम बिज़नेस के हिसाब से आर्म्स लेंथ बेसिस पर थे, जिन्हें 26-03-2025 को हुई 93<sup>वीं</sup> बोर्ड मीटिंग में ठीक से मंजूरी दी गई और उसके बाद 26-12-2025 को हुई 98 वीं बोर्ड मीटिंग में, जहाँ तक वे पहले की मंजूरी से अलग थे, उन्हें मंजूरी दी गई। आर्म्स लेंथ बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट/अरेंजमेंट/ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स इस तरह हैं:

| संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति        | लेन-देन की अवधि               | लेन-देन की प्रकृति                             | राशि (मिलियन में) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (AAAL)                | 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 | एमआरओ सेवाओं से राजस्व                         | 884.14            |
|                                                 |                               | अन्य आय (ब्याज)                                | 280.60            |
|                                                 |                               | <b>कुल राजस्व (आय)</b>                         | <b>1164.74</b>    |
|                                                 |                               | व्यय                                           | -                 |
|                                                 |                               | <b>कुल व्यय</b>                                | <b>-</b>          |
| एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल)         | 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 | <b>MRO सेवाओं से राजस्व (कुल आय)</b>           | <b>34.44</b>      |
|                                                 |                               | आरोपों से निपटने                               | 48.37             |
|                                                 |                               | जन शक्ति लागत                                  | 10.01             |
|                                                 |                               | बकाया राशि पर ब्याज                            | 1.01              |
|                                                 |                               | <b>कुल व्यय</b>                                | <b>59.39</b>      |
| होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (HCI) (सेंटॉर होटल्स) | 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 | होटल रूम चार्ज और अन्य (ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ) | <b>21.50</b>      |
|                                                 |                               | <b>कुल व्यय</b>                                | <b>21.50</b>      |

|                                                      |                               |                                                         |                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| एआई एसेट्स होल्लिंग लिमिटेड (एआईएचएल) होल्लिंग कंपनी | 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 | सिक्क्योरिटी सर्विसेज़ के लिए मिलने वाली रकम (कुल इनकम) | 97.24                                   |
|                                                      |                               | बकाया राशि पर ब्याज                                     | 1879.64                                 |
|                                                      |                               | किराया व्यय                                             | 396.90                                  |
|                                                      |                               | अदायगी                                                  | 39.67                                   |
|                                                      |                               | कुल व्यय                                                | 2316.21                                 |
| कुल आय (ए)                                           |                               |                                                         | 1296.42                                 |
| कुल व्यय (बी)                                        |                               |                                                         | 2397.10                                 |
| कुल राशि (ए+बी)                                      |                               |                                                         | 3693.52 जो 369 करोड़ रुपये के बराबर है। |

### टिप्पणी:

- लेखांकन मानकों के अनुसार "संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण" का विवरण वित्तीय विवरणों में खातों के नोट्स में प्रकट किया जा रहा है।

निदेशक मंडल की ओर से  
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के

अमित कुमार

अध्यक्ष

डीआईएन: 11001643

तारीख:

स्थान: नई दिल्ली



## 'अनुलग्नक - डी'

### एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

(बोर्ड द्वारा 04 जून 2024 से संशोधित)

#### 1. प्रस्तावना:

AIESL का मकसद है कि हम जिन लोकल कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स और सिटी ऑफिस, उनके सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें। इसके लिए हम मज़बूत, डेवलपड सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ बनाएंगे और देश के लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे।

#### 2. परिभाषाएँ:

में यह नीति जब तक प्रसंग अन्यथा आवश्यकता है:

- a) **"कार्य"** मतलब कंपनियों कार्य, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम।
- b) **"प्रशासनिक ओवरहेड"** से कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय का तात्पर्य है, लेकिन इसमें किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किए गए व्यय शामिल नहीं होंगे ;
- c) **"कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)"** से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित अपने वैधानिक दायित्व के अनुसरण में इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाने वाली गतिविधियों से है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात:
  - i. कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की गई गतिविधियाँ;
  - ii. भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर, भारत के बाहर कंपनी द्वारा की जाने वाली कोई भी गतिविधि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय स्तर पर संघ राज्य क्षेत्र या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत;
  - iii. अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का अंशदान;
  - iv. गतिविधियाँ कर्मचारियों को लाभान्वित करना का कंपनी के रूप में परिभाषित खंड (k) का अनुभाग वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 (2019 का 29);
  - v. अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ के लिए मार्केटिंग फ़ायदे पाने के लिए कंपनियों द्वारा स्पॉन्सरशिप के आधार पर सपोर्ट की जाने वाली एक्टिविटीज़; और
  - vi. किसी भी कानून के तहत किसी अन्य वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियाँ भारत में लागू।

- d) **"सीएसआर समिति"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 135 में संदर्भित बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति से है;
- e) **"सीएसआर नीति"** मतलब एक थनयुक्त दृष्टिकोण और दिशा दिया गया द्वारा कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया जाता है;
- f) **"नेट प्रॉफिट"** का मतलब है किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो एक्ट के लागू नियमों के अनुसार तैयार किए गए उसके फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार हो, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं होंगे, जैसे: -
  - i. कोई लाभ उत्पन्न होने वाला से कोई प्रवासी शाखा या शाखाओं का कंपनी' चाहे अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्यथा;
  - ii. भारत में दूसरी कंपनियों से मिला कोई भी डिविडेंड, जो एक्ट के सेक्शन 135 के तहत आती हैं और उसके नियमों का पालन करती हैं।
- g) **"चालू परियोजना"** का तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व की पूर्ति के लिए शुरू की गई बहु-वर्षीय परियोजना से है, जिसकी समयसीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, जिसमें वह वित्तीय वर्ष शामिल नहीं है जिसमें इसे शुरू किया गया था और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि को उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है।

शब्द और अभिव्यक्ति इस्तेमाल किया गया और परिभाषित नहीं में इन नियम लेकिन परिभाषित में कार्य करेगा पास होना अधिनियम में उन्हें क्रमशः वही अर्थ दिए गए हैं।

### 3. उद्देश्य और सीएसआर दृष्टि:

इस पॉलिसी को कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 135 और कंपनीज़ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) रूल्स, 2014 (जिसमें मौजूदा और आने वाले बदलाव भी शामिल हैं, अगर कोई हों, जैसा भी मामला हो) और ऐसे दूसरे नियमों, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन्स (जिन्हें एक साथ 'रेगुलेशन्स' कहा जाएगा) के हिसाब से पढ़ा जाएगा, जो लागू हो सकते हैं और समय-समय पर बदले जा सकते हैं और इनमें, दूसरी बातों के साथ, ये चीज़ें होंगी:

- की स्थापनाएदिशानिर्देशके लिएअनुपालनसाथउपयुक्तप्रावधानोंकोसमर्पित करनाकंपनी के मुनाफ़े का एक प्रतिशत सामाजिक प्रोजेक्ट / CSR गतिविधियों के लिए; और
- यह सुनिश्चित करनाकार्यान्वयनकासीएसआरपहलमेंपत्रऔरआत्माके माध्यम सेसही प्रोसेस और रिपोर्टिंग।
- बनानाअवसरके लिएकर्मचारीकोहिस्सा लेनामेंसामाजिक रूप सेज़िम्मेदार पहल।

### 4. सीएसआर गतिविधियों का दायरा:

पॉलिसी यह मानती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ कम्प्लायंस नहीं है, यह एक्ट के शेड्यूल VII में बताए गए इन फोकस एरिया में से एक या ज़्यादा के ज़रिए बड़े पैमाने पर कम्प्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाने वाले इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का कमिटमेंट है:



- i. भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना;
- ii. विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं;
- iii. जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, महिलाओं को मज़बूत बनाना, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घर और हॉस्टल बनाना; सीनियर सिटिज़न्स के लिए ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर और ऐसी दूसरी सुविधाएँ बनाना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रुप्स के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना;
- iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना;
- v. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्थलों और कलाकृतियों का जीर्णोद्धार शामिल है; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास;
- vi. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के दिग्गजों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;
- vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;
- viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान;
- ix. (a) साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के फील्ड में इनक्यूबेटर या रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में योगदान, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से फंड मिले; और  
(b) सरकारी पैसे से चलने वाले विश्वविद्यालयों में योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs); परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मेडिकल रिसर्च (ICMR) और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को



बढ़ावा देने के मकसद से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में रिसर्च करने में लगे हुए हैं।

- x. ग्रामीण विकास परियोजनाएं; और
- xi. झुग्गी क्षेत्र का विकास।
- xii. स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'स्लम क्षेत्र' शब्द का अर्थ ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत ऐसा घोषित किया गया हो।
- xiii. आपदा प्रबंधन, शामिल राहत, पुनर्वास, और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ।

कंपनी, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के शेड्यूल VII (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में लिस्टेड थीम में से CSR एक्टिविटीज़ चुनेगी और उन्हें करेगी, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। CSR पॉलिसी के दायरे में आने वाली थीम्स को एक्ट के शेड्यूल VII में बताए गए सबजेक्ट्स के सार को समझने के लिए खुले दिल से समझा जाना चाहिए। एक्ट के शेड्यूल VII में कोई भी बदलाव या डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) या मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) के निर्देश भी सरकार द्वारा ऐसे बदलाव को नोटिफ़ाई करने की तारीख से कंपनी की CSR पॉलिसी के दायरे में शामिल माने जाएंगे (जहाँ भी वे ज़रूरी होंगे)।

## 5. सीएसआर समिति:

CSR कमेटी कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135 के प्रोविज़न के हिसाब से बनाई जाएगी, जो CSR एक्टिविटीज़ और पॉलिसी पर चर्चा और रिव्यू करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर मीटिंग करेगी। CSR कमेटी का कोरम मीटिंग में मौजूद दो सदस्यों से पूरा होगा।

## 6. ज़िम्मेदारी का सीएसआर समिति:

- यदि आवश्यक हो, तो एक सीएसआर नीति तैयार करें और उसमें संशोधनों सहित बोर्ड को सिफारिश करें। अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कोई भी;
- निगरानी करना नीति से समय को समय और अनुशंसा करना परिवर्तन को बोर्ड ;
- अनुशंसा करना मात्रा का व्यय को होना व्यय किया पर सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियाँ; और
- गठित करना एपारदर्शी निगरानी तंत्र के लिए यह सुनिश्चित करना असरदार और CSR प्रोजेक्ट्स को अच्छे से लागू करना।

## 7. सीएसआर कार्य दल

CSR वर्किंग टीम के सदस्य होंगे:

- i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- ii. मुख्य वित्तीय अधिकारी
- iii. मुख्य मानव संसाधन अधिकारी
- iv. कंपनी सचिव

ऊपर बताई गई CSR वर्किंग टीम को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेड करेंगे।

CSR वर्किंग कमिटी की भूमिका और ज़िम्मेदारियों में ये शामिल हैं:

- अलग-अलग जगहों से मिले CSR प्रोजेक्ट्स / प्रोग्राम्स / एक्टिविटीज़ के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना और उन्हें CSR कमिटी के सामने सोच-विचार, विचार और मंजूरी के लिए बोर्ड को रिकमेंडेशन के लिए रखना।

## 8. निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व:

- सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर नीति को मंजूरी देना, आवश्यक परिवर्तन/संशोधन के अधीन जैसा कि बोर्ड उचित समझे;
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ\* का कम से कम 2% (या एमसीए द्वारा निर्धारित कोई सीमा और उससे भी अधिक) खर्च करे;  
**\*औसत शुद्ध लाभ** की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए दिए गए धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल की गई गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों से संबंधित हैं;
- यह पक्का करना कि CSR प्रोजेक्ट्स के लिए तय रकम खर्च करने में इसके ऑपरेशन्स के आस-पास के लोकल एरिया को प्राथमिकता दी जाए।
- अपने एनुअल रिटर्न में CSR कमिटी के सदस्यों के नाम, CSR पॉलिसी का कंटेंट बताना और कंपनी की वेबसाइट पर अपनी CSR एक्टिविटीज़ की एनुअल रिपोर्टिंग पक्का करना और MCA द्वारा किसी भी समय लाए गए किसी भी दूसरे नियमों का पालन करना।

## 9. वार्षिक व्यय/निधि आवंटन:

- a. कंपनी पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में हुए कंपनी के एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% खर्च करेगी। CSR एक्टिविटी से होने वाला कोई भी सरप्लस कंपनी के बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा और उसे उसी प्रोजेक्ट में वापस लगाया जाएगा या बिना खर्च हुए CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कंपनी की CSR पॉलिसी और सालाना एक्शन प्लान के हिसाब से खर्च किया जाएगा या ऐसी सरप्लस रकम को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के छह महीने के अंदर शेड्यूल VII में बताए गए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- b. CSR कमिटी, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के शेड्यूल VII के हिसाब से एक सालाना CSR प्लान बनाएगी और कंपनी हर साल की शुरुआत में CSR कमिटी की सलाह के मुताबिक अपने सालाना CSR प्लान में शामिल CSR एक्टिविटीज़ करेगी। कमिटी को मौजूदा सालाना CSR में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का



अधिकार है। फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई नया प्रोग्राम प्लान करना या प्रपोज करना। अपनी CSR पॉलिसी के हिसाब से एक सालाना एक्शन प्लान, जिसमें ये चीजें शामिल होंगी, जैसे: -

- (i) कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है;
- (ii) नियम 4 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका ;
- (iii) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए धन के उपयोग और कार्यान्वयन कार्यक्रम की रूपरेखा ;
- (iv) निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र के लिए परियोजनाओं या कार्यक्रम; और
- (v) विवरण का ज़रूरत और प्रभाव आकलन, अगर कोई भी, के लिए परियोजनाओं कार्य शुरू द्वारा कंपनी:

बशर्ते कि बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उचित औचित्य के आधार पर, ऐसी योजना को बदल सकता है।

## 10. सीएसआर परियोजनाओं का प्रशासन/कार्यान्वयन

- 1) बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि CSR गतिविधियां कंपनी द्वारा स्वयं या इनके माध्यम से की जाएं:-
  - (a) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो कंपनी द्वारा, अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित की गई हो, या
  - (b) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या एक पंजीकृत ट्रस्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सोसाइटी; या
  - (c) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत बनाई गई कोई संस्था; या
  - (d) एक्ट के सेक्शन 8 के तहत बनी कंपनी, या इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 12A और 80G के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, और इसी तरह के काम करने का कम से कम तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो।
- 2) कंपनी अपनी CSR पॉलिसी के अनुसार CSR प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स की डिज़ाइनिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन्स को हायर कर सकती है। CSR के लिए अपने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना।
- 3) कंपनी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स या CSR एक्टिविटीज़ के लिए दूसरी कंपनियों के साथ भी इस तरह से कोलेबोरेट कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की CSR कमेटीयों इन नियमों के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स पर अलग से रिपोर्ट कर सकें।
- 4) कंपनी का बोर्ड यह पक्का करेगा कि इस तरह बांटे गए फंड का इस्तेमाल उसी मकसद और तरीके से किया गया है, जैसा उसने मंजूर किया है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति इस बात को सर्टिफ़ाई करेगा।



- 5) अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कंपनी का बोर्ड मंजूर टाइमलाइन और साल के हिसाब से दिए गए हिस्से के हिसाब से प्रोजेक्ट को लागू करने पर नज़र रखेगा और अगर कोई बदलाव करना हो, तो वह तय समय के अंदर प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा करने के लिए कर सकेगा।

## 11. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग

- प्रत्येक कार्य केंद्र पर किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी ;
- कार्यक्रम की प्रगति पर रिपोर्ट नियमित आधार पर खर्च की गई लागत और प्राप्त परिणाम के पूरे विवरण के साथ सीएसआर समिति के सामने रखी जाएगी;
- कार्य केंद्र क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास करेंगे;
- कंपनी की CSR गतिविधियों, क्रियान्वयन भागीदारों और किए गए व्यय का उचित दस्तावेज़ीकरण नियमित आधार पर किया जाएगा।
- कंपनी के सीएसआर प्रयासों की जानकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट में धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाएगी; और
- कंपनी CSR खर्चों का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।

## 12. निष्कर्ष :

CSR कमिटी की सिफारिश पर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स अपनी पॉलिसी में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकता है। CSR पॉलिसी के किसी भी या सभी प्रोविज़न में समय-समय पर संबंधित कानूनी अथॉरिटीज़ द्वारा जारी किए जाने वाले नियमों के अनुसार बदलाव/संशोधन किया जा सकता है।

पॉलिसी के किसी भी प्रोविज़न और इसमें शामिल नहीं किए गए मामलों के बारे में कोई भी शक होने पर, CSR कमिटी को रेफर किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, कमिटी का मतलब और फैसला आखिरी होगा।

## 'अनुलग्नक - ई'

### कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024-25 के लिए

#### 1. कंपनी की CSR पॉलिसी की संक्षिप्त रूपरेखा।

- AIESL का मकसद है कि हम जिन लोकल कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स और सिटी ऑफिस, उनके सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देने के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें। इसके लिए हम मज़बूत, डेवलपड सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ बनाएंगे और देश के लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे।
- कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने एक CSR पॉलिसी अपनाई है, जो यह मानती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ कम्प्लायंस नहीं है, बल्कि यह एक्ट के शेड्यूल VII में बताए गए एक या ज़्यादा फोकस एरिया के ज़रिए बड़े पैमाने पर कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाने वाले इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का कमिटमेंट है।
- हर वर्क सेंटर पर किए गए CSR प्रोग्राम को अच्छे से लागू करने के लिए, वर्क सेंटर हेड एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगा।
- कंपनी CSR खर्चों का सही हिसाब-किताब पक्का करने के लिए एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाएगी।
- कंपनी की CSR पॉलिसी की एक छोटी आउटलाइन, जिसमें शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स का ओवरव्यू शामिल है, कंपनी की वेबसाइट [www.aiesl.in](http://www.aiesl.in) पर देखी जा सकती है।

#### 2. CSR कमिटी की संरचना:

| क्रम संख्या | निदेशक का नाम          | पद का नाम/<br>निदेशक पद की प्रकृति       | साल के दौरान हुई<br>CSR कमिटी की<br>मीटिंग्स की संख्या | CSR कमिटी की मीटिंग्स<br>की संख्या, जो उनके<br>कार्यकाल के दौरान साल<br>भर में शामिल हुईं |
|-------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | श्री असंगबा<br>चुबा एओ | चेयरमैन (01-01-2024 से<br>11-03-2025 तक) | 2                                                      | 1                                                                                         |
| 2.          | श्री अमित<br>कुमार     | अध्यक्ष (18-03-2025 से<br>प्रभावी)       | 2                                                      | 1                                                                                         |
| 3.          | श्री पदम लाल<br>नेगी   | सदस्य                                    | 2                                                      | 1                                                                                         |
| 4.          | श्री राहुल जैन         | सदस्य (14-05-2024 तक)                    | 2                                                      | 0                                                                                         |
| 5.          | डॉ. आलोक<br>पांडे      | सदस्य (27-05-2024 से<br>25-02-2025 तक)   | 2                                                      | 1                                                                                         |

|    |                       |                                |   |   |
|----|-----------------------|--------------------------------|---|---|
| 6. | श्री मनोज कुमार       | सदस्य (04-03-2025 से प्रभावी ) | 2 | 1 |
| 7. | श्री शोभित गुप्ता     | सदस्य (27-05-2024 से प्रभावी)  | 2 | 0 |
| 8. | श्रीमती नयोनिका दत्ता | सदस्य (27-05-2024 से प्रभावी)  | 2 | 2 |

\*CSR कमिटी की मीटिंग साल में दो बार हुई, यानी 04-06-2024 और 26-03-2025।

### 3. CSR कमिटी की बनावट , CSR पॉलिसी और बोर्ड से मंजूर CSR प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया हो:

| एस. नं. | विवरण                                | जाल संपर्क                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | सीएसआर समिति की संरचना               | <a href="https://www.aiesl.in/Composition-of%20CSR-Committee.aspx">https://www.aiesl.in/Composition-of%20CSR-Committee.aspx</a> |
| 2.      | सीएसआर नीति                          | <a href="https://www.aiesl.in/CSRPolicy.aspx">https://www.aiesl.in/CSRPolicy.aspx</a>                                           |
| 3.      | बोर्ड द्वारा स्वीकृत CSR प्रोजेक्ट्स | <a href="https://www.aiesl.in/CSRProjects.aspx">https://www.aiesl.in/CSRProjects.aspx</a>                                       |

### 4. प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें , यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट लागू नहीं है, क्योंकि कंपनीज़ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) रूल्स, 2014 के रूल 8(3) के तहत इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत वाला कोई भी CSR प्रोजेक्ट इस साल पूरा नहीं हुआ। AIIMS के साथ मंजूर CSR प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल ईयर के आखिर में मंजूरी दी गई थी और वे इस साल शुरू नहीं हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिए गए कंट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट असेसमेंट से छूट मिली हुई है।

### 5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो :

लागू नहीं

### 6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: रु.596,11,70,610.39/-

### 7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु. 11,92,23,412.21/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष (7ए+7बी-7सी) के लिए कुल सीएसआर दायित्व: रु.11,92,23,412.21/-



## 8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अप्रयुक्त सीएसआर राशि:

| फाइनेंशियल ईयर के लिए खर्च की गई कुल रकम।         |                    | खर्च न हुई रकम (रुपये में)                                            |                    |                                                                                                        |        |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|                                                   |                    | धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि। |                    | धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि। |        |                    |
| राशि रु. में                                      | स्थानांतरण की तिथि | मात्रा।                                                               | स्थानांतरण की तिथि | का नाम निधि                                                                                            | मात्रा | स्थानांतरण की तिथि |
| प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 5,72,23,412/- | 31-03-2025         | 6,20,00,000/-                                                         | 30-04-2025         | -                                                                                                      | -      | -                  |

मार्च 2025 के आखिरी हफ्ते में FY 2024-25 के लिए ₹ 11,92,23,412.21/- के CSR खर्च को मंजूरी दी गई थी। मंजूर CSR ज़िम्मेदारी में से, ₹ 6,20,00,000/- AIIMS, नई दिल्ली के साथ हेल्थकेयर से जुड़े CSR प्रोजेक्ट्स के लिए तय किए गए थे, और बाकी CSR रकम ₹ 5,72,23,412/-, साल के दौरान प्रधानमंत्री के नेशनल रिलीफ़ फंड में दी गई थी। क्योंकि हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स में AIIMS की तरफ़ से खास मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक बसें और शटल खरीदना शामिल है, और MoU अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए प्रोजेक्ट्स FY 2024-25 के दौरान शुरू नहीं हो सके। इसलिए, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135(6) के मुताबिक, खर्च न हुई रकम को खर्च न हुए CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।

## (बी) फाइनेंशियल ईयर के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई CSR रकम की डिटेल्स:

| (1) | क्रम संख्या                                                 |        | 1.                                                 | 2.                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (2) | प्रोजेक्ट का नाम                                            |        | मरीज़ों के परिवहन के लिए ई-बसों और ई-शटलों की खरीद | महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा शल्य चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों की खरीद |
| (3) | एक्ट के शेड्यूल VII में दी गई एक्टिविटीज़ की लिस्ट से आइटम। |        | स्वास्थ्य देखभाल                                   | स्वास्थ्य देखभाल                                                 |
| (4) | स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं).                                 |        | हाँ                                                | हाँ                                                              |
| (5) | प्रोजेक्ट की जगह।                                           | राज्य। | दिल्ली                                             | दिल्ली                                                           |
|     |                                                             | ज़िला। | दिल्ली                                             | दिल्ली                                                           |
| (6) | प्रोजेक्ट का समय।                                           |        | 2 वित्तीय वर्ष (मार्च 2025-मार्च 2026)             | 2 वित्तीय वर्ष (मार्च 2025-मार्च 2026)                           |

|      |                                                                                         |                          |                                                     |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (7)  | प्रोजेक्ट के लिए दी गई रकम (Rs में)।                                                    |                          | 2,68,00,000/-                                       | 3,52,00,000/-                                       |
| (8)  | चालूवित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)                                          |                          | शून्य                                               | शून्य                                               |
| (9)  | धारा 135(6) के अनुसार, परियोजना के लिए अप्रयुक्त CSR खाते में हस्तांतरित राशि (रु.में)। |                          | 2,68,00,000/-                                       | 3,52,00,000/-                                       |
| (10) | कार्यान्वयन का तरीका                                                                    |                          | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से                     | कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से                     |
| (11) | कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से                                   | नाम                      | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) – नई दिल्ली | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) – नई दिल्ली |
|      |                                                                                         | सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर. | लागू नहीं                                           | लागू नहीं                                           |

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य।

|     |                                                        |                         |           |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| (1) | क्रमसंख्या                                             |                         | -         |
| (2) | परियोजना का नाम                                        |                         | -         |
| (3) | एक्ट के शेड्यूल VII में एक्टिविटीज़ की लिस्ट से आइटम।  |                         | -         |
| (4) | स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं).                            |                         | -         |
| (5) | प्रोजेक्ट की जगह।                                      | राज्य                   | -         |
|     |                                                        | ज़िला।                  | -         |
| (6) | प्रोजेक्ट पर खर्च हुई रकम ( रु. में )                  |                         | -         |
| (7) | कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)              |                         | लागू नहीं |
| (8) | कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से। | नाम                     | लागू नहीं |
|     |                                                        | सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर | लागू नहीं |

(डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय राशि: शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): शून्य

(जी)सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

| क्रम संख्या | विवरण                                                                                                  | राशि (रु. में)    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (i)         | कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत धारा 135(5)                                                       | 11,92,23,412.21/- |
| (ii)        | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि                                                                | 5,72,23,412/-     |
| (iii)       | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अधिक राशि[(ii)-(i)]                                                     | -                 |
| (iv)        | सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले फाइनेंशियल ईयर की एक्टिविटीज़, अगर कोई हों | -                 |
| (v)         | अगले फाइनेंशियल ईयर में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध रकम। [(iii)-(iv)]                                         | -                 |

**\* नोट-1:** मार्च 2025 के आखिरी हफ्ते में FY 2024-25 के लिए ₹ 11,92,23,412.21/- के CSR खर्च को मंजूरी दी गई थी। मंजूर CSR ज़िम्मेदारी में से, ₹ 6,20,00,000/- AIIMS, नई दिल्ली के साथ हेल्थकेयर से जुड़े CSR प्रोजेक्ट्स के लिए तय किए गए थे, और बाकी CSR रकम ₹ 5,72,23,412/-, साल के दौरान प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में दी गई थी। क्योंकि हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स में AIIMS की तरफ से खास मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक बसें और शटल खरीदना शामिल है, और MoU अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए प्रोजेक्ट्स FY 2024-25 के दौरान शुरू नहीं हो सके। इसलिए, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135(6) के मुताबिक, खर्च न हुई रकम को खर्च न हुए CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

| (1)         | (2)           | (3)               | (4)                                        | (5)               | (6)                               | (7)                                                                 | (8)                                                               | (9)                                    |
|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| क्रम संख्या | प्रोजेक्ट ID. | प्रोजेक्ट का नाम. | वित्तीय वर्ष में जिससे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। | प्रोजेक्ट का समय। | प्रोजेक्ट के लिए कुल रकम (Rs में) | रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट पर खर्च की गई रकम (Rs में)। | रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर के आखिर में कुल खर्च की गई रकम (Rs में) | परियोजना की स्थिति पुरा होना। /चल रहे। |
| 1.          | -             | -                 | -                                          | -                 | -                                 | -                                                                   | -                                                                 | -                                      |
|             | कुल           | -                 | -                                          | -                 | -                                 | -                                                                   | -                                                                 | -                                      |



10. कैपिटल एसेट्स बनाने या खरीदने के मामले में, फाइनेंशियल ईयर में CSR के ज़रिए बनाए गए या खरीदे गए एसेट्स से जुड़ी डिटेल्स दें (एसेट-वाइज़ डिटेल्स): NA
- (ए) कैपिटल एसेट(एस) के बनने या खरीदने की तारीख: NA
- (बी) उस एंटीटी या पब्लिक अथॉरिटी या बेनिफिशियरी की डिटेल्स जिनके नाम पर ऐसे कैपिटल एसेट्स रजिस्टर्ड हैं, उनका पता वगैरह: NA
- (सी) बनाए गए या खरीदे गए कैपिटल एसेट की जानकारी दें (कैपिटल एसेट का पूरा पता और जगह सहित): NA
11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ:
- खर्च नहीं हुई CSR रकम हेल्थकेयर CSR प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है, जिन्हें बोर्ड ने 26-03-2025 को मंजूरी दी थी। इन्हें AIIMS, नई दिल्ली द्वारा लागू किया जाना है। इसमें खास मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक बसों और शटल की खरीद शामिल है। क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में AIIMS की तरफ से खरीद शामिल है, इसलिए फाइनल स्कोप और स्पेसिफिकेशन्स प्रोसेस से जुड़ी फॉर्मैलिटीज़ पूरी होने पर निर्भर हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को पूरा करना भी शामिल है। इसलिए, प्रोजेक्ट्स FY 2024-25 के दौरान शुरू नहीं किए जा सके। अप्रयुक्त राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुपालन में अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।
- \*कंपनी के उस समय के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर द्वारा दिया गया FY 2024-25 के लिए CSR यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस रिपोर्ट के 'एनेक्सर E-1' के तौर पर दिया गया है।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के लिए

अमित कुमार  
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

शरद अग्रवाल  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## 'अनुलग्नक - ई-1'

### जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

दिनांक: 24-12-2025

यह सर्टिफाई किया जाता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) एक्टिविटीज़ के लिए Rs. 11,92,23,412.21/- का फंड दिया गया। फ़ाइनैशियल ईयर के लिए कुल CSR ज़िम्मेदारी में से , Rs. 5,72,23,412/- प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ़ फ़ंड में दिए गए और Rs. 6,20,00,000/- चल रहे CSR प्रोजेक्ट्स के लिए बिना खर्च हुए रह गए, जिसके लिए कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 135(6) के अनुसार बिना खर्च हुए CSR अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिना खर्च हुई अमाउंट फ़ाइनैशियल ईयर के आखिर में मंज़ूर किए गए हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है, और इस्तेमाल में देरी प्रोसेस से जुड़ी फ़ॉर्मैलिटीज़ की वजह से हुई है, जिसमें इसे लागू करने में शामिल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को फ़ाइनल करना भी शामिल है।

CSR खर्च की डिटेल्स इस तरह हैं:

| विवरण                                                         | रु.             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| राशि परिव्यय (बजट में)                                        | 11,92,23,412.21 |
| खर्च की गई राशि: 31-03-2025                                   | 5,72,23,412.00  |
| अव्ययित राशि                                                  | 6,20,00,000.00  |
| 30-04-2025 को बिना खर्च हुए CSR अकाउंट में ट्रांसफर की गई रकम | 6,20,00,000.00  |
| अतिरिक्त राशि व्यय                                            | शून्य           |

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के लिए

एसडी/-

राकेश कुमार जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

**फॉर्म संख्या MR-3**  
**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**  
**31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

**को**

**सदस्य**

**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड**

**(सीआईएन: U74210DL2004GOI125114)**

**दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,**

**सफदरजंग एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, इंडिया, 110003**

**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू कानूनी नियमों के पालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के पालन का सेक्रेटेरियल ऑडिट किया है। सेक्रेटेरियल ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट व्यवहार/कानूनी नियमों के पालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय बताने के लिए एक सही आधार मिला।

**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की बुक्स, पेपर्स, मिनट बुक्स, फॉर्म्स और रिटर्न्स और कंपनी द्वारा मंटेन किए गए दूसरे रिकॉर्ड्स** के हमारे वेरिफिकेशन के आधार पर, कंपनी, उसके ऑफिसर्स, एजेंट्स और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा सेक्रेटेरियल ऑडिट के दौरान दी गई जानकारी, हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन्स और क्लैरिफिकेशन्स और मैनेजमेंट द्वारा किए गए रिप्रेजेंटेशन्स के आधार पर। हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर को कवर करने वाले ऑडिट पीरियड के दौरान आमतौर पर नीचे दिए गए कानूनी प्रोविजन्स का पालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास सही बोर्ड-प्रोसेस और कम्प्लायंस-मैकेनिज्म मौजूद हैं, जिस हद तक, जिस तरीके से और जिसके तहत नीचे दी गई रिपोर्टिंग की गई है:

मार्च, 2025 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी की रखी बुक्स, पेपर्स, मिनट बुक्स, फॉर्म्स और फाइल किए गए रिटर्न्स और दूसरे रिकॉर्ड्स की जांच इन प्रोविजन्स के हिसाब से की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है;
- (ii) सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम - **लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी की सिक्योरिटीज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं।**
- (iii) डिपोजिटरीज अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमन एवं उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,



विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक: **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

- (v) प्रतिभूति अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं एवं भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम')
- a. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**
  - b. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**
  - c. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**
  - d. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**
  - e. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**
  - f. कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993; **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**
  - g. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) रेगुलेशन, 2021; **ऑडिट पीरियड के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;** और
  - h. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 - **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**

- (vi) कंपनी ने दिए गए अंडरटेकिंग के अनुसार इंडस्ट्री पर लागू दूसरे कानूनों का पालन किया है। हमने इनकी भी जांच की है:

- i) इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लागू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स; और
- ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 - **ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।**

रिव्यू के समय के दौरान कंपनी ने ऊपर बताए गए एक्ट, नियमों, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स वगैरह के नियमों का पालन किया है।

कंपनी पर खास तौर पर लागू दूसरे कानूनों के संबंध में, हमने ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा दी गई जानकारी/ डेटा पर भरोसा किया है और रिपोर्टिंग उसी हद तक सीमित है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:**

कंपनी के निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया है,

जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। इसके अलावा, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 178 के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4 (2) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

रिव्यू किए जा रहे समय के दौरान बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बनावट में जो बदलाव हुए, वे एक्ट के नियमों के हिसाब से किए गए थे।

कंपनी को 30 अगस्त, 2024 के ऑर्डर के ज़रिए एनुअल जनरल मीटिंग (जो 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले होनी थी) करने के लिए कंपनी एक्ट, 2013 के सेक्शन 96 के तहत फाइल किए गए एप्लीकेशन पर 3 महीने का समय दिया गया था और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग 20/12/2024 को हुई। हालांकि, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 8 जुलाई 2025 को हुई कंपनी की स्थगित AGM में मेंबर्स ने अपना लिया था।

बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल करने के लिए सभी डायरेक्टर्स को काफ़ी नोटिस दिया जाता है। मीटिंग, एजेंडा और एजेंडा पर डिटेल्ड नोट्स तय समय में भेजे गए, और मीटिंग से पहले एजेंडा आइटम पर और जानकारी और क्लैरिफिकेशन मांगने और पाने और मीटिंग में सही तरीके से हिस्सा लेने के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और कमेटी मीटिंग के सभी फैसले एकमत से लिए गए।

**हम आगे बताते हैं कि** कंपनी के साइज़ और ऑपरेशन के हिसाब से कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, रेगुलेशन और गाइडलाइन्स का पालन मॉनिटर करने और पक्का करने के लिए काफ़ी सिस्टम और प्रोसेस हैं।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** ऑडिट पीरियड के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका कानूनों, नियमों, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड वगैरह के हिसाब से कंपनी के काम पर कोई बड़ा असर पड़ा हो।

**सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी के लिए**

**कंपनी सचिव**

**सहकर्मि समीक्षा संख्या 3020/2023**

**फर्म पंजीकरण संख्या P2002DE043100**

**दिनांक: 30-01-2026**

**स्थान: नई दिल्ली**

**यूडीआईएन: F005430G003736707**

**एसडी/-**

**सीएस सौरभ अग्रवाल**

**साथी**

**एफसीएस:F5430; CP नंबर: 4868**

इस रिपोर्ट को हमारे उसी तारीख के लेटर के साथ पढ़ा जाना है, जो 'अनुलग्नक-ए' के तौर पर अटैच है और इस रिपोर्ट का एक ज़रूरी हिस्सा है।



## 'अनुलग्नक ए'

को

सदस्य

**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड**

(सीआईएन: U74210DL2004GOI125114)

दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,

सफदरजंग एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, इंडिया, 110003

फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 2025 के लिए हमारी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इस लेटर के साथ पढ़ी जानी है।

### ➤ **प्रबंधन जिम्मेदारी**

1. कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विकसित करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम करती हैं;

### ➤ **लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है;
3. हमारा मानना है कि कंपनी के मैनेजमेंट से मिले ऑडिट सबूत और जानकारी हमारी राय के लिए आधार देने के लिए काफी और सही हैं;
4. हमने सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड के कंटेंट के सही होने का सही भरोसा पाने के लिए ऑडिट प्रैक्टिस और प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया है। वेरिफिकेशन टेस्ट बेसिस पर किया गया था ताकि यह पक्का हो सके कि सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड में सही बातें दिखाई दें। हमारा मानना है कि हमने जो प्रोसेस और प्रैक्टिस फॉलो की हैं, वे हमारी राय के लिए एक सही आधार देती हैं;
5. वगैरह के बारे में मैनेजमेंट से बात की है ;



➤ **अस्वीकरण**

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है;
7. हमने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अकाउंट बुक्स की सच्चाई और इस्तेमाल को वेरिफाई नहीं किया है।

**सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी के लिए**

**कंपनी सचिव**

**सहकर्मि समीक्षा संख्या 3020/2023**

**फर्म पंजीकरण संख्या P2002DE043100**

**दिनांक: 30-01-2026**

**स्थान: नई दिल्ली**

**यूडीआईएन: F005430G003736707**

**Sd/-**

**सीएस सौरभ अग्रवाल**

**साथी**

**एफसीएस:F5430; CP नंबर: 4868**

## 2024-25 के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर की टिप्पणियों पर मैनेजमेंट का जवाब

| क्रम संख्या | लेखापरीक्षा अवलोकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रबंधन का जवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ए           | कंपनी के निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया है, जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। इसके अलावा, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 178 के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4 (2) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। | यह एक तथ्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बी          | कंपनी को 30 अगस्त 2024 के ऑर्डर के ज़रिए एनुअल जनरल मीटिंग (जो 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले होनी थी) करने के लिए कंपनी एक्ट, 2013 के सेक्शन 96 के तहत फाइल किए गए एप्लीकेशन पर 3 महीने का समय दिया गया था और कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग 20 दिसंबर 2024 को हुई। हालांकि, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 8 जुलाई 2025 को हुई कंपनी की स्थगित AGM में सदस्यों ने अपना लिया था।                                                                                                                                                               | यह एक तथ्य है।<br>ऑडिट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के FY 2023-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ने 26-03-2025 को हुई अपनी 93 वीं मीटिंग में मंजूरी दी।<br>बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट के लिए स्टैच्युटरी ऑडिटर्स को भेजा गया और उसके बाद ऑडिटर्स की रिपोर्ट के साथ उन्हें भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (C&AG) के ऑफिस में उनके कमेंट्स के लिए भेजा गया।<br>C&AG के 16-05-2025 के लेटर से कोई कमेंट नहीं मिला, और ऑडिट कमिटी और बोर्ड ने 19-06-2025 को हुई अपनी-अपनी मीटिंग में इसे नोट किया।<br>इसके बाद, FY 2023-24 के लिए कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 08-07-2025 को हुई कंपनी की स्थगित 19 वीं AGM में अपनाया गया। |

## वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

| क्रमांक | लेखापरीक्षा अवलोकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रबंधन की प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p>कंपनी दो ईआरपी सिस्टम संचालित करती है, जिनमें से एक है RAMCO (सामग्री प्रबंधन, इन्वेंट्री, वर्क ऑर्डर और बिलिंग सहित एमआरओ संचालन के लिए) और दूसरा है एसएपी (वित्तीय लेखांकन के लिए)। ये सिस्टम पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं और RAMCO और एसएपी के बीच इंटरफ़ेस का उचित मिलान या मैपिंग नहीं किया गया है। ऑडिट के दौरान, सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी प्रतिबंधों के कारण हमें RAMCO सिस्टम तक सीधी पहुंच प्रदान नहीं की गई। RAMCO से उत्पन्न डेटा को पर्याप्त मिलान नियंत्रण के बिना स्वचालित इंटरफ़ेस के माध्यम से एसएपी में स्थानांतरित किया जाता है।</p> <p>प्रत्यक्ष सिस्टम एक्सेस, ऑडिट ट्रेल्स, सिस्टम रिपोर्ट और मिलान तंत्रों के अभाव में, हम सिस्टमों के बीच सूचना प्रवाह से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन करने में असमर्थ हैं। दोनों सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित कमियां हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रलेखित नियंत्रण</li> <li>- प्रवास प्रोटोकॉल</li> <li>- एकाधिक प्रणालियों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं।</li> </ul> <p>परिणामस्वरूप, हम इन्वेंट्री, वर्क-इन-प्रोग्रेस, वर्क ऑर्डर, खपत, अनबिल्ड राजस्व, बिलिंग और प्राप्य/देय से संबंधित वित्तीय विवरण मदों से संबंधित लेनदेन और शेष राशि की पूर्णता, सटीकता और मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं।</p> <p>उपरोक्त मामलों के संभावित प्रभावों (यदि कोई हों) का मात्रात्मक आकलन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पृथक वित्तीय विवरण पर उपरोक्त कमी के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।</p> | <p>कंपनी ने ऑडिट टीम को SAP के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान कर दिए हैं और ऑडिट टीम ने मुख्य रूप से एक्सेल फॉर्मेट या उनके द्वारा दिए गए फॉर्मेट में डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, ऑडिट टीम के पास कंपनी के सभी डेटा और दस्तावेजों के साथ-साथ संबंधित विभागों तक भी पहुंच है और सभी डेटा और विवरण उन्हें उनकी यात्राओं के दौरान और विभिन्न ईमेल के माध्यम से दिखाए गए हैं। RAMCO का रिमोट एक्सेस ऑडिटर्स को नहीं दिया जा सका क्योंकि सिस्टम में ग्राहकों के विमानों, जिनमें IAF भी शामिल है, से संबंधित गोपनीय और संवेदनशील डेटा मौजूद है। हालांकि, अनुरोध के अनुसार लेनदेन संबंधी विवरण, इन्वेंट्री सूची, वर्क ऑर्डर आदि उपलब्ध करा दिए गए हैं।</p> <p>इसके अलावा, कंपनी का संचालन पूरे भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसलिए विभिन्न स्टेशनों द्वारा किए गए लेन-देन से संबंधित स्रोत दस्तावेज/विवरण, जैसे कि योजना, खरीद, सामग्री प्रबंधन, इन्वेंट्री, उत्पादन, कार्य आदेश आदि, वहीं स्थित हैं। चूंकि ऑडिट टीम ने स्टेशनों का दौरा नहीं किया था, इसलिए यथासंभव स्कैन की गई प्रतियां/ईमेल आदि उपलब्ध कराए गए हैं।</p> <p>इसके अलावा, जैसा कि टिप्पणी में ही बताया गया है, SAP और RAMCO के स्वचालित इंटरफ़ेस के संबंध में, बुनियादी डेटा RAMCO में दर्ज किया जाता है और फिर स्वचालित इंटरफ़ेस के माध्यम से SAP में जाता है, और वर्षों के दौरान हुए लेन-देन को विधिवत दर्ज किया गया है। कुछ पुरानी समस्याएं हैं क्योंकि इन्वेंट्री तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (AIL) के नियंत्रण में थी और विनिवेश के बाद कंपनी ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और पहली बार इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। परिणामस्वरूप, खातों की पुस्तकों में</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>समायोजन किए गए हैं और खातों के नोट संख्या 5.1 में इनका पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के सभी विवरण और डेटा लेखापरीक्षा दल को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही, खरीद, राजस्व, बिलिंग, लेखा-पुस्तकों और जीएसटी रिटर्न के बीच मिलान आदि से संबंधित सभी विवरण जीएसटी रिटर्न, आयकर रिटर्न, टीडीएस रिटर्न आदि के माध्यम से नियमित रूप से दाखिल किए गए हैं। कंपनी भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का पालन करती है। केंद्रीय एवं महाधिवक्ता विभाग, आयकर विभाग, जीएसटी विभाग आदि जैसे विभिन्न हितधारक कंपनी का लेखापरीक्षा कर रहे हैं और कंपनी को लेन-देन की पूर्णता और सटीकता को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य की अनुपलब्धता के संबंध में कभी कोई नोटिस आदि प्राप्त नहीं हुआ है।</p> |
| 2. | <p>इन्वेंट्री मूल्यांकन, अस्तित्व और नियंत्रण (Ind AS 2)</p> <p>वित्तीय विवरणों में इन्वेंट्री का मूल्यांकन SAP में दर्ज शेष राशि के आधार पर किया गया है। हालांकि, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियंत्रण कमियाँ और Ind AS 2 का अनुपालन न होना पाया गया:</p> <p>(ए) विमान संबंधी इन्वेंट्री ₹41.88 करोड़ और गैर-विमान इन्वेंट्री ₹2.41 करोड़</p> <p>विमान संबंधी मात्राएँ और मूल्य RAMCO में दर्ज किए जाते हैं, जबकि गैर-विमान इन्वेंट्री SAP में दर्ज की जाती है। RAMCO और SAP के अनुसार इन्वेंट्री शेष में निम्नलिखित कमियाँ/खामियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:</p> | <p>ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के रूप में सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन किया है और इसका मूल्य ₹ 969.39 मिलियन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने पाया है कि ₹ 969.39 मिलियन में से ₹ 550.60 मिलियन मूल्य के उपकरण पूंजीगत मदों की श्रेणी में आते हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान RAMCO में उपलब्ध खरीद मूल्य या लागत पर इनका पूंजीकरण किया गया है। तदनुसार, भौतिक रूप से सत्यापित सूची का मूल्य (RAMCO से प्राप्त) ₹ 418.79 मिलियन है, जबकि सूची का बही मूल्य ₹ 728.06 मिलियन है।</p>                                                                                                                                                                                                       |

| इन्वेंटरी के अनुसार                                                      | उद्घाटन (01.04.2024)     |                        | साल के दौरान             |                          | समापन शेष (31.03.2025)   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                          |                          |                        | डेबिट/रसीदें             | क्रेडिट/मुद्दे           |                          |                          |
|                                                                          | मात्रा                   | कीमत                   | कीमत                     | कीमत                     | मात्रा                   | कीमत                     |
| <b>RAMCO</b>                                                             | <b>4,27,008.62</b>       | <b>77,55,46,936.50</b> | <b>99,91,35,984</b>      | <b>-71,49,73,466</b>     | <b>6,00,847.47</b>       | <b>1,05,97,09,514.87</b> |
| फिजिकल<br>वेरिफिकेशन<br>(स्टॉक द्वारा<br>अंदरूनी तौर<br>पर किया गया)     |                          |                        |                          |                          | <b>3,83,514.47</b>       | <b>89,07,75,206.38</b>   |
| जोड़ें: सस्पेंस                                                          |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | 7,86,34,275.73           |
|                                                                          |                          |                        |                          |                          |                          | <b>96,94,09,482.11</b>   |
| कम पूंजीकृत                                                              |                          |                        |                          |                          |                          |                          |
| 2022-23 में                                                              |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | -7,25,72,364.74          |
| 2023-24 में                                                              |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | -7,07,22,390.77          |
| <b>02024-25 में: भौतिक सत्यापन से बाहर</b>                               |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | -34,93,37,620.30         |
| 2024-25 में                                                              |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | -5,79,66,020.99          |
|                                                                          |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | -55,05,98,396.80         |
| पूंजीकरण के<br>बाद शुद्ध<br>भौतिक मूल्य                                  |                          |                        |                          |                          | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | <b>41,88,11,085.31</b>   |
| <b>SAP*</b><br>(सिर्फ<br><b>RAMCO</b> से<br>माइग्रेट किया<br>गया वैल्यू) | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | <b>68,39,58,784.58</b> | <b>6,10,20,26,668.70</b> | <b>5,86,94,95,364.78</b> | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | <b>41,87,90,812.17</b>   |

\*\* AESL द्वारा 8.8.2025 की कार्यालय अधिसूचना के आधार पर समायोजन पारित किया गया है, जिस पर मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड की स्वीकृति के बिना हस्ताक्षर किए थे, जबकि कंपनी के शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी दस्तावेजों के अनुसार प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां बोर्ड के पास निहित हैं।

\*\*\* समायोजन केवल मूल्य के आधार पर किया गया है, मात्रा के अंतर पर विचार नहीं किया गया है। RAMCO के अनुसार मात्रा 600847.47 है और भौतिक मूल्य 383514.47 है। इसके अलावा, SAP वित्तीय आंकड़ों में सुधार किया गया है और चालू वर्ष और पिछले वर्षों में भी RAMCO में कोई सुधार प्रविष्टि नहीं की गई है।

RAMCO के अनुसार इन्वेंट्री का मूल्य ₹105.97 करोड़ है, जबकि SAP के अनुसार शेष राशि ₹72.80 करोड़ (₹41.88 करोड़ की शुद्ध कटौती के बाद) है, जिसे वास्तविक इन्वेंट्री बहीखातों में वर्गीकृत किए बिना गैर-विमान इन्वेंट्री के एक ही बहीखाते में दर्ज किया गया है, और वित्तीय विवरणों में भी इन्वेंट्री नोट्स में इसे सही ढंग से वर्गीकृत नहीं किया गया है।

नोट "5": इन्वेंट्री

(मिलियन रुपये)

| विवरण                                                           | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक | 01 अप्रैल, 2023 तक |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| स्टोर और स्पेयर पार्ट्स                                         | 436.97            | 17.42             | 17.46              |
| खुले उपकरण                                                      | -                 | 402.76            | 431.60             |
| ईंधन, गैस, कोयला, तेल और लुब्रिकेंट्स                           | 5.90              | 0.55              | 0.55               |
| गैर-विमान                                                       | -                 | 6.38              | 6.38               |
| इन्वेंट्री                                                      | -                 | 6.38              | 6.38               |
| अन्य इन्वेंट्री                                                 | -                 | 256.84            | 148.40             |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>442.87</b>     | <b>683.96</b>     | <b>604.39</b>      |
| घटाएँ: इन्वेंट्री समाधान के लिए प्रावधान (नोट संख्या 5.1 देखें) | 26.38             | 500.00            | 500.00             |
|                                                                 |                   |                   |                    |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>416.49</b>     | <b>183.96</b>     | <b>104.39</b>      |

मिलियन है (418.79 मिलियन - 728.06 मिलियन)। वित्त वर्ष 2022-23 में इन्वेंट्री के मूल्य में संभावित कमी के लिए किए गए ₹500.00 मिलियन के प्रावधान में से ₹309.27 मिलियन की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है। इसके अतिरिक्त, दुकानों/परिवहन में मौजूद ₹52.76 मिलियन की इन्वेंट्री का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के अधीन इन्वेंट्री में संभावित कमी के लिए ₹52.76 मिलियन का 50% यानी ₹26.38 मिलियन का प्रावधान बरकरार रखा गया है। उपरोक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, ₹164.35 मिलियन (अर्थात ₹500.00 मिलियन में से ₹309.27 मिलियन और ₹26.38 मिलियन घटाने पर) की राशि वापस बट्टे खाते में डाल दी गई है। पूंजीकरण के लिए आवश्यक समायोजन RAMCO में उपलब्ध खरीद मूल्य (यदि कोई आकस्मिक लागत हो तो उसे छोड़कर) पर किए गए हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शामिल वस्तुओं की संख्या कई वर्षों की अवधि में खरीदी गई 10,000 से अधिक थी। इस तथ्य का उचित रूप से लेखा-जोखा के नोट संख्या 5.1 में उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इन्वेंट्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के खातों को प्रस्तुत करते समय इसकी सूचना लेखापरीक्षा समिति/निदेशक मंडल को पहले ही दे दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक कमी को नियमित करने के लिए परिणामी समायोजन किए गए हैं। ये समायोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (जो कंपनी के दैनिक कार्यों की देखरेख के प्रभारी हैं) की स्वीकृति से, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) और खरीद प्रमुख (सीओपी) की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं।



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(ए) (i) कंपनी ने पिछले वर्षों (वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024) में इन्वेंट्री की कमी के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया था, जिसमें से ₹16.44 करोड़ चालू वर्ष में एक ही इन्वेंट्री खाते के माध्यम से इस आधार पर उलट दिए गए कि कुछ इन्वेंट्री मर्दे वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खरीदी गई अचल संपत्तियों (औजारों) का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा, ₹55.05 करोड़ की कुल परिसंपत्तियों को इन्वेंट्री से पूंजीकृत किया गया, जो पूरी तरह से RAMCO से प्राप्त मूल्यों पर आधारित था, बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के। यह परिसंपत्ति पूंजीकरण के मूल सिद्धांतों के विपरीत है, जिसके लिए दस्तावेजीकरण द्वारा समर्थित सभी सीधे तौर पर आरोपित लागतों को शामिल करना आवश्यक है। हम वित्तीय विवरणों पर इन अंतरों के प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ थे।</p> <p>(ii) RAMCO की इन्वेंट्री रिपोर्ट में कुछ ऐसी मर्दे हैं जो सकारात्मक मात्रा लेकिन नकारात्मक मूल्य या सकारात्मक मूल्य के साथ नकारात्मक मात्रा और महत्वपूर्ण मूल्य के साथ शून्य मात्रा या महत्वपूर्ण मात्रा के साथ न्यूनतम मूल्य दर्शाती हैं।</p> <p>RAMCO की इन्वेंट्री रिपोर्ट में कई वस्तुओं को अनुपयोगी, ग्राहक के स्वामित्व वाली, उपकरण, वापसी योग्य/विनिमय योग्य, उधार या किराए पर दी गई के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन उनका वास्तविक स्थान और मूल्य/मात्रा सत्यापित नहीं किया जा सकता है। SAP/RAMCO सिस्टम में गतिविधियाँ अधूरी, गलत तरीके से अपडेट की गई या दर्ज नहीं की गई प्रतीत होती हैं, जिससे ऑडिट ट्रेल अपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए - गैर-विमान इन्वेंट्री का रखरखाव मैनुअल रूप से किया जाता है, - घरेलू अचल संपत्तियों (जैसे डेस्कटॉप) को मैनुअल अनुमोदन, GEM</p> | <p>शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मौजूदा दस्तावेज के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति/ निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।</p> <p>इसके अलावा, लेन-देन की सही रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जा चुके हैं। हालांकि, रामको के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव आवश्यक हैं, जो समय आने पर एसएपी में आवश्यक समायोजन के साथ किए जाएंगे।</p> <p>बी) कंपनी की इन्वेंट्री संबंधी नीति इस प्रकार है: "इन्वेंट्री में विभिन्न भंडार और अतिरिक्त सामान शामिल होते हैं, जिनका मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य ('एनआरवी') में से जो भी कम हो, उसके आधार पर किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत भारत औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित विक्रय मूल्य में से बिक्री पूरी करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाने के बाद प्राप्त राशि को दर्शाता है।" भारत औसत की गणना सिस्टम द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए नमूना मामले भी लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं।</p> <p>सी) कृपया ऊपर दिए गए "ए" में हमारे उत्तर को देखें, अर्थात् कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के रूप में सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और इसका मूल्य ₹ 969.39 मिलियन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने पाया है कि ₹ 969.39 मिलियन में से ₹ 550.60 मिलियन के उपकरण पूंजीगत मर्दों की श्रेणी में आते हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान RAMCO में उपलब्ध खरीद मूल्य या लागत पर इनका पूंजीकरण</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>पोर्टल ऑर्डर के माध्यम से दर्ज किया जाता है, - कुछ कार्य आदेश मैनुअल रूप से दर्ज किए जाते हैं।</p> <p>50,000 से अधिक इन्वेंट्री आइटम, जिनमें ₹5,000 से कम मूल्य की ₹2.89 करोड़ की छोटी-मोटी संपत्तियां शामिल हैं, जिनका व्यय किया गया है, भौतिक रूप से सत्यापित नहीं हैं। कई वस्तुओं का मूल्य ₹1 या ₹2 से कम है, इसलिए इन वस्तुओं के अस्तित्व, पूर्णता और मूल्यांकन का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>बी) लेखांकन नीति के अनुसार इन्वेंट्री मूल्यांकन भारित औसत आधार पर किया जाता है; हालांकि, सत्यापन के लिए सहायक ईआरपी रिपोर्ट और गणना तर्क उपलब्ध नहीं कराए गए।</p> <p>सी) इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन से RAMCO रिपोर्ट, SAP रिपोर्ट और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में विसंगतियां पाई गईं। ये अंतर अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं, और वित्तीय विवरणों में दर्ज इन्वेंट्री मूल्य का सत्यापन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>डी) 161 गोदामों में ₹89.07 करोड़ के माल का भौतिक सत्यापन किया गया, लेकिन मात्रा, उत्पाद संख्या और पार्ट नंबर जैसी सहायक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ₹7.86 करोड़ के ऐसे माल का सत्यापन नहीं हो पाया जो दुकानों/परिवहन में था और जिसकी मात्रा/गोदाम की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिससे कुल योग ₹96.94 करोड़ हो जाता है।</p> <p>विभिन्न स्थानों से ईमेल प्राप्त होने पर AIESL द्वारा भौतिक सत्यापन को समेकित किया गया। हमें सभी गोदामों से भौतिक सत्यापन डेटा के ईमेल प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, सत्यापन के लिए कोई सामान्य प्रारूप नहीं था और मात्रा को संख्यात्मक डेटा के बजाय लिखित टिप्पणियों ("उपलब्ध," "आंशिक रूप से उपलब्ध," "उपलब्ध नहीं," "वैकल्पिक उपलब्ध") के साथ</p> | <p>किया गया है। तदनुसार, भौतिक रूप से सत्यापित सूची का मूल्य (RAMCO से प्राप्त) ₹ 418.79 मिलियन है, जबकि सूची का बही मूल्य ₹ 728.06 मिलियन है। अतः, भौतिक शेष और बही शेष के बीच का अंतर ₹ 309.27 मिलियन (₹ 418.79 मिलियन - ₹ 728.06 मिलियन) है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में इन्वेंट्री के मूल्य में संभावित कमी के लिए किए गए ₹500.00 मिलियन के प्रावधान में से ₹309.27 मिलियन की राशि बढ़े खाते में डाल दी गई है। इसके अतिरिक्त, दुकानों/परिवहन में मौजूद ₹52.76 मिलियन की इन्वेंट्री का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के अधीन इन्वेंट्री में संभावित कमी के लिए ₹52.76 मिलियन का 50% यानी ₹26.38 मिलियन का प्रावधान बरकरार रखा गया है। उपरोक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, ₹164.35 मिलियन (अर्थात ₹500.00 मिलियन में से ₹309.27 मिलियन और ₹26.38 मिलियन घटाने पर) की राशि वापस बढ़े खाते में डाल दी गई है।</p> <p>डी) निरीक्षण में उल्लिखित सभी मदों के लिए उचित अभिलेख रखे जाते हैं, जैसे कि पारगमन में माल (आयात/घरेलू), तृतीय पक्षों के पास पड़ा AIESL का स्टॉक और AIESL के पास पड़ा अन्य पक्षों का स्टॉक (भारत के भीतर और बाहर), हैंगर, मरम्मत कार्यशालाओं और वर्कस्टेशनों पर चल रहे कार्य (खुले कार्य/कार्य आदेश)। ये अभिलेख फ्लोर शॉप, टूल स्टोर आदि में रखे जाते हैं। इनमें से कुछ की स्कैन प्रतियां लेखापरीक्षा दल को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, धीमी गति से बिकने वाले, निष्क्रिय और अनुपयोगी स्टॉक, उपभोग/उपभोग की गई वस्तुओं की लागत, वापसी योग्य चालानों के तहत मरम्मत/कार्य लेनदेन आदि की निगरानी के लिए प्रणाली प्रत्येक स्टेशन, संबंधित विभाग, दुकानों आदि में रखी जाती है। इनमें टूल मूवमेंट रजिस्टर, अनुपयोगी</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>उल्लेख किया गया था, जिससे केवल पाठ से आंकड़ों को समेकित और अलग करने में त्रुटि की संभावना थी। कट-ऑफ तिथियों का लगातार पालन नहीं किया गया; कुछ सत्यापन 31 मार्च 2025 से महीनों पहले यानी फरवरी 2025 में और कुछ 31 मार्च 2025 के बाद यानी मई या सितंबर 2025 में किए गए।</p> <p>भौतिक सत्यापन पत्रक में RAMCO और भौतिक मात्रा का उल्लेख था, जिसमें अंतर स्तंभ का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, लेकिन मात्रा का अंतर सही नहीं था, उदाहरण के लिए, जहां RAMCO और भौतिक मात्रा समान थी, वहां भी अंतर दिखाया गया था।</p> <p>RAMCO का सही/पूर्ण डेटा भौतिक मात्रा, स्थिति (अनुपयोगी, आवंटित/निर्धारित मात्रा) और स्थिति (स्वामित्व वाला/ग्राहक के स्वामित्व वाला) के साथ उल्लिखित नहीं है।</p> <p>अंतर कुल मिलाकर कमी के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मात्रा में कमी भी होती है और अधिकता भी।</p> <p>ई) वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान इन्वेंट्री से पूंजीकृत की गई ₹55.05 करोड़ की संपत्तियां वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित हैं, लेकिन इनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड, सहायक दस्तावेज, पूंजीकरण की सटीक तिथियां और मूल्यहास प्रारंभ तिथियां उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप, मूल्यहास गणनाओं का सत्यापन नहीं हो सका। कुछ संपत्तियों की उपयोगी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी हो सकती है, और जिन मदों का पता नहीं चल पाया है, उनकी पहचान अभी बाकी है।</p> | <p>टूल सूची, यहां तक कि टूल की अंतिम सर्विसिंग और अगली सर्विसिंग की तारीख जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होती है। इन विवरणों का समय-समय पर DGCA द्वारा लेखापरीक्षा भी की जाती है। अनुपयोगी/निष्क्रिय स्टॉक का यदि कोई लेखांकन प्रभाव होता है, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद अगले वर्ष में उस पर विचार किया जाएगा।</p> <p>ई) ₹ 550.60 मिलियन मूल्य के उपकरण पूंजीगत मदों की प्रकृति के हैं और इन्हें वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान RAMCO में उपलब्ध खरीद मूल्य या लागत पर पूंजीकृत किया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों पर RAMCO में उनके अधिग्रहण/दर्ज होने की तिथि से मूल्यहास लगाया गया है और कंपनी अधिनियम के अनुसार उनका मूल्यहास लिया गया है। खातों के नोट संख्या 5.1 में उल्लिखित अज्ञात मदों को अपलिखित कर दिया गया है।</p> <p>मूल्यहास से संबंधित सभी विवरण और गणना सहित पूरी जानकारी एक्सेल शीट में लेखापरीक्षा दल को प्रदान कर दी गई है।</p> <p>एफ) लेखापरीक्षा के दौरान नोट शीट आदि सहित सभी विवरण लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिए गए हैं। कंपनी ने विभिन्न बहीखातों, आपूर्तिकर्ता के लंबित खातों, विक्रेताओं के सकल खातों, ग्राहक कोड/संचय खातों, कुछ नियंत्रण बहीखातों, जीआरआईआर खातों, विक्रेताओं से प्राप्त सुरक्षा जमा राशि आदि की गहन जांच की है। तदनुसार, सकल खातों में मुख्य रूप से गलत समायोजन/समाशोधन या बिना किसी सहायक दस्तावेज के शेष राशि के कारण अचल मदों के लिए उचित लेखा समायोजन किए गए हैं।</p> <p>जी) 2.41 करोड़ रुपये की गैर-विमान सामग्री में स्टेशनरी, वर्दी, ईंधन आदि का स्टॉक शामिल है, जिसका रिकॉर्ड स्टेशनों पर स्थित भंडारण</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | <b>मात्रा</b>                           | <b>कीमत</b>      | <p>स्थानों पर मैनुअल रूप से रखा जाता है। 2.41 करोड़ रुपये की यह राशि इन सामग्रियों का अंतिम मूल्य दर्शाती है। पहले इन मदों को राजस्व मद में शामिल किया जाता था। वर्ष के अंत में, अंतिम शेष राशि के बराबर राशि को राजस्व मद में शामिल कर लिया गया है।</p> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पूँजीकृत                           | मात्रा उपलब्ध नहीं है                   | -55,05,98,396.80 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-23 में                        |                                         | -7,25,72,364.74  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-24 में                        |                                         | -7,07,22,390.77  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024-25 में: भौतिक सत्यापन से बाहर |                                         | -34,93,37,620.30 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024-25 में                        |                                         | -5,79,66,020.99  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <p>एफ) कंपनी पारगमन में माल (घरेलू और आयात), तीसरे पक्षों के पास पड़े इन्वेंट्री (भारत के भीतर और बाहर), कंपनी के पास पड़े तीसरे पक्ष के इन्वेंट्री, खुले कार्यों और कार्य आदेशों से संबंधित कार्य प्रगति पर, धीमी गति से बिकने वाले, अप्रचलित और अनुपयोगी इन्वेंट्री, उपभोग/उपभोग किए गए माल की लागत, और वापसी योग्य चालानों के तहत मरम्मत या कार्य-कार्य लेनदेन के लिए उचित रिकॉर्ड नहीं रखती है।</p> <p>जी) ₹2.41 करोड़ की गैर-विमान संबंधी इन्वेंट्री को ईआरपी सिस्टम से बाहर मैनुअल रूप से रखा जाता है। इन बैलेंस का सत्यापन नहीं किया जा सका है और कई आइटम कई वर्षों से अपरिवर्तित हैं।</p> |                                    |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>जीएल</b>                        | <b>विवरण</b>                            | <b>31.3.23</b>   | <b>31.3.24</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31.3.25</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2211003230                         | गैर विमान सूची                          | 63,80,006        | 63,80,006                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2211003040                         | ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक         | 5,52,589         | 5,52,589                                                                                                                                                                                                                                                 | 59,03,347           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2211003000</b>                  | <b>इनफ्लाइट और होटल आइटम कंज्यूमेबल</b> | <b>1,24,993</b>  | <b>1,24,993</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41,87,90,812</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2211003080                         | डीआईटी स्पेयर्स                         | 1,58,902         | 1,58,902                                                                                                                                                                                                                                                 | -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2211003090                         | वाणिज्यिक स्टोर                         | 89,38,995        | 89,04,315                                                                                                                                                                                                                                                | 35,92,567           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2211003100                         | यूनिफॉर्म स्टोर                         | 79,31,025        | 79,31,025                                                                                                                                                                                                                                                | 1,24,41,049         |

|            |                             |             |             |                     |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2211003120 | प्रिंटिंग और स्टेशनरी स्टोर | 3,05,027    | 3,05,027    | 21,42,078           |
|            |                             | 2,43,91,538 | 2,43,56,858 | 44,28,69,854        |
|            | <b>कम</b>                   |             |             | <b>41,87,90,812</b> |
|            | <b>जाल</b>                  |             |             | <b>2,40,79,042</b>  |

नीचे दी गई तालिका उपरोक्त नोट्स के लिए कार्य स्रोत के रूप में दी गई है।

| जीएल       | जीएल विवरण                      | बीएस का संतुलन     | रीजनल कन्फर्मेशन के अनुसार बनाए रखें | बढ़ना घटना       |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2211003100 | यूनिफॉर्म स्टोर                 | 79,31,025          | 1,24,41,049                          | 45,10,024        |
| 2211003120 | प्रिंटिंग और स्टेशनरी स्टोर     | 3,05,027           | 21,42,078                            | 18,37,051        |
| 2211003090 | वाणिज्यिक स्टोर                 | 89,04,315          | 35,92,567                            | -53,11,748       |
| 2211003040 | ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक | 5,52,589           | 59,03,347                            | 53,50,758        |
|            |                                 | <b>1,76,92,956</b> | <b>2,40,79,042</b>                   | <b>63,86,086</b> |

RAMCO से SAP में स्थानांतरित किए गए सस्पेंस खातों और GRIR शेष सहित भौतिक शेषों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन अंतर्निहित अभिलेखों की अनुपलब्धता, सीमित सिस्टम पहुंच और वित्त कार्य के नियंत्रण से बाहर के परिचालन विभागों पर निर्भरता के कारण नहीं किया जा सका।

3.

कर्मचारी लागत और वेतन नियंत्रण कंपनी के खर्चों में कर्मचारी लागत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। SAP में पेट्रोल मॉड्यूल उपलब्ध होने के बावजूद, विभिन्न स्थानों पर उपस्थिति और अवकाश के रिकॉर्ड मैनुअल रूप से रखे जाते हैं। आंतरिक ऑडिट के निष्कर्षों के अनुसार, मानव संसाधन रिकॉर्ड के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या 4,636 थी, जबकि मार्च 2025 का वेतन केवल 5,104 कर्मचारियों के लिए ही प्रोसेस किया गया था। इसके अलावा, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की जानकारी मानव संसाधन मॉड्यूल में वास्तविक समय के आधार पर अपडेट नहीं की जाती है, जिससे सेवा समाप्ति के बाद वेतन प्रोसेसिंग में समस्या आने का खतरा बना रहता है। इन नियंत्रण संबंधी कमियों से कर्मचारी लागत की सटीकता और पूर्णता प्रभावित होती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई संख्या 4646 थी। सीएचआरओ ने आगे स्पष्ट किया है कि इस संख्या में आरओसी कर्मचारी शामिल नहीं थे और 1 मार्च को कुल संख्या 5132 थी, जबकि मार्च 2025 के लिए तैयार की गई वेतन सूची में यह संख्या उससे भिन्न है।

इसके अलावा यह भी बताया गया है कि मानव संसाधन और वित्त दोनों विभागों के लिए सूचना का स्रोत एक ही है, अर्थात् SAP। दोनों आंकड़ों में अंतर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबी अनुपस्थिति के दौरान वेतन का भुगतान न होना आदि।

इसके अलावा, कंपनी इस तरह की किसी भी घटना से बचने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को लागू करने और छुट्टी/अनुपस्थिति/सेवामुक्ति के आंकड़ों को वेतन प्रणाली के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4.</b></p> | <p>आपूर्तिकर्ता सस्पेंस, जीआरआईआर बैलेंस और राइट-बैक</p> <p>माल और सेवाओं से संबंधित वे लेन-देन जिनके बिल अभी तक जारी नहीं हुए हैं, RAMCO में आपूर्तिकर्ता बकाया और SAP में GRIR के रूप में दर्शाए जाते हैं। ये बकाया राशियाँ अंतरिम प्रकृति की होने के कारण सामान्यतः शून्य होनी चाहिए या उनका पूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए। हालांकि, कई डेबिट और क्रेडिट बकाया राशियाँ कई वर्षों से समायोजित नहीं की गई हैं। कंपनी ऐसी बकाया राशियों, जिनमें डेबिट बकाया राशियाँ भी शामिल हैं, की समय-समय पर शुद्ध वापसी (राइट-बैक) करने की प्रक्रिया का पालन करती है। एक विशिष्ट डेबिट बकाया राशि ₹7.87 करोड़ थी, जो एक विदेशी विक्रेता (हैमिल्टन संडस्टैंड) से संबंधित थी और वित्त वर्ष 2020-21 से बकाया थी। इसे वर्ष के दौरान बिना मिलान, पुष्टि या सहायक दस्तावेज़ के वापस कर दिया गया। हम इस तरह की वापसी की उपयुक्तता और प्रभाव का सत्यापन करने में असमर्थ रहे।</p> | <p>ऑडिट के दौरान नोट शीट आदि सहित सभी विवरण ऑडिट टीम को उपलब्ध करा दिए गए हैं। कंपनी ने विभिन्न लेजर, आपूर्तिकर्ता सस्पेंस खाते, विक्रेता के जीएल, ग्राहक कोड/जीएल, कुछ नियंत्रण लेजर, जीआरआईआर खाते, विक्रेताओं से प्राप्त सुरक्षा जमा आदि की गहन जांच की है। तदनुसार, जीएल में गैर-चलित मदों के लिए उचित लेखा समायोजन किए गए हैं, मुख्य रूप से गलत समायोजन/समाशोधन या बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के शेष राशि के कारण, जिसमें 2020-21 में पूर्ववर्ती एआईएल से स्थानांतरित 7.87 करोड़ रुपये का डेबिट बैलेंस भी शामिल है।</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>5.</b></p> | <p>पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन</p> <p>पिछले कई वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24) के वित्तीय विवरणों को पिछली अवधि की त्रुटियों की पहचान के कारण पुनर्चित किया गया था। इसके अलावा, कुछ वित्तीय वर्षों को एक से अधिक बार पुनर्चित किया गया है, जिनमें वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2022-23 शामिल हैं, जिन्हें एक से अधिक बार की अवधियों में पुनर्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों को फिर से पुनर्चित किया गया है। बार-बार होने वाले पुनर्चितीकरणों ने मुख्य रूप से अन्य वित्तीय देनदारियों, व्यापार देयताओं (प्रत्येक वर्ष पुनर्चित) और व्यापार प्राप्य, अन्य चालू देनदारियों और राजस्व जैसी मदों को कई वर्षों में प्रभावित किया है। वर्षों में एक ही प्रकार</p>                                      | <p>IndAS – 8 “लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां” त्रुटियों के सुधार को अपवाद के रूप में नहीं बल्कि अवलोकन में बताए गए अनुसार एक आवर्ती अभ्यास के रूप में परिकल्पित करता है।</p> <p>इसमें कहा गया है कि पूर्व अवधि की त्रुटियाँ, एक या अधिक पूर्व अवधियों के लिए संस्था के वित्तीय विवरणों में चूक और गलत बयान हैं, जो विश्वसनीय जानकारी के उपयोग में विफलता या दुरुपयोग से उत्पन्न होती हैं:</p> <p>(क) उन अवधियों के लिए वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाने के समय उपलब्ध था; और (ख) उन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में इसे प्राप्त करने और ध्यान में रखने की यथोचित रूप से अपेक्षा की जा सकती थी।</p> <p>इस प्रकार की त्रुटियों में गणितीय गलतियों के प्रभाव, लेखांकन नीतियों को लागू करने में गलतियाँ,</p> |



की बार-बार होने वाली त्रुटियां निम्नलिखित संकेत देती हैं:

- कमजोर आंतरिक नियंत्रण,
- दोषपूर्ण लेखा प्रणाली,
- विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग का अभाव।

यद्यपि IndAS – 8 (पैरा 5 और 42) पिछली अवधि की त्रुटियों की पहचान होने पर उन्हें सुधारने की अनुमति देता है, मानक सिद्धांत-आधारित हैं, अनुमति-आधारित नहीं, और स्पष्ट रूप से यह मानते हैं कि: त्रुटियां कभी-कभार होती हैं; त्रुटियां चूक या गलती के कारण उत्पन्न होती हैं। यह पुनरावृत्ति को वैध नहीं ठहराता। कई वर्षों में एक ही शेष राशि का बार-बार पुनर्कथन: तुलनीयता भंग करता है (IndAS 1)। बार-बार पुनर्कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण स्थायी रूप से अनंतिम रहेंगे, जो एसए 315, एसए 330, एसए 700 और एसए 705 के अंतर्गत अनुपालन नहीं है। कई रिपोर्टिंग अवधियों और प्रमुख वित्तीय विवरण मदों में पुनर्कथन की बार-बार और आवर्ती प्रकृति कंपनी की लेखांकन प्रक्रियाओं, प्रणालियों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कमियों को इंगित करती है। पुनर्कथन काफी हद तक पूर्ण मिलान, पुष्टि, भौतिक सत्यापन या स्वतंत्र लेखापरीक्षा साक्ष्य के बजाय प्रबंधन समायोजन पर आधारित थे, और वर्ष-दर-वर्ष सुधार और उलटफेर जारी हैं, जो इंड एस 8 के आशय के अनुरूप नहीं हैं।

तथ्यों की अनदेखी या गलत व्याख्या और धोखाधड़ी शामिल हैं।

और जैसा कि स्वयं अवलोकन में उल्लेख किया गया है कि विरासत शेष, मिलान अंतराल, प्रणालीगत सीमाओं और नियंत्रण कमियों से संबंधित अंतर्निहित कारण अभी भी अनसुलझे हैं, जो चालू वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं और विभिन्न विरासत शेषों के कारण मिलान के आधार पर ऐसा सुधार किया गया है और IndAS – 8 के अनुसार पूर्वव्यापी पुनर्कथन द्वारा वित्तीय विवरणों के तत्वों की राशियों की पहचान, माप और प्रकटीकरण को इस प्रकार सही किया गया है जैसे कि पिछली अवधि की त्रुटि कभी हुई ही न हो।

इसके अलावा, जैसा कि IndAS – 8 के पैरा 5 और 42 के बारे में टिप्पणी में कहा गया है, इस संबंध में हम यह बताना चाहेंगे कि पैरा 5 IndAS में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा है और पैरा 42 में कहा गया है कि अनुच्छेद 43 के अधीन रहते हुए, एक इकाई को पिछली अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को, उनकी खोज के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में, पूर्वव्यापी रूप से ठीक करना होगा:

- (क) त्रुटि होने वाली पिछली अवधि (अवधियों) के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत करना; या
- (ख) यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे पूर्व अवधि से पहले हुई हो, तो प्रस्तुत की गई सबसे पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इकिटी के प्रारंभिक शेषों को पुनः प्रस्तुत करना।

कंपनी ने उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर ही वित्तीय विवरणों को पुनर्संरचित किया है।

जैसा कि ऊपर दिए गए बिंदुओं में भी बताया गया है, कंपनी ने विभिन्न बहीखातों, आपूर्तिकर्ता के लंबित खातों, विक्रेताओं के सकल खातों, ग्राहकों के कोड/संचय खातों, कुछ नियंत्रण बहीखातों, जीआरआईआर खातों, विक्रेताओं से प्राप्त सुरक्षा

जमा राशि आदि की गहन जांच की है। तदनुसार, सकल खातों में मुख्य रूप से गलत समायोजन/समाशोधन या बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के शेष राशि के कारण गतिहीन मदों के लिए उचित लेखा समायोजन किए गए हैं।

| 2019-20 से प्रभावित           | बिल दे पाने में<br>24-25 में | बिल दे पाने में<br>24-25 में | बिल दे पाने में<br>23-24 में | बिल दे पाने में<br>22-23 में | बिल दे पाने में<br>21-22 में | बिल दे पाने में<br>20-21 में | बिल दे पाने में<br>19-20 में | बिल दे पाने में<br>18-19 में | बिल दे पाने में<br>17-18 में |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                               | 31.3.24                      | 31.3.24                      | 31.3.23                      | 31.3.23                      | 31.3.22                      | 31.3.22                      | 31.3.21                      | 31.3.21                      | 31.3.20                      |
| (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण |                              |                              |                              |                              | 5,923.07                     | 5,887.08                     | 530.99                       | 487.96                       |                              |
| (i) इन्वेंटरी                 |                              |                              |                              |                              | 606.22                       | 684.54                       | 749.92                       | 828.24                       |                              |
| क) व्यापार प्राप्य            | 12,900.27                    | 12,764.27                    | 8,424.91                     | 8,315.66                     | 8,166.44                     |                              | 12,799.78                    | 12,531.10                    |                              |
| ई) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ    | 40.72                        | 25.12                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| iii) वर्तमान कर संपत्तियाँ    |                              |                              |                              |                              | 1,046.73                     | 1,085.04                     | 751.65                       | 780.72                       |                              |
| iv) अन्य चालू संपत्तियाँ      |                              |                              |                              |                              | 158.87                       | 160.67                       | 186.27                       | 188.07                       |                              |
| iv) अन्य इक्विटी              | -6,851.83                    | -7,600.37                    | -9,235.87                    | -9,413.65                    | -9,566.87                    | -15,862.00                   | -15,481.79                   | -24,154.55                   | -23,921.58                   |
| ii) गैर-वर्तमान प्रावधान      |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 7,070.30                     |
| व्यापार देय - एमएसएमई         |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 7.10                         |
| - एनरखण्ड के अलावा            | 2,283.43                     | 2,198.03                     | 1,475.00                     | 1,390.60                     | 1,875.47                     | 3,881.17                     | 4,044.71                     | 5,930.61                     | 6,094.44                     |
| c) अन्य वित्तीय देयता         | 812.49                       | 954.83                       | 600.03                       | 757.97                       | 648.16                       | 767.36                       | 613.51                       | 19,371.58                    | 19,072.20                    |
| ii) वर्तमान प्रावधान          |                              |                              |                              |                              | 1,376.70                     | 1,369.11                     |                              | 2,668.03                     | 2,580.00                     |
| iii) अन्य चालू देयताएँ        |                              |                              | 947.72                       |                              | 572.65                       | 322.15                       | 22.26                        | 3,006.49                     | 2,706.62                     |
| परिचालन से राजस्व             | 20,906.57                    | 20,879.83                    | 19,799.43                    | 19,683.24                    | 19,534.02                    |                              | 11,589.49                    | 11,600.19                    |                              |
| अन्य कमाई                     |                              |                              | 837.14                       |                              | 764.59                       |                              | 430.00                       | 255.24                       |                              |
| मूल्यह्रास और परिशोधन         |                              |                              |                              |                              |                              | 613.45                       | 606.42                       | 146.55                       | 115.20                       |
| अन्य खर्च                     |                              |                              |                              |                              |                              | 5,306.96                     | 5,167.03                     | 3,801.43                     | 3,434.84                     |
| असाधारण वस्तुएँ               |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 516.20                       |

6.

राजस्व की पहचान और बिना बिल वाला राजस्व (IndAS-115)

राजस्व पहचान, जिसमें अप्रतिबंधित राजस्व, प्रावधान और बाद के बिलिंग समायोजन शामिल हैं, परिचालन डेटा, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और ग्राहक स्वीकृति पर निर्भर करती है। RAMCO में दर्ज अनुबंध पूर्णता मील के पथर जैसे ग्राहक/कार्य आदेश की स्थिति, कार्य, मानव घंटे और खपत के साथ कार्य, जिनका डेटा/मिलान उपलब्ध/सत्यापित नहीं है और न ही SAP के साथ पूरी तरह से सिंक्रनाइज़ है। अप्रतिबंधित राजस्व की पहचान अगले वर्ष जून तिमाही में वास्तविक बिलिंग के आधार पर की जाती है, जिसे सीधे ग्राहक के खाते में बुक किया जाता है और आय वास्तविक बिलिंग के समान होती है, न कि प्रावधान जीएल के आधार पर, जो ग्राहकों और उनके अग्रिमों के वास्तविक शेष को गलत तरीके से दर्शाता है या नहीं दिखाता है। ग्राहक से अग्रिम/ग्राहक डेबिट शेष शून्य या कम दिखाई देगा, जबकि वास्तव में कुछ शेष राशि होती है, जो राजस्व पहचान नीति में असंगति और

कंपनी ने राजस्व की पहचान और बिलिंग के लिए IndAS -115 का पूरी तरह से अनुपालन किया है, साथ ही जीएसटी कानून का भी अनुपालन किया गया है।

इसके अलावा, यह बात बिल्कुल सही है कि राजस्व पहचान, जिसमें अप्रतिबंधित राजस्व, प्रावधान और बाद के बिलिंग समायोजन शामिल हैं, परिचालन डेटा, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और ग्राहक स्वीकृति, RAMCO में दर्ज अनुबंध पूर्णता मील के पथर जैसे ग्राहक/कार्य आदेश की स्थिति, कार्य, मानव घंटे और खपत के साथ कार्य, डेटा/समाधान पर निर्भर करती है। ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम को नोट शीट आदि सहित सभी विवरण प्रदान किए गए हैं और ये विवरण मुख्य रूप से उन स्टेशनों पर उपलब्ध हैं जहां कार्य निष्पादित किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय प्रदर्शन का बेहतर अवलोकन और समझ प्राप्त करने के लिए तिमाही खातों का संकलन शुरू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, सभी अप्रतिबंधित राजस्व को लेखा-पुस्तकों में विधिवत दर्ज किया गया है और



अस्पष्टता दर्शाती है। शेष पुष्टि के अभाव में अग्रिमों सहित ग्राहक शेष की वास्तविक स्थिति सत्यापित नहीं की जा सकती।

विक्रेता द्वारा प्रमाणित इनवॉइस के आंतरिक रूप से लंबित होने या पूर्णता प्रमाण पत्र/ग्राहक स्वीकृति के कारण भी बिल रहित राजस्व दर्ज किया जाता है। यह एक गलत प्रक्रिया है और बिल रहित राजस्व का आधार नहीं हो सकती।

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिल न किए गए मदों को समय पर मान्यता नहीं दी गई/बुक नहीं किया गया, क्योंकि बोर्डिंग के ऋण आदेश (2022-23 से संबंधित) का हिसाब नहीं रखा गया था और एयर इंडिया के 33 करोड़ रुपये के क्रेडिट नोट और चालान (फरवरी 2022 से 2023-24 से संबंधित) 2021-22 से 2023-24 में बुक नहीं किए गए थे। बिल न किए गए मदों को बुक किया गया और हमारे द्वारा उजागर किए जाने के बाद आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया।

एमके एंटरप्राइजेज के सितंबर 2023 के स्क्रेप बिलिंग का बिल 30.4.2025 को 21.30 लाख रुपये का बनाया गया, जबकि भुगतान 30.9.2023 को प्राप्त हुआ। माल की डिलीवरी मैनुअल चालान पर की गई थी, जिसमें लेखांकन नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है क्योंकि समायोजन प्रविष्टि बिना बिल वाले राजस्व खाते के माध्यम से की गई है।

ये परीक्षण के उदाहरण हैं और हम ऐसे किसी भी उदाहरण और मात्रा का सटीक अनुमान लगाने में असमर्थ हैं।

इन प्रथाओं से राजस्व की पहचान पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप राजस्व, प्राप्य राशियों और लाभ के विवरण में महत्वपूर्ण त्रुटियां हो सकती हैं।

मार्च 2025 के अंत में नोट संख्या 6.1 के तहत इसका खुलासा किया गया है। कुल अप्रतिबंधित प्राप्य राशि 93.05 करोड़ रुपये है, जबकि मार्च 2024 को यह 195.60 करोड़ रुपये थी। प्रारंभिक अप्रतिबंधित प्राप्य और समापन अप्रतिबंधित प्राप्य का पूर्ण मिलान लेखा परीक्षकों को प्रदान कर दिया गया है। सुश्री एम.के. एंटरप्राइजेज की सितंबर 2023 की स्क्रेप बिक्री रसीद का विवरण भी अप्रतिबंधित राजस्व विवरण में शामिल किया गया था, क्योंकि संबंधित उपयोगकर्ता विभाग से आवश्यक बिलिंग विवरण देर से प्राप्त होने के कारण स्क्रेप बिलिंग में देरी हुई थी। चूंकि इस लेनदेन के लिए जीएसटी चालान अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, इसलिए इसे 31.03.2025 तक के अप्रतिबंधित राजस्व में शामिल करना आवश्यक था। इस प्रकार, अप्रतिबंधित राजस्व खाते के माध्यम से प्रविष्टि करने में लेखांकन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।



7.

देनदारियों की वापसी

वर्ष के दौरान, ₹177.89 करोड़ की देनदारियों को आय के रूप में वापस लिया गया, जिसमें से ₹120.83 करोड़ को असाधारण मदों के रूप में दिखाया गया। ये शेष राशियाँ विक्रेताओं, कर्मचारियों और अन्य पक्षों से संबंधित हैं और प्रबंधन द्वारा परिसीमा अवधि के आकलन के आधार पर वापस ली गई हैं, जबकि दायित्व की समाप्ति के पर्याप्त प्रमाण जैसे पुष्टिकरण, पत्राचार, निपटान या कानूनी समापन उपलब्ध नहीं हैं। कई शेष राशियाँ सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संबंधित पक्षों और विदेशी विक्रेताओं से संबंधित हैं। अतः वर्ष के लिए देनदारियों, आय और लाभ में महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है।

जैसा कि ऊपर भी बताया गया है, कंपनी ने विभिन्न बहीखातों, आपूर्तिकर्ता के लंबित खातों, विक्रेताओं के सकल खातों, ग्राहक कोड/सत्यापन खातों, कर्मचारियों के वसूली योग्य/देय खातों से संबंधित सकल खातों, कुछ नियंत्रण बहीखातों, जीआरआईआर खातों, विक्रेताओं से प्राप्त सुरक्षा जमा राशि आदि का मिलान/जांच की है और पाया है कि ये शेष राशियाँ मुख्य रूप से तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (विनिवेश से पहले एयर इंडिया लिमिटेड) से प्रविष्टियों के पुराने हस्तांतरण, पक्षों की ओर से बिना किसी मांग/दावे के एसएपी में लंबे समय से लंबित मदों, तीन वर्षों से अधिक समय तक सकल खातों में शेष राशियों के न होने, गलत समायोजन/समाशोधन या बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के शेष राशियों के कारण हैं, जिनका कंपनी ने लेखांकन प्रभाव लिया है। इसके अलावा, कुछ नियंत्रण बहीखातों/सत्यापन खातों/सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और यह उचित समय में पूरी हो जाएगी और मिलान से उत्पन्न होने वाले किसी भी लेखांकन प्रभाव को उचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही लिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ₹120.83 करोड़ की राशि को असाधारण मदों के रूप में घोषित किया गया है, कृपया नोट संख्या 27 देखें: "भारी उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अधिसूचना संख्या W-08/005/2016-DPE(WC) दिनांक 9 जून, 2016 के माध्यम से सीपीएसई के कर्मचारियों को उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ, वेतन और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) नियुक्त की थी, ताकि उन्हें कंपनी की लाभप्रदता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जा सके। समिति ने 21 नवंबर, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे लागू करने की सिफारिश की। कंपनी ने पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तीसरी पीआरसी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यान्वयन के लिए ₹2,532.60 मिलियन का अनुमान लगाया है।

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>और वित्तीय वर्ष 2023-24 में खातों की पुस्तकों में ₹2,532.60 मिलियन का प्रावधान किया गया है। सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी के मुताबिक FTE वेतन बढ़ाने के लिए ₹62.42 मिलियन की एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी बनाई गई है। कुल ₹2,595.02 के दोनों प्रोविज़न को FY 2023-24 में एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया है। MOCA की बनाई गई कमेटी ने स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के बाद, ₹1,208.30 मिलियन की अंतर देयता को वापस कर दिया गया</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | <p>नागपुर इंजन ओवरहाल सुविधा में चल रहा पूंजीगत कार्य</p> <p>जीईएनएक्स / जीई90 इंजन ओवरहाल वर्कशॉप से संबंधित पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।</p> <p>नागपुर में एयर इंडिया से अप्रैल 2021 में हस्तांतरित की गई ₹113 करोड़ की राशि तीन साल से अधिक समय से निलंबित है। न तो हानि मूल्यांकन किया गया है और न ही वसूली योग्य मूल्य का आकलन किया गया है, और न ही वहन मूल्य सत्यापित किया गया है।</p> <p>वर्तमान लेखापरीक्षा चक्र के दौरान निरंतर निगरानी के बावजूद, उपरोक्त मामलों की निर्णायक रूप से पुष्टि और समाधान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। ये मुद्दे कई वर्षों से बने हुए हैं, जिनमें कंपनी के विनिवेश से पूर्व की अवधि भी शामिल है, और रिपोर्टिंग तिथि तक अनसुलझे हैं।</p> | <p>नागपुर में स्थित जीईएनएक्स/जीई90 इंजन ओवरहाल वर्कशॉप, जो ₹1137.68 मिलियन की लागत से निर्माणाधीन है, को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रैल 2021 में तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड और एआईएसएल के बोर्ड के निर्णय के आधार पर कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस परियोजना को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2017 में शुरू किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निर्माणाधीन सुविधाओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा ₹600 मिलियन के पूंजीगत बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था और बोर्ड ने इसे इस शर्त पर अनुमोदित किया था कि पीएमसी और ठेकेदारों के साथ किए गए समझौतों का एआईएसएल के पक्ष में नवीनीकरण किया जाए, जो पहले एयर इंडिया लिमिटेड और जीबीएसए द्वारा जीई के साथ किए गए थे, ताकि एआईएसएल को ₹1137.68 मिलियन का ऑफसेट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि, उपर्युक्त अनुबंधों में से किसी का भी एआईएसएल के पक्ष में नवीनीकरण नहीं किया जा सका, इसलिए इस कार्य के लिए अभी तक कोई और पूंजीगत व्यय नहीं किया गया है। AIESL का इरादा OEM के साथ आवश्यक समझौते और संबंधित अतिरिक्त नियामक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के बाद परियोजना को पूरा करने का है। इसके लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिए AIESL संभावित निधि प्रदाता से</p> |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बातचीत कर रही है। प्रबंधन के अनुसार, निर्माणाधीन परियोजना (WIP) के मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि काम फिर से शुरू होने पर यह पूरी तरह से उपयोगी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <b><u>विषयवस्तु पर जोर</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>जवाब</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1</b> | कंपनी ने 1 सितंबर 2020 को लोक उद्यम विभाग को लिखे पत्र के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), 177 और 178 के प्रावधानों से छूट मांगी है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर की प्रतीक्षा है।                                                                   | यह एक तथ्यात्मक कथन है और इसका खुलासा नोट संख्या 34 में किया जा चुका है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के विक्रेताओं की पहचान और MSME विकास अधिनियम, 2006 के तहत देय ब्याज की गणना मैनुअल रूप से की जाती है, जबकि एसएपी में सिस्टम की कार्यक्षमता उपलब्ध है, जो वर्तमान में चालू नहीं है। परिणामस्वरूप, MSME संबंधी खुलासों और ब्याज गणनाओं की सटीकता और पूर्णता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका है।                     | MSME ब्याज की गणना संबंधित कानून के अनुसार की गई है और सत्यापन के लिए लेखा परीक्षक को गणना पत्रक भी प्रदान किया गया है तथा MSME विक्रेताओं को किए गए भुगतान का सत्यापन SAP और बैंक विवरणों से किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | एसएपी द्वारा उत्पन्न डेटा के आधार पर व्यापार प्राप्य राशि का आयु निर्धारण मैनुअल रूप से तैयार किया गया है। ग्राहक खातों में एक ही बहीखाते में कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियाँ हैं, और ग्राहकों से शेष राशि की पुष्टि के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अभाव में, व्यापार प्राप्य राशि की आयु निर्धारण और वसूली योग्यता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका। | कंपनी ने SAP में तैयार की गई विस्तृत एजिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा, सही प्राप्य राशि और उससे संबंधित एजिंग प्राप्त करने के लिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को घटा दिया गया है। कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापारिक प्राप्य और देय राशियों के बैलेंस की पुष्टि मांगी है। हालांकि, केवल कुछ पक्षों ने ही जवाब दिया है और वे कंपनी के बहीखातों से सहमत हैं। जहां भी पुष्टि किए गए बैलेंस बहीखातों से मेल नहीं खाते हैं, उस स्थिति में अंतर का समाधान करने की प्रक्रिया चल रही है। |
| <b>4</b> | कंपनी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएल) और अन्य हवाई अड्डा संचालकों से भूमि और परिसर पट्टे पर लिए हैं, जहां पट्टा समझौतों में किराया और वृद्धि के नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने                                                                                                                                  | कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 318.80 मिलियन का प्रावधान किया था, जो एमआईएल द्वारा प्रदान किए गए मसौदा समझौते के आधार पर कंपनी के कब्जे वाली भूमि के लिए किराए में वृद्धि के लिए था, क्योंकि कंपनी बढ़ी हुई किराए को स्वीकार                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>एमआईएल से संबंधित ₹31.88 करोड़ की पट्टा देनदारियों को चालू वर्ष के लिए पट्टा व्यय का प्रावधान किए बिना ही वापस बट्टे खाते में डाल दिया है। परिणामस्वरूप, वर्ष की आय उस हद तक अधिक दिखाई दे सकती है। इसके अलावा, व्यय के लिए प्रावधान अलग से प्रावधान खातों के बजाय सीधे व्यय खातों के माध्यम से समायोजित किए जाते हैं, और प्रावधानों की वर्षवार गतिविधियों का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया गया है।</p> | <p>करने के लिए इच्छुक थी। इसके अलावा, चूंकि दोनों पक्षों के बीच इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका, इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ी हुई दर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और चूंकि एमआईएल चालू वित्त वर्ष में पुरानी दरों के अनुसार बिलिंग जारी रखे हुए है, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया ₹ 318.80 मिलियन का प्रावधान वापस लिया गया है। इस संबंध में यह भी जोड़ा गया है।</p> <p>i) फिलहाल AIESL और MIAL के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।</p> <p>ii) AIESL, MIAL द्वारा जारी किए गए इनवॉइस के अनुसार भुगतान कर रही है।</p> <p>iii) दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की है।</p> |
| 5. | <p>कंपनी की दुबई और काठमांडू में विदेशी शाखाएँ हैं। इन शाखाओं के लिए अलग-अलग लेखा-पुस्तकों का रखरखाव नहीं किया जाता है। दुबई शाखा के लिए, केवल बैंक विवरण ही प्रधान कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं, और काठमांडू शाखा के लिए कोई अलग बैंक खाता नहीं है। इन विदेशी शाखाओं की संपत्तियों और देनदारियों को अलग से पहचाना और प्रकट नहीं किया गया है।</p>                                                             | <p>काठमांडू से संबंधित सभी लेन-देन का लेखा-जोखा सीधे AIESL मुख्यालय में किया जाता है। दुबई से संबंधित सभी लेन-देन का लेखा-जोखा दुबई से प्राप्त आय और व्यय संबंधी सभी विवरणों के आधार पर AIESL मुख्यालय में किया जाता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | <p>ग्राहक और विक्रेता खातों में अलग-अलग बहीखातों में डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह की शेष राशियाँ दर्ज होती हैं, और शुद्ध शेष राशि को बैलेंस शीट में प्राप्य या देय के रूप में दर्शाया जाता है। व्यापक पक्ष-वार मिलान और पुष्टिकरण के अभाव में, ऐसी शेष राशियों से संबंधित सटीकता, अधिकार और दायित्वों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सकता है।</p>                                                      | <p>कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापारिक प्राप्य और देय राशियों के शेषों की पुष्टि मांगी है। हालांकि, केवल कुछ पक्षों ने ही जवाब दिया है और उनके विवरण कंपनी के बहीखातों से मेल खाते हैं। जहां भी पुष्टि किए गए शेष कंपनी के बहीखातों से मेल नहीं खाते हैं, उस स्थिति में अंतर का समाधान करने की प्रक्रिया चल रही है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | <p>कंपनी ने व्यय संबंधी कुछ प्रावधानों के लेखांकन में स्रोत पर कर कटौती नहीं की है। आयकर अधिनियम, 1961 के इस उल्लंघन का प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका है।</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार, जैसे कि यूको बैंक बनाम भारत संघ के मामले में। [2014] 369 आईटीआर 335/51 taxmann.com 253/ [2015] 228 Taxman 141 स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें कही गईं:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>जब किसी सामान्य प्रावधान में ब्याज को पहचाने जाने योग्य प्राप्तकर्ताओं के खातों में जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते में ब्याज का जमा होना उस व्यक्ति के खाते में जमा होना नहीं माना जाता जिस पर कर लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से, याचिकाकर्ता पर कर कटौती का कोई दायित्व नहीं होगा, क्योंकि जमा के समय उस आय के संबंध में कोई भी व्यक्ति कर योग्य नहीं होता है जिसे जमा पर अर्जित/भुगतान किए गए ब्याज द्वारा दर्शाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 194ए में प्रयुक्त "प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी आय का जमा" शब्दों का अर्थ अधिनियम की योजना के अनुरूप ही लगाया जाना चाहिए, और इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि कर कटौती का संबंध करदाता की आय से है।</p> <p>विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार, टीडीएस कटौती के लिए अंतिम लाभार्थी (भुगतानकर्ता) की पहचान और भुगतानकर्ता को देय सटीक राशि, टीडीएस प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। दूसरे शब्दों में, यदि पहचाने जाने योग्य भुगतानकर्ता से कोई आय संबंधित नहीं है, तो कर कटौतीकर्ता पर स्रोत पर कर कटौती करने का कोई दायित्व नहीं है।</p> <p>इसके अलावा, विभिन्न मामलों में जहां कंपनी ने भुगतान पाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली है, उस स्थिति में प्रावधानों पर टीडीएस की कटौती की गई है।</p> |
|          | <b>मुख्य लेखापरीक्षा मामला</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>जवाब</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8</b> | <p>अंतर-कंपनी शेषों पर देय या प्राप्य ब्याज की गणना समूह संस्थाओं के साथ लागू समझौता ज्ञापन/समझौतों के अनुसार करने के बजाय औसत शेष के आधार पर की गई है। इसके अलावा, कई समझौते अभी भी एयर इंडिया के नाम पर हैं जिन्हें बदलकर AIESL के नाम पर करना आवश्यक है।</p> | <p>समूह की कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, ब्याज की गणना प्रारंभिक और अंतिम शेष राशि के औसत के आधार पर की जाती है। समूह की सभी कंपनियां इस प्रक्रिया का निरंतर पालन करती हैं। मार्च 2022 में ही एमएसए में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <p>MSME विक्रेताओं की पहचान और ब्याज की गणना</p> <p>मुख्य बिंदु में बताए अनुसार, MSME विक्रेताओं की पहचान और देय ब्याज की गणना मैनुअल रूप से की जाती है। विक्रेताओं और लेन-देन की संख्या को देखते हुए, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन न होने और देनदारियों को कम करके आंकने की संभावना के कारण इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय माना गया।</p>                                                                                   | <p>कृपया “पदार्थ पर जोर” बिंदु संख्या 2 पर दिए गए हमारे उत्तर को देखें।</p> |
| <b>2.</b> | <p>व्यापार प्राप्य राशि की आयु और वसूली योग्यता</p> <p>प्राप्य राशियों की आयु निर्धारण प्रक्रिया मैनुअल रूप से तैयार की जाती है और ग्राहक खातों में व्यवस्थित मिलान या पुष्टि के बिना कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियाँ होती हैं। ग्राहक पुष्टिकरण के अभाव में, प्राप्य राशियों की वसूली और आयु निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इसलिए इसे लेखापरीक्षा का एक प्रमुख विषय माना जाता है।</p>                           | <p>कृपया “पदार्थ पर जोर” बिंदु संख्या 3 पर दिए गए हमारे उत्तर को देखें।</p> |
| <b>3.</b> | <p>ग्राहक और विक्रेता खातों में डेबिट और क्रेडिट शेषों का नेट करना</p> <p>ग्राहक और विक्रेता खातों में डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह की शेष राशियाँ दर्शाई जाती हैं, जिन्हें नेट करके बैलेंस शीट में प्राप्य या देय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मिलान और पुष्टिकरण की कमी के कारण, ऐसी शेष राशियों की प्रस्तुति और वसूली योग्यता पर गहन लेखापरीक्षा ध्यान देने की आवश्यकता थी और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय माना गया।</p> | <p>कृपया “पदार्थ पर जोर” बिंदु संख्या 6 पर दिए गए हमारे उत्तर को देखें।</p> |

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर रिपोर्ट

### योग्य राय

हमने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के साथ दिए गए स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है (स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नोट 1(A) और 1(B) देखें), जिसमें 31 मार्च, 2025 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट (अन्य कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सहित), इकिटी में बदलाव का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट, और स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स, जिसमें ज़रूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की समरी और दूसरी एक्सप्लेनेटरी जानकारी शामिल है (जिन्हें आगे "स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में बताए गए मामलों के संभावित असर को छोड़कर, ऊपर बताए गए स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी एक्ट, 2013 ("एक्ट") के लिए ज़रूरी जानकारी देते हैं, और एक्ट के सेक्शन 133 के तहत बताए गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, कंपनी (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) रूल्स, 2015, जैसा कि बदला गया है, के साथ पढ़कर, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के स्टैंडअलोन मामलों की स्थिति, उसकी स्टैंडअलोन टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इकिटी में बदलाव और उस साल खत्म हुए साल के लिए उसके कैश फ्लो का सही और सही नज़रिया देते हैं।

### योग्य राय का आधार

हमने अपना ऑडिट एक्ट के सेक्शन 143(10) के तहत बताए गए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स (SAs) के अनुसार किया। उन स्टैंडर्ड्स के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए ऑडिटर की ज़िम्मेदारियों वाले सेक्शन में और बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स और एक्ट के संबंधित प्रोविज़न के अनुसार, भारत में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे ऑडिट के लिए ज़रूरी नैतिक ज़रूरतों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन ज़रूरतों के अनुसार अपनी दूसरी नैतिक ज़िम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट एविडेंस हासिल किए हैं, वे हमारी क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए आधार देने के लिए काफी और सही ऑडिट एविडेंस हैं।

#### 1. ERP सिस्टम, इंटीग्रेशन और एक्सेस की सीमाएं

कंपनी दो ERP सिस्टम चलाती है, जिनके नाम हैं RAMCO (MRO ऑपरेशन के लिए जिसमें मटीरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वर्क ऑर्डर और बिलिंग शामिल हैं) और SAP (फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए)। ये सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं हैं और RAMCO और SAP के बीच इंटरफ़ेस ठीक से रिकंसिल या मैप नहीं किया गया है। ऑडिट के दौरान, सिव्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की पाबंदियों की वजह से हमें RAMCO सिस्टम का



सीधा एक्सेस नहीं दिया गया। RAMCO से आने वाला डेटा, बिना सही रिकंसिलिएशन कंट्रोल के, ऑटोमेटेड इंटरफ़ेस के ज़रिए SAP में माइग्रेट हो जाता है।

डायरेक्ट सिस्टम एक्सेस, ऑडिट ट्रेल्स, सिस्टम रिपोर्ट्स और रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म की कमी के कारण, हम सिस्टम में इन्फॉर्मेशन फ्लो से होने वाले बड़े गलत बयान के रिस्क का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। दोनों सॉफ्टवेयर में ये कमी है:

- प्रलेखित नियंत्रण
- माइग्रेशन प्रोटोकॉल
- कई सिस्टम के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाले इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्रोसीजर।

इसलिए, हम इन्वेंट्री, वर्क-इन-प्रोग्रेस, वर्क ऑर्डर, खपत, अनबिल्ड रेवेन्यू बिलिंग और रिसीवेबल/पेएबल से जुड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम से जुड़े ट्रांज़ैक्शन और बैलेंस की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन के बारे में काफ़ी ऑडिट सबूत नहीं पा सके।

ऊपर बताई गई बातों का अगर कोई असर हो सकता है, तो उसे मापा नहीं जा सकता, इसलिए हम मार्च 2025 को खत्म होने वाले साल के लिए स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऊपर बताई गई कमी के असर का पता नहीं लगा पा रहे हैं।

## 2. इन्वेंटरी मूल्यांकन, अस्तित्व और नियंत्रण (इंड एस 2)

फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू SAP में रिकॉर्ड किए गए बैलेंस के आधार पर तय की गई है। हालांकि, नीचे दी गई बड़ी कंट्रोल कमियां और Ind AS 2 का पालन न करना देखा गया:

(क) विमान-संबंधी इन्वेंट्री ₹41.88 करोड़ और गैर-विमान इन्वेंट्री ₹2.41 करोड़

RAMCO में एयरक्राफ्ट से जुड़ी मात्रा और वैल्यू रखी जाती हैं, जबकि SAP में नॉन-एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री रखी जाती है। RAMCO और SAP के अनुसार इन्वेंट्री बैलेंस में ये कमियां/गैप हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

| इन्वेंटरी के अनुसार                                                    | उद्घाटन (01.04.2024) |                 | साल के दौरान |                | समापन शेष (31.03.2025)   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                        | मात्रा               | कीमत            | डेबिट/रसीदें | क्रेडिट/मुद्दे | मात्रा                   | कीमत              |
| रेमको                                                                  | 4,27,008.62          | 77,55,46,936.50 | 99,91,35,984 | -71,49,73,466  | 6,00,847.47              | 1,05,97,09,514.87 |
| फिजिकल<br>वेरिफिकेशन (स्टॉक<br>कीपर द्वारा अंदरूनी<br>तौर पर किया गया) |                      |                 |              |                | 3,83,514.47              | 89,07,75,206.38   |
| जोड़ें: सस्पेंस                                                        |                      |                 |              |                | मात्रा उपलब्ध<br>नहीं है | 7,86,34,275.73    |
|                                                                        |                      |                 |              |                |                          | 96,94,09,482.11   |
| कम पूंजीकृत                                                            |                      |                 |              |                |                          |                   |

|                                                                                                             |                       |                 |                   |                   |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 2022-23 में                                                                                                 |                       |                 |                   |                   | मात्रा उपलब्ध नहीं है | -7,25,72,364.74  |
| 2023-24 में                                                                                                 |                       |                 |                   |                   | मात्रा उपलब्ध नहीं है | -7,07,22,390.77  |
| 2024-25 में: भौतिक सत्यापन से बाहर                                                                          |                       |                 |                   |                   | मात्रा उपलब्ध नहीं है | -34,93,37,620.30 |
| 2024-25 में.                                                                                                |                       |                 |                   |                   | मात्रा उपलब्ध नहीं है | -5,79,66,020.99  |
| पूँजीकरण के बाद शुद्ध भौतिक मूल्य                                                                           |                       |                 |                   |                   | मात्रा उपलब्ध नहीं है | -55,05,98,396.80 |
| एफएडी *<br>(सिर्फ RAMCO से माइग्रेट किया गया मान)                                                           | मात्रा उपलब्ध नहीं है | 68,39,58,784.58 | 6,10,20,26,668.70 | 5,86,94,95,364.78 | मात्रा उपलब्ध नहीं है | 41,87,90,812.17  |
| जोड़ें: नॉन एयर क्राफ्ट इन्वेंटरी (मैयू आती मेंटेन की गई इन्वेंट्री के अनुसार 2022-23 से कोई बदलाव नहीं) ** | मात्रा उपलब्ध नहीं है | 2,43,56,858.00  |                   |                   | मात्रा उपलब्ध नहीं है | 2,40,79,041.75   |
|                                                                                                             |                       |                 |                   |                   |                       | 44,28,69,853.92  |
| कम: प्रावधान                                                                                                |                       |                 |                   |                   |                       | 2,63,79,765.42   |
| निवल शेष                                                                                                    |                       | 18,39,58,784.58 |                   |                   |                       | 41,64,90,088.50  |

\*\* AIESL ने CFO और CEO के साइन किए हुए 8.8.2025 के ऑफिस नोट्स के आधार पर ऑडिट कमिटी/बोर्ड की मंजूरी के बिना एडजस्टमेंट पास किया, जबकि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स के डेलीगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स के अनुसार, बोर्ड के पास पावर है।

\*\*\* एडजस्टमेंट सिर्फ वैल्यू के आधार पर पास किया गया, क्वांटिटी के अंतर पर विचार नहीं किया गया। RAMCO के अनुसार क्वांटिटी 600847.47 है और फिजिकल 383514.47 है। इसके अलावा SAP फाइनेंशियल फिगर्स में करेक्शन किया गया है और इस साल और पिछले सालों में भी RAMCO में कोई करेक्शन एंट्री पास नहीं की गई है।

RAMCO के अनुसार इन्वेंट्री वैल्यू ₹105.97 करोड़ है, जबकि SAP के अनुसार बैलेंस ₹72.80 करोड़ है (₹41.88 करोड़ के नेट राइट-ऑफ के बाद) जिसे नॉन-एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री के सिंगल लेजर में बुक किया गया है, बिना उन्हें एक्जुअल इन्वेंट्री लेजर में क्लासिफाई किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इन्वेंट्री नोट्स में सही से क्लासिफाई नहीं किया गया है।

सोट "5": इन्वेंटरी

(राशि ₹ में)



| विवरण                                   | 31 मार्च, 2025 तक      | 31 मार्च, 2024 तक      | 01 अप्रैल, 2023 तक     |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| स्टोर और स्पेयर पार्ट्स                 | 43,69,66,506.92        | 1,74,24,262.12         | 1,74,58,942.12         |
| फुटकर औजार                              | -                      | 40,27,64,792.41        | 43,16,01,390.15        |
| ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक         | 59,03,347.00           | 5,52,589.34            | 5,52,589.34            |
| गैर-विमान सूची                          | -                      | 63,80,006.11           | 63,80,006.11           |
| अन्य इन्वेंट्री                         | -                      | 25,68,37,134.60        | 14,84,01,918.85        |
| <b>कुल</b>                              | <b>44,28,69,853.92</b> | <b>68,39,58,784.58</b> | <b>60,43,94,846.57</b> |
| घटाएँ: इन्वेंट्री रीकॉन के लिए प्रावधान | 2,63,79,765.42         | 50,00,00,000.00        | 50,00,00,000.00        |
| <b>कुल</b>                              | <b>41,64,90,088.50</b> | <b>18,39,58,784.58</b> | <b>10,43,94,846.57</b> |

(ख) (i) कंपनी ने पिछले सालों (FY 2023 और FY 2024) में इन्वेंट्री की कमी के लिए ₹50 करोड़ का प्रोविज़न किया था, जिसमें से ₹16.44 करोड़ इस साल के दौरान एक ही इन्वेंट्री अकाउंट के ज़रिए इस आधार पर रिवर्स कर दिए गए कि कुछ इन्वेंट्री आइटम FY 2014 से FY 2023-24 के दौरान खरीदे गए फिक्स्ड एसेट्स (टूल्स) को दिखाते हैं। इसके अलावा, बिना किसी डॉक्यूमेंट्री सबूत के, सिर्फ़ RAMCO से निकाली गई वैल्यू के आधार पर इन्वेंट्री से कुल ₹55.05 करोड़ के एसेट्स कैपिटलाइज़ किए गए। यह एसेट कैपिटलाइज़ेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन द्वारा सपोर्टेड सभी सीधे तौर पर एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट को शामिल करना ज़रूरी है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इन अंतरों के असर को क्वांटिफाई नहीं कर पाए।

(ii) RAMCO इन्वेंटरी रिपोर्ट में कुछ आइटम होते हैं जो सकारात्मक मात्रा दिखाते हैं, लेकिन नकारात्मक मूल्य या सकारात्मक मूल्य के साथ नकारात्मक मात्रा और महत्वपूर्ण मूल्य के साथ शून्य मात्रा या महत्वपूर्ण मात्रा के साथ न्यूनतम मूल्य दिखाते हैं।

RAMCO इन्वेंटरी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई आइटम ऐसे हैं जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कस्टमर का है, टूल्स हैं, वापस किया जा सकता है/बदला जा सकता है, लोन या किराए पर हैं, लेकिन उनकी असली जगह और कीमत/मात्रा वेरिफ़ाई नहीं की जा सकती।

**SAP/RAMCO सिस्टम में मूवमेंट अधूरे, गलत तरीके से अपडेट किए गए, या रिकॉर्ड नहीं किए गए दिखते हैं, जिससे ऑडिट ट्रेल अधूरा रह जाता है। उदाहरण के लिए - नॉन-एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री को मैनुअल रूप से मेंटेन किया जाता है, - घरेलू फिक्स्ड एसेट्स (जैसे, डेस्कटॉप) को मैनुअल अप्रूवल, GEM पोर्टल ऑर्डर के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है, - कुछ मैनुअल वर्क ऑर्डर।**

50000 से ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम, जिसमें ₹5,000 से कम कीमत वाले ₹2.89 करोड़ के छोटे एसेट्स शामिल हैं, फिजिकली वेरिफ़ाई नहीं किए गए हैं। कई आइटम की वैल्यू ₹1 या ₹2 से कम है, और इसलिए इन आइटम का होना, पूरा होना और वैल्यूएशन वेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है।

- (ग) अकाउंटिंग पॉलिसी के अनुसार इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेटेड एवरेज बेसिस पर बताया गया है; हालांकि, वेरिफिकेशन के लिए सपोर्टिंग ERP रिपोर्ट और कैलकुलेशन लॉजिक उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- (घ) इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन से RAMCO रिपोर्ट, SAP रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिटर के बताए गए आंकड़ों में अंतर का पता चला। इन अंतरों का मिलान नहीं हो पाया है, और फाइनैशियल स्टेटमेंट में बताई गई इन्वेंट्री वैल्यू वेरिफाई नहीं की जा सकती है।
- (ङ) 161 वेयरहाउस में इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन ₹89.07 Cr था, जिसमें **क्वांटिटी, UOM और पार्ट नंबर** जैसी डिटेल्स मौजूद नहीं थीं। इसके अलावा, बिना वेरिफाइड ₹ 7.86 Cr शॉप्स/इन-ट्रांजिट में बिना क्वांटिटी/वेयरहाउस डिटेल्स के कुल ₹ 96.94 Cr हो गई।

अलग-अलग जगहों से ईमेल मिलने पर AIESL ने फिजिकल वेरिफिकेशन को एक साथ किया। हमें सभी वेयरहाउस से फिजिकल वेरिफिकेशन डेटा के मेल नहीं मिले हैं। इसके अलावा, वेरिफिकेशन के लिए कोई **कॉमन फॉर्मेट नहीं था** और इसमें न्यूमेरिक डेटा के बजाय टेक्स्ट में लिखी बातों ("उपलब्ध," "थोड़ा उपलब्ध", "उपलब्ध नहीं", "कोई दूसरा उपलब्ध") के साथ मात्रा बताई गई थी, जिससे सिर्फ टेक्स्ट से आंकड़ों को एक साथ करने और अलग करने में गलती होने की संभावना थी। कट-ऑफ तारीखों का लगातार पालन नहीं किया गया; कुछ वेरिफिकेशन **महीनों पहले यानी** फरवरी 2025 में या **31 मार्च 2025 के बाद** यानी मई या सितंबर 2025 में किए गए।

फिजिकल वेरिफिकेशन शीट में RAMCO और फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिफरेंस कॉलम का खास जिक्र था, लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस सही नहीं था, जैसे, जहां RAMCO और फिजिकल क्वांटिटी एक जैसी थी, वहां भी डिफरेंस दिखा।

RAMCO के सही/पूरे डेटा में फिजिकल क्वांटिटी, कंडीशन ("अनुपयोगी", असाइन की गई/एट्रिब्यूटेड क्वांटिटी) और स्टेटस (ओन्ड/कस्टमर ओन्ड) का जिक्र नहीं है।

अंतर नेट कमी के तौर पर दिखते हैं, लेकिन मात्रा कम भी होती है और ज़्यादा भी।

- (च) FY 2022-23 से 2024-25 के दौरान इन्वेंट्री से कुल ₹55.05 करोड़ के कैपिटलाइज़्ड एसेट्स, जो FY 2014-15 जितने पुराने थे और उनमें अलग-अलग एसेट के हिसाब से रिकॉर्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, सही कैपिटलाइज़ेशन डेट और डेप्रिसिएशन शुरू होने की डेट का अभाव था। इस वजह से, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वेरिफाई नहीं हो सके। हो सकता है कि कुछ एसेट्स की यूज़फुल लाइफ पहले ही पूरी हो चुकी हो, और अनट्रेसेबल आइटम्स की पहचान अभी भी पेंडिंग है।

|                                     | मात्रा                       | कीमत                    |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| पूँजीकृत                            | <b>मात्रा उपलब्ध नहीं है</b> | <b>-55,05,98,396.80</b> |
| 2022-23 में                         |                              | -7,25,72,364.74         |
| 2023-24 में                         |                              | -7,07,22,390.77         |
| 2024-25 में : भौतिक सत्यापन से बाहर |                              | -34,93,37,620.30        |
| 2024-25 में                         |                              | -5,79,66,020.99         |



- (छ) कंपनी ट्रांज़िट में माल (घरेलू और इम्पोर्ट), थर्ड पार्टी के पास पड़ी इन्वेंट्री (भारत के अंदर और बाहर), कंपनी के पास पड़ी थर्ड-पार्टी इन्वेंट्री, ओपन जॉब और वर्क ऑर्डर से जुड़े चल रहे काम, धीरे चलने वाली, पुरानी और बेकार इन्वेंट्री, इस्तेमाल हुए माल की खपत / कीमत, और रिटर्न वाले चालान के तहत रिपेयर या जॉब-वर्क के लेन-देन का सही रिकॉर्ड नहीं रखती है।
- (ज) ₹2.41 करोड़ की नॉन-एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री ERP सिस्टम के बाहर मैनुअली मेंटेन की जाती है। इन बैलेंस को वेरिफाई नहीं किया जा सका और कई आइटम कई सालों से बिना बदले हुए हैं।

| जीएल       | विवरण                              | 31.3.23            | 31.3.24            | 31.3.25             |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2211003230 | गैर विमान सूची                     | 63,80,006          | 63,80,006          | -                   |
| 2211003240 | ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक    | 5,52,589           | 5,52,589           | 59,03,347           |
| 2211003000 | इनफ्लाईट और होटल आइटम - कंज्यूमेबल | <b>1,24,993</b>    | <b>1,24,993</b>    | <b>41,87,90,812</b> |
| 2211003080 | डीआईटी स्पेयर्स                    | 1,58,902           | 1,58,902           | -                   |
| 2211003090 | वाणिज्यिक स्टोर                    | 89,38,995          | 89,04,315          | 35,92,567           |
| 2211003100 | यूनिफ़ॉर्म स्टोर                   | 79,31,025          | 79,31,025          | 1,24,41,049         |
| 2211003120 | प्रिंटिंग और स्टेशनरी स्टोर        | 3,05,027           | 3,05,027           | 21,42,078           |
|            |                                    | <b>2,43,91,538</b> | <b>2,43,56,858</b> | <b>44,28,69,854</b> |
|            | कम                                 |                    |                    | 41,87,90,812        |
|            | जाल                                |                    |                    | <b>2,40,79,042</b>  |

ऊपर दिए गए नोट्स के लिए वर्किंग सोर्स के तौर पर नीचे दी गई टेबल दी गई है।

| जीएल       | जीएल विवरण                      | बीएस का संतुलन     | रीजनल कन्फर्मेशन के अनुसार बनाए रखें | बढ़ना घटना       |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2211003100 | यूनिफ़ॉर्म स्टोर                | 79,31,025          | 1,24,41,049                          | 45,10,024        |
| 2211003120 | प्रिंटिंग और स्टेशनरी स्टोर     | 3,05,027           | 21,42,078                            | 18,37,051        |
| 2211003090 | वाणिज्यिक स्टोर                 | 89,04,315          | 35,92,567                            | -53,11,748       |
| 2211003040 | ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक | 5,52,589           | 59,03,347                            | 53,50,758        |
|            |                                 | <b>1,76,92,956</b> | <b>2,40,79,042</b>                   | <b>63,86,086</b> |

RAMCO से SAP में माइग्रेट किए गए सस्पेंस अकाउंट्स और GRIR बैलेंस सहित मटीरियल बैलेंस को इंडिपेंडेंटली वेरिफाई नहीं किया जा सका, क्योंकि अंदरूनी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, सिस्टम एक्सेस सीमित था और फाइनेंस फंक्शन के कंट्रोल से बाहर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स पर निर्भरता थी।

### 3. कर्मचारी लागत और पेट्रोल नियंत्रण

एम्प्लॉई कॉस्ट कंपनी के खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। SAP में पेट्रोल मॉड्यूल होने के बावजूद, अटेंडेंस और छुट्टी के रिकॉर्ड अलग-अलग जगहों पर मैनुअली मेंटेन किए जाते हैं। इंटरनल ऑडिट ऑब्ज़र्वेशन के अनुसार, HR रिकॉर्ड के अनुसार एम्प्लॉई की संख्या 4,636 थी, जबकि मार्च 2025 की सैलरी 5,104 एम्प्लॉई की प्रोसेस की गई थी। इसके अलावा, एम्प्लॉई सेपरेशन को HR मॉड्यूल में रियल-टाइम बेसिस पर अपडेट नहीं किया जाता है, जिससे सेपरेशन के बाद सैलरी प्रोसेसिंग का रिस्क रहता है। ये कंट्रोल की कमियां एम्प्लॉई कॉस्ट की एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस पर असर डालती हैं।

#### 4. सप्लायर सस्पेंस, GRIR बैलेंस और राइट-बैक

इनवॉइस पेंडिंग होने पर मिले सामान और सर्विस से जुड़े ट्रांज़ैक्शन RAMCO में सप्लायर सस्पेंस और SAP में GRIR के तौर पर दिखाए जाते हैं। ये बैलेंस, जो अंतरिम होते हैं, आमतौर पर ज़ीरो या पूरी तरह से बताए जाने चाहिए। हालांकि, कई डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कई सालों से अनएडजस्टेड रहे हैं। कंपनी ऐसे बैलेंस, जिसमें डेबिट बैलेंस भी शामिल हैं, को समय-समय पर नेट राइट-बैक करने का तरीका अपनाती है। एक खास डेबिट बैलेंस, जो एक विदेशी वेंडर (हैमिल्टन संडस्टैंड) से जुड़ा था और FY 2020-21 से बकाया था, उसे साल के दौरान बिना किसी रिकंसिलिएशन, कन्फर्मेशन या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के राइट-बैक कर दिया गया। हम ऐसे राइट-बैक के सही होने और असर को वेरिफाई नहीं कर पाए।

#### 5. पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

पिछले कई सालों (FY 2019-20 से FY 2023-24) के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले पीरियड की गलतियों की पहचान के कारण रीस्टेट किया गया था। इसके अलावा, कुछ फाइनेंशियल ईयर को एक से ज़्यादा बार रीस्टेट किया गया है, जिनमें शामिल हैं: FY 2020-21, FY 2022-23, जिसे एक से ज़्यादा बार के पीरियड में रीस्टेट किया गया था। इसके अलावा, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर FY 2024-25 के दौरान, FY 2023-24 और FY 2022-23 से जुड़े तुलनात्मक आंकड़ों को फिर से रीस्टेट किया गया है। बार-बार रीस्टेटमेंट ने मुख्य रूप से अन्य फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स (हर साल रीस्टेट), और ट्रेड रिसीवेबल्स, अन्य करंट लायबिलिटीज और कई सालों में रेवेन्यू जैसे आइटम पर असर डाला है। सालों में एक ही तरह की बार-बार होने वाली गलतियाँ बताती हैं:

- कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण
- अपर्याप्त लेखा प्रणाली,
- भरोसेमंद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कमी।

जबकि Ind AS 8 (पैरा 5 और 42) पहचान के बाद पिछली अवधि की त्रुटियों में सुधार की अनुमति देता है, **मानक सिद्धांत आधारित हैं**, अनुमति आधारित नहीं हैं और स्पष्ट रूप से मानते हैं: त्रुटियाँ कभी-कभार होती हैं; त्रुटियाँ अनदेखी या गलती के कारण होती हैं। यह पुनरावृत्ति को वैध नहीं बनाता है। कई वर्षों में एक ही शेष राशि के कई पुनर्कथन: ब्रेक तुलनात्मकता (इंड एस 1) बार-बार पुनर्कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हमेशा के लिए अनंतिम होंगे जो एसए 315, एसए 330, एसए 700 और एसए 705 के तहत अन-अनुपालन हैं। कई रिपोर्टिंग अवधियों में और प्रमुख वित्तीय विवरण लाइन आइटमों में पुनर्कथन की बार-बार और आवर्ती प्रकृति कंपनी की लेखा प्रक्रियाओं, प्रणालियों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमियों को इंगित करती है। पुनर्कथन बड़े पैमाने पर पूर्ण समाधान, पुष्टि, भौतिक सत्यापन या स्वतंत्र लेखा परीक्षा साक्ष्य के बजाय प्रबंधन समायोजन पर आधारित थे



| 2019-20 से पुनर्कथन           | फिर से बताने से |           | फिर से बताने से | फिर से बताने से |           | फिर से बताने से |            | फिर से बताने से | फिर से बताने से |            | फिर से बताने से |            |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|                               | 24-25 में       |           | 24-25 में       | 23-24 में       |           | 22-23 में       |            | 22-23 में       | 21-22 में       |            | 20-21 में       |            |
| विवरण                         | 31.3.24         | 31.3.24   | 31.3.23         | 31.3.23         | 31.3.23   | 31.3.22         | 31.3.22    | 31.3.21         | 31.3.21         | 31.3.21    | 31.3.20         | 31.3.20    |
| (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण |                 |           |                 |                 |           | 5,923.07        | 5,887.08   | 530.98          |                 | 487.96     |                 |            |
| i) इन्वेस्टरी                 |                 |           |                 |                 |           | 606.22          | 684.54     | 749.92          |                 | 828.24     |                 |            |
| क) व्यापार प्राप्त            | 12,900.27       | 12,764.27 | 8,424.91        | 8,315.66        | 8,166.44  |                 |            |                 | 12,799.78       | 12,531.10  |                 |            |
| इ) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ    | 40.72           | 25.12     |                 |                 |           |                 |            |                 |                 |            |                 |            |
| iii) वर्तमान कर संपत्तियाँ    |                 |           |                 |                 |           | 1,046.73        | 1,085.04   | 751.65          |                 | 780.72     |                 |            |
| iv) अन्य चालू संपत्तियाँ      |                 |           |                 |                 |           | 158.87          | 160.67     | 186.27          |                 | 188.07     |                 |            |
| ii) अन्य इन्वेस्टरी           | -6,851.83       | -7,060.37 | -9,235.85       | -9,413.65       | -9,566.87 | -15,862.00      | -15,481.79 | -24,154.55      | -23,921.58      | -23,850.10 | -23,969.50      | -23,453.32 |
| ii) गैर-वर्तमान प्रावधान      |                 |           |                 |                 |           |                 |            |                 |                 |            | 7,070.30        | 6,554.09   |
| व्यापार देय - एमएसएमई         |                 |           |                 |                 |           |                 |            |                 |                 |            | 7.10            | -          |
| - एमएसएमई के अलावा            | 2,283.43        | 2,198.03  | 1,475.99        | 1,390.60        | 1,875.47  | 3,881.17        | 4,044.71   | 5,930.61        |                 | 6,094.44   | 7,564.30        | 4,516.40   |
| c) अन्य वित्तीय देयता         | 812.49          | 954.83    | 600.03          | 757.97          | 648.16    | 767.36          | 613.51     | 19,371.58       | 19,340.82       | 19,072.20  | 31,940.00       | 31,954.50  |
| ii) वर्तमान प्रावधान          |                 |           |                 |                 |           | 1,376.70        | 1,369.11   |                 | 2,668.03        | 2,596.60   | 2,840.00        | 3,107.25   |
| iii) अन्य चालू देनदारियाँ     |                 |           | 947.72          |                 | 572.65    | 322.13          | 22.26      | 3,006.49        |                 | 2,706.62   | 2,404.60        | 5,177.87   |
| परिचालन से राजस्व             | 20,906.57       | 20,879.83 | 19,792.49       | 19,683.24       | 19,534.02 |                 |            | 11,589.49       |                 | 11,600.19  |                 |            |
| अन्य कमाई                     |                 |           | 837.14          |                 | 764.59    |                 |            | 430.90          |                 | 255.24     |                 |            |
| मूल्यहास और परिसोधन           |                 |           |                 |                 |           | 613.45          | 606.42     | 146.55          |                 | 115.20     |                 |            |
| अन्य खर्च                     |                 |           |                 |                 |           | 5,306.96        | 5,167.03   | 3,801.43        | 3,434.84        | 3,363.40   |                 |            |
| असाधारण वस्तुएँ               |                 |           |                 |                 |           |                 |            |                 |                 |            | 516.20          | -          |

## 6. राजस्व मान्यता और बिल न किया गया राजस्व (इंड एस 115)

राजस्व पहचान, जिसमें बिल न किया गया राजस्व, प्रावधान और बाद में बिलिंग समायोजन शामिल हैं, परिचालन डेटा, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र और ग्राहक स्वीकृति, RAMCO में दर्ज अनुबंध समापन मील के पथर जैसे ग्राहक/कार्य आदेश की स्थिति, जॉब, मानव घंटे और खपत के साथ कार्य पर निर्भर है, जिसका डेटा/समाधान उपलब्ध/सत्यापन योग्य नहीं है और न ही SAP के साथ पूरी तरह सिंक्रनाइज़ है। बिल न किए गए राजस्व की पहचान अगले वर्ष जून तिमाही में वास्तविक बिलिंग के आधार पर की जाती है, जो सीधे ग्राहक में बुक की जाती है और आय वास्तविक बिलिंग के समान होती है बजाय प्रावधान जीएल के जो ग्राहकों और उनके अग्रिमों के वास्तविक शेष की गलत व्याख्या करता है या नहीं दिखाता है। ग्राहक/ग्राहक डेबिट शेष से अग्रिम शून्य या कम दिखाएगा लेकिन वास्तव में कुछ शेष होगा।

वेंडर सर्टिफाइड इनवॉइस के अंदरूनी तौर पर पेंडिंग होने या कंप्लीशन सर्टिफिकेट/कस्टमर एक्सेप्टेंस की वजह से भी अनबिल्ड बुक किया जाता है। यह गलत तरीका है और अनबिल्ड रेवेन्यू का बेस नहीं हो सकता। पिछले साल की तरह बिना बिल वाले को समय पर पहचाना/बुक नहीं किया गया, क्योंकि 2022-23 से जुड़े बोइंग लोन ऑर्डर का हिसाब नहीं है और एयर इंडिया के 33 करोड़ क्रेडिट नोट और फरवरी 2022 से 2023-24 तक के इनवॉइस 2021-22 से 2023-24 तक बुक नहीं किए गए, बिना बिल वाले बुक किए गए और हमारे द्वारा एक बार हाइलाइट किए गए आंकड़े फिर से बताए गए।

MK एंटरप्राइजेज की सितंबर 2023 की स्कैप बिलिंग 30.4.2025 को Rs. 21.30 Lacs की थी, जबकि पेमेंट 30.9.2023 को मिला। सामान मैनुअल चालान पर डिलीवर किया गया, यह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बड़ा उल्लंघन है क्योंकि एडजस्टमेंट एंटी बिना बिल वाले रेवेन्यू अकाउंट से पास की गई।

ये टेस्ट केस हैं और हम ऐसे किसी भी मामले और रकम का पता नहीं लगा सकते।

ये तरीके रेवेन्यू रिकग्निशन पर कंट्रोल को कमज़ोर करते हैं और इसके नतीजे में रेवेन्यू रिसीवेबल्स और प्रॉफ़िट का गलत स्टेटमेंट हो सकता है।

## 7. देनदारियों का राइट-बैक

साल के दौरान, कुल ₹177.89 करोड़ की लायबिलिटीज़ को इनकम के तौर पर वापस लिखा गया, जिसमें से

₹120.83 करोड़ को एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर बताया गया। ये बैलेंस वेंडर्स, एम्प्लॉइज और दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं और मैनेजमेंट के लिमिटेशन पीरियड के असेसमेंट के आधार पर वापस लिखे गए थे, बिना कन्फर्मेशन, कौन्सिलिंग, सेटलमेंट या लीगल क्लोजर जैसे ऑब्लिवेशन खत्म होने के काफ़ी सबूत के। कई बैलेंस सरकारी / PSU एंटीटीज़, रिलेटेड पार्टियों और ओवरसीज़ वेंडर्स से जुड़े थे। इसलिए, साल की लायबिलिटीज़, इनकम और प्रॉफ़िट को गलत तरीके से बताया गया हो सकता है।

#### 8. प्रमुख कार्य प्रगति पर – नागपुर इंजन ओवरहाल सुविधा

GEnx / GE90 इंजन ओवरहॉल वर्कशॉप से संबंधित कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस

अप्रैल 2021 में एयर इंडिया से ट्रांसफर किए गए ₹113 करोड़ के नागपुर ट्रांसफर तीन साल से ज़्यादा समय से सस्पेंड हैं। कोई इम्पेयरमेंट असेसमेंट या रिकवरेबल वैल्यू असेसमेंट नहीं किया गया है, और कैरिंग वैल्यू अभी भी अनवेरिफाइड है।

मौजूदा ऑडिट साइकिल के दौरान लगातार फ़ॉलो-अप के बावजूद, ऊपर बताए गए मामलों को पक्के तौर पर वेरिफ़ाई करने और उनमें तालमेल बिठाने के लिए काफ़ी सही ऑडिट सबूत नहीं दिए गए। ये मुद्दे कई सालों से बने हुए हैं, जिसमें कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट से पहले का समय भी शामिल है, और रिपोर्टिंग डेट तक भी इनका समाधान नहीं हुआ है।

ऊपर दिए गए मामलों के बारे में हमारी राय सही है।

### महत्वपूर्ण विषय पर जोर

हम नीचे दिए गए मामलों की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं, जिन्हें स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में सही तरीके से बताया गया है। इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है:

1. कंपनी ने 01 सितंबर 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज को भेजे गए लेटर के ज़रिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति और ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन और रेमुनेरेशन कमिटी के गठन से जुड़े कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 149(4), 177 और 178 के प्रोविज़न से छूट मांगी है। डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज से जवाब का इंतज़ार है।
2. MSME डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) वेंडर्स की पहचान और देय ब्याज का कैलकुलेशन मैनुअल रूप से किया जाता है, जबकि SAP में सिस्टम फंक्शनैलिटी मौजूद है, जो अभी काम नहीं कर रहा है। इसलिए, MSME डिस्क्लोजर और ब्याज कैलकुलेशन की सटीकता और पूर्णता को अलग से वेरिफ़ाई नहीं किया जा सका।
3. SAP से मिले डेटा के आधार पर ट्रेड रिसीवेबल एजिंग को मैनुअली तैयार किया गया है। कस्टमर अकाउंट में एक ही लेजर में कई डेबिट और क्रेडिट एंट्री होती हैं, और कस्टमर से बैलेंस कन्फर्म करने के लिए कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस न होने की वजह से, ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग और रिकवरेबिलिटी को अलग से वेरिफ़ाई नहीं किया जा सका।
4. कंपनी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) और दूसरे एयरपोर्ट ऑपरेटरों से ज़मीन और जगह लीज़ पर ली है, जहाँ लीज़ एग्रीमेंट में लीज़ रेंटल और बढ़ाने के तरीके साफ़ तौर पर तय नहीं हैं। साल के दौरान, कंपनी ने MIAL से जुड़ी कुल ₹31.88 करोड़ की लीज़ से जुड़ी देनदारियों को वापस कर दिया है, जबकि इस



साल के लीज़ खर्चों का प्रोविज़न नहीं किया गया है। इसलिए, साल की इनकम उस हद तक ज़्यादा दिखाई जा सकती है। इसके अलावा, खर्चों के प्रोविज़न को अलग प्रोविज़न अकाउंट में रखने के बजाय सीधे एक्सपेंस अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, और प्रोविज़न के साल-दर-साल मूवमेंट के बारे में ठीक से नहीं बताया जाता है।

5. कंपनी के दुबई और काठमांडू में विदेश में ऑफिस हैं। इन ब्रांच के लिए अलग से अकाउंट बुक नहीं रखी जाती हैं। दुबई ब्रांच के लिए, हेड ऑफिस सिर्फ बैंक स्टेटमेंट रखता है, और काठमांडू ब्रांच के लिए कोई अलग बैंक अकाउंट नहीं है। इन विदेश में ऑफिस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की अलग से पहचान और जानकारी नहीं दी गई है।
6. कस्टमर और वेंडर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों अलग-अलग लेजर में होते हैं, और नेट बैलेंस को बैलेंस शीट में रिसीवेबल या पेयेबल के तौर पर दिखाया जाता है। पार्टि-वाइज़ पूरी तरह से मिलान और कन्फर्मेशन न होने पर, ऐसे बैलेंस से जुड़े एक्यूरेसी, अधिकार और ज़िम्मेदारियों को अलग से वेरिफ़ाई नहीं किया जा सका।
7. कंपनी ने खर्चों के लिए कुछ प्रोविज़न का हिसाब रखते हुए सोर्स पर टैक्स नहीं काटा है। इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 का पालन न करने का क्या असर होगा, यह पता नहीं चल सका।
8. इंटर-कंपनी बैलेंस पर मिलने वाला या देने वाला इंटररेस्ट, ग्रुप एंटीटीज़ के साथ लागू मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट/एग्रीमेंट के बजाय एवरेज बैलेंस के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा, कई एग्रीमेंट अभी भी एयर इंडिया के नाम पर हैं जिन्हें बदलकर AIESL करने की ज़रूरत है।

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे प्रोफेशनल फैसले के हिसाब से, मौजूदा समय के स्टैंडअलोन फाइनैशियल स्टेटमेंट के हमारे ऑडिट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। इन मामलों को पूरे स्टैंडअलोन फाइनैशियल स्टेटमेंट के हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के लिए देखा गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

1. एमएसएमई विक्रेता की पहचान और रुचि गणना  
जैसा कि 'मामले पर ज़ोर' में बताया गया है, MSME वेंडर्स की पहचान और ब्याज का कैलकुलेशन मैनुअली किया जाता है। वेंडर्स और ट्रांज़ैक्शन की संख्या को देखते हुए, इस एरिया को एक ज़रूरी ऑडिट मामला माना गया क्योंकि इसमें कानूनी ज़रूरतों का पालन न करने और देनदारियों को कम दिखाने का रिस्क था।
2. व्यापार प्राप्य आयु और पुनर्प्राप्ति  
ट्रेड रिसीवेबल एजिंग मैनुअली तैयार की जाती है और कस्टमर अकाउंट में बिना किसी सिस्टमैटिक नेटिंग या कन्फर्मेशन के कई डेबिट और क्रेडिट एंट्री होती हैं। कस्टमर कन्फर्मेशन के बिना, रिसीवेबल की रिकवरी और एजिंग में मैनेजमेंट का अहम फैसला शामिल था और इसलिए इसे एक अहम ऑडिट मामला माना गया।
3. कस्टमर और वेंडर लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की नेटिंग  
कस्टमर और वेंडर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिखते हैं, जिन्हें नेट किया जाता है और बैलेंस शीट में रिसीवेबल या पेयेबल के तौर पर दिखाया जाता है। रिकंसिलिएशन और कन्फर्मेशन की कमी के कारण,

ऐसे बैलेंस को दिखाने और रिकवर करने पर ऑडिट का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी और इसलिए इसे एक ज़रूरी ऑडिट मामला माना गया।

## अन्य मामले

### क) TDS और आयकर मामले

#### 1. लंबित कर मांगें और जुर्माना कार्यवाही

कंपनी पर FY 2014-15 से FY 2018-19 तक की कई पेंडिंग TDS डिमांड हैं, जो मुख्य रूप से कथित तौर पर कम / कटौती न करने, डिपॉजिट में देरी, TDS रिटर्न फाइल करने में देरी और TDS सर्टिफिकेट जारी न करने से जुड़ी हैं। ये डिमांड 17 मार्च 2020 को सेक्शन 133A के तहत किए गए सर्वे की कार्यवाही के बाद आई हैं।

#### 2. TDS अनुपालन पर आंतरिक नियंत्रण

टैक्स से जुड़े कंट्रोल, खासकर थ्रेशहोल्ड-बेस्ड TDS लागू होने की मॉनिटरिंग और सेक्शन 195 के तहत फॉरेन रेमिटेस कम्प्लायंस से जुड़े, ज्यादातर मैनुअल होते हैं। ऐसे कंट्रोल से गलतियों, देरी और नॉन-कम्प्लायंस का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर कंपनी के स्केल और ट्रांज़ैक्शन के वॉल्यूम को देखते हुए।

#### 3. कई धाराओं के तहत कर की कटौती

SAP रिकॉर्ड और मैनेजमेंट की दी गई जानकारी के अनुसार, एक ही पार्टी से कई सेक्शन (194C, 194J, 194I, 194Q और 195) के तहत काटे गए TDS को वेरिफाई नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक ही PAN के लिए अलग-अलग सेक्शन के तहत कटौती पर रोक नहीं है, लेकिन ऐसे तरीकों से रिस्क बढ़ जाता है, खासकर सेक्शन 201 के तहत पुरानी मांगों को देखते हुए।

#### 4. विविध पार्टी लेजर का उपयोग

एक आम "मिसलेनियस पार्टी" जनरल लेजर अकाउंट का इस्तेमाल वन-टाइम वेंडर्स की अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, जिससे ऑडिट ट्रेल क्लैरिटी कम हो जाती है और गलत TDS क्लासिफिकेशन और कम्प्लायंस गैप का रिस्क बढ़ जाता है।

#### 5. TDS सर्टिफिकेट (फॉर्म 16 / 16A) न मिलना और अकाउंटिंग न होना और कंपनी द्वारा TDS सर्टिफिकेट जारी करना

कस्टमर्स से TDS सर्टिफिकेट समय-समय पर नहीं मिले, मेटेन नहीं किए गए या उनका मिलान नहीं किया गया। इसके अलावा, TDS रिसीवेबल का साल के दौरान कस्टमर के हिसाब से हिसाब नहीं रखा गया और इसके बजाय इसे साल के आखिर में Form 26AS के आधार पर बुक किया गया। तय कट-ऑफ मैकेनिज्म और कस्टमर्स से बैलेंस कन्फर्मेशन न होने के कारण, हम TDS रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल की एक्यूरेसी, कम्प्लीटनेस और पीरियड के हिसाब से पहचान तय नहीं कर पाए, जिससे एसेट्स और रेवेन्यू का कुछ हद तक गलत स्टेटमेंट हो सकता है।

साल के दौरान काटे गए टैक्स के लिए वेंडर और कर्मचारियों को Form 16 / Form 16A समय पर जारी करने के बारे में कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं दिया गया। इसी तरह की कमियों का जारी रहना, जिनकी वजह



से पहले टैक्स की मांग और पेनल्टी लगती थी, कानूनी नियमों के पालन में लगातार कमज़ोरियों को दिखाता है।

### ख) GST मामले: मुश्किल GST ऑपरेशन और रिकंसिलिएशन

कंपनी कई GST रजिस्ट्रेशन के ज़रिए काम करती है और मुश्किल GST कम्प्लायंस वाले हाई-वैल्यू ट्रांज़ैक्शन करती है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक लेजर का मैनेजमेंट और रिटर्न रिकंसिलिएशन शामिल हैं। साल के दौरान कुछ नेगेटिव लायबिलिटी बैलेंस और बिना इस्तेमाल किए गए क्रेडिट देखे गए। जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया, ये टाइमिंग में अंतर, कानूनी इस्तेमाल पर रोक, क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट और पहले के पीरियड के रिकंसिलिएशन की वजह से हुए, और बाद के GST रिटर्न में इन्हें मॉनिटर और एडजस्ट किया गया।

### ग) ग्राहकों से एडवांस की प्रस्तुति

कस्टमर्स से मिले एडवांस को मैनेजमेंट के उनके नेचर और एक्सपेक्टेड सेटलमेंट के असेसमेंट के आधार पर बैलेंस शीट में "ट्रेड पेएबल्स" के तहत दिखाया गया है।

घ) 31.3.2025 तक **स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का OD अकाउंट** बैलेंस NIL, FD लियन के तहत सिक्वोर्ड: उधार के तहत OD लिमिट और इस्तेमाल और बैंक बैलेंस के तहत OD के खिलाफ सिक्वोर्ड FD लियन का डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया गया है।

ङ) फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके नोट्स में टाइपिंग, स्पेलिंग और रेफरेंस में कुछ गड़बड़ियां देखी गईं, जिनमें शामिल हैं:

1. **नोट 19 – कर्मचारी लाभ व्यय:** शब्द "प्रावधान" बनाम "व्यय" असंगत है।
2. **आयकर / टीडीएस आकस्मिक देयता तालिका:** धारा 201(1) / 201(1ए) के बजाय धारा 210(1) / 210(1ए) का गलत संदर्भ।
3. **दूसरी सब्सिडियरी कंपनियों की टेबल:** एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AIASL) का नाम एक जैसा नहीं है, और प्रेजेंटेशन में दूसरी छोटी-मोटी गड़बड़ियां।
4. **नोट 11 – इक्विटी शेयर पूंजी:** पिछले वर्ष के अधिकृत शेयर पूंजी आंकड़े और प्रारंभिक शेष तिथि गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है।

### फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट के अलावा दूसरी जानकारी

कंपनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स दूसरी जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। दूसरी जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट का एनेक्सर, बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नंस और शेयरहोल्डर की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारी राय में दूसरी जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी तरह का एश्योरेंस निष्कर्ष नहीं देते हैं।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरी जानकारी पढ़ें और ऐसा



करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या दूसरी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हमारे ऑडिट के दौरान मिली जानकारी से बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती है या किसी और तरह से बहुत ज़्यादा गलत लगती है। अगर, हमारे किए गए काम के आधार पर, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस दूसरी जानकारी में कोई बड़ी गलती है; तो हमें यह बात उन लोगों को बतानी होगी जिन पर गवर्नेंस का काम है और संबंधित कानूनों और नियमों के तहत लागू होने वाली कार्रवाई करनी होगी।

### **स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां**

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी की कुल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इक्विटी में बदलाव और कैश फ्लो को Ind AS और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार, जिसमें एक्ट के सेक्शन 133 के तहत बताए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शामिल हैं, शामिल हैं। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी के एसेट्स की सुरक्षा और फ्रॉड और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए एक्ट के प्रोविज़न्स के अनुसार सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मॉनिटरिंग भी शामिल है; सही अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चुनना और लागू करना; ऐसे फैसले और अनुमान लगाना जो सही और समझदारी भरे हों; और सही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस सुनिश्चित करने के लिए असरदार तरीके से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने और पेश करने के लिए ज़रूरी हैं, जो एक सही और फेयर व्यू देते हैं और फ्रॉड या गलती की वजह से होने वाली बड़ी गलत जानकारी से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय, मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की गोइंग कंसर्न के तौर पर जारी रहने की क्षमता का आकलन करे, गोइंग कंसर्न से जुड़ी बातों को, जहाँ लागू हो, बताए और अकाउंटिंग के गोइंग कंसर्न आधार का इस्तेमाल करे, जब तक कि मैनेजमेंट कंपनी को लिक्विडेट करने या ऑपरेशन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई असली विकल्प न हो। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार होता है।

### **स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियां**

हमारा मकसद इस बारे में सही भरोसा पाना है कि क्या स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गलत जानकारी नहीं है, चाहे वह फ्रॉड या गलती की वजह से हो, और एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। सही भरोसा एक हाई लेवल का भरोसा है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के हिसाब से किया गया ऑडिट हमेशा किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत जानकारी फ्रॉड या गलती से हो सकती है और उन्हें ज़रूरी माना जाता है अगर, अकेले या कुल मिलाकर, उनसे इन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर यूज़र्स के लिए गए आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की उम्मीद की जा सकती है।

SAs के अनुसार ऑडिट के हिस्से के तौर पर, हम प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलत जानकारी के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह फ्रॉड या गलती की वजह से हो, उन जोखिमों के हिसाब से ऑडिट प्रोसेस डिज़ाइन करें और उन्हें लागू



करें, और ऐसे ऑडिट सबूत हासिल करें जो हमारी राय के लिए आधार देने के लिए काफी और सही हों। फ्रॉड की वजह से हुई बड़ी गलत जानकारी का पता न चलने का जोखिम, गलती की वजह से हुई जानकारी के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रॉड में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत जानकारी, या इंटरनल कंट्रोल का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- ऑडिट से जुड़े इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की समझ हासिल करें ताकि हालात के हिसाब से सही ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए जा सकें। एक्ट के सेक्शन 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय देने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि कंपनी के पास सही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं और ऐसे कंट्रोल कितने असरदार हैं।
- इस्तेमाल की गई अकाउंटिंग पॉलिसी कितनी सही हैं और मैनेजमेंट द्वारा किए गए अकाउंटिंग अनुमान और उससे जुड़े खुलासे कितने सही हैं, इसका मूल्यांकन करें।
- मैनेजमेंट द्वारा अकाउंटिंग के लिए गोइंग कंसर्न बेसिस का इस्तेमाल करना सही है या नहीं, इस पर नतीजा निकालें और मिले ऑडिट सबूतों के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या हालातों से जुड़ी कोई बड़ी अनिश्चितता है जो कंपनी के गोइंग कंसर्न के तौर पर बने रहने की क्षमता पर बड़ा शक पैदा कर सकती है। अगर हम यह नतीजा निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए संबंधित खुलासों की ओर ध्यान दिलाना होगा या, अगर ऐसे खुलासे काफी नहीं हैं, तो अपनी राय बदलनी होगी। हमारे नतीजे हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक मिले ऑडिट सबूतों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या हालातों की वजह से कंपनी गोइंग कंसर्न के तौर पर बने रहना बंद कर सकती है।
- स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और कंटेंट का मूल्यांकन करें, जिसमें डिस्क्लोजर भी शामिल हैं, और क्या स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को इस तरह से दिखाते हैं जिससे फेयर प्रेजेंटेशन मिले।

मैटेरियलिटी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत बयानों की वह मात्रा है, जो अकेले या कुल मिलाकर, इस बात की संभावना बनाती है कि स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी जानकारीयूजर के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ सकता है। हम (i) अपने ऑडिट के काम का दायरा प्लान करने और अपने काम के नतीजों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहचानी गई किसी भी गलत बयान के असर का मूल्यांकन करने में क्वांटिटेटिव मैटेरियलिटी और क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर विचार करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों से, दूसरी बातों के अलावा, ऑडिट के प्लान किए गए स्कोप और टाइमिंग और ज़रूरी ऑडिट नतीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे ऑडिट के दौरान पता चली इंटरनल कंट्रोल में कोई भी बड़ी कमी शामिल है।

हम गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने आज़ादी से जुड़ी ज़रूरी नैतिक ज़रूरतों का पालन किया है, और उन्हें उन सभी रिश्तों और दूसरी बातों के बारे में बताते हैं जिनका हमारी आज़ादी पर असर पड़ सकता है, और जहाँ लागू हो, उससे जुड़े सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों के साथ बातचीत की गई बातों से, हम उन बातों का पता लगाते हैं जो मौजूदा समय के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में सबसे ज्यादा ज़रूरी थीं और हमने खास ऑडिट मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। हम इन बातों के बारे में अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में बताते हैं, जब तक कि

कानून या नियम मामले के बारे में पब्लिक में बताने से न रोकें या जब, बहुत कम मामलों में, हम यह तय करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के बुरे नतीजे ऐसी बातचीत से होने वाले पब्लिक इंटरैस्ट के फ़ायदों से ज़्यादा होने की उम्मीद है।

### **अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"), भारत की केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार जारी किया गया है, हम **अनुलग्नक-ए** में देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, जहां तक लागू हो।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि जोर और मुख्य लेखापरीक्षा मामले पर हमारी राय के अधीन:
  - क) हमने वह सारी जानकारी और एक्सप्लेनेशन मांग ली है और हासिल कर ली है, जो हमारी जानकारी और विश्वास के हिसाब से हमारे ऑडिट के लिए ज़रूरी थी।
  - ख) हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में बताए गए मामले के असर को छोड़कर, कंपनी ने कानून के हिसाब से सही अकाउंट बुक्स रखी हैं, जो ज़रूरी ऑडिट मामलों में रिमार्क्स के अधीन हैं, जैसा कि उन बुक्स की हमारी जांच से पता चलता है।
  - ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, खाता बही के अनुरूप हैं।
  - घ) हमारी राय में, ऊपर बताए गए स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्ट के सेक्शन 133 के तहत बताए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, कंपनीज़ (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) रूल्स, 2015, जैसा कि बदला गया है, के हिसाब से हैं।
  - ङ) कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से दिनांक 05-06-2015 की अधिसूचना संख्या GSR 463 (e) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
  - च) कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कितने काम के हैं और ऐसे कंट्रोल्स कितने काम के हैं, इस बारे में हमारी अलग रिपोर्ट "Annexure B" में देखें। हमारी रिपोर्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कितने काम के हैं और कितने काम के हैं, इस पर अपनी राय दी गई है।
  - छ) कंपनीज़ एक्ट 2013 के शेड्यूल V के साथ सेक्शन 197 के मैनेजरियल सैलरी से जुड़े नियम, MCA नोटिफिकेशन नंबर GSR 463 (E) तारीख 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
  - ज) हमें अकाउंट्स के मेंटेनेंस और उससे जुड़े दूसरे मामलों से जुड़ी कुछ बुरी बातें मिली हैं, इसलिए हमने इस रिपोर्ट के खास ऑडिट मामले और दूसरे मामलों पर जोर देते हुए कमेंट किया है।



झ) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले दूसरे मामलों के बारे में, जैसा कि बदला गया है, हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के नोट्स के लिए नोट 1 (एम (ए) और नोट 23 देखें);
- ii. कंपनी को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर कोई बड़ा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है और उसने कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। इसलिए इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है।
- iii. कंपनी को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कोई रकम ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है।
- iv. क) मैनेजमेंट ने बताया है कि, उसकी जानकारी और विश्वास के मुताबिक, कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति या एंटीटी, जिसमें विदेशी एंटीटी ("इंटरमीडियरी") भी शामिल हैं, को कोई फंड एडवांस नहीं दिया है, लोन नहीं दिया है या इन्वेस्ट नहीं किया है (चाहे उधार लिए गए फंड से या शेयर प्रीमियम से या किसी और सोर्स या तरह के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखकर या किसी और तरह से, कि इंटरमीडियरी

- फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम मध्यस्थ") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना, या
- अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसी ही कोई चीज़ देना; और

ज) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी

- फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम मध्यस्थ") को उधार देना या निवेश करना, या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान करना;

ट) परिस्थितियों में उचित और उचित माने जाने वाले ऐसे ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खण्ड iv (ए) और iv (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है।

ठ) कंपनी ने साल के दौरान कोई डिविडेंड घोषित नहीं किया है; इसलिए यह पैरा लागू नहीं होता है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकतानुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जारी निदेशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) क्या कंपनी के पास IT सिस्टम के ज़रिए सभी अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करने का सिस्टम है? अगर हाँ, तो IT सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करने से अकाउंट्स की इंटीग्रिटी पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही अगर कोई फ़ाइनेंशियल असर होगा, तो उसे भी बताया जाए।

रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 1 के अनुसार कालिफिकेशन दी गई है

- हमारे ऑडिट पीरियड के दौरान 31 मार्च 2025 को बैंक डेट में काफी एंट्री पोस्ट की गई हैं।
- कंपनी के पास इंटर कंपनी बैलेंस के बकाया पर ब्याज कैलकुलेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। यह काम मैनुअली किया गया है।

ख) क्या किसी मौजूदा लोन की कोई रीस्ट्रक्चरिंग हुई है या कंपनी के लोन न चुका पाने की वजह से किसी लेंडर ने कंपनी को कर्ज़/लोन/ब्याज वगैरह माफ़/राइट ऑफ़ किया है? अगर हाँ, तो फ़ाइनेंशियल असर बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है? (अगर लेंडर कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश लेंडर कंपनी के स्टैच्युटरी ऑडिटर पर भी लागू होता है)।

जानकारी और एक्सप्लेनेशन के आधार पर, कंपनी ने किसी भी कंपनी से लोन नहीं लिया है और साल के दौरान लेंडर ने कंपनी को कोई रीस्ट्रक्चरिंग, वेवर / डेट्स/लोन्स/इंटरेस्ट वगैरह में कोई राइट ऑफ़ नहीं किया है।

ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से खास स्कीमों के लिए मिले/मिलने वाले फंड का हिसाब-किताब सही तरीके से किया गया/उसकी शर्तों के हिसाब से इस्तेमाल किया गया? डेविेशन के मामलों की लिस्ट बनाएं।

हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के आधार पर, सेंट्रल/स्टेट एजेंसियों से खास स्कीम के लिए कोई फंड नहीं मिला है।

**इनके लिए और इनकी ओर से**

**एएजेवी एंड एसोसिएट्स**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट**

**फर्म पंजीकरण संख्या 007739N**

**एसडी/-**

**सीए अजय के बजाज**

**पार्टनर**

**सदस्यता संख्या 086306**

**UDIN: 25086306PHBSJL8721**

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनांक: 26-12-2025**



## स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ए

### हमारी उसी तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में “अन्य कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतों पर रिपोर्ट” के तहत इसका जिक्र है

- (i) (क) i) कंपनी अपने रिकार्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें मूर्त परिसंपत्तियों की मात्रात्मक ब्यौरा और स्थिति तथा परिसंपत्तियों के पूंजीकरण और मूल्यहास पर दी गई योग्यता समेत पूर्ण विवरण दिखाया गया है।
- ii) कंपनी पर कोई इनटैजिबल एसेट बकाया नहीं है; इसलिए इससे जुड़ा पैरा लागू नहीं होता।
- (ख) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी का दो साल में एक बार टैजिबल एसेट्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोग्राम है। इस साल टैजिबल एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया है।
- (ग) फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई गई अचल प्रॉपर्टीज़ (उन प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर जो कंपनी के पक्ष में सही तरीके से किए गए लीज़ एग्रीमेंट के साथ कंपनी द्वारा लीज़ पर दी गई हैं) से जुड़े टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

| संपत्ति का विवरण     | सकल वहन मूल्य | के नाम पर आयोजित    | यदि प्रमोटर, डायरेक्टर या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी | अवधि – जहाँ उचित हो, सीमा बताएँ | कंपनी के नाम पर न होने का कारण*                       |
|----------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| पीपीई                |               |                     |                                                      |                                 |                                                       |
| क) इमारत             | 264.40 करोड़  | एयर इंडिया लिमिटेड. | नहीं                                                 | 8.4.2021                        | वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 35 (ix) और 2(ए)ii देखें |
| ख) Jet 9D टेस्ट हाउस | 1.04 करोड़    | एयर इंडिया लिमिटेड. | नहीं                                                 | 1.4.2019                        | वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 35 (ix) 2(ए)ii देखें    |

- (घ) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड्स की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने साल के दौरान प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट (इस्तेमाल के अधिकार वाले एसेट्स सहित) या इनटैजिबल एसेट्स या दोनों का कोई रीवैल्यूएशन नहीं किया है।
- (ङ) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1988 (45 of 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या पेंडिंग नहीं है।

- (ii) (क) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई सही सिस्टम नहीं है और मेन रिपोर्ट में योग्यता में डिटेल्ड नोट दिया गया है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को साल के दौरान करंट एसेट्स की सिक्योरिटी के आधार पर बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट मंजूर नहीं की गई है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3(ii)(b) के प्रोविज़न कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने साल के दौरान कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या किसी दूसरी पार्टी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दी है या लोन या एडवांस नहीं दिया है, चाहे वह सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3(iii)(a) से (f) के प्रोविज़न कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड की मिलती-जुलती सब्सिडियरी कंपनी अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (AAAL) को लोन दिया है और कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दी है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3(iv) के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (v) कंपनी ने कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, जहाँ तक लागू हो, जनता से कोई डिपॉज़िट या ऐसी रकम स्वीकार नहीं की है जिसे डिपॉज़िट माना जाता हो। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज 3(v) के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (vii) (क) कंपनी के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की हमारी जांच के आधार पर, हमने देखा है कि कंपनी रेगुलर तौर पर बिना किसी विवाद के कानूनी बकाया जमा कर रही थी, जिसमें एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, इनकम-टैक्स, सेल्स-टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और कोई भी दूसरा कानूनी बकाया शामिल था, सिवाय TDS, GST के, जैसा कि दूसरे मामले के पॉइंट A) और B) के नोट में बताया गया है और प्रोविडेंट फंड। कंपनी ने साल के आखिर तक ऐसे सभी बिना किसी विवाद के बकाया चुका दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 के आखिरी दिन तक, छह महीने से ज़्यादा समय से बकाया कानूनी बकाया नीचे दिए गए हैं:

| वैधानिक देयताओं की प्रकृति | 31 मार्च 2025 तक 6 महीने से ज़्यादा की बकाया रकम (करोड़ रुपए में) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| माल और सेवा कर             | 2.18                                                              |
| वैट                        | शून्य                                                             |
| पीएफ                       | 0.84                                                              |



ऑडिट के दौरान कवर नहीं किए गए विदेशी बिज़नेस एरिया के संबंध में अगर कोई कानूनी बकाया है, तो क्योंकि रिकॉर्ड संबंधित बिज़नेस एरिया में रखा जाता है जो वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते कि बकाया समय पर जमा किया गया है या नहीं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कुछ स्टैच्युटरी ड्यूज़ हैं जो कंपनी ने विवाद के कारण जमा नहीं किए हैं।

| क्रम संख्या | मूल्यांकन वर्ष | टीडीएस/आयकर | मांग राशि (करोड़ में) |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 1           | 2015-16        | टीडीएस      | 2.84                  |
| 2           | 2016-17        | टीडीएस      | 4.46                  |
| 3           | 2017-18        | टीडीएस      | 6.34                  |
| 4           | 2018-19        | टीडीएस      | 18.46                 |
| 5           | 2019-20        | टीडीएस      | 32.38                 |
|             |                | <b>कुल</b>  | <b>64.47</b>          |

\* ब्याज धारा 220(2) के तहत उपरोक्त मांग पर 31 मार्च, 2025 तक ₹ 39.16 करोड़ होंगे।

(viii) पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

हालांकि, मेन रिपोर्ट के पॉइंट पर क्वालिफिकेशन को छोड़कर पिछली पीरियड की इनकम FY 2023-24 के लिए Rs. 2.67 करोड़ और FY 2022-23 के लिए Rs. 18.18 करोड़ इस साल में बुक की गई है। (अकाउंट्स के नोट्स के लिए नोट नंबर 25, 26 और SOCE देखें)।

(ix) (क) कंपनी ने किसी भी लेंडर से कोई लोन या दूसरा उधार नहीं लिया है। इसलिए ऑर्डर के क्लॉज़ 3(ix)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सरकार या किसी सरकारी अथॉरिटी ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(c) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(घ) कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी जांच करने पर, पहली नज़र में, शॉर्ट-टर्म बेसिस पर जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी ने साल के दौरान लॉन्ग-टर्म मकसद के लिए नहीं किया है।

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, आदेश के खंड 3(ix)(e) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(f) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

- (x) (क) कंपनी ने साल के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेट इंस्ट्रूमेंट्स सहित) के ज़रिए कोई पैसा नहीं जुटाया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(x) (a) के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ख) कंपनी ने साल के दौरान शेयरों या कन्वर्टिबल डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या ऑप्शनली कन्वर्टिबल) का कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(x) (b) के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xi) (क) फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही और सही जानकारी देने के मकसद से किए गए ऑडिट प्रोसेस के आधार पर और मैनेजमेंट की दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि साल के दौरान कंपनी की तरफ से कोई फ्रॉड या कंपनी पर कोई बड़ी फ्रॉड नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xi) (a) के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट लागत लेखा परीक्षक/सचिवालय लेखा परीक्षक द्वारा या हमारे द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।
- (ग) हमने ऑडिट प्रोसेस का नेचर, टाइमिंग और हद तय करते समय, साल के दौरान कंपनी को मिली व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों को ध्यान में रखा है।
- (xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) (a), (b) और (c) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों के नोट 31 में विवरण का खुलासा किया गया है।
- (xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।
- (ख) ऑडिट के समय की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उनमें स्टॉक, एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन, एजिंग, एक ही पार्टी के डेबिट क्रेडिट बैलेंस, कर्मचारियों के पुराने बैलेंस वगैरह पर कोई अंतर या इनपुट नहीं दिया गया है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट कमिटी के नतीजों के पालन में बहुत सुधार की ज़रूरत है।
- (xv) कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स या अपने डायरेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ कोई भी नॉन-कैश ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है, इसलिए ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xv) पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (xvi) (क) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 (2 of 1934) के सेक्शन 45-IA के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xvi)(a) पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं।
- (ग) कंपनी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बनाए रेगुलेशंस में बताई गई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xvi)(c) पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत कंपनी पर लागू नहीं होती है।



(घ) जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ (रिज़र्व बैंक) डायरेक्शन्स, 2016 में दी गई ग्रुप की परिभाषा के अनुसार, ग्रुप के हिस्से के तौर पर ग्रुप में एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं हैं।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) फाइनेंशियल रेश्यो, एजिंग और फाइनेंशियल एसेट्स के रियलाइज़ेशन और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के पेमेंट की एक्सपेक्टेड डेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दी गई दूसरी जानकारी और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट प्लान्स के बारे में हमारी जानकारी और अजम्पशन्स को सपोर्ट करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, डेटा SAP सॉफ्टवेयर से जनरेट नहीं होता है, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते, जिससे हमें लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई बड़ी अनसर्टेनिटी मौजूद है, जो यह दिखाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट की तारीख से एक साल के टाइम पीरियड के अंदर पूरा करने में कैपेबल नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी के फ्यूचर वायबिलिटी के बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के फैक्ट्स पर बेस्ड है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई एश्योरेंस देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक साल के टाइम पीरियड के अंदर आने वाली सभी लायबिलिटीज़, कंपनी द्वारा उनके ड्यू होने पर डिस्चार्ज कर दी जाएंगी।

(xx) (क) कंपनी को कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 135 के सब-सेक्शन (5) के दूसरे प्रोविज़ो के हिसाब से, कंपनीज़ एक्ट के शेड्यूल VII में बताए गए फंड में रकम ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xx) (a) और (b) पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xxi) कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xxi) पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत कंपनी पर लागू नहीं होती है।

**इनके लिए और इनकी ओर से**

**एएजेवी एंड एसोसिएट्स**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट**

**फर्म पंजीकरण संख्या 007739N**

**एसडी/-**

**सीए अजय के. बजाज**

**पार्टनर**

**सदस्यता संख्या 086306**

**UDIN: 25086306PHBSJL8721**

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनांक: 26-12-2025**

## **स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी**

**हमारी उसी तिथि की रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के अंतर्गत पैराग्राफ 2(जी) में संदर्भित**

**कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2025 तक एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है।

### **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (“ICAI”) द्वारा जारी फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में बताए गए इंटरनल कंट्रोल के ज़रूरी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा बनाए गए फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग क्राइटेरिया पर आधारित इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में सही इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल का डिज़ाइन, लागू करना और बनाए रखना शामिल है जो कंपनी के बिज़नेस को सही और अच्छे तरीके से चलाने के लिए असरदार तरीके से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की पॉलिसी का पालन करना, उसके एसेट्स की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी और गलतियों को रोकना और उनका पता लगाना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और एक्ट के तहत ज़रूरी भरोसेमंद फ़ाइनैशियल जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

### **लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर कंपनी के इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल पर अपनी राय दें। हमने अपना ऑडिट, फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल के ऑडिट पर गाइडेंस नोट (“गाइडेंस नोट”) और ICAI द्वारा जारी और एक्ट के सेक्शन 143(10) के तहत तय माने जाने वाले ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया, जो इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल के ऑडिट पर लागू होते हैं, दोनों इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट के लिए ज़रूरी है कि हम एथिकल ज़रूरतों का पालन करें और ऑडिट की प्लानिंग करें और उसे करें ताकि यह पक्का हो सके कि फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर काफ़ी इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल बनाए गए थे और उन्हें बनाए रखा गया था और क्या ऐसे कंट्रोल सभी ज़रूरी मामलों में असरदार तरीके से काम कर रहे थे।

हमारे ऑडिट में फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल सिस्टम कितना सही है और उनका ऑपरेटिंग असर कितना है, इस बारे में ऑडिट सबूत पाने के लिए प्रोसीजर करना शामिल है। फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल के हमारे ऑडिट में फ़ाइनैशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फ़ाइनैशियल कंट्रोल को समझना, किसी बड़ी कमजोरी के रिस्क का आकलन करना, और आंके गए रिस्क के आधार पर इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन और ऑपरेटिंग असर की टेस्टिंग और मूल्यांकन करना शामिल था। चुने गए प्रोसीजर ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करते हैं, जिसमें फ़ाइनैशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलत जानकारी के रिस्क का आकलन भी शामिल है, चाहे



वह फ्रॉड या गलती की वजह से हो।

हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट सबूत मिले हैं, वे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार देने के लिए काफी और सही हैं।

### **फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब**

फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के भरोसे और आम तौर पर माने गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बाहरी मकसदों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बारे में सही भरोसा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में वे पॉलिसी और प्रोसेस शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड के मटेनेंस से जुड़ी हैं जो कंपनी के एसेट्स के ट्रांज़ैक्शन और डिस्पोज़िशन को सही और सही तरीके से दिखाते हैं; (2) यह पक्का भरोसा देते हैं कि ट्रांज़ैक्शन को आम तौर पर माने गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए ज़रूरी तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की रसीदें और खर्च सिर्फ़ कंपनी के मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की मंजूरी के हिसाब से किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी के एसेट्स के बिना इजाज़त के एक्जिजिशन, इस्तेमाल, या डिस्पोज़िशन को रोकने या समय पर पता लगाने के बारे में सही भरोसा देते हैं, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बड़ा असर पड़ सकता है।

### **फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की अंदरूनी सीमाएं**

फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की अंदरूनी सीमाओं की वजह से, जिसमें मिलीभगत या कंट्रोल पर गलत मैनेजमेंट का कब्ज़ा होने की संभावना शामिल है, गलती या धोखाधड़ी की वजह से बड़ी गलत जानकारी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, आने वाले समय में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि हालात में बदलाव की वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल काफ़ी नहीं रह सकता है, या पॉलिसी या प्रोसेस के पालन का लेवल बिगड़ सकता है।

हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक ये कमियां पता चली हैं:

- i) कंपनी के पास एंट्रीज़ की समय पर अकाउंटिंग के लिए कोई असरदार सिस्टम नहीं था, ताकि डुप्लीकेट/करेक्टिफिकेशन अकाउंटिंग एंट्रीज़ को रोका जा सके। SAP में अकाउंटिंग बुक्स फ्रीज़ नहीं होतीं क्योंकि कुछ एंट्रीज़ बैलेंस शीट पर साइन करने के बाद भी पास हो जाती हैं। एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रीज़ करने और एंट्री राइट्स पास करने का इंटरनल कंट्रोल एक ही व्यक्ति के पास होता है, जिसे सीनियर पद वाले व्यक्ति द्वारा कंट्रोल करने के लिए चेक करने की ज़रूरत होती है।
- ii) SAP में ज़्यादातर एंट्री और दूसरी ग्रुप कंपनियों द्वारा उठाए गए खर्चों और फिर कंपनी द्वारा रीइंबर्स किए गए खर्चों से जुड़ी एंट्री में एंट्री की वैलिडिटी चेक करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था।
- iii) कंपनी के पास दूसरी पार्टियों के साथ बैलेंस के मिलान का कोई असरदार सिस्टम नहीं था।
- iv) कंपनी का इंटरनल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से होता है, जिसमें ऑडिट का काम कंपनी के साइज़ और वॉल्यूम के हिसाब से पूरा नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का कम्प्लायंस अभी भी पेंडिंग है और इसलिए

हम कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स पर किसी भी नतीजे पर कमेंट नहीं कर सकते। हमारा सुझाव है कि कम्प्लायंस के साथ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रेगुलर इंटरवल पर बोर्ड की ऑडिट कमिटी के सामने रखी जा सकती हैं।

## मेटीरियल वीकनेस

'मेटीरियल वीकनेस' का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में कमी, या कमियों का कॉम्बिनेशन, जिससे इस बात की काफी संभावना है कि कंपनी के सालाना या अंतरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी गलत जानकारी को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

## राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर मुख्य रिपोर्ट में योग्यता को छोड़कर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में इस्तेमाल किए गए ऑडिट टेस्ट के नेचर, टाइमिंग और हद को तय करने के लिए ऊपर बताई गई और पहचानी गई ज़रूरी कमजोरियों पर विचार किया है , और ये ज़रूरी कमजोरियाँ कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारी राय पर असर डालती हैं।

**इनके लिए और इनकी ओर से**

**एएजेवी एंड एसोसिएट्स**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट**

**फर्म पंजीकरण संख्या 007739N**

**एसडी/-**

**सीए अजय के बजाज**

**पार्टनर**

**सदस्यता संख्या 086306**

**UDIN: 25086306PHBSJL8721**

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनांक: 26-12-2025**



## अनुपालना प्रमाण पत्र

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन किया है।

इनके लिए और इनकी ओर से

एएजेवी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 007739N

एसडी/-

सीए अजय के बजाज

पार्टनर

सदस्यता संख्या 086306

UDIN: 25086306PHBSJL8721

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26-12-2025

# एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

CIN - U74210DL2004GOI1251144

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट, दिल्ली - 110003

31 मार्च 2025 को समाप्त हुई बैलेंस शीट

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                  | नोट नंबर | 31 मार्च 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक<br>(पुनर्स्थापित)* | 1 अप्रैल 2023 तक<br>(पुनर्स्थापित)* |
|----------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>संपत्ति:</b>                        |          |                  |                                     |                                     |
| <b>1) गैर तात्कालिक परिसंपत्ति</b>     |          |                  |                                     |                                     |
| (i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण         | 2 (क)    | 5,085.82         | 5,089.36                            | 5,482.69                            |
| (ii) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार  | 2 (ख)    | 40.87            | 40.35                               | 53.8                                |
| (iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर          | 2 (क)    | 1,137.68         | 1,137.68                            | 1,137.68                            |
| (iv) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:            |          |                  |                                     |                                     |
| क) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ          | 3        | 1.00             | 1.00                                | 0.06                                |
| (v) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)   | 4        | 1,751.35         | 1,739.26                            | 1,550.14                            |
| (vi) आयकर परिसंपत्तियाँ                | 4        | -                | -                                   | -                                   |
|                                        |          | <b>8,016.72</b>  | <b>8,007.64</b>                     | <b>8,224.36</b>                     |
| <b>2) वर्तमान संपत्ति</b>              |          |                  |                                     |                                     |
| i) इन्वेंट्री                          | 5        | 416.49           | 183.96                              | 104.39                              |
| <b>ii) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:</b>      |          |                  |                                     |                                     |
| क) व्यापार प्राप्य                     | 6        | 11,360.66        | 12,900.27                           | 8,424.91                            |
| ख) नकद और नकद समतुल्य                  | 7        | 3,698.56         | 2,213.27                            | 397.84                              |
| ग) उपरोक्त (ख) के अतिरिक्त बैंक बैलेंस | 8        | 5,841.00         | 2,401.38                            | 3,628.88                            |
| घ) ऋण                                  | 9        | 300              | -                                   | -                                   |
| ई) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ          | 3        | 41.93            | 40.72                               | 14.97                               |
| iii) चालू कर परिसंपत्तियाँ             | 4        | 870.59           | 330.52                              | 886.67                              |
| iv) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ            | 10       | 679.89           | 833.31                              | 840.91                              |
|                                        |          | <b>23,209.12</b> | <b>18,903.42</b>                    | <b>14,298.57</b>                    |
| <b>कुल</b>                             |          | <b>31,225.84</b> | <b>26,911.05</b>                    | <b>22,522.93</b>                    |
| <b>इकिटी और देयता :</b>                |          |                  |                                     |                                     |
| <b>1) हिस्सेदारी</b>                   |          |                  |                                     |                                     |
| i) इकिटी शेयर पूंजी                    | 11       | 1,666.67         | 1,666.67                            | 1,666.67                            |
| ii) अन्य इकिटी                         | 12       | -2,877.37        | -6,851.83                           | -9,235.85                           |
|                                        |          | <b>-1,210.71</b> | <b>-5,185.17</b>                    | <b>-7,569.19</b>                    |



|    |                            |       |           |           |           |
|----|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2) | देनदारियां:                |       |           |           |           |
|    | गैर मौजूदा देनदारियां      |       |           |           |           |
|    | i) वित्तीय देनदारियां      |       |           |           |           |
|    | क) पट्टे की देनदारियांw    | 2 (ग) | 28.42     | 33.14     | 46.27     |
|    | ख) व्यापार देयताएँ         | 14    | -         | -         | -         |
|    | ग) अन्य वित्तीय देनदारियां | 15    | 22,636.45 | 20,822.96 | 21,739.44 |
|    | ii) गैर-वर्तमान प्रावधान   | 13    | 5,428.72  | 6,284.77  | 3,773.08  |
|    | iii) अन्य देनदारियां       |       | -         | -         | -         |
|    |                            |       | 28,093.58 | 27,140.88 | 25,558.78 |
|    | वर्तमान देनदारियां         |       |           |           |           |
|    | i) वित्तीय देनदारियां      |       |           |           |           |
|    | क) पट्टे की देनदारियां     | 2 (ग) | 19.07     | 13.12     | 11.31     |
|    | ख) व्यापार देयताएँ         | 14    |           |           |           |
|    | - एमएसई                    |       | 86.48     | 48.04     | 31.3      |
|    | - एमएसएमई के अलावा         |       | 1,841.17  | 2,283.43  | 1,475.99  |
|    | ग) अन्य वित्तीय देनदारियां | 15    | 855.59    | 812.49    | 600.03    |
|    | ii) वर्तमान प्रावधान       | 13    | 1,094.61  | 1,376.74  | 1,466.99  |
|    | iii) अन्य चालू देनदारियां  | 16    | 446.05    | 421.52    | 947.72    |
|    |                            |       | 4,342.96  | 4,955.34  | 4,533.33  |
|    | कुल                        |       | 31,225.84 | 26,911.05 | 22,522.93 |

नोट नंबर 1-41 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 25 देखें।

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

उनके लिए और उनकी ओर से  
एएजेवी और एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
एफआरएन : 007739एन

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ताक्षर/-  
अमित कुमार  
अध्यक्ष  
डीआईएन 11001643  
हस्ताक्षर/-  
शरद अग्रवाल  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ताक्षर/-  
पदम लाल नेगी  
निदेशक  
डीआईएन 10041387  
हस्ताक्षर/-  
राकेश कुमार जैन  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षर/  
सीए अजय के बजाज  
साथी  
एम.नं. 086306  
UDIN 25086306PHBSJL8721

स्थान: नई दिल्ली

हस्ताक्षर/-  
साक्षी मेहता

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

CIN - U74210DL2004GOI1251144

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट, दिल्ली - 110003

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                           | नोट नंबर            | 2024-25          | 2023-24<br>(पुनर्स्थापित)* | 2022-23<br>(पुनर्स्थापित)* |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>आय</b>                                                       |                     |                  |                            |                            |
| <b>I</b> परिचालन से राजस्व                                      | <b>17</b>           | 18,106.91        | 20,906.57                  | 19,792.49                  |
| <b>II</b> अन्य कमाई                                             | <b>18</b>           | 1,353.59         | 923.7                      | 837.14                     |
| <b>III</b> कुल आय (I+II)                                        |                     | <b>19,460.50</b> | <b>21,830.27</b>           | <b>20,629.63</b>           |
| <b>IV</b> खर्च                                                  |                     |                  |                            |                            |
| <b>i</b> कर्मचारी लाभ व्यय                                      | <b>19</b>           | 8,800.28         | 7,653.24                   | 6,855.75                   |
| <b>ii</b> वित्त लागत                                            | <b>20</b>           | 1,891.54         | 1,856.64                   | 1,920.84                   |
| <b>iii</b> मूल्यहास और परिशोधन व्यय                             | <b>2(क) और 2(ख)</b> | 839.29           | 610.36                     | 592.73                     |
| <b>iv</b> अन्य खर्चों                                           | <b>21</b>           | 4,096.27         | 5,404.27                   | 4,818.79                   |
| <b>कुल व्यय (i + ii + iii + iv)</b>                             |                     | <b>15,627.38</b> | <b>15,524.50</b>           | <b>14,188.11</b>           |
| <b>पिछली अवधि के समायोजन के बाद कुल व्यय</b>                    |                     | <b>15,627.38</b> | <b>15,524.50</b>           | <b>14,188.11</b>           |
| <b>V</b> अपवाद वस्तुओं और कर से पहले लाभ/हानि (III-IV)          |                     | <b>3,833.12</b>  | <b>6,305.77</b>            | <b>6,441.52</b>            |
| <b>VI</b> असाधारण वस्तुएँ                                       | <b>27</b>           | 1,208.30         | -2,595.03                  | 2,334.21                   |
| <b>VII</b> असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ/हानि (V+VI) |                     | <b>5,041.42</b>  | <b>3,710.74</b>            | <b>8,775.73</b>            |
| <b>VIII</b> कर व्यय :                                           |                     |                  |                            |                            |
| i) वर्तमान कर                                                   | <b>4</b>            | 970.16           | 1,407.22                   | 338.97                     |
| ii) आस्थगित कर व्यय/(आय)                                        | <b>4</b>            | -12.09           | -189.12                    | 1,652.73                   |
| iii) पिछले वर्ष से संबंधित कर समायोजन                           |                     | 36.76            | -83.97                     | 168.31                     |



|    |                                             |      |          |          |          |
|----|---------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |                                             |      |          |          |          |
| IX | अवधि (IX-X) के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि)     |      | 4,046.60 | 2,576.61 | 6,615.72 |
|    |                                             |      |          |          |          |
| X  | अन्य व्यापक आय                              |      |          |          |          |
|    | परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 19.i | -72.13   | -192.59  | 10.42    |
|    |                                             |      |          |          |          |
|    | कुल व्यापक आय                               |      | 3,974.46 | 2,384.02 | 6,626.15 |
|    |                                             |      |          |          |          |
| XI | प्रति शेयर आय 10 रुपये प्रति शेयर है।       |      |          |          |          |
|    | बुनियादी                                    | 22   | 24.28    | 15.46    | 39.69    |
|    | डाइल्यूटेड                                  | 22   | 24.28    | 15.46    | 39.69    |

नोट नंबर 1-41 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 25 देखें।

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

उनके लिए और उनकी ओर से  
एएजेवी और एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
FRN : 007739N

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ताक्षर/-  
अमित कुमार  
अध्यक्ष  
DIN 11001643

हस्ताक्षर/-  
पदम लाल नेगी  
निदेशक  
DIN 10041387

हस्ताक्षर/  
सीए अजय के बजाज  
साथी  
एम.नं. 086306  
UDIN

हस्ताक्षर/-  
शरद अग्रवाल  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ताक्षर/-  
राकेश कुमार जैन  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

जगह : नई दिल्ली  
दिनांक: 26-12-2025

साक्षी मेहता  
कंपनी सचिव

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

CIN - U74210DL2004GOI125114

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफ्दरजंग एयरपोर्ट, दिल्ली - 110003

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(मिलियन रुपये में)

|   | विवरण                                                                   | 31 मार्च, 2025 तक |                 | 31 मार्च 2024 तक<br>(पुनर्स्थापित)* |                 | 1 अप्रैल, 2023 तक<br>(पुनर्स्थापित)* |                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| ए | प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह                                        |                   |                 |                                     |                 |                                      |                  |
|   | कर और असाधारण मदों से पहले शुद्ध (हानि) / लाभ:                          |                   | 3,833.12        |                                     | 6,305.77        |                                      | 6,441.52         |
|   | इसके लिए समायोजन:                                                       |                   |                 |                                     |                 |                                      |                  |
|   | मूल्यहास और परिशोधन व्यय                                                | 839.29            |                 | 610.36                              |                 | 592.73                               |                  |
|   | संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से (हानि) / लाभ (शुद्ध)           | 0.46              |                 | 0.86                                |                 | 8.23                                 |                  |
|   | कॉल डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज                                 | -475.8            |                 | -376.18                             |                 | -154.01                              |                  |
|   | ब्याज व्यय                                                              | 1,887.32          |                 | 1,852.18                            |                 | 1,915.49                             |                  |
|   | पट्टे की देनदारियों पर ब्याज                                            | 4.22              |                 | 4.46                                |                 | 5.35                                 |                  |
|   | अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान                                        | 69.12             |                 | 73.23                               |                 | 142.72                               |                  |
|   | अब इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है                                      | 565.48            |                 | 21.16                               |                 | 15.76                                |                  |
|   | इन्वेंट्री मिलान का प्रावधान                                            | -                 |                 | -                                   |                 | 500                                  |                  |
|   | शुद्ध अवास्तविक विनिमय लाभ                                              | 2.75              |                 | 45.31                               |                 | 67.62                                |                  |
|   | कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन                                | -72.13            |                 | -192.59                             |                 | 10.42                                |                  |
|   | अन्य समायोजन                                                            | 1,171.54          | 3,992.26        | -2,511.05                           | -472.27         | 2,165.90                             | 5,270.23         |
|   | <b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन (हानि) / लाभ</b>         |                   | <b>7,825.38</b> |                                     | <b>5,833.50</b> |                                      | <b>11,711.75</b> |
|   |                                                                         |                   |                 |                                     |                 |                                      |                  |
|   | परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन                                |                   |                 |                                     |                 |                                      |                  |
|   | व्यापार और अन्य प्राप्त                                                 | 1,467.73          |                 | -4,593.90                           |                 | -3,100.77                            |                  |
|   | व्यापार और अन्य देयताएं                                                 | -403.83           |                 | 824.18                              |                 | -1,924.83                            |                  |
|   | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और अन्य परिसंपत्तियाँ                        | -3,681.64         |                 | 1,920.11                            |                 | -4,386.09                            |                  |
|   | अन्य वित्तीय देनदारियाँ और अन्य देनदारियाँ                              | -2,680.03         | -5,297.77       | -2,104.92                           | -3,954.53       | -4,676.19                            | -14,087.88       |
|   | <b>परिचालन से नकदी प्रवाह</b>                                           |                   | <b>2,527.61</b> |                                     | <b>1,878.97</b> |                                      | <b>-2,376.13</b> |
|   | शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया)/वापसी                                      |                   | -620            |                                     | -188.01         |                                      | 266.61           |
|   | <b>परिचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी प्रवाह (उपयोग किया गया)</b> |                   | <b>1,907.61</b> |                                     | <b>1,690.96</b> |                                      | <b>-2,109.52</b> |



|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|
|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
| <b>बी</b> | <b>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                                  |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | अचल संपत्तियों का अधिग्रहण                                              | -820.62  |                 | -206.67  |                 | -150.12 |                 |
|           | संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री (शुद्ध)                           | -        |                 | 2.23     |                 | -       |                 |
|           | ब्याज आय                                                                | 417.42   | -403.2          | 344.68   | 140.25          | 103.09  | -47.03          |
|           | <b>निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह</b>                  |          | <b>-403.2</b>   |          | <b>140.25</b>   |         | <b>-47.03</b>   |
|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
| <b>सी</b> | <b>वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>                              |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के किराया शुल्क                         | -19.12   |                 | -15.77   |                 | -15.02  |                 |
|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | <b>वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग किया गया शुद्ध नकदी प्रवाह</b> |          | <b>-19.12</b>   |          | <b>-15.77</b>   |         | <b>-15.02</b>   |
|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | <b>नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/ (कमी)</b>                       |          | 1,485.29        |          | 1,815.43        |         | -2,171.57       |
|           | <b>नकद और नकद समतुल्य (प्रारंभिक शेष)</b>                               |          | <b>2,213.27</b> |          | <b>397.84</b>   |         | <b>2,569.40</b> |
|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | <b>नकद और नकद समतुल्य (अंतिम शेष)</b>                                   |          | <b>3,698.56</b> |          | <b>2,213.27</b> |         | <b>397.84</b>   |
|           |                                                                         |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | <b>नकद और नकद समतुल्य के घटक</b>                                        |          |                 |          |                 |         |                 |
|           | नकद शेष                                                                 | 0.31     |                 | 0.46     |                 | 0.6     |                 |
|           | चालू खाते में शेष राशि                                                  | 418.24   |                 | 32.71    |                 | 83.83   |                 |
|           | अन्य जमा खाता                                                           | 3,280.00 |                 | 2,180.10 |                 | 313.4   |                 |
|           | ड्राफ्ट/चेक हाथ में                                                     | -        | <b>3,698.56</b> | -        | <b>2,213.27</b> | -       | <b>397.84</b>   |

नोट नंबर 1-41 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 25 देखें।

संलग्न दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

दा

एएजेवी और एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 007739एन

हस्ताक्षर/-

अमित कुमार

अध्यक्ष

डीआईएन 11001643

हस्ताक्षर/-

पदम लाल नेगी

निदेशक

डीआईएन 10041387

हस्ताक्षर/-

सीए अजय के बजाज

साथी

एम.नं. 086306

उदिन : 25086306PHBSJL8721

हस्ताक्षर/-

शरद अग्रवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ताक्षर/-

राकेश कुमार जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

जगह : नई दिल्ली

दिनांक: 26-12-2025

हस्ताक्षर/-

साक्षी मेहता

कंपनी सचिव



## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

CIN - U74210DL2004GOI125114

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट, दिल्ली - 110003

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इकिटी में परिवर्तन का विवरण

(मिलियन रुपये में)

| ए. इकिटी शेयर पूंजी                                            | दिनांक 31.03.2025 तक |          | दिनांक 31.03.2024 तक |          | दिनांक 01.04.2023 तक |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|                                                                | शेयरों की संख्या     | ₹        | शेयरों की संख्या     | ₹        | शेयरों की संख्या     | ₹        |
| रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि                        | 166.67               | 1,666.67 | 166.67               | 1,666.67 | 166.67               | 1,666.67 |
| पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन  | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        |
| वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेष राशि | 166.67               | 1,666.67 | 166.67               | 1,666.67 | 166.67               | 1,666.67 |
| वर्ष के दौरान इकिटी शेयर पूंजी में परिवर्तन                    |                      |          |                      |          |                      |          |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान आवंटित इकिटी शेयर                        | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        |
| कम: बायबैक                                                     | -                    | -        | -                    | -        | -                    | -        |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि                            | 166.67               | 1,666.67 | 166.67               | 1,666.67 | 166.67               | 1,666.67 |

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                        | अन्य इकिटी (पुनर्स्थापित) |                                        | कंपनी के इकिटी धारकों को देय कुल इकिटी |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | भंडार और अधिशेष           | अन्य व्यापक आय - आरक्षित               |                                        |
|                                                              | प्रतिधारित कमाई           | परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन |                                        |
| 1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष                               | -15,862.00                | -                                      | -15,862.00                             |
| पिछले वर्षों की आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव                 | -                         | -                                      | -                                      |
| अवधि के लिए लाभ/(हानि)                                       | 6,284.71                  | -                                      | 6,284.71                               |
| जोड़/घटाव: वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछली अवधि के समायोजन    | 149.22                    | -                                      | 149.22                                 |
| जोड़ें/घटाएं: वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछली अवधि के समायोजन | 181.8                     | -                                      | 181.8                                  |
| अन्य व्यापक आय/(हानि)                                        | -                         | 10.42                                  | 10.42                                  |
| 01 अप्रैल 2023 तक बैलेंस                                     | -9,246.28                 | 10.42                                  | -9,235.85                              |
| 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष                               | -9,235.85                 | -                                      | -9,235.85                              |
| पिछले वर्षों की आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव                 | -                         | -                                      | -                                      |

|                                                              |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| अवधि के लिए लाभ/(हानि)                                       | 2,549.87         | -              | 2,549.87         |
| जोड़ें/घटाएँ: वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछली अवधि के समायोजन | 26.74            | -              | 26.74            |
| अन्य व्यापक आय/(हानि)                                        | -                | -192.59        | -192.59          |
| <b>31 मार्च 2024 तक का शेष</b>                               | <b>-6,659.24</b> | <b>-192.59</b> | <b>-6,851.83</b> |
| 1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष                               | -6,851.83        | -              | -6,851.83        |
| पिछले वर्षों की आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव                 | -                | -              | -                |
| अवधि के लिए लाभ/(हानि)                                       | 4,046.60         | -              | 4,046.60         |
| जोड़ें/घटाएँ: पिछली अवधि के समायोजन                          | -                | -              | -                |
| अन्य व्यापक आय/(हानि)                                        | -                | -72.13         | -72.13           |
| <b>31 मार्च 2025 तक का शेष</b>                               | <b>-2,805.24</b> | <b>-72.13</b>  | <b>-2,877.37</b> |

नोट नंबर 1-41 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 25 देखें।

के लिए और उनकी ओर से  
एएजेवी और एसोसिएट्स  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 007739एन

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ताक्षर/-

अमित कुमार

अध्यक्ष

डीआईएन 11001643

हस्ताक्षर/-

पदम लाल नेगी

निदेशक

डीआईएन 10041387

हस्ताक्षर/-

सीए अजय के बजाज

साथी

एम.नं. 086306

UDIN : 25086306PHBSJL8721

हस्ताक्षर/-

शरद अग्रवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ताक्षर/-

राकेश कुमार जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26-12-2025

हस्ताक्षर/-

साक्षी मेहता

कंपनी सचिव

Place : New Delhi

Date : 26-12-2025

Sd/-

Sakshi Mehta

Company Secretary



## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

CIN - U74210DL2004GOI125114

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट, दिल्ली - 110003

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रस्तुत नोट्स।

### नोट "1" : अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### ए) कॉर्पोरेट जानकारी

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो भारत सरकार की कंपनी है) भारत में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका सीआईएन: U74210DL2004GOI125114 है। कंपनी ने 3 अगस्त, 2020 को अपना नाम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कर लिया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003 में स्थित है। कंपनी को 1 जनवरी, 2015 से एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त हुई है। कंपनी भारतीय और विदेशी पक्षों, मुख्य रूप से एयरलाइंस को विमान इंजीनियरिंग संबंधी सेवाएं, लाइन मेंटेनेंस सेवाएं और एमआरओ सेवाएं प्रदान कर रही है।

26 दिसंबर 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

#### बी) सामग्री लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में समान रूप से लागू की गई हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि महत्वपूर्ण लेन-देन, अन्य घटनाओं और स्थितियों की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है।

##### i) इंड एस का अनुपालन

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत पद्धति और उपार्जन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिनका मापन उचित मूल्यों पर किया गया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (अधिसूचित सीमा तक) के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का भी पालन किया गया है। इंड एस अधिनियम की धारा 133 के तहत, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी किए गए संबंधित संशोधन नियमों के साथ निर्धारित किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां कोई नया लेखांकन मानक पहली बार अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

##### ii) वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण निरंतर संचालन के आधार पर और ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत उपार्जन के आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य या परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है।

कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू (12 महीनों के भीतर) और गैर-चालू (12 महीनों के बाद) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी सेवा क्षेत्र में होने के कारण, इसका कोई विशिष्ट परिचालन चक्र नहीं है; हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने की अवधि को "परिचालन चक्र" के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों में गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों का वर्तमान भाग शामिल है।

##### iii) उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने या किसी देनदारी को हस्तांतरित करने पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में मापन तिथि पर प्राप्त होगी, चाहे वह कीमत प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सके या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके

अनुमानित की गई हो। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय, कंपनी परिसंपत्ति या देनदारी की उन विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि बाजार प्रतिभागी मापन तिथि पर परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

इन वित्तीय विवरणों में माप और/या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य, इंड एस 116 के दायरे में, ऐसे आधार पर निर्धारित किया जाता है, सिवाय उन लीजिंग लेनदेन के जो इंड एस 116 के दायरे में आते हैं, और उन मापों के जो उचित मूल्य से कुछ समानता रखते हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे कि इंड एस 2 में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या इंड एस 36 में उपयोग मूल्य।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापों को स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस आधार पर होता है कि उचित मूल्य मापों के इनपुट किस हद तक अवलोकन योग्य हैं और उचित मूल्य मापों के इनपुट का समग्र महत्व क्या है, जिनका वर्णन निम्नानुसार किया गया है:

- लेवल 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिन तक इकाई माप की तिथि पर पहुंच सकती है;
- लेवल 2 इनपुट, लेवल 1 में शामिल उद्भूत कीमतों के अलावा, परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य इनपुट हैं; और
- लेवल 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अदृश्य इनपुट होते हैं।

बैलेंस शीट में आवर्ती आधार पर दर्ज की जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन (समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर) करके यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच हस्तांतरण हुआ है या नहीं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयता की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा ऊपर बताए गए उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण किया है।

## सी) अनुमानों, निर्णयों और मान्यताओं का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और मान्यताएँ बनानी पड़ती हैं। ये अनुमान, निर्णय और मान्यताएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के खुलासे और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान शामिल होते हैं। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। जैसे ही प्रबंधन को अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों में परिवर्तन की जानकारी मिलती है, अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों और निर्णयों में परिवर्तन उसी अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और यदि वे महत्वपूर्ण हों, तो उनके प्रभाव को स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है।

## डी) कंपनी द्वारा अपनाए गए नए मानक, व्याख्याएं और संशोधन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, एमसीए ने कंपनी पर लागू होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

## ई) संपत्ति संयंत्र उपकरण

ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत मूल्य पर जानकारी दी जाती है, जिसमें अधिग्रहण और उपयोग के लिए उन्हें स्थान पर लाने से संबंधित आकस्मिक लागतें और जहां लागू हो, संबंधित संपत्ति के उपयोग में आने की तिथि तक लिए गए ऋणों पर ब्याज शामिल होता है।

बी) परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बारी-बारी से किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन नीचे दिए गए क्रम में हर तीन साल में एक बार हो सके और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे लेखा-पुस्तकों में तदनुसार दर्ज किया जा सके।

| क्रमांक | जगह                                           | वर्ष    |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| 1       | दिल्ली और कोलकाता                             | 2023-24 |
| 2       | हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और अन्य सभी छोटे स्थान | 2024-25 |
| 3       | मुंबई और नागपुर                               | 2025-26 |



## एफ) अवमूल्यन / परिशोधन

- ए) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग C में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के दौरान सभी परिसंपत्तियों पर सीधी रेखा विधि से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिसमें मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य रखा जाता है।
- बी) परिसंपत्तियों में किए गए परिवर्धन पर अधिग्रहण के पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है।
- सी) अमूर्त संपत्तियां जिनका एक निश्चित आर्थिक उपयोगी जीवन होता है, उन्हें अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि में परिशोधित किया जाता है। जिन अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन अनिश्चित होता है, उनकी हानि का परीक्षण किया जाता है।

## जी) पट्टों

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है। यानी, यदि अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है, तो कंपनी लेनदेन को पट्टा के रूप में आंकने के लिए व्यावहारिक सुविधा के तौर पर "ग्रेडफादर अप्रोच" का उपयोग करती है। तदनुसार, इंड एस 116 केवल उन अनुबंधों पर लागू होता है जिन्हें पहले इंड एस 17 के तहत पट्टा के रूप में पहचाना गया था। पट्टेदार के रूप में पट्टे (पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां): कंपनी सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और मापन पद्धति का उपयोग करती है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों, कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों और उन पट्टा अनुबंधों के जिनमें पट्टेदार और पट्टादाता दोनों को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना मामूली जुर्माने के साथ पट्टा समाप्त करने का अधिकार होता है।

### पट्टेदार के रूप में:

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध में पट्टा शामिल है। कोई अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है यदि अनुबंध किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिफल के बदले में प्रदान करता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी निम्नलिखित का आकलन करती है:

- i. अनुबंध में किसी पहचाने गए परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,
- ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले लगभग सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं और
- iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य वाले पट्टों और उन पट्टा अनुबंधों के लिए जिनमें पट्टेदार और पट्टादाता दोनों को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना मामूली जुर्माने के साथ पट्टा समाप्त करने का अधिकार होता है, कंपनी पट्टा भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

### पट्टेदाता के रूप में:

जिन पट्टों में कंपनी पट्टेदार होती है, उन्हें वित्त पट्टा या परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तों के तहत स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और लाभ पट्टेदार को हस्तांतरित हो जाते हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टादाता होती है, तो वह मुख्य पट्टा और उपपट्टे में अपने हितों का लेखा-जोखा अलग-अलग रखती है। उपपट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न आरओयू परिसंपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के लिए, संबंधित पट्टा की अवधि के दौरान किराये की आय को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

## एच) राजस्व मान्यता

कंपनी को मुख्य रूप से विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं (एमआरओ सेवाओं) और लाइन रखरखाव (तकनीकी संचालन) तथा विमान से संबंधित अन्य सेवाओं से राजस्व प्राप्त होता है।

### परिचालन से राजस्व:-

- ए) राजस्व तब मान्यता प्राप्त होता है जब कोई संस्था ग्राहक को वादा की गई वस्तु या सेवा (अर्थात, एक परिसंपत्ति) हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। परिसंपत्ति का हस्तांतरण तब होता है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।
- बी) लाइन मेंटेनेंस सेवाओं के लिए अन्य अनुबंधों के मामले में, राजस्व को संचालित उड़ानों की संख्या के आधार पर मान्यता दी जा रही है।
- सी) प्रशिक्षण सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत होने पर ही मान्यता दी जाती है।

### अन्य कमाई:-

अन्य आय में मुख्य रूप से ब्याज आय, लाभांश आय, निवेश पर लाभ/हानि और फॉरवर्ड और ऑप्शंस अनुबंधों पर विनिमय लाभ/हानि तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद पर विनिमय लाभ/हानि शामिल हैं।

- ए) ब्याज से होने वाली आय को समय के अनुपात के आधार पर प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। किराये से होने वाली आय को भी समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- बी) पीपीई की बिक्री/स्क्रेप से प्राप्त लाभ या हानि, जो शुद्ध मूल्यहास मूल्य से अधिक हो, को लाभ-हानि विवरण में गैर-परिचालन राजस्व या अन्य व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।
- सी) बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाले दावों का लेखा-जोखा बीमा कंपनी द्वारा ऐसे दावों की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।
- डी) विक्रेताओं से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को दावे की स्वीकृति/क्रेडिट नोट की प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।
- ई) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद
  - i. विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय लेनदेन को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आईएटीए दरों के आधार पर) पर दर्ज किया जाता है।
  - ii. विदेशी मुद्रा मदों का विनिमय मूल्य भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (FEDAI) द्वारा जारी विनिमय दर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विनिमय से होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

### एफ) सरकारी अनुदान

कंपनी सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता देती है जब यह सुनिश्चित हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त होंगे। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में शुद्ध लाभ में इन्हें शामिल किया जाता है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में लाभ-हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है, जिनकी भरपाई के लिए ये अनुदान दिए जाते हैं।

### आई) इन्वेंट्री

इन्वेंट्री में विभिन्न प्रकार के भंडार और अतिरिक्त सामान शामिल होते हैं, जिनका मूल्यांकन लागत मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य ('एनआरवी') में से जो भी कम हो, उस आधार पर किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंट्री के अनुमानित विक्रय मूल्य में से बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी अनुमानित लागतों को घटाने के बाद प्राप्त मूल्य को दर्शाता है।

### जे) कर्मचारी लाभ व्यय

- ए) **अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:** कर्मचारी द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीने के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी, अल्पकालिक अवकाश आदि जैसे लाभ और बोनस, अनुग्रह राशि आदि की अपेक्षित लागत को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है।
- बी) **सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ:** परिभाषित अंशदान योजनाओं में कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान शामिल होता है। कंपनी के स्थायी कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर 2021 तक भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट थे। इसके बाद, ट्रस्ट को भंग कर दिया गया और राशि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ को हस्तांतरित कर दी गई। जहां तक निश्चित अवधि के संविदा (एफटीसी) कर्मचारियों का संबंध है, कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय में भविष्य निधि (पीएफ) की राशि जमा की जाती है। 28 फरवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय (एससी) का एक निर्णय आया था, जो ईपीएफ अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान की गणना करते समय ध्यान में रखे जाने वाले वेतन संरचना के घटकों से संबंधित था। इस निर्णय से संबंधित कुछ व्याख्यात्मक पहलू हैं, जिनमें इसके लागू होने की प्रभावी तिथि भी शामिल है। प्रबंधन के अनुसार, पेंशन निधि के लिए अंशदान की गणना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की देय राशि नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा की जाती है। कंपनी द्वारा निर्धारित अंशदान योजनाओं के लिए किया गया भुगतान उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जिस अवधि में कर्मचारी उन सेवाओं का निर्वहन करते हैं जिनके लिए भुगतान किया जाता है।
- सी) **ईएसआई की बकाया राशि नियमित रूप से सरकारी प्राधिकारी के पास जमा की जाती है।**

परिभाषित लाभ योजनाएं, जो वित्त पोषित नहीं होती हैं, उनमें ग्रेच्युटी, बीमारी की छुट्टी सहित अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभ शामिल होते हैं।



वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड के तहत प्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की देनदारी का निर्धारण बीमांकिक रूप से किया जाता है।

सभी पात्र और स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (जिन्हें तत्कालीन एआईएल से कंपनी में स्थानांतरित किया गया था) के चिकित्सा लाभों के लिए, सरकार ने 16 फरवरी 2022 को एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत ऐसे सभी कर्मचारियों को एआईएचएल (मूल कंपनी) के माध्यम से सीजीएस सुविधाओं का सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेनी होगी और इस योजना से संबंधित व्यय भारत सरकार द्वारा एआईएचएल को बजटीय सहायता से वहन किया जाएगा।

#### के) परिसंपत्तियों का मूल्यहास

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या उसके गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में कोई कमी आई है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो IND AS-36 के अनुसार हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात् उचित मूल्य में से विक्रय लागत घटाने पर प्राप्त मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो भी अधिक हो) का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से प्राप्त नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र न हो। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस नकदी सृजन इकाई (CGU) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को हानिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि विवरण में दर्ज की जाने वाली हानि की गणना परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और अनुमानित वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है। यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो लाभ और हानि विवरण में हानि की भरपाई कर दी जाती है। परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि उस वहन मूल्य से अधिक न हो जो (संचित मूल्यहास को घटाकर) निर्धारित की गई होती यदि पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि दर्ज नहीं की गई होती।

#### एल) आय पर कर

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर का योग है।

##### ए) वर्तमान आयकर

यदि कोई चालू कर है, तो उसके लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। चालू आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का आकलन कर अधिकारियों से वसूली या भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर किया जाता है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या सारतः अधिनियमित किए गए हों। लाभ या हानि से बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित चालू आयकर को लाभ या हानि से बाहर (या तो अन्य व्यापक आय में या इकिटी में) मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियमों की व्याख्या की जा सकती है और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

##### बी) आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्यों और करायान उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संबंधित मूल्यों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है। आगे ले जाए गए कर नुकसान, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ तक यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध इन्हें समायोजित किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त या अपुष्ट आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और संबंधित कर लाभ की प्राप्ति की संभावना/अनुपस्थिति के अनुसार इन्हें मान्यता दी जाती है/कम किया जाता है। ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम की जाती है जहाँ तक यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक भाग की वसूली के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। आस्थगित कर परिसंपत्ति की संभावना निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों के आधार पर की जाती है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है जब परिसंपत्ति का वास्तविक रूप से अधिग्रहण होता है या देनदारी का निपटान होता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कानूनों पर आधारित होती है।

आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से उत्पन्न होंगे जिसके अनुसार कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान करने की अपेक्षा करती है।



सी) न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) एक वर्ष में भुगतान की गई राशि को लाभ-हानि विवरण में चालू कर के रूप में दर्ज किया जाता है। कंपनी उपलब्ध कर-ब्याज क्रेडिट को परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता देती है जब इस बात का पुख्ता प्रमाण हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए कर-ब्याज क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है। ऐसे वर्ष में कंपनी कर-ब्याज क्रेडिट को आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहां तक यह संभावना न रह जाए कि परिसंपत्ति के पूर्ण या आंशिक हिस्से की वसूली के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

लाभ या हानि से बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि से बाहर (या तो अन्य व्यापक आय में या इकिटी में) मान्यता दी जाती है।

यदि वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही करस्थान प्राधिकरण से संबंधित हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित किया जाता है।

#### डी) वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में शामिल किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इकिटी में शामिल मदों से संबंधित हों। ऐसे मामलों में, वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इकिटी में शामिल किया जाता है। यदि वर्तमान कर या आस्थगित कर किसी व्यावसायिक संयोजन के प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, तो कर प्रभाव को व्यावसायिक संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

जब आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही करस्थान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं और संबंधित इकाई अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, तो उन्हें समायोजित किया जाता है।

#### एम) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां

ए) प्रावधानों माप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा शामिल होने पर, प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) मौजूद हो और संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो, उपयुक्त होने पर, देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

बी) प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, बैलेंस शीट की तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। जब प्रावधान का आकलन वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके किया जाता है, तो इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती है (जब मुद्रा के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो)।

सी) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

डी) आकस्मिक देयताएं अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्वों के संबंध में एक नोट के माध्यम से इनका खुलासा किया जाता है, लेकिन इनका अस्तित्व कंपनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर की एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्ट होता है।

ई) आकस्मिक संपत्तियाँ आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वे संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनका अस्तित्व केवल कंपनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर की एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर ही पुष्ट होगा। आर्थिक लाभ की प्राप्ति की संभावना होने पर आकस्मिक परिसंपत्ति का खुलासा किया जाता है।

एफ) बोझिल अनुबंध: किसी अनुबंध को बोझिल अनुबंध तब माना जाता है जब कंपनी के पास ऐसा अनुबंध हो जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक हो। बोझिल अनुबंधों के अंतर्गत उत्पन्न वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में मान्यता दी जाती है और उनका मापन किया जाता है।

#### एन) प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इकिटी शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और समायोजित आय/हानि (ईपीएस) डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति इकिटी शेयर मूल आय की गणना इकिटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की



जाती है। प्रति इकिटी शेयर समायोजित आय की गणना कर पश्चात समायोजित शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान इकिटी शेयरों की भारत औसत संख्या और समायोजित होने की संभावना वाले इकिटी शेयरों के योग से विभाजित करके की जाती है।

## ओ) वित्तीय साधनों

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देनदारी या इकिटी साधन को जन्म देता है।

### ए) वित्तीय पूंजी

#### i. वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके प्रबंधन के लिए अपने व्यावसायिक मॉडल और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय (FVTOCI) के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ और हानि विवरण (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत करती है।

#### ii. प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन लागत भी इसमें शामिल होती है।

#### iii. अनुवर्ती माप

आगे के मापन के प्रयोजनों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

#### iv. परिशोधित लागत पर दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियाँ: डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों के अलावा, किसी वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि वह किसी ऐसे व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान है।

#### v. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ: किसी विशिष्ट निवेश से युक्त वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है यदि वह ऐसे व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत आती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री करना दोनों है, और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान होते हैं। कंपनी ने अपने उन निवेशों के लिए, जिन्हें इकिटी उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अपने व्यावसायिक मॉडल के आधार पर उचित मूल्य में होने वाले बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है।

#### vi. लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ: डेरिवेटिव से युक्त एक वित्तीय परिसंपत्ति, जिसे उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं किया गया है, का उचित मूल्य बाद में लाभ या हानि के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

#### vii. मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को मुख्यतः तब अमान्य घोषित किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों।

#### viii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का अवमूल्यन

कंपनी व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य आदि जैसी वित्तीय संपत्तियों पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर हानि का आकलन करती है।

#### ix. खारिज करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की कुल वहन राशि (आंशिक या पूर्ण रूप से) उस सीमा तक बढ़े खाते में डाल दी जाती है, जहाँ तक वसूली की कोई वास्तविक संभावना न हो। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियाँ या आय के स्रोत नहीं हैं जो बढ़े खाते में डाली गई राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकें। हालाँकि, बढ़े खाते में डाली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर भी कंपनी की देय राशि की वसूली प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।

**बी) वित्तीय देनदारियां**

**i. प्रारंभिक पहचान और माप**

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋणों, उधारों और देय राशियों के मामले में, सीधे तौर पर संबंधित लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय राशियाँ, ऋण और उधार, जिनमें बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं, और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

**ii. वर्गीकरण**

कंपनी सभी वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापती है, सिवाय उन वित्तीय देनदारियों के जिनका उचित मूल्य लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है। ऐसी देनदारियों, जिनमें डेरिवेटिव भी शामिल हैं, का उचित मूल्य पर माप किया जाएगा।

**iii. अनुवर्ती माप**

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है।

**iv. परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां:**

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋणों, उधारों और देय राशियों के मामले में, सीधे तौर पर संबंधित लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय राशियां शामिल हैं।

**v. लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां:**

लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और प्रारंभिक मान्यता के समय लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में पुनर्खरीद के उद्देश्य से उत्पन्न की गई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं जिन्हें इंड एस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। पृथक अंतर्निहित व्युत्पन्न भी व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित न किया गया हो। व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**vi. मान्यता रद्द करना**

किसी वित्तीय दायित्व को तब अमान्य घोषित कर दिया जाता है जब उस दायित्व के अंतर्गत बाध्यता का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है।

**vii. वित्तीय साधनों का ऑफसेटिंग**

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों को एक साथ बेचने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को समायोजित किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है।

**पी) ऋण लेना**

- अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य-प्रगति सहित योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण से सीधे तौर पर संबंधित उधार लागत को परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग की शुरुआत की तारीख तक परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।
- 10.0 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति की प्रत्याशा में लिए गए उधार या अन्य अस्थायी उधारों पर अर्जित ब्याज को अधिग्रहण के समय बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

**क्यू) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें**

- विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय लेनदेन को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आईएटीए दरों के आधार पर) पर दर्ज किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा मदों का विनिमय मूल्य भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (FEDAI) द्वारा जारी विनिमय दर के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन-देन के निपटान और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विनिमय से होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।



## आर) अनुबंध शेष

### i. अनुबंध संपत्तियाँ

अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान की नियत तिथि से पहले ग्राहक को सेवाएं प्रदान करके अपना कार्य पूरा कर लेती है, तो अर्जित प्रतिफल, जिसमें व्यापार प्राप्य भी शामिल हैं, के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

### ii. अनुबंध दायित्व

संविदा दायित्व वह दायित्व है जिसके तहत कंपनी को ग्राहक को सेवाएं प्रदान करनी होती हैं और जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हुआ हो (या प्रतिफल की राशि देय हो)। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा सेवाएं प्रदान करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो संविदा दायित्व को भुगतान होने पर या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) मान्यता दी जाती है। संविदा दायित्वों को राजस्व के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है, जिसमें ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि भी शामिल है।

### iii. धनवापसी देयताएँ

रिफंड देनदारी ग्राहक से प्राप्त (या प्राप्त होने वाली) राशि का कुछ हिस्सा या पूरी राशि वापस करने का दायित्व है और इसकी गणना उस राशि के आधार पर की जाती है जो कंपनी को अंततः ग्राहक को वापस करनी होगी। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिफंड देनदारी के अपने अनुमानों को अपडेट करती है।

## एस) सीमा - रेखा

कंपनी ने व्यय/आय के वर्गीकरण और प्रकटीकरण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की हैं:

| सीमा आइटम                             | इकाई             | सीमा मूल्य                             |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| पिछली अवधि का व्यय/राजस्व             |                  |                                        |
| - व्यक्तिगत सीमाओं पर आधारित पुनर्कथन | मिलियन रुपये में | 80                                     |
| - समग्र सीमाओं के आधार पर पुनर्कथन    |                  | पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व का 1% |
| वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्यांकन     | मिलियन रुपये में | 80                                     |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद   | INR              | ₹ 5,000.00                             |

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

CIN - U74210DL2004GOI125114

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफ्दरजंग एयरपोर्ट, दिल्ली - 110003

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट "2(ए)": संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक | विवरण                                          | सकल ब्लॉक              |          |              |                  |                        | मूल्यहास               |             |                   |                       | नेट ब्लॉक              |                        |
|---------|------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|         |                                                | 1 अप्रैल, 2024 पर जैसा | परिवर्धन | अन्य समायोजन | निपटान / समायोजन | 31 मार्च, 2025 पर जैसा | 1 अप्रैल, 2024 पर जैसा | वर्ष के लिए | कटौतियाँ/ समायोजन | कुल 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2025 पर जैसा | 31 मार्च, 2024 पर जैसा |
| ए))     | भूमि                                           | 208.54                 | -        | -            | -                | 208.54                 | -                      | -           | -                 | -                     | 208.54                 | 208.54                 |
| बी)     | इमारतों                                        | 2,657.19               | 1.19     | -            | -                | 2,658.38               | 314.71                 | 103.35      | -                 | 418.06                | 2,240.32               | 2,342.49               |
| सी)     | एयरफ्रेम रोटेबल्स                              | -                      | 101.51   | -            | -                | 101.51                 | -                      | 4.82        | -                 | 4.82                  | 96.69                  | -                      |
| डी)     | संयंत्र उपकरण<br>कार्यशाला के<br>उपकरण, यंत्र, | 2,728.29               | 600.42   | -            | 1.35             | 3,327.37               | 1,648.07               | 439.69      | 1.14              | 2,086.62              | 1,240.75               | 1,080.22               |
|         | मशीनरी और<br>संयंत्र                           | 1,938.68               | 4.42     | -            | 2.07             | 1,941.03               | 595.55                 | 185.30      | 1.82              | 779.02                | 1,162.01               | 1,343.13               |
|         | जीएच और रैंप<br>उपकरण                          | 0.86                   | 9.67     | -            | -                | 10.53                  | 0.54                   | 0.80        | -                 | 1.33                  | 9.20                   | 0.32                   |
| ई)      | फर्नीचर और<br>फिक्स्चर                         | 63.04                  | 5.50     | -            | -                | 68.54                  | 37.79                  | 10.86       | -                 | 48.64                 | 19.90                  | 25.26                  |



| एफ) | विदूत फिटिंग                                           | 220.22   | 0.10   | - | -     | 220.33   | 154.62   | 40.38  | -    | 194.99           | 25.33    | 65.61    |
|-----|--------------------------------------------------------|----------|--------|---|-------|----------|----------|--------|------|------------------|----------|----------|
| जी) | कंप्यूटर प्रणाली                                       | 33.86    | 85.75  | - | -     | 119.60   | 21.16    | 33.51  | -    | 54.67            | 64.93    | 12.69    |
| एच) | वाहनों                                                 | 14.46    | 7.03   | - | -     | 21.49    | 9.89     | 2.04   | -    | 11.93            | 9.56     | 4.58     |
| आई) | कार्यालय उपकरण                                         | 22.17    | 5.04   | - | 0.01  | 27.20    | 15.65    | 2.97   | 0.01 | 18.62            | 8.58     | 6.52     |
|     | मूर्त संपत्तियों का कुल योग (ए)                        | 7,887.33 | 820.62 | - | 3.43  | 8,704.52 | 2,797.97 | 823.70 | 2.97 | 3,618.70         | 5,085.82 | 5,089.36 |
|     | पूँजीगत कार्य प्रगति पर है (नोट संख्या 2 (ए).आई) देखें | 1,137.68 | -      | - | -     | 1,137.68 | -        | -      | -    | -                | 1,137.68 | 1,137.68 |
|     | कुल पूँजीगत कार्य प्रगति पर (बी)                       | 1,137.68 | -      | - | -     | 1,137.68 | -        | -      | -    | -                | 1,137.68 | 1,137.68 |
|     | कुल योग (A+B)                                          | 9,025.01 | 820.62 | - | 3.43  | 9,842.20 | 2,797.97 | 823.70 | 2.97 | 3,618.70         | 6,223.49 | 6,227.03 |
|     | पिछले वर्ष                                             | 8,828.48 | 206.67 | - | 10.15 | 9,025.01 | 2,208.11 | 596.91 | 7.05 | 2,797,970,713.72 | 6,227.03 | 6,620.37 |

**नोट 2 (ए).i:** नागपुर में स्थित जीईएनएक्स/जीई90 इंजन ओवरहाल वर्कशॉप, जो ₹1137.68 मिलियन की लागत से निर्माणधीन है, को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रैल 2021 में तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड और एआईएसएल के बोर्ड के निर्णय के आधार पर कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस परियोजना को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2017 में शुरू किया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निर्माणधीन सुविधाओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा ₹600 मिलियन के पूंजीगत बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था और बोर्ड ने इसे इस शर्त पर अनुमोदित किया था कि पीएमसी और ठेकेदारों के साथ किए गए समझौतों का एआईएसएल के पक्ष में नवीनीकरण किया जाए, जो पहले एयर इंडिया लिमिटेड और जीबीएसए द्वारा जीई के साथ किए गए थे, ताकि एआईएसएल को ₹1137.68 मिलियन का ऑफसेट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि, उपर्युक्त अनुबंधों में से किसी का भी एआईएसएल के पक्ष में नवीनीकरण नहीं किया जा सका, इसलिए इस कार्य के लिए अभी तक कोई और पूंजीगत व्यय नहीं किया गया है। AIESL का इरादा OEM के साथ आवश्यक समझौते करने और संबंधित अतिरिक्त नियामक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद परियोजना को पूरा करना है। इसके लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिए AIESL संभावित निधि प्रदाता से बातचीत कर रही है।

**नोट 2 (ए).ii:** उपरोक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जेट 9डी टेस्ट हाउस भवन शामिल है, जिसे 1 अप्रैल, 2019 को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड से कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। इस भवन का निर्माण तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था और इसका कंपनी को ₹10.42 मिलियन के वहन मूल्य पर बुक ट्रांसफर किया गया था।

**नोट 2 (ए).iii:** भौतिक सत्यापन और मिलान

कंपनी ने हैदराबाद स्थित कार्यालय (पिछले वर्ष: दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और कोलकाता) में परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, बार कोड टैगिंग और अवल परिसंपत्ति रजिस्टर (एफएआर) में दर्ज मात्राओं के साथ उनका मिलान पूरा कर लिया है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, 5887 मदों को अधिशेष के रूप में पहचाना गया है जो एफएआर में दर्ज नहीं हैं लेकिन कार्यालय में भौतिक रूप से उपलब्ध हैं, और 182 मदों की पहचान नहीं हो पाई है। ₹0.33 मिलियन मूल्य की अज्ञात मदों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से उचित रूप से समायोजित कर लिया गया है। इसके अलावा, अधिशेष परिसंपत्तियों को कंपनी की पुस्तकों में दर्ज इन्वेंट्री, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की मदों के साथ मिलान करने के बाद पूंजीकृत किया जाएगा, क्योंकि यह संभव है कि अधिशेष परिसंपत्तियां कंपनी की इन्वेंट्री, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों में शामिल हों।

नोट 2(ए).iv: वर्ष के दौरान ₹ 820.62 मिलियन की वृद्धि में ₹ 407.30 मिलियन के उपकरण शामिल हैं जो पूंजीगत मदों की प्रकृति के हैं और इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के दौरान पहचाने गए थे और इन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान RAMCO में उपलब्ध खरीद मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है (यदि कोई आकस्मिक लागत हो तो उसे छोड़कर)।

नोट 2(ए).v: वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने खरीद आदेश के मूल्य के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पूंजीकरण किया था, क्योंकि विक्रेता के चालान मूल्य और खरीद आदेश (USD 11,361) के मूल्य में अंतर था। हालांकि, संपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं और उपयोग में लाई जा रही हैं, लेकिन कंपनी ने अभी तक विक्रेता को भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी पहले एक ऐसी सामग्री प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर रही थी जिसका तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एयर इंडिया लिमिटेड) के साथ साझा इंटरफ़ेस था, जिसके परिणामस्वरूप खरीद आदेश में तत्कालीन होल्डिंग कंपनी का विवरण शामिल है और विक्रेता ने भी तत्कालीन होल्डिंग कंपनी के नाम पर चालान जारी किया है, जिसे सुधारने की प्रक्रिया चल रही है।

## नोट "2(बी)": उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक    | विवरण                                        | सकल वहन राशि           |          |                   | मूल्यहास               |                        |             | नेट ब्लॉक         |                       |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|            |                                              | 1 अप्रैल, 2024 पर जैसा | परिवर्धन | निपटान / निपटान / | 31 मार्च, 2025 पर जैसा | 1 अप्रैल, 2024 पर जैसा | वर्ष के लिए | कटौतियाँ/ समायोजन | कुल 31 मार्च, 2025 तक |
| ए))        | उपयोग के अधिकार से संबंधित मूर्त संपत्तियां: |                        |          |                   |                        |                        |             |                   |                       |
| बी)        | भूमि                                         | 67.24                  | -        | -                 | 67.24                  | 26.9                   | 13.45       | -                 | 40.35                 |
|            | वाहनों                                       |                        | 16.12    | -                 | 16.12                  |                        | 2.14        | -                 | 13.98                 |
| शेष        |                                              | 67.24                  | 16.12    |                   | 83.36                  | 26.9                   | 15.59       |                   | 42.49                 |
| पिछले वर्ष |                                              | -                      | 67.24    |                   | 67.24                  |                        | 13.45       |                   | 13.45                 |
|            |                                              |                        |          |                   |                        |                        |             |                   | 40.35                 |
|            |                                              |                        |          |                   |                        |                        |             |                   | 53.8                  |

नोट 2(बी).i: आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यहास व्यय को लाभ और हानि विवरण में मूल्यहास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

नोट 2(सी): पट्टे की देनदारियां

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है:



| (मिलियन रुपये में)                                              |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| विवरण                                                           | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
| <b>1 अप्रैल को प्रारंभिक मान्यता के समय पट्टे की देनदारियां</b> | <b>46.27</b>      | <b>57.57</b>     | <b>67.24</b>      |
| परिवर्धन                                                        | 16.12             | -                | -                 |
| अर्जित ब्याज                                                    | 4.22              | 4.46             | 5.35              |
| पट्टे की मूलधन भुगतान                                           | 14.9              | 15.77            | 9.67              |
| पट्टे पर ब्याज भुगतान                                           | 4.22              | 4.46             | <b>5.35</b>       |
| रिवर्सल                                                         | 19.12             | 15.77            | 15.02             |
| 31 मार्च की स्थिति के अनुसार:-                                  |                   |                  |                   |
| वर्तमान पट्टा देनदारियां                                        | 19.07             | 13.12            | 11.31             |
| गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियां                                    | 28.42             | 33.14            | 46.27             |
| <b>कुल</b>                                                      | <b>47.49</b>      | <b>13.12</b>     | <b>57.57</b>      |

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2025 तक पट्टे की देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के संबंध में विवरण प्रदान करती है:

| (मिलियन रुपये में)       |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| विवरण                    | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
| 1 वर्ष से कम             | 19.07             | 13.12            | 11.31             |
| 1-5 वर्ष                 | 28.42             | 33.14            | 46.27             |
| 5 साल से अधिक            |                   |                  |                   |
| <b>31 मार्च, 2025 को</b> | <b>47.49</b>      | <b>46.27</b>     | <b>57.57</b>      |

**नोट 2(सी).i:** कंपनी को अपने पट्टे संबंधी दायित्वों के संबंध में महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि वर्तमान परिसंपत्तियां पट्टे संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जब भी वे देय होते हैं।

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "3" : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                                    | 31 मार्च, 2025 तक |              | 31 मार्च 2024 तक |              | 1 अप्रैल, 2023 तक |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                          | वर्तमान नहीं      | मौजूदा       | वर्तमान नहीं     | मौजूदा       | वर्तमान नहीं      | मौजूदा       |
| बैंक जमा - (12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि वाले) (नोट नंबर 23.ii देखें) | 1.00              |              | 1.00             |              | 0.06              |              |
| सुरक्षा जमा राशि                                                         | -                 | 29.42        | -                | 25.12        |                   | 14.94        |
| अन्य गैर-व्यापारिक प्राप्त                                               | -                 | 12.5         | 166.67           | 15.6         |                   | 0.03         |
| <b>कुल</b>                                                               | <b>1.00</b>       | <b>41.93</b> | <b>1.00</b>      | <b>40.72</b> | <b>0.06</b>       | <b>14.97</b> |

### नोट "4" : आयकर

लाभ और हानि विवरण में आयकर व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                             | 2024-25       | 2023-24         | 2022-23         |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| वर्तमान कर                        | 970.16        | 1,407.22        | 338.97          |
| आस्थगित कर व्यय/(आय)              | -12.09        | -189.12         | 1,652.73        |
| पिछले वर्ष से संबंधित कर समायोजन* | 36.76         | -83.97          | 168.31          |
| <b>कुल</b>                        | <b>994.82</b> | <b>1,134.13</b> | <b>2,160.00</b> |

\*यह चालू वर्ष में पहचाने गए पिछले वर्षों के आयकर (शुद्ध) की कमी/(अतिरिक्त) प्रावधान को दर्शाता है।

आयकर प्रावधान और आयकर पूर्व आय पर वैधानिक आयकर दर लागू करके परिकलित राशि के बीच सामंजस्य का सारांश नीचे दिया गया है:

| विवरण                                      | 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| कर से पहले लाभ/(हानि)                      | 3,833.12                                | 6,305.77                                | 6,441.52                                |
| कुल कर योग्य आय (ए)                        | 3,854.74                                | 5,445.61                                | 7,459.22                                |
| आगे ले जाने योग्य हानि (बी)                | -                                       | -                                       | 6,112.40                                |
| शुद्ध कर योग्य आय (ए-बी)                   | 3,854.74                                | 5,445.61                                | 1,346.82                                |
| प्रभावी आयकर दर (%)                        | 25.17                                   | 25.168                                  | 25.168                                  |
| हानि को आगे लाया गया                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर | 970.16                                  | 1,407.22                                | 338.97                                  |

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को आयकर परिसंपत्तियों और आयकर देनदारियों का विवरण:

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                   | 31 मार्च, 2025 तक |          | 31 मार्च 2024 तक |        | 1 अप्रैल, 2023 तक |         |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|------------------|--------|-------------------|---------|
|                                         | वर्तमान नहीं      | मौजूदा   | वर्तमान नहीं     | मौजूदा | वर्तमान नहीं      | मौजूदा  |
| आयकर और टीडीएस के लिए कुल अग्रिम भुगतान | -                 | 1,840.75 | 1.00             |        | 1,737.74          | 1225.63 |



|                           |          |               |          |               |          |               |
|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| घटाएँ: कर के लिए प्रावधान | -        | 970.16        | -        | 1,407.22      |          | 338.97        |
| <b>कुल</b>                | <b>-</b> | <b>870.59</b> | <b>-</b> | <b>330.52</b> | <b>-</b> | <b>886.67</b> |

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सकल आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों (समायोजन से पहले) में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                             | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| आस्थगित कर देनदारियाँ (डीटीएल)                    |                   |                   |                   |
| मूल्यहास                                          | 64.00             | 90.38             | 73.06             |
| <b>कुल आस्थगित कर देयता</b>                       | <b>64.00</b>      | <b>90.38</b>      | <b>73.06</b>      |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए)                     |                   |                   |                   |
| संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान                  | -                 | -                 | -                 |
| अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान                  | 151.44            | 168.40            | 150.33            |
| कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान                    | 951.46            | 1033.59           | 1056.78           |
| शुद्ध आरओयू/पट्टा देयता                           | 11.95             | 11.64             | 14.49             |
| 40ए(आई) 30% व्यय                                  | -                 | 31.77             | 176.14            |
| 43बी(एच) अस्वीकृतियाँ                             | 14.35             | 4.60              | -                 |
| इन्वेंट्री अप्रचलन/पुनर्प्राप्ति के लिए प्रावधान। | 6.64              | 125.84            | 125.84            |
| अन्य कर छूटें / (छूटें)                           | 679.51            | 453.78            | 99.61             |
| <b>कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति</b>                  | <b>1,815.35</b>   | <b>1,829.63</b>   | <b>1,623.20</b>   |
|                                                   |                   |                   |                   |
| <b>शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति</b>                | <b>1,751.35</b>   | <b>1,739.26</b>   | <b>1,550.14</b>   |

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (DTA) वे आयकर राशियाँ हैं जो भविष्य में अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों (जो ऐसी अस्थायी भिन्नताएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप भविष्य में कर योग्य लाभ (कर हानि) का निर्धारण करते समय कटौती योग्य राशियाँ प्राप्त होंगी जब परिसंपत्ति या देयता की वहन राशि वसूल की जाएगी या उसका निपटान किया जाएगा) के संबंध में वसूली योग्य होती हैं। आस्थगित कर देयताएँ (DTL) वे आयकर राशियाँ हैं जो भविष्य में कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में देय होती हैं।

कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निकट भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके मुकाबले अप्रयुक्त कर हानियों, कटौती योग्य समय अंतरों या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। अतः, इंड एस 12 "आयकर" के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ सृजित की गई हैं।

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                         | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध) | 1,815.35          | 1,829.63          | 1,623.20          |
| आस्थगित कर देयता (शुद्ध)      | 64                | 90.38             | 73.06             |
|                               |                   |                   |                   |

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "5" : इन्वेंट्री

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                    | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| स्टोर और स्पेयर पार्ट्स                                  | 436.97            | 17.42            | 17.46             |
| फुटकर औजार                                               | -                 | 402.76           | 431.60            |
| ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक                          | 5.90              | 0.55             | 0.55              |
| गैर-विमान सूची                                           | -                 | 6.38             | 6.38              |
| अन्य सामान                                               | -                 | 256.84           | 148.40            |
| <b>कुल</b>                                               | <b>442.87</b>     | <b>683.96</b>    | <b>604.39</b>     |
| घटाएँ: इन्वेंट्री मिलान का प्रावधान (नोट नंबर 5.i देखें) | 26.38             | 500.00           | 500.00            |
|                                                          |                   |                  |                   |
| <b>कुल</b>                                               | <b>416.49</b>     | <b>183.96</b>    | <b>104.39</b>     |

#### नोट 5.i: इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन

कंपनी ने वर्ष के दौरान भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के रूप में सामग्री की सूची का भौतिक सत्यापन किया है और इसका मूल्य ₹ 969.39 मिलियन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने पाया है कि ₹ 969.39 मिलियन में से ₹ 550.60 मिलियन मूल्य के उपकरण पूंजीगत मदों की श्रेणी में आते हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान RAMCO में उपलब्ध खरीद मूल्य पर (यदि कोई आकस्मिक लागत हो तो उसे छोड़कर) इनका पूंजीकरण किया गया है। तदनुसार, भौतिक रूप से सत्यापित सूची का मूल्य (RAMCO से प्राप्त) ₹ 418.79 मिलियन है, जबकि सूची का बही मूल्य ₹ 728.06 मिलियन है। अतः, भौतिक शेष और बही शेष के बीच का अंतर ₹ 309.27 मिलियन है (418.79 मिलियन - 728.06 मिलियन)। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में इन्वेंट्री के मूल्य में संभावित कमी के लिए किए गए ₹500.00 मिलियन के प्रावधान के मुकाबले ₹309.27 मिलियन की राशि बढ़े खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा, दुकानों/परिवहन में मौजूद ₹52.76 मिलियन की इन्वेंट्री का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के तहत इन्वेंट्री में संभावित कमी के लिए ₹52.76 मिलियन का 50% यानी ₹26.38 मिलियन का प्रावधान बरकरार रखा गया है। उपरोक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप, ₹164.35 मिलियन (अर्थात ₹500.00 मिलियन में से ₹309.27 मिलियन और ₹26.38 मिलियन घटाने पर) की राशि वापस बढ़े खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा, कंपनी ने बैलेंस शीट की तारीख पर इन्वेंट्री की लागत के रूप में खरीद मूल्य (यदि कोई आकस्मिक लागत हो तो उसे छोड़कर) लिया है।

### नोट "6" : व्यापार प्राप्य

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                                  | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| सुरक्षित, अच्छा माना जाता है                                           | -                 | -                |                   |
| असुरक्षित, अच्छा माना जाता है                                          | 11,360.66         | 12,900.27        | 8,424.91          |
| व्यापार प्राप्य राशियों में क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। | 601.70            | 669.10           | 597.30            |
| व्यापार प्राप्य - साख में कमी                                          | -                 | -                |                   |
| <b>कुल</b>                                                             | <b>11,962.36</b>  | <b>13,569.36</b> | <b>9,022.21</b>   |
| कम : संदिग्ध के लिए भत्ता                                              | 601.70            | 669.10           | 597.30            |
|                                                                        |                   |                  |                   |
| <b>कुल</b>                                                             | <b>11,360.66</b>  | <b>12,900.27</b> | <b>8,424.91</b>   |



## नोट 6.i: व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(मिलियन रुपये में)

| 31 मार्च, 2025 तक                                                        |                     | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि |                  |               |               |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| विवरण                                                                    | अप्रतिवेदित प्राप्य | 6 महीने से कम                                            | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष      | 2-3 साल       | 3 साल से अधिक   | कुल              |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                           | 930.94              | 6,523.16                                                 | 1,118.30         | 788.93        | 152.09        | 1,847.23        | 11,360.66        |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है | -                   | -                                                        | 6.32             | 9.09          | 41.17         | 545.12          | 601.7            |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - साख बाधित                                    | -                   | -                                                        | -                | -             | -             | -               | -                |
| विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी स्थिति में माना गया                      | -                   | -                                                        | -                | -             | -             | -               | -                |
| विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है   | -                   | -                                                        | -                | -             | -             | -               | -                |
| विवादित व्यापार प्राप्य - साख बाधित                                      | -                   | -                                                        | -                | -             | -             | -               | -                |
| <b>शुद्ध व्यापार प्राप्य</b>                                             | <b>930.94</b>       | <b>6,523.16</b>                                          | <b>1,124.62</b>  | <b>798.03</b> | <b>193.26</b> | <b>2,392.36</b> | <b>11,962.36</b> |

(मिलियन रुपये में)

| 31 मार्च, 2025 तक                                                        |                     | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि |                  |              |                 |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| विवरण                                                                    | अप्रतिवेदित प्राप्य | 6 महीने से कम                                            | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष     | 2-3 साल         | 3 साल से अधिक | कुल              |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                           | 1,956.06            | 5,409.70                                                 | 2,850.77         | 811.91       | 1,705.95        | 165.89        | 12,900.27        |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है | -                   | 6.23                                                     | 2.78             | 53.89        | 12.71           | 593.48        | 669.1            |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - साख बाधित                                    | -                   | -                                                        | -                | -            | -               | -             | -                |
| विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी स्थिति में माना गया                      | -                   | -                                                        | -                | -            | -               | -             | -                |
| विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है   | -                   | -                                                        | -                | -            | -               | -             | -                |
| विवादित व्यापार प्राप्य - साख बाधित                                      | -                   | -                                                        | -                | -            | -               | -             | -                |
| <b>शुद्ध व्यापार प्राप्य</b>                                             | <b>1,956.06</b>     | <b>5,415.93</b>                                          | <b>2,853.54</b>  | <b>865.8</b> | <b>1,718.66</b> | <b>759.37</b> | <b>13,569.36</b> |

(मिलियन रुपये में)

| 31 मार्च, 2025 तक                                                        |                     | भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया राशि |                  |                 |               |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| विवरण                                                                    | अप्रतिवेदित प्राप्य | 6 महीने से कम                                            | 6 महीने - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष        | 2-3 साल       | 3 साल से अधिक | कुल             |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है                           | 2,730.03            | 3,280.87                                                 | 434.24           | 1,750.62        | 99.06         | 130.08        | 8,424.91        |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है | -                   | 27.19                                                    | 14.96            | 16.79           | 6.19          | 532.17        | 597.3           |
| निर्विवाद व्यापार प्राप्य - साख बाधित                                    | -                   | -                                                        | -                | -               | -             | -             | -               |
| विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छी स्थिति में माना गया                      | -                   | -                                                        | -                | -               | -             | -             | -               |
| विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होती है   | -                   | -                                                        | -                | -               | -             | -             | -               |
| विवादित व्यापार प्राप्य - साख बाधित                                      | -                   | -                                                        | -                | -               | -             | -             | -               |
| <b>शुद्ध व्यापार प्राप्य</b>                                             | <b>2,730.03</b>     | <b>3,308.06</b>                                          | <b>449.2</b>     | <b>1,767.42</b> | <b>105.25</b> | <b>662.25</b> | <b>9,022.21</b> |

- सेवाओं की बिक्री पर ऋण अवधि 30 से 60 दिनों तक होती है, जिसमें सुरक्षा के साथ या बिना सुरक्षा के व्यवस्था की जाती है।
- कंपनी आम तौर पर इन शेष राशियों पर कोई संपार्श्विक या अन्य ऋण संवर्द्धन नहीं रखती है और न ही कंपनी को प्रतिपक्ष को देय किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजन का कानूनी अधिकार है, हालांकि समायोजन को FIFO आधार पर समायोजित किया गया है।
- संबंधित पक्षों से प्राप्त होने वाली व्यापारिक प्राप्य राशियों का विवरण नोट 31 ई में दिया गया है।
- व्यापार प्राप्य में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्त होने वाली कोई भी प्राप्य राशि शामिल नहीं है।
- व्यापार प्राप्य में बंद की गई कंपनियों से प्राप्त होने वाली किसी भी राशि को शामिल नहीं किया जाता है।

## नोट "7" : नकद और नकद समतुल्य

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                           | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>बैंकों में जमा राशि</b>                      |                   |                  |                   |
| क) चालू खातों में                               | 418.24            | 32.71            | 83.83             |
| ख) जमा खातों में (परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम) | 3,280.00          | 2,180.10         | 313.4             |
| सी) नकद राशि                                    | 0.31              | 0.46             | 0.6               |
| <b>चेक, ड्राफ्ट उपलब्ध हैं</b>                  |                   |                  |                   |
| <b>कुल</b>                                      | <b>3,698.56</b>   | <b>2,213.27</b>  | <b>397.84</b>     |

**नोट 7.i:** अधिकृत अधिकारियों द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में मौजूद नकदी का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है और नकदी शेष का प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित कर दिया गया है।

**नोट 7.ii:** कंपनी ने बैंक से 31 मार्च 2025 तक के शेषों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। कंपनी को सभी बैंक खातों/स्थिर जमाओं के संबंध में पुष्टि/बैंक विवरण प्राप्त हो चुके हैं। ये विवरण 31 मार्च 2025 तक कंपनी के बही-खातों से मेल खाते हैं।

## नोट "8" : नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष राशि

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                                  | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>बैंकों के साथ शेष राशि</b>                                          |                   |                  |                   |
| मार्जिन मनी डिपॉजिट में (3 < परिपक्वता < 12)<br>(नोट नंबर 22.ii देखें) | 79.39             | 240.99           | 1.00              |
| अन्य सावधि जमा (3 < परिपक्वता < 12)                                    | 5,761.61          | 2,160.39         | 3,627.88          |
| <b>कुल</b>                                                             | <b>5,841.00</b>   | <b>2,401.38</b>  | <b>3,628.88</b>   |

## नोट "9" : ऋण

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                             | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ऋण प्राप्य - अच्छी स्थिति में माने जाते हैं - सुरक्षित;           | -                 | -                | -                 |
| समूह की कंपनी को दिया गया अल्पकालिक ऋण अच्छा माना गया - असुरक्षित | 300.00            | -                | -                 |
| ऋण प्राप्य जिनमें साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है           | -                 | -                | -                 |
| ऋण प्राप्य - साख बिगड़ी हुई।                                      | -                 | -                | -                 |
| <b>कुल</b>                                                        | <b>300.00</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>          |



\*कंपनी ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को वित्तीय सहायता के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से और 6 नवंबर, 2024 के स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर ₹ 300.00 मिलियन का अल्पकालिक ऋण दिया है।

### नोट "10" : अन्य - चालू परिसंपत्ति

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                      | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| प्रीपेड खर्चे                              | 170.78            | 272.38           | 122.69            |
| नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम | 130.14            | 167.17           | 264.85            |
| फुटकर रोकड़ राशि                           | -                 | 0.002            | 0.02              |
| जीएसटी टीडीएस प्राप्य                      | 0.55              | 5.7              | 4.3               |
| एफडीआर पर अर्जित ब्याज                     | 146.8             | 88.42            | 56.93             |
| जीएसटी इनपुट                               | 231.62            | 299.62           | 392.11            |
|                                            |                   |                  |                   |
| <b>कुल</b>                                 | <b>679.89</b>     | <b>833.31</b>    | <b>840.91</b>     |

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "11" : इक्विटी शेयर पूंजी

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                                        | 31 मार्च, 2025 तक |                  | 31 मार्च 2024 तक |                  | 1 अप्रैल, 2023 तक |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                              | शेयर की संख्या    | ₹                | शेयर की संख्या   | ₹                | शेयर की संख्या    | ₹                |
| ए) अधिकृत                                                                    |                   |                  |                  |                  |                   |                  |
| 10 रुपये प्रति शेयर के 1000,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 10,00,000,000) | 1,000.00          | 10,000.00        | 1,000.00         | 10,000.00        | 1,000.00          | 10,000.00        |
|                                                                              | <b>1,000.00</b>   | <b>10,000.00</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>10,000.00</b> | <b>1,000.00</b>   | <b>10,000.00</b> |
| बी) जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर         |                   |                  |                  |                  |                   |                  |
| 10 रुपये प्रति शेयर के 1666,66,500 इक्विटी शेयर                              | 166.67            | 1,666.67         | 166.67           | 1,666.67         | 166.67            | 1,666.67         |
|                                                                              | <b>166.67</b>     | <b>1,666.67</b>  | <b>166.67</b>    | <b>1,666.67</b>  | <b>166.67</b>     | <b>1,666.67</b>  |

### सी) शेयरों की संख्या का मिलान:

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                     | 31 मार्च, 2025 तक |                 | 31 मार्च 2024 तक |                 | 1 अप्रैल, 2023 तक |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                           | शेयर की संख्या    | ₹               | शेयर की संख्या   | ₹               | शेयर की संख्या    | ₹               |
| वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयर          | 166.67            | 1,666.67        | 166.67           | 1,666.67        | 166.67            | 1,666.67        |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर | -                 | -               | -                | -               | -                 | -               |
| वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर              | <b>166.67</b>     | <b>1,666.67</b> | <b>166.67</b>    | <b>1,666.67</b> | <b>166.67</b>     | <b>1,666.67</b> |

### डी) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयताएँ और प्रतिबंध

- कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के शेयर हैं, अर्थात् इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है।
- कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, सभी तरजीही राशियों के वितरण के बाद, इक्विटी शेयरों के धारक कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।
- कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे और नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए शेयर जारी करने का एक उदाहरण है तथा कंपनी द्वारा निगमन तिथि से लेकर बैलेंस शीट की तिथि तक कोई शेयर वापस नहीं खरीदे गए हैं।



- iv. रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले के 5 वर्षों की अवधि के दौरान नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार आवंटित शेयर और वापस खरीदे गए शेयर शून्य हैं (पिछले वर्ष: शून्य)।

ई) होलिंग कंपनी के पास मौजूद शेयरों का विवरण

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                      | 31 मार्च, 2025 तक |          | 31 मार्च 2024 तक |          | 1 अप्रैल, 2023 तक |          |
|----------------------------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
|                            | शेयर की संख्या    | ₹        | शेयर की संख्या   | ₹        | शेयर की संख्या    | ₹        |
| एआई एसेट्स होलिंग लिमिटेड* | 166.67            | 1,666.67 | 166.67           | 1,666.67 | 166.67            | 1,666.67 |
| *12 जनवरी, 2022 से         | -                 | -        | -                | -        | -                 | -        |

एफ) 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                      | 31 मार्च, 2025 तक |          | 31 मार्च 2024 तक |          | 1 अप्रैल, 2023 तक |          |
|----------------------------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
|                            | शेयर की संख्या    | ₹        | शेयर की संख्या   | ₹        | शेयर की संख्या    | ₹        |
| एआई एसेट्स होलिंग लिमिटेड* | 166.67            | 1,666.67 | 166.67           | 1,666.67 | 166.67            | 1,666.67 |
| *12 जनवरी, 2022 से         | -                 | -        | -                | -        | -                 | -        |

जी) प्रमोटर की शेयरधारिता

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                     | 31 मार्च, 2025 तक      |      | 31 मार्च 2024 तक       |      | 1 अप्रैल, 2023 तक      |      |
|---------------------------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
|                           | धारित शेयरों की संख्या | %    | धारित शेयरों की संख्या | %    | धारित शेयरों की संख्या | %    |
| एआई एसेट्स होलिंग लिमिटेड | 166.67                 | 100% | 166.67                 | 100% | 166.67                 | 100% |

टिप्पणी:

धारित शेयरों की संख्या और धारिता का प्रतिशत व्यक्तिगत क्षमता में धारित शेयरों को दर्शाता है।

यहां प्रवर्तक से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित रूप में परिभाषित प्रवर्तक से है।

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "12" : अन्य इक्विटी

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                        | 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार |                  | 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार (पुनः वर्णित)* |           | दिनांक 01 अप्रैल 2023 तक (पुनः वर्णित)* |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|
| लाभ और हानि खाते में अधिशेष/(घाटा):                          |                                      |                  |                                                     |           |                                         |                  |
| पिछली बैलेंस शीट के अनुसार शेष राशि                          |                                      | -6,851.83        |                                                     | -9,235.85 |                                         | -15,862.00       |
| वर्ष का लाभ/(हानि)                                           | 4,046.60                             |                  | 2,549.87                                            |           | 6,284.71                                |                  |
| कम:                                                          |                                      |                  |                                                     |           |                                         |                  |
| सामान्य आरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरण                       | -                                    |                  | -                                                   |           | -                                       |                  |
| जोड़/घटाव: वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछली अवधि के समायोजन    | -                                    |                  |                                                     |           | 149.22                                  |                  |
| जोड़ें/घटाएं: वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछली अवधि के समायोजन |                                      |                  | 26.74                                               |           |                                         |                  |
| <b>अन्य व्यापक आय</b>                                        |                                      |                  |                                                     |           |                                         |                  |
| जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमा लाभ/(हानि)।             | -72.13                               |                  | -192.59                                             |           | 10.42                                   |                  |
| शुद्ध अधिशेष                                                 |                                      | 3,974.46         |                                                     | 2,384.02  |                                         | 6,626.15         |
| <b>कुल भंडार एवं अधिशेष</b>                                  |                                      | <b>-2,877.37</b> | <b>-6,851.83</b>                                    |           |                                         | <b>-9,235.85</b> |

#### प्रतिधारित कमाई:

संचित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरण, लाभांश या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरण घटा दिए जाते हैं। संचित आय में परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन हानि/(लाभ) शामिल है, जो करों के बाद लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी। संचित आय कंपनी के लिए उपलब्ध एक मुक्त आरक्षित निधि है।



## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "13" : प्रावधान

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                      | 31 मार्च, 2025 तक |                 | 31 मार्च 2024 तक |                 | 1 अप्रैल, 2023 तक |                 |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                            | गैर वर्तमान       | मौजूदा          | गैर वर्तमान      | मौजूदा          | गैर वर्तमान       | मौजूदा          |
| <b>कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान</b>      |                   |                 |                  |                 |                   |                 |
| क) ग्रेजुटी (नोट संख्या 19.i.b देखें)      | 1,739.30          | 512.23          | 1,872.62         | 529.9           | 1,891.95          | 543.19          |
| ख) अवकाश नकदीकरण                           | 1,133.22          | 395.7           | 1,264.53         | 383.59          | 1,302.84          | 407.54          |
| ग) अन्य लाभ                                | 2,556.20          |                 | 3,147.62         |                 | 578.28            |                 |
| <b>कर्मचारी लाभों के अतिरिक्त प्रावधान</b> |                   |                 |                  |                 |                   |                 |
| ए) कर्मचारियों के अलावा                    | -                 | 186.69          | -                | 463.24          | -                 | 516.25          |
| <b>कुल</b>                                 | <b>5,428.72</b>   | <b>1,094.61</b> | <b>6,284.77</b>  | <b>1,376.74</b> | <b>3,773.08</b>   | <b>1,466.99</b> |

### नोट "14" : व्यापार देयताएँ

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                          | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण | 86.48             | 48.04            | 31.3              |
| अन्य देयताएँ                   | 1,841.17          | 2,283.43         | 1,475.99          |
| <b>कुल</b>                     | <b>1,927.64</b>   | <b>2,331.47</b>  | <b>1,507.29</b>   |

### नोट 14.1: व्यापार देयताओं की आयु

31 मार्च, 2025 तक

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                               | 1 वर्ष से कम    | 1-2 वर्ष      | 2-3 साल       | 3 साल से अधिक | कुल            |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (i) निर्विवाद देय राशियाँ (एमएसएमई) | 83.39           | 0.61          | 1.93          | 0.54          | 86.48          |
| (ii) निर्विवाद देय राशियाँ (अन्य)   | 1,279.28        | 343.1         | 209.45        | 9.34          | 1,841.17       |
| (iii) विवादित देय राशि (एमएसएमई)    | -               | -             | -             | -             | -              |
| (iv) विवादित देय राशियाँ (अन्य)     | -               | -             | -             | -             | -              |
| <b>कुल</b>                          | <b>1,362.68</b> | <b>343.71</b> | <b>211.38</b> | <b>9.88</b>   | <b>1927.64</b> |

31 मार्च, 2025 तक

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                               | 1 वर्ष से कम    | 1-2 वर्ष      | 2-3 साल      | 3 साल से अधिक | कुल             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| (i) निर्विवाद देय राशियाँ (एमएसएमई) | 45.05           | 2.34          | 0.51         | 0.14          | 48.04           |
| (ii) निर्विवाद देय राशियाँ (अन्य)   | 1,929.83        | 215.71        | 28.74        | 109.15        | 2,283.43        |
| (iii) विवादित देय राशि (एमएसएमई)    | -               | -             | -            | -             | -               |
| (iv) विवादित देय राशियाँ (अन्य)     | -               | -             | -            | -             | -               |
| <b>कुल</b>                          | <b>1,974.88</b> | <b>218.05</b> | <b>29.25</b> | <b>109.29</b> | <b>2,331.47</b> |

1 अप्रैल, 2023 तक

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                               | 1 वर्ष से कम | 1-2 वर्ष      | 2-3 साल       | 3 साल से अधिक | कुल             |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| (i) निर्विवाद देय राशियाँ (एमएसएमई) | 30.98        | 0.17          | -             | 0.16          | 31.3            |
| (ii) निर्विवाद देय राशियाँ (अन्य)   | 71.82        | 411.12        | 771.48        | 221.57        | 1,475.99        |
| (iii) विवादित देय राशि (एमएसएमई)    | -            | -             | -             | -             | -               |
| (iv) विवादित देय राशियाँ (अन्य)     | -            | -             | -             | -             | -               |
| <b>कुल</b>                          | <b>102.8</b> | <b>411.28</b> | <b>771.48</b> | <b>221.73</b> | <b>1,507.29</b> |

i. व्यापार देय राशियों का निपटान सामान्यतः 30 से 60 दिनों के भीतर हो जाता है।

ii. संबंधित पक्षों को देय व्यापार का खुलासा नोट 31 ई में किया गया है।

### नोट "15" : अन्य वित्तीय दायित्व

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                  | 31 मार्च, 2025 तक |               | 31 मार्च 2024 तक |               | 1 अप्रैल, 2023 तक |               |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                        | गैर वर्तमान       | मौजूदा        | गैर वर्तमान      | मौजूदा        | गैर वर्तमान       | मौजूदा        |
| सुरक्षा जमा राशि       | -                 | 46.35         | -                | 39.32         | -                 | 30.42         |
| बयाना राशि             | -                 | 3.43          | -                | 1.62          | -                 | 4.93          |
| ऋण एवं अग्रिम          | -                 | -             | -                | -             | -                 | 17.4          |
| कर्मचारियों को देय     | -                 | 577.65        | -                | 646.31        | -                 | 455.41        |
| अंतर-कंपनी देय/प्राप्य | 22,636.45         | -             | 20,822.96        | -             | 21,739.44         | -             |
| अन्य                   | -                 | 228.16        | -                | 125.23        | -                 | 91.87         |
| <b>कुल</b>             | <b>22,636.45</b>  | <b>855.59</b> | <b>20,822.96</b> | <b>812.49</b> | <b>21,739.44</b>  | <b>600.03</b> |

### नोट "16" : अन्य वर्तमान देनदारियां

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                                  | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 1 अप्रैल, 2023 तक |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| वैधानिक शुल्क                                                          | 413.07            | 302.12           | 572.65            |
| भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान सहायता<br>(नोट नंबर 16.1 देखें) | 32.98             | 119.4            | 375.07            |
| <b>कुल</b>                                                             | <b>446.05</b>     | <b>421.52</b>    | <b>947.72</b>     |



**नोट 16.1: सरकारी अनुदान**

भारत सरकार (वित्तीय मंत्रालय) के निर्णय के अनुसार, एसईएसएफ खर्चों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु एक योजना को मंजूरी दी गई है। उक्त योजना के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग का सारांश निम्नलिखित है:

(मिलियन रुपये में)

| विवरण                                                                             | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| अप्रयुक्त अनुदान सहायता खोलना                                                     | 119.40               | 375.07               | 338.90               |
| भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कंपनी को प्राप्त कुल बजटीय सहायता/अनुदान। | -                    | -                    | 393.10               |
| एसईएसएफ के खर्चों के लिए अनुदान का उपयोग किया गया *                               | 31.42                | 255.67               | 356.93               |
| वर्ष के दौरान अनुदान वापस कर दिया गया और असंयोजित अग्रिम राशि भी वापस कर दी गई।   | 55.00                | -                    | -                    |
| <b>कुल अप्रयुक्त अनुदान सहायता</b>                                                | <b>32.98</b>         | <b>119.40</b>        | <b>375.07</b>        |

\* इसमें 15.57 मिलियन रुपये का अग्रिम भुगतान और बीईएल को देय 9.16 मिलियन रुपये की शेष राशि शामिल है।

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "17" : परिचालन से राजस्व

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक  | विवरण                            | 2024-25          | 2023-24 (पुनर्स्थापित) | 2022-23 (पुनर्स्थापित) |
|----------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>सेवाओं की बिक्री</b>          |                  |                        |                        |
|          | तकनीकी हैंडलिंग सेवाओं का राजस्व | 6,111.00         | 7,196.89               | 5,555.29               |
|          | अन्य सेवा राजस्व                 | 11,143.17        | 12,591.98              | 13,422.77              |
|          |                                  | <b>17,254.23</b> | <b>19,788.87</b>       | <b>18,978.07</b>       |
| <b>2</b> | <b>अन्य परिचालन राजस्व</b>       |                  |                        |                        |
|          | इंजीनियरिंग प्रशिक्षण राजस्व     | 129.60           | 157.73                 | 113.36                 |
|          |                                  | <b>129.60</b>    | <b>157.73</b>          | <b>113.36</b>          |

### नोट "18" : अन्य आय

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक  | विवरण                                               | 2024-25         | 2023-24 (पुनर्स्थापित) | 2022-23 (पुनर्स्थापित) |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>ब्याज आय</b>                                     | 758.28          | 635.54                 | 343.99                 |
| <b>2</b> | <b>अनुदान सहायता राजस्व (नोट संख्या 16.1 देखें)</b> | 6.69            | 255.67                 | 356.93                 |
| <b>3</b> | <b>अन्य कमाई</b>                                    | 588.61          | 32.49                  | 136.22                 |
|          | <b>कुल</b>                                          | <b>1,353.59</b> | <b>923.7</b>           | <b>837.14</b>          |

**नोट 18.1:** पिछले वर्ष की तुलना में अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से ₹318.80 मिलियन MIAL के बढ़े हुए किराये प्रावधान (नोट संख्या 40 देखें), ₹164.35 मिलियन इन्वेंट्री सुलह प्रावधान (नोट संख्या 5.1 देखें) और ₹67.39 मिलियन ईसीएल प्रावधान (नोट संख्या 37.1 देखें) की देयता को वापस लिखने/प्रावधान की अब आवश्यकता न होने के कारण है।

### नोट "19" : कर्मचारी लाभ व्यय

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक  | विवरण                                         | 2024-25         | 2023-24 (पुनर्स्थापित) | 2022-23 (पुनर्स्थापित) |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>वेतन, मजदूरी और बोनस</b>                   | 7,615.43        | 6,550.93               | 5,976.59               |
| <b>2</b> | <b>भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान</b> | 425.50          | 300.80                 | 297.67                 |
| <b>3</b> | <b>कर्मचारी कल्याण व्यय</b>                   | 194.20          | 283.29                 | 161.40                 |
| <b>4</b> | <b>ग्रेजुटी का प्रावधान</b>                   | 277.08          | 242.97                 | 261.20                 |
| <b>5</b> | <b>अवकाश नकदीकरण का प्रावधान</b>              | 288.08          | 275.25                 | 158.89                 |
|          | <b>कुल</b>                                    | <b>8,800.28</b> | <b>7,653.24</b>        | <b>6,855.75</b>        |



## नोट 19.1: कर्मचारी लाभ योजनाएँ

### ए. परिभाषित अंशदान योजना

कर्मचारी भविष्य निधि: कंपनी, संविदा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ईपीएफओ की सदस्य है। कंपनी और कर्मचारी दोनों ही लागू दरों पर भविष्य निधि में योगदान करते हैं, जिसमें से भविष्य निधि कर्मचारियों को भुगतान की जाती है। लाभ-हानि विवरण में कंपनी का भविष्य निधि में योगदान ₹ 425.49 मिलियन है (पिछले वर्ष: ₹ 300.80 मिलियन)।

### बी. परिभाषित लाभ योजनाएँ

ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी देय है। कंपनी की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना (गैर-वित्तपोषित) है। ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कंपनी की ग्रेच्युटी योजना के अनुसार किया जाता है।

## इंड एस के अनुसार ग्रेच्युटी का प्रकटीकरण विवरण:

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक | विवरण                          | 2024-25                       | 2023-24 (पुनर्स्थापित)        | 2022-23 (पुनर्स्थापित)        |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1       | लाभ का प्रकार                  | ग्रेच्युटी                    | ग्रेच्युटी                    | ग्रेच्युटी                    |
| 2       | देश                            | भारत                          | भारत                          | भारत                          |
| 3       | रिपोर्टिंग मुद्रा              | भारतीय रूपया                  | भारतीय रूपया                  | भारतीय रूपया                  |
| 4       | रिपोर्टिंग मानक                | भारतीय लेखांकन                | भारतीय लेखांकन                | भारतीय लेखांकन                |
| 5       |                                | मानक 19 (इंड एस 19)           | मानक 19 (इंड एस 19)           | मानक 19 (इंड एस 19)           |
| 6       | वित्त पोषण की स्थिति           | बिना वित्तपोषित               | बिना वित्तपोषित               | बिना वित्तपोषित               |
| 7       | आरंभिक अवधि                    | 01-04-2024                    | 01-04-2023                    | 01-04-2022                    |
| 8       | रिपोर्टिंग की तिथि             | 31-03-2025                    | 31-03-2024                    | 31-03-2023                    |
| 9       | रिपोर्टिंग की अवधि             | 12 महीने                      | 12 महीने                      | 12 महीने                      |
| 10      | संदर्भ आईडी                    | 1071961                       | 915080                        | 788472                        |
| 11      | मान्यताएँ (पिछली अवधि)         |                               |                               |                               |
| i       | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | लागू नहीं                     | लागू नहीं                     | लागू नहीं                     |
| ii      | छूट की दर                      | 7.22%                         | 7.50%                         | 7.23%                         |
| iii     | वेतन वृद्धि की दर              | 5.50%                         | 5.50%                         | 5.50%                         |
| iv      | कर्मचारी टर्नओवर की दर         | 2.00%                         | 2.00%                         | 2.00%                         |
| v       | रोजगार के दौरान मृत्यु दर      | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर |
|         |                                | (2012-14) शहरी                | (2012-14) शहरी                | (2012-14) शहरी                |
| 12      | मान्यताएँ (वर्तमान अवधि)       |                               |                               |                               |
| i       | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | लागू नहीं                     | लागू नहीं                     | लागू नहीं                     |
| ii      | छूट की दर                      | 6.81%                         | 7.22%                         | 7.50%                         |
| iii     | वेतन वृद्धि की दर              | 5.50%                         | 5.50%                         | 5.50%                         |
| iv      | कर्मचारी टर्नओवर की दर         | 2.00%                         | 2.00%                         | 2.00%                         |
| v       | रोजगार के दौरान मृत्यु दर      | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर | भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर |
|         |                                | 2012-14 (शहरी)                | 2012-14 (शहरी)                | 2012-14 (शहरी)                |

|             |                                                                               | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च, 2024 तक | 31 मार्च, 2023 तक |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13</b>   | <b>परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका</b> |                   |                   |                   |
| <b>i</b>    | ब्याज लागत                                                                    | 170.94            | 181.03            | 192.95            |
| <b>ii</b>   | वर्तमान सेवा लागत                                                             | 73.79             | 61.93             | 68.25             |
| <b>iii</b>  | पिछली सेवा लागत                                                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>iv</b>   | दायित्व हस्तांतरित/अधिग्रहण                                                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>v</b>    | (देनदारी हस्तांतरित/ विनिवेश)                                                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>vi</b>   | कटौती पर होने वाले लाभ/हानि                                                   | -                 | -                 | -                 |
| <b>vii</b>  | (समझौते पर देनदारियां समाप्त हो गईं)                                          | -                 | -                 | -                 |
| <b>viii</b> | (लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)                             | -467.85           | -468.18           | -532.55           |
| <b>ix</b>   | (निधि से भुगतान किया गया लाभ)                                                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>x</b>    | विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव                                     | -                 | -                 | -                 |
| <b>xi</b>   | जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण देनदारियों पर बीमांकिक लाभ/हानि   | -                 | -                 | -                 |
| <b>xii</b>  | वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण देनदारियों पर बीमांकिक लाभ/हानि        | 43.28             | 29.07             | -25.57            |
| <b>xiii</b> | अनुभव के आधार पर देनदारियों पर बीमांकिक लाभ/हानि                              | 28.85             | 163.53            | 15.14             |
|             | <b>अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य</b>                           | <b>2,251.53</b>   | <b>2,402.52</b>   | <b>2,435.14</b>   |
| <b>14</b>   | <b>योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका</b>     |                   |                   |                   |
|             | <b>अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य</b>                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>i</b>    | ब्याज आय                                                                      | -                 | -                 | -                 |
| <b>ii</b>   | नियोक्ता द्वारा योगदान                                                        | -                 | -                 | -                 |
| <b>iii</b>  | कर्मचारियों से अपेक्षित योगदान                                                | -                 | -                 | -                 |
| <b>iv</b>   | हस्तांतरित संपत्तियां/अधिग्रहण                                                | -                 | -                 | -                 |
| <b>v</b>    | (स्थानांतरित परिसंपत्तियाँ/ विनिवेश)                                          | -                 | -                 | -                 |
| <b>vi</b>   | (निधि से भुगतान किया गया लाभ)                                                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>vii</b>  | (समझौतों पर वितरित संपत्तियां)                                                | -                 | -                 | -                 |
| <b>viii</b> | परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव                                                     | -                 | -                 | -                 |
| <b>ix</b>   | विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव                                     | -                 | -                 | -                 |

|     |                                                                  |                   |                  |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| x   | ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल                | -                 | -                | -                |
|     | अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य                | -                 | -                | -                |
|     |                                                                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                  | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|     |                                                                  |                   |                  |                  |
| 15  | बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि                              |                   |                  |                  |
| i   | (अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)                   | -2,251.53         | -2,402.52        | -2,435.14        |
| ii  | अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य                | -                 | -                | -                |
| iii | वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/ घाटा))                                | -2,251.53         | -2,402.52        | -2,435.14        |
|     | बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति          | -2,251.53         | -2,402.52        | -2,435.14        |
| 16  | चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत                                |                   |                  |                  |
| i   | अवधि के प्रारंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य                 | 2,402.52          | 2,435.14         | 2,716.91         |
| ii  | (अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)          | -                 | -                | -                |
| iii | प्रारंभ में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)                             | 2,402.52          | 2,435.14         | 2,716.91         |
| iv  | ब्याज लागत                                                       | 170.94            | 181.03           | 192.95           |
| v   | (ब्याज आय)                                                       | -                 | -                | -                |
|     | चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत                                | 170.94            | 181.03           | 192.95           |
| 16  | चालू अवधि के लाभ-हानि विवरण में दर्ज व्यय                        |                   |                  |                  |
| i   | वर्तमान सेवा लागत                                                | 73.79             | 61.93            | 68.25            |
| ii  | शुद्ध ब्याज लागत                                                 | 170.94            | 181.03           | 192.95           |
| iii | पिछली सेवा लागत                                                  | -                 | -                | -                |
| iv  | (कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान)                             | -                 | -                | -                |
| v   | कटौती और निपटान पर होने वाले लाभ/हानि                            | -                 | -                | -                |
| vi  | विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव                  | -                 | -                | -                |
|     | मान्यता प्राप्त व्यय                                             | 244.73            | 242.97           | 261.2            |
| 17  | चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय |                   |                  |                  |
| i   | अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि                       | 72.13             | 192.59           | -10.42           |
| ii  | ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल                | -                 | -                | -                |



|      |                                                         |                   |                  |                  |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| iii  | परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन                            | -                 | -                | -                |
|      | ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय   | 72.13             | 192.59           | -10.42           |
|      |                                                         |                   |                  |                  |
|      |                                                         | 31 मार्च, 2025 तक | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
| 18   | बैलेंस शीट का मिलान                                     |                   |                  |                  |
| i    | प्रारंभिक शुद्ध देयता                                   | 2,402.52          | 2,435.14         | 2,716.91         |
| ii   | लाभ या हानि विवरण में दर्ज व्यय                         | 244.73            | 242.97           | 261.2            |
| iii  | ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय                          | 72.13             | 192.59           | -10.42           |
| iv   | शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) हस्तांतरण                      | -                 | -                | -                |
| v    | शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति हस्तांतरण                      | -                 | -                | -                |
| vi   | (लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)       | -467.85           | -468.18          | -532.55          |
| vii  | (नियोक्ता का योगदान)                                    | -                 | -                | -                |
|      | बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) | 2,251.53          | 2,402.52         | 2,435.14         |
| 19   | परिसंपत्तियों की श्रेणी                                 |                   |                  |                  |
| i    | भारत सरकार की संपत्तियाँ                                | -                 | -                | -                |
| ii   | राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ                                | -                 | -                | -                |
| iii  | विशेष जमा योजना                                         | -                 | -                | -                |
| iv   | ऋण साधन                                                 | -                 | -                | -                |
| v    | कॉर्पोरेट बॉन्ड                                         | -                 | -                | -                |
| vi   | नकद और नकद के समान                                      | -                 | -                | -                |
| vii  | बीमा निधि                                               | -                 | -                | -                |
| viii | संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ                            | -                 | -                | -                |
| ix   | संरचित ऋण                                               | -                 | -                | -                |
| x    | अन्य                                                    | -                 | -                | -                |
| xi   | कुल                                                     | -                 | -                | -                |
| 20   | अन्य विवरण                                              |                   |                  |                  |
| i    | सेवा में कार्यरत सदस्यों की संख्या                      | 4,540.00          | 4,789.00         | 4,503            |
| ii   | सेवारत सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन                    | 247.88            | 250.99           | 220.34           |
| iii  | परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि                  | 6.23              | 6                | 5                |
| iv   | औसत अपेक्षित भविष्य सेवा                                | 14                | 14               | 12               |
| v    | परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - कुल                      | 2,251.53          | 2,402.52         | 2,435.14         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                         |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| vi   | परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)<br>- देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है                                                                                                                                                                                                                    | 47.28                    | 34.93                   | 21.35                   |
| vii  | अगले वर्ष में अपेक्षित योगदान                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        | -                       | -                       |
| 21   | <b>लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                         |
|      | <b>रिपोर्टिंग की तिथि से आगामी वर्षों में देय अनुमानित लाभ</b>                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                         |
| i    | प्रथम अनुवर्ती वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                       | 512.23                   | 529.90                  | 543.19                  |
| ii   | दूसरा अगला वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260.58                   | 278.70                  | 256.14                  |
| iii  | तीसरा अगला वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315.51                   | 415.71                  | 441.64                  |
| iv   | चौथा अगला वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221.82                   | 298.91                  | 381.54                  |
| v    | पांचवां अगला वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190.64                   | 207.64                  | 272.30                  |
| vi   | छठी से दसवीं तक के वर्षों का योग                                                                                                                                                                                                                                                          | 688.52                   | 687.93                  | 679.81                  |
| vii  | 11वीं और उससे ऊपर के वर्षों का योग                                                                                                                                                                                                                                                        | 1277.43                  | 1241.68                 | 933.88                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                         |                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31 मार्च, 2025 तक</b> | <b>31 मार्च 2024 तक</b> | <b>31 मार्च 2023 तक</b> |
| 22   | <b>संवेदनशीलता का विश्लेषण</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                         |
|      | <b>वर्तमान मान्यताओं पर परिभाषित लाभ दायित्व</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2,251.53</b>          | <b>2,402.52</b>         | <b>2,435.14</b>         |
| i    | छूट की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                               | -102.01                  | -99.83                  | -89.24                  |
| ii   | छूट की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                               | 115.05                   | 111.73                  | 98.11                   |
| iii  | वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                       | 74.38                    | 72.29                   | 61.43                   |
| iv   | वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                       | -73.11                   | -73.08                  | -63.76                  |
| v    | कर्मचारी टर्नओवर दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                     | 14.61                    | 16.53                   | 15.08                   |
| vi   | कर्मचारी टर्नओवर दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                     | -16.08                   | -18.11                  | -16.23                  |
| vii  | संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित मान्यताओं में होने वाले संभावित परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखा गया है।                                                                                                         |                          |                         |                         |
| viii | ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग-थलग रूप से होगा, क्योंकि कुछ मान्यताएं सहसंबंधित हो सकती हैं।                                              |                          |                         |                         |
| ix   | इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके गणना किया गया है, जो कि बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू की गई विधि के समान है। |                          |                         |                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x</b>  | संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में पिछले वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।                                                                                          |
| <b>23</b> | <b>नोट्स</b>                                                                                                                                                                                                    |
|           | रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार संस्था की योजना के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।                                                                                                                      |
|           | बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के तहत घटना की अवधि में ही मान्यता दी जाती है।                                                                                                                      |
|           | ऊपर बताए गए सभी ओसीआई आंकड़े कर सहित हैं।                                                                                                                                                                       |
|           | संस्था द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वेतन वृद्धि और कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर पर विचार किया गया है; ये निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रतीत होते हैं।                                                  |
|           | कर्मचारियों की पदोन्नति और मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग में प्रचलित प्रथाएं।                                                                                                                   |
|           | लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण भविष्य के वेतन, कर्मचारियों की कमी और मृत्यु को ध्यान में रखते हुए बिना छूट वाले नकदी प्रवाह का विश्लेषण है।                                                                   |
|           | ऊपर बताए गए सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष।                                                                                                                                                                        |
|           | औसत अपेक्षित भविष्य सेवा, रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ दायित्व की अनुमानित अवधि को दर्शाती है।                                                                                                                  |
|           | परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि, नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है।                                                                                                                                        |
|           | जहां भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य और कुल वर्तमान मूल्य के अनुपात से प्राप्त किए जाते हैं।                                                                                                          |
|           | योजना परिसंपत्तियों में किसी भी लाभ भुगतान और योगदान को वर्ष के अंत में होने वाला माना जाता है ताकि प्रकटीकरण में देयता और निधि की आवाजाही को दर्शाया जा सके।                                                   |
| <b>24</b> | <b>गुणात्मक खुलासे</b>                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>पैरा 139 (ए) परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएं</b>                                                                                                                                                             |
|           | इस संस्था की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है (जो वित्तपोषित नहीं है)। संस्था की यह परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन योजना है।                                           |
|           | ग्रेच्युटी का भुगतान संस्था द्वारा देय होने पर और संस्था की ग्रेच्युटी योजना के अनुसार किया जाता है।                                                                                                            |
|           | <b>पैरा 139 (बी) परिभाषित लाभ योजना से जुड़े जोखिम</b>                                                                                                                                                          |
|           | ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है और संस्था निम्नलिखित जोखिमों के प्रति संवेदनशील है:                                                                                                                         |
|           | ब्याज दर जोखिम: जी.एस.ई. दर से जुड़ी छूट दर में गिरावट से देनदारी का वर्तमान मूल्य बढ़ जाएगा, जिसके लिए अधिक प्रावधान की आवश्यकता होगी।                                                                         |
|           | वेतन जोखिम: परिभाषित लाभ योजना की देनदारी का वर्तमान मूल्य सदस्यों के भविष्य के वेतन के आधार पर परिकलित किया जाता है। अतः, सदस्यों के वेतन में अनुमानित स्तर से अधिक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाएगी। |
|           | परिसंपत्ति-देयता मिलान जोखिम: योजना को नकदी प्रवाह के मिलान के संबंध में एएलएम जोखिम का सामना करना पड़ता है। इकाई को अपने स्वयं के फंड से पे-एज़-यू-गो आधार पर भुगतान का प्रबंधन करना होगा।                     |
|           | मृत्यु का जोखिम: चूंकि इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ जीवन भर के लिए देय नहीं हैं, बल्कि केवल सेवानिवृत्ति की आयु तक ही देय हैं, इसलिए इस योजना में दीर्घायु का कोई जोखिम नहीं है।                              |



|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>पैरा 139 (सी) परिभाषित लाभ योजनाओं की विशेषताएं</b>              |
|  | इस वर्ष के दौरान, योजनाओं में कोई संशोधन, कटौती या समझौता नहीं हुआ। |
|  | <b>पैरा 147 (ए)</b>                                                 |
|  | ग्रेच्युटी योजना के लिए धन उपलब्ध नहीं है।                          |

## नोट "20" : वित्त लागत

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक | विवरण                          | 2024-25         | 2023-24 (पुनर्स्थापित) | 2022-23 (पुनर्स्थापित) |
|---------|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1       | ब्याज व्यय                     | 1,887.32        | 1,852.18               | 1,915.49               |
| 2       | पट्टे की देनदारी पर ब्याज व्यय | 4.22            | 4.46                   | 5.35                   |
|         | <b>कुल</b>                     | <b>1,891.54</b> | <b>1,856.64</b>        | <b>1,920.84</b>        |

## नोट "21" : अन्य व्यय

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक | विवरण                                                            | 2024-25  | 2023-24 (पुनर्स्थापित) | 2022-23 (पुनर्स्थापित) |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| 1       | बीमा व्यय                                                        | 128.86   | 171.97                 | 167.31                 |
| 2       | भंडार और पुर्जों से संबंधित उपभोग्य सामग्रियों पर होने वाले खर्च | 534.1    | 1,606.39               | 631.87                 |
| 3       | हैंडलिंग चार्ज                                                   | 104.76   | 158.51                 | 208.7                  |
| 4       | संचार शुल्क                                                      | 12.73    | 9.7                    | 9.24                   |
| 5       | यात्रा खर्च                                                      | 206.16   | 186.03                 | 206.24                 |
| 6       | किराया                                                           | 1,046.06 | 1,078.60               | 1,087.24               |
| 7       | दरें और कर                                                       | 52.44    | 55.55                  | 160.09                 |
| 8       | मरम्मत और रखरखाव:                                                |          |                        |                        |
|         | i) इमारतें                                                       | 51.66    | 29.18                  | 33.51                  |
|         | ii) अन्य                                                         | 1,039.29 | 978.04                 | 699.32                 |
| 9       | परिवहन का किराया                                                 | 205.73   | 211.3                  | 150.25                 |
| 10      | डीजीसीए को देय शुल्क                                             | 5.87     | 4.05                   | 1.2                    |
| 11      | बिजली और हीटिंग शुल्क                                            | 339.34   | 292.68                 | 296.07                 |
| 12      | जल प्रभार                                                        | 39.11    | 12.22                  | 16.34                  |
| 13      | प्रचार एवं बिक्री संवर्धन                                        | 1.25     | 2.25                   | 3.07                   |
| 14      | प्रिंटिंग व स्टेशनरी                                             | 11.5     | 8.31                   | 6.73                   |
| 15      | पेशेवर एवं कानूनी शुल्क                                          | 53.44    | 36                     | 23.91                  |
| 16      | लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय                             |          |                        |                        |
|         | i) लेखापरीक्षा शुल्क                                             | 0.40     | 0.40                   | 0.40                   |
|         | ii) अन्य व्यय                                                    | 0.01     | 0.04                   | 0.03                   |

|    |                                             |                 |                 |                 |
|----|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17 | अन्य लेखापरीक्षा व्यय                       | 0.46            | 0.23            | 0.69            |
| 18 | बैंक शुल्क                                  | 1.39            | 6.57            | 0.49            |
| 19 | एसईएसएफ व्यय (नोट संख्या 16.1 देखें)        | 6.69            | 255.67          | 356.93          |
| 20 | विनिमय भिन्नता                              | -               | 60.8            | -               |
| 21 | परिसंपत्तियों/स्क्रेप की बिक्री पर हानि     | 0.46            | 0.86            | 8.23            |
| 22 | संदिग्ध प्राप्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 69.12           | 73.23           | 142.72          |
| 23 | इन्वेंट्री मिलान (खर्चों) के लिए प्रावधान   | -               | -               | 500             |
| 24 | सीएसआर व्यय                                 | 119.22          | 91              | 40.94           |
| 25 | अन्य विविध व्यय                             | 66.22           | 74.66           | 67.28           |
|    | <b>कुल</b>                                  | <b>4,096.27</b> | <b>5,404.27</b> | <b>4,818.79</b> |

## नोट "22" : प्रति शेयर आय

भारतीय लेखा मानक-33 के अनुसार प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना का प्रकटीकरण

| विवरण                                                 | 2024-25      | 2023-24 (पुनर्स्थापित) | 2022-23 (पुनर्स्थापित) |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ | 4,046.60     | 2,576.61               | 6,615.72               |
|                                                       |              |                        |                        |
| वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या | 166.67       | 166.67                 | 166.67                 |
|                                                       |              |                        |                        |
| <b>बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस</b>                      | <b>24.28</b> | <b>15.46</b>           | <b>39.69</b>           |
|                                                       |              |                        |                        |
| प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य                     |              | 10                     | 10                     |

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "23" : आकस्मिक देनदारियां, आकस्मिक संपत्तियां और प्रतिबद्धताएं

23.i. आकस्मिक देनदारियां (जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

कंपनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (कुछ मामलों में ब्याज और जुर्माने को छोड़कर) और इंड एस 37 के अनुपालन में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

(मिलियन रुपये में)

| क्रमांक | विवरण                                                                                    | 31 मार्च 2025 तक का शेष        | 31 मार्च 2024 तक का शेष        | 1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (i)     | कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जिन पर अपील की गई है (*)।                           | 644.74                         | 644.74                         | 643.65                         |
| (ii)    | कर्मचारियों से संबंधित अन्य दावे**/ दीवानी/ मध्यस्थता मामले जो न्यायालयों में लंबित हैं। | राशि का निर्धारण संभव नहीं है। | राशि का निर्धारण संभव नहीं है। | राशि का निर्धारण संभव नहीं है। |
|         | <b>कुल</b>                                                                               | <b>644.74</b>                  | <b>644.74</b>                  | <b>643.65</b>                  |

अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में स्पष्टीकरणात्मक विवरण:

\*कंपनी को प्राप्त आयकर (टीडीएस) मांग नोटिस, जिन पर अपील की गई है:

(मिलियन रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | धारा 210(1) के तहत डिफ़ॉल्ट की कुल राशि | धारा 201 के तहत ब्याज की कुल राशि | कुल मांग      | अपील की स्थिति                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-15      | 16.48                                   | 11.93                             | 28.41         | मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।                                                                                                                   |
| 2015-16      | 27.75                                   | 16.85                             | 44.60         | मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई। दिनांक 13.07.2022 के नोटिस के अनुसार सुनवाई की तिथि 28.07.2022 निर्धारित की गई थी और स्थगन का अनुरोध किया गया था। |
| 2016-17      | 42.68                                   | 20.70                             | 63.38         | 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।                                                                                                                            |
| 2017-18      | 135.72                                  | 48.86                             | 184.58        | 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।                                                                                                                            |
| 2018-19      | 261.11                                  | 62.67                             | 323.77        | 28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई थी।                                                                                                                            |
| <b>कुल</b>   | <b>483.74</b>                           | <b>161</b>                        | <b>644.74</b> |                                                                                                                                                                                  |

\*उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत ब्याज 31 तारीख तक लागू होगा। मार्च 2025 में राजस्व ₹ 391.62 मिलियन होगा (पिछले वर्ष यह ₹ 314.55 मिलियन था)।

\*\*कंपनी के कर्मचारियों ने कर्मचारी मामलों से संबंधित विभिन्न अदालतों में मुकदमे दायर किए हैं, जिनमें कंपनी को पक्षकार बनाया गया है। प्रबंधन के अनुसार, कंपनी पर कोई देनदारी नहीं बनती है।



### 23.ii. कंपनी द्वारा प्रदत्त साख पत्र और बैंक गारंटी:

कंपनी ने अनुबंध के तहत दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को ₹42.3 मिलियन (पिछले वर्ष ₹58.79 मिलियन) की प्रदर्शन गारंटी (बीजी) दी है:

- (i) बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) को ₹1.00 मिलियन,
- (ii) सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (सीएबीएस) को ₹2.52 मिलियन,
- (iii) नेपाल एयरलाइन कॉर्पोरेशन को ₹9.99 मिलियन और
- (iv) रक्षा मंत्रालय को ₹28.79 मिलियन। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सामग्री के आयात के लिए मेसियर गुडरिच सोसाइटी को ₹38.09 का साख पत्र दिया है।

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "24" : विनिवेश की स्थिति

नीति आयोग की तत्कालीन एयर इंडिया (एआई) के विनिवेश संबंधी सिफारिशों और सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीडी) की सिफारिशों के मद्देनजर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2017 को हुई अपनी बैठक में तत्कालीन एयर इंडिया समूह के रणनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। सीसीईए ने रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का भी गठन किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2019 में एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) के नाम से एक विशेष उद्यम (एसपीवी) के गठन को स्वतः ही मंजूरी दे दी थी। इस विशेष उद्यम का उद्देश्य किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित न होने वाले संचित कार्यशील पूंजी ऋण के साथ-साथ चार सहायक कंपनियों एआईएसएल, एएएल, एआईएसएल, एचसीआई, गैर-मुख्य परिसंपत्तियों, चित्रों और कलाकृतियों तथा अन्य गैर-परिचालन परिसंपत्तियों का भंडारण करना था। उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) का विनिवेश किया गया है। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने अपने पत्र संख्या 17046/56/2019-AI दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के माध्यम से तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों (AIASL, AAAL, AIESL और HCI) को AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित करने के AISAM के निर्णय से अवगत कराया है।

सहायक कंपनियों में निवेश के हस्तांतरण के संबंध में AISAM के निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में, कंपनी (AIESL) के शेयर तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड से AIAHL को बुक वैल्यू पर हस्तांतरित कर दिए गए। तदनुसार, AIESL के शेयरों के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन AIL और AIAHL के बीच शेयर खरीद समझौता (SPA) 10 जनवरी, 2022 को निष्पादित किया गया था। भारत सरकार के निर्णय और SPA के अनुसार, कंपनी की 100% शेयरधारिता तत्कालीन AIL से AIAHL को हस्तांतरित कर दी गई है और कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है तथा कंपनी के शेयर 12 जनवरी, 2022 से AIAHL को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी/होल्डिंग कंपनी बन गई है।

एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के फलस्वरूप, सरकार ने एआईएचएल (एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड) की तीन सहायक कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विनिवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए समितियाँ गठित की गई हैं और डीआईपीएम ने विनिवेश हेतु निवेशकों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। डीआईपीएम द्वारा रोड शो आयोजित किए जा चुके हैं और एआईएसएल, एआईएसएल और एएएल के लिए मसौदा पीआईएम (PIM) तैयार कर सरकार के साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) उचित समय पर जारी किया जाएगा और इच्छुक बोलीदाता डीआईपीएम को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करेंगे। योग्य बोलीदाता उचित जांच-पड़ताल के बाद वित्तीय बोलियाँ प्रस्तुत करेंगे। विनिवेश की विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के बाद रणनीतिक साझेदार का चयन किया जाएगा। इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी समूह-आईएमजी की बैठकें 18 नवंबर 2024 और 7 जुलाई 2025 (एएएल) को आयोजित की गईं और एआईएसएल के लिए एमओसीए और डीआईपीएम के बीच बैठकें 25 अप्रैल 2025 को आयोजित की गईं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भागीदारी के कारण उपरोक्त प्रक्रिया में समय लग रहा है।

### नोट "25" : IND-AS 8 "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के अनुसार पिछली अवधि की त्रुटियों का सुधार

वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी को पता चला कि वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित मदों को पिछले वर्ष में गलत तरीके से दर्ज/प्रकट किया गया था। इन त्रुटियों को अब पिछले वर्ष के लिए प्रभावित वित्तीय विवरणों की मदों को पुनः प्रस्तुत करके सुधार दिया गया है।

| (मिलियन रुपये में)                          |                                           |                                      |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| विवरण                                       | 31 मार्च 2024 (जैसा कि पहले बताया गया था) | त्रुटि के सुधार के कारण वृद्धि/(कमी) | 31 मार्च, 2024 (पुनर्स्थापित) |
| <b>बैलेंस शीट (संक्षिप्त अंश)</b>           |                                           |                                      |                               |
| व्यापार देय                                 | 2,246.07                                  | 85.4                                 | 2,331.47                      |
| व्यापार प्राप्य                             | 12,764.27                                 | 136                                  | 12,900.27                     |
| ऋण एवं अग्रिम (अन्य चालू वित्तीय दायित्व)*  | -142.34                                   | 157.94                               | 15.6                          |
| अन्य गैर-व्यापारिक प्राप्य राशियाँ*         | -                                         | 15.6                                 | 15.6                          |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ*                 | 25.12                                     | 15.6                                 | 40.72                         |
| <b>लाभ और हानि का विवरण (संक्षिप्त अंश)</b> |                                           |                                      |                               |
| परिचालन से राजस्व                           | 20,879.83                                 | 26.74                                | 20,906.57                     |

|                                  |           |       |           |
|----------------------------------|-----------|-------|-----------|
| अन्य सेवा राजस्व                 | 12,565.24 | 26.74 | 12,591.98 |
| कुल आय                           | 21,803.53 | 26.74 | 21,830.27 |
| कर पश्चात लाभ/(हानि) अवधि के लिए | 2,549.87  | 26.74 | 2,576.61  |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय        | 2,357.28  | 26.74 | 2,384.02  |

\* 31 मार्च, 2024 तक ऋण और अग्रिम (अन्य चालू वित्तीय देयता) ₹ 142.34 मिलियन था और ₹ 157.94 मिलियन की त्रुटि के सुधार के कारण, ₹ 15.60 मिलियन के डेबिट बैलेंस को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य गैर-व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पिछले वर्ष के मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय को भी पुनर्निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय दोनों में ₹0.16 प्रति शेयर की वृद्धि हुई है।

| (मिलियन रुपये में)                          |                                           |                                      |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| विवरण                                       | 31 मार्च 2023 (जैसा कि पहले बताया गया था) | त्रुटि के सुधार के कारण वृद्धि/(कमी) | 1 अप्रैल, 2023 (पुनर्स्थापित) |
| <b>बैलेंस शीट (संक्षिप्त अंश)</b>           |                                           |                                      |                               |
| व्यापार देय                                 | 1,421.90                                  | 85.4                                 | 1,507.29                      |
| व्यापार प्राप्य                             | 8,315.66                                  | 258.47                               | 8,424.91                      |
| ऋण एवं अग्रिम (अन्य चालू वित्तीय दायित्व)   | 175.34                                    | -157.94                              | 17.4                          |
| अन्य वित्तीय दायित्व                        | 757.97                                    | -157.94                              | 600.03                        |
| <b>लाभ और हानि का विवरण (संक्षिप्त अंश)</b> |                                           |                                      |                               |
| परिचालन से राजस्व                           | 19,683.24                                 | 109.25                               | 19,792.49                     |
| अन्य सेवा राजस्व                            | 13,391.57                                 | 31.2                                 | 13,422.77                     |
| अन्य कमाई                                   | 764.59                                    | 72.55                                | 837.14                        |
| कुल आय                                      | 20,447.83                                 | 181.8                                | 20,629.63                     |
| कर पश्चात लाभ/(हानि) अवधि के लिए            | 6,433.92                                  | 181.8                                | 6,615.72                      |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय                   | 6,444.35                                  | 181.8                                | 6,626.15                      |

पिछले वर्ष के मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय को भी पुनर्निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय दोनों में ₹0.91 प्रति शेयर की वृद्धि हुई है।

## नोट "26" : लेखा मिलान / पुष्टि

(i) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशियों के शेषों की पुष्टि मांगी है। हालांकि, केवल कुछ पक्षों ने ही जवाब दिया है और उनके विवरण कंपनी की पुस्तकों से मेल खाते हैं। जहां भी पुष्टि किए गए शेष कंपनी की पुस्तकों से मेल नहीं खाते हैं, उस स्थिति में अंतर का समाधान प्रक्रियाधीन है।

आगे,

(ii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक देय राशियाँ कंपनी द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए वैधानिक अभिलेखों के साथ मेल खाती हैं।

(iii) कंपनी ने विभिन्न बहीखातों, आपूर्तिकर्ता सस्पेंस खातों, विक्रेता के जीएल, ग्राहक कोड/जीएल, कर्मचारियों के वसूली योग्य/देय राशियों से संबंधित जीएल, कुछ नियंत्रण बहीखाते, जीआरआईआर खातों, विक्रेताओं से सुरक्षा जमा आदि का मिलान/जांच की है और पाया है कि ये शेष राशियां मुख्य रूप से तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (विनिवेश से पहले एयर इंडिया लिमिटेड) से प्रविष्टियों के गलत हस्तांतरण, पक्षों की ओर से बिना किसी मांग/दावे के एसएपी में लंबे समय से लंबित मदों, तीन साल से अधिक समय तक जीएल में शेष राशियों के गैर-गति, गलत समायोजन/समाशोधन या बिना किसी सहायक दस्तावेजीकरण के शेष राशियों के कारण हैं, जिसके लिए कंपनी ने लेखांकन प्रभाव लिया है।

इसके अलावा, कुछ नियंत्रण बहीखातों/जीएल/खातों के मिलान की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया समय रहते पूरी हो जाएगी तथा मिलान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले लेखांकन संबंधी प्रभावों (यदि कोई हो) को उचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही लागू किया जाएगा।



## नोट "27" : अपवादिक वस्तुएँ

भारी उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग ने अधिसूचना संख्या W-08/005/2016-DPE(WC) दिनांक 9 जून, 2016 के माध्यम से सीपीएसई के कर्मचारियों को उपयुक्त कार्य परिस्थितियाँ, वेतन और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) नियुक्त की थी, ताकि वे कंपनी की लाभप्रदता के लिए प्रयासरत रहें। समिति ने 21 नवंबर, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे लागू करने की सिफारिश की। कंपनी ने पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तीसरी पीआरसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए ₹ 2,532.60 मिलियन का अनुमानित बजट रखा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा बही में ₹ 2,532.60 मिलियन का प्रावधान किया गया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अनुसार, पूर्णकालिक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए ₹ 62.42 मिलियन की अतिरिक्त देयता भी निर्धारित की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 2,595.02 की दोनों राशियों के प्रावधानों को असाधारण मदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एमओसीए द्वारा गठित समिति द्वारा हितधारकों के साथ बातचीत के बाद, ₹ 1,208.30 मिलियन की अंतर देयता को वापस ले लिया गया है।

## नोट "28" : आंतरिक नियंत्रण

कंपनी अपने आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की निरंतर प्रक्रिया में है ताकि परिकल्पित सभी क्षेत्रों को कवर किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र फर्म नियुक्त की है ताकि यदि आवश्यक हो तो प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

## नोट "29" : खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के सीईओ को भारतीय लेखा मानक मानक 108, परिचालन खंड के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में नामित किया गया है। सीओडीएम कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है; हालांकि, कंपनी एमआरओ (विमान, इंजन और पुर्जों का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सेवाओं में लगी हुई है, जो इसका प्राथमिक और एकमात्र रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है और इसके सभी परिचालन भारत में हैं। अतः भारतीय लेखा मानक 108 "परिचालन खंड" के अनुसार कंपनी के पास कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

ए) राजस्व के 10% से अधिक हिस्से वाले ग्राहक का खुलासा:

| (मिलियन रुपये में) |                                          |                                          |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| विवरण              | 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्च, 2025 | 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्च, 2024 | 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्च, 2023 |
| एयर इंडिया लिमिटेड | 10,682.13                                | 13,214.76                                | 14,070.49                                |
| भारतीय वायु सेना   | 3,156.09                                 | 4,377.46                                 | 2,878.71                                 |

## नोट "30" : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार देय शुल्क:

कंपनी द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर जिन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की पहचान की गई है, उनके देय भुगतान का निर्धारण कर दिया गया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ऐसे उपक्रमों (जिनकी पहचान की गई है) को आपूर्तिकर्ता के साथ तय की गई समय सीमा/तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है। अन्य मामलों में, समय रहते आवश्यक अनुपालन/खुलासा सुनिश्चित किया जाएगा।

| (मिलियन रुपये में)                                  |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| विवरण                                               | 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्च, 2025 | 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्च, 2024 | 31 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मार्च, 2023 |
| मूलधन राशि देय और बकाया राशि                        | 86.48                                    | 48.04                                    | 31.30                                    |
| बकाया राशि पर देय ब्याज                             | 1.24                                     | 0.82                                     | 0.25                                     |
| वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किया गया भुगतान | -                                        | -                                        | -                                        |
| ब्याज का भुगतान किया                                | -                                        | -                                        | -                                        |
| विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज                      | 1.24                                     | 0.82                                     | 0.25                                     |
| अर्जित ब्याज और बकाया राशि                          | 1.24                                     | 0.82                                     | 0.25                                     |
| आगामी वर्षों में देय शेष ब्याज की राशि              | -                                        | -                                        | -                                        |

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

### नोट "31" : संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

इंड एस 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित पक्षों के नाम और पदनामों का प्रकटीकरण:

ए) संबंधित पक्षों की सूची (प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

- i. इंड एस 24 के अनुसार, निम्नलिखित संबंधित पक्ष हैं जो सरकार से संबंधित संस्थाएं हैं, अर्थात् महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

| क्रमांक। | कंपनी का नाम                                          | संबंध             |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | एआई एसेट्स होलिंग लिमिटेड (12 जनवरी, 2022 से प्रभावी) | अधिकार वाली कंपनी |

- ii. सहयोगी सहायक कंपनियों की सूची

| क्रमांक। | कंपनी का नाम                                   | संबंध      |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| 1        | होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एचसीआई)     | साथी सहायक |
| 2        | एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल) | साथी सहायक |
| 3        | एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएल)               | साथी सहायक |

- iii. अन्य

| क्रमांक। | कंपनी का नाम                | संबंध                          |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1        | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | सरकार के समान नियंत्रण के अधीन |
| 2        | नागरिक उड्डयन मंत्रालय      | संस्था                         |

### बी) निदेशक मंडल

| क्रमांक। | निदेशक का नाम        | पद का नाम                                                                                                                                        |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री अमित कुमार      | सीएमडी, एआई एसेट्स होलिंग लिमिटेड<br>अध्यक्ष एवं नामित निदेशक, एआईएसएल (13.03.2025 से प्रभावी)                                                   |
| 2        | श्री. असंगबा चुबा आओ | एआई एसेट्स होलिंग लिमिटेड के सीएमडी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव<br>अध्यक्ष एवं नामित निदेशक, एआईएसएल (01.01.2024 से 11.03.2025 तक) |
| 3        | श्री पदम लाल नेगी    | नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार<br>एआईएसएल के नामित निदेशक (18.01.2023 से प्रभावी)                                    |
| 4        | श्री शोभित गुप्ता    | नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव<br>एआईएसएल के नामित निदेशक (दिनांक 25.05.2024 से प्रभावी)                                                 |
| 5        | श्री राहुल जेन       | संयुक्त सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग<br>एआईएसएल के मनोनीत निदेशक (12.12.2023 से 14.05.2024 तक)                             |
| 6        | श्री आलोक पांडे      | निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव<br>एआईएसएल के नामित निदेशक (16.05.2024 से 25.02.2025 तक)                           |

|   |                      |                                                            |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 7 | श्री मनोज कुमार      | संयुक्त सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग |
|   |                      | एआईईएसएल के नामित निदेशक (28.02.2025 से प्रभावी)           |
| 8 | श्रीमती नयनिका दत्ता | संयुक्त निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय                     |
|   |                      | एआईईएसएल के नामित निदेशक (दिनांक 12.02.2024 से प्रभावी)    |

### सी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| क्रमांक। | प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के नाम | पद का नाम               |
|----------|----------------------------------|-------------------------|
| 1        | श्री शरद अग्रवाल                 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
|          |                                  | 01.05.2022 से प्रभावी   |
| 2        | श्री राकेश कुमार जैन             | मुख्य वित्तीय अधिकारी   |
|          |                                  | 20.05.2022 से प्रभावी   |
| 3        | सुश्री साक्षी मेहता              | कंपनी सचिव              |
|          |                                  | 09.11.2021 से प्रभावी   |

### डी) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) के साथ लेनदेन

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और भत्तों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है। वर्ष 2024-25 के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक और भत्ते ₹ 5.11 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 5.36 मिलियन), मुख्य वित्तीय अधिकारी का ₹ 2.95 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 2.83 मिलियन) और कंपनी सचिव का ₹ 1.25 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1.01 मिलियन) है।
- वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

### ई) इंड एस 24 के अनुसार, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं, अर्थात् महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाओं (भारत सरकार) और गैर-सरकारी संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

| क्रमांक | संस्थाओं के नाम और लेन-देन की प्रकृति                | 2024-25<br>(मिलियन रुपये में) | 2023-24<br>(मिलियन रुपये में) |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1       | एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) होल्डिंग कंपनी |                               |                               |
|         | व्यय                                                 |                               |                               |
|         | AIAHL को देय बकाया राशि पर ब्याज                     | 1,879.64                      | 1,840.76                      |
|         | किराया                                               | 396.9                         | 396.72                        |
|         | AIESL से AIAHL को प्रतिपूर्ति                        | 39.67                         | 38.84                         |
|         |                                                      |                               |                               |
|         | आय                                                   |                               |                               |
|         | AIAHL से AIESL को प्रतिपूर्ति                        | 97.24                         | 23.56                         |
|         |                                                      |                               |                               |
|         | 31 तारीख को समापन शेष मार्च (देय) / प्राप्य          | -22,636.45                    | -20,822.99                    |



|   |                                                                         |                 |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | <b>एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)</b>                                |                 |                 |
|   | <b>आय</b>                                                               |                 |                 |
|   | परिचालन से प्राप्त राजस्व                                               | 884.14          | 577.34          |
|   | अन्य आय (ब्याज)                                                         | 280.6           | 210.7           |
|   |                                                                         |                 |                 |
|   | <b>व्यय</b>                                                             |                 |                 |
|   | कुल व्यय                                                                | -               | -               |
|   |                                                                         |                 |                 |
|   | <b>अंतिम शेष (देय) / प्राप्य</b>                                        | <b>3,685.65</b> | <b>2,584.75</b> |
|   | एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) को 9% की दर पर अल्पकालिक ऋण दिया गया। | 300             | -               |

|   |                                                |              |               |
|---|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3 | <b>एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल)</b> |              |               |
|   | <b>परिचालन से प्राप्त राजस्व</b>               | <b>34.44</b> | <b>28.81</b>  |
|   | <b>व्यय</b>                                    |              |               |
|   | आरोपों से निपटने                               | 48.37        | 120.87        |
|   | मानव संसाधन लागत                               | 10.01        | 2.57          |
|   | एआईएसएल में बकाया राशि पर ब्याज                | 1.01         | 1.36          |
|   | <b>अंतिम शेष (देय)/ प्राप्य</b>                | <b>14.65</b> | <b>-38.14</b> |
|   |                                                |              |               |

|   |                                      |              |              |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 4 | <b>सेंटॉर होटल (एचसीआई)</b>          |              |              |
|   | <b>व्यय</b>                          |              |              |
|   | होटल खर्च - ऊ्यूटी पर तैनात कर्मचारी | 21.5         | 18.48        |
|   | <b>अंतिम शेष (देय) / प्राप्य</b>     | <b>-5.28</b> | <b>-7.67</b> |
|   |                                      |              |              |

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट “32”: कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित और खर्च की गई विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखित है।

| विवरण                  | 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| विदेशी मुद्रा आय       | 2,097.45                                 | 979.58                                  |
| विदेशी मुद्रा व्यय     | 1,635.37                                 | 2,147.71                                |
| शुद्ध विदेशी मुद्रा आय | 462.08                                   | (1,168.14)                              |

### नोट “33”: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति पाँच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, उसे बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अलावा धारा 135(5) के अनुसार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे।

इसके आधार पर कंपनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹57.22 मिलियन (पिछले वर्ष ₹91.00 मिलियन) का योगदान दिया है और शेष ₹62.00 मिलियन दिल्ली स्थित AIIMS की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और वह प्रक्रियाधीन है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय: -

| (मिलियन रुपये में)                                       |                                                                                                                                    |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| विवरण                                                    | 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए                                                                                           | 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए   | 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए   |
| कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि | 119.22                                                                                                                             | 91                                         | 40.94                                      |
| व्यय की राशि                                             | -                                                                                                                                  | -                                          | -                                          |
| सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति                             |                                                                                                                                    |                                            |                                            |
| ए) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण                | -                                                                                                                                  | -                                          | -                                          |
| बी) उपरोक्त 1 के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से             | 57.22                                                                                                                              | 91.00                                      | 40.94                                      |
| वर्ष/अवधि के अंत में कमी                                 | 62.00                                                                                                                              | -                                          | -                                          |
| पिछले वर्षों की कुल कमी                                  | -                                                                                                                                  | -                                          | -                                          |
| कमी का कारण                                              | दिल्ली स्थित एम्स की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि रोक दी गई है और प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है, जिस पर अभी कार्रवाई चल रही है। | -                                          | -                                          |
| सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति:                            | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹57.22 मिलियन का योगदान दिया गया है।                                                           | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान |

### नोट “34” : स्वतंत्र निदेशक और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) और 178 तथा नियम 4(2) के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और AIAHL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। हालांकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर DPE के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध CPSEs के लिए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति का गठन और पारिश्रमिक समिति का गठन अनिवार्य है, जिसमें दोनों समितियों

के गठन में स्वतंत्र निदेशक का होना आवश्यक है। कंपनी ने पत्र संख्या AIESL/CS/HQ/25 दिनांक 01.09.2020 और उसके बाद ईमेल दिनांक 10 मई 2024 के माध्यम से DPE को छूट के लिए आवेदन किया है। हालांकि, अभी तक इसका उत्तर प्रतीक्षित है।

### नोट "35": अनुसूची III द्वारा आवश्यक अतिरिक्त विनियामक जानकारी

- (i) निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) जो मांग पर या बिना किसी पुनर्भुगतान की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाए जा सकते हैं।
- (ii) बेनामी संपत्ति का विवरण  
कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं होता।
- (iii) जानबूझकर चूक करने वाला  
किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- (iv) कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन  
अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़ी जाए। कंपनियों की परतों की संख्या के साथ ऐसा अनुपालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होता है।
- (v) अनुमोदित योजनाओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन  
कंपनी ने किसी भी ऐसी व्यवस्था योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन पर कोई प्रभाव पड़ता हो।
- (vi) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग  
कंपनी द्वारा लिए गए सभी ऋणों का उपयोग उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा चुका है, इसलिए वे लागू नहीं होते।
- (vii) अधोषित आय  
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किए गए कर आकलन में चालू या पिछले वर्ष के दौरान ऐसी कोई आय नहीं है जिसे आय के रूप में सरेंडर किया गया हो या घोषित किया गया हो, और जिसे लेखा-पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो।
- (viii) क्रिप्टोकॉरेसी या आभासी मुद्रा का विवरण  
कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टोकॉरेसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (ix) अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

| बैलेंस शीट में संबंधित मद             | संपत्ति का विवरण        | सकल वहन मूल्य (मिलियन रुपये में) | स्वामित्व विलेख जिनके नाम पर स्वामित्व है               | क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार है या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है? | कंपनी के नाम पर आयोजित न किए जाने का कारण |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| पीपीई                                 | i. भवन                  | 2,644.05                         | एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 8 अप्रैल, 2021 से धारित।      | नहीं                                                                                                          | नोट 2(ए).1 देखें                          |
|                                       | ii. जेट 9डी परीक्षण गृह | 10.42                            | एयर इंडिया लिमिटेड में 1 अप्रैल, 2019 से हिस्सेदारी है। | नहीं                                                                                                          | नोट 2(ए).3 देखें                          |
| संपत्ति में निवेश                     | भूमि                    | -                                | -                                                       | -                                                                                                             | -                                         |
|                                       | इमारत                   | -                                | -                                                       | -                                                                                                             | -                                         |
| बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति | भूमि                    | -                                | -                                                       | -                                                                                                             | -                                         |
|                                       | इमारत                   | -                                | -                                                       | -                                                                                                             | -                                         |
| अन्य                                  |                         |                                  | -                                                       | -                                                                                                             | -                                         |



## (x) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(मिलियन रुपये में)

| सीडब्ल्यूआईपी                     | एक निश्चित अवधि के लिए CWIP में मिलियन रुपये (₹ में) |          |         |               | कुल      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|----------|
|                                   | 1 वर्ष से कम                                         | 1-2 वर्ष | 2-3 साल | 3 साल से अधिक |          |
| प्रगति पर परियोजनाएं              | -                                                    | -        | -       | -             | -        |
| परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित | -                                                    | -        | -       | 1,137.68      | 1,137.68 |

## (xxi) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों का पंजीकरण या संतुष्टि

कोई शुल्क नहीं लगाया गया, इसलिए लागू नहीं है।

## (xii) निरस्त कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी का 31.03.2025 को (पिछली अवधि: शून्य) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत निरस्त की गई कंपनियों के साथ कोई बकाया नहीं है।

## (xiii) अनुपात

(मिलियन रुपये में)

| वर्तमान अनुपात        |                                                                                                    |                        |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट               | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                                             | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| कुल मौजूदा संपत्तियां | 23,209                                                                                             | 18,903                 | 14,299                  |
| कुल वर्तमान दायित्व   | 4,343                                                                                              | 4,955                  | 4,533                   |
| अनुपात                | 5.34                                                                                               | 3.81                   | 3.15                    |
| % परिवर्तन            | 40%                                                                                                | 21%                    | 103%                    |
| कारण                  | चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है, लेकिन चालू देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। |                        |                         |

| ऋण इकिटी अनुपात     |                        |                        |                         |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट             | 31 मार्च, 2025 पर जैसा | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| कुल ऋण              | -                      | -                      | -                       |
| शेयरधारकों की इकिटी | -1,211                 | -5,185                 | -7,569                  |
| अनुपात              | -                      | -                      | -                       |
| % परिवर्तन          | -                      | -                      | -                       |
| कारण                | कोई कर्ज नहीं है।      |                        |                         |

| लाभांश                  |                                                                                                       |                        |                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                 | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                                                | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| कर पश्चात शुद्ध लाभ     | 4,046.60                                                                                              | 2,577                  | 6,616                   |
| शेयरधारकों की औसत इकिटी | -3,197.94                                                                                             | -6,377                 | -10,882                 |
| अनुपात                  | -1.27                                                                                                 | -0.4                   | -0.61                   |
| % परिवर्तन              | 213%                                                                                                  | -34%                   | 35%                     |
| कारण                    | पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अर्जित शुद्ध लाभ में कमी और शेयरधारकों की औसत इकिटी में सुधार के कारण |                        |                         |

| इन्वेन्ट्री टर्नओवर अनुपात |                                                                                |                        |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                    | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                         | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| बेचे गए माल की कीमत        | -                                                                              | -                      | -                       |
| औसत इन्वेन्ट्री            | 300.22                                                                         | 144.18                 | 355.31                  |
| अनुपात                     | -                                                                              | -                      | 0                       |
| % परिवर्तन                 | 0%                                                                             | 0%                     | 0%                      |
| कारण                       | भंडार की खपत सीधे तौर पर भंडार में मौजूद वस्तुओं की संख्या से संबंधित नहीं है। |                        |                         |

| व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात      |                                                                                               |                        |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                             | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                                        | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| परिचालन से राजस्व                   | 18,107                                                                                        | 20,907                 | 19,792                  |
| व्यापार प्राप्य राशियों को बंद करना | 11,361                                                                                        | 12,900                 | 8,425                   |
| अनुपात                              | 1.59                                                                                          | 1.62                   | 2.35                    |
| % परिवर्तन                          | -2%                                                                                           | -31%                   | -31%                    |
| कारण                                | पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ व्यापार प्राप्य राशि में वृद्धि के कारण। |                        |                         |

| व्यापार देय टर्नओवर अनुपात  |                                                                           |                        |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                     | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                    | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| अन्य खर्चों                 | 4,096                                                                     | 5,404                  | 4,819                   |
| व्यापार देयताओं को बंद करना | 1,928                                                                     | 2,331                  | 1,507                   |
| अनुपात                      | 2.13                                                                      | 2.32                   | 3.2                     |
| % परिवर्तन                  | -8%                                                                       | -27%                   | 137%                    |
| कारण                        | पिछले वर्ष की तुलना में अन्य खर्चों और व्यापारिक देयताओं में कमी के कारण। |                        |                         |

| शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात |                                                                                            |                        |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                    | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                                     | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| परिचालन से राजस्व          | 18,107                                                                                     | 20,907                 | 19,792                  |
| कार्यशील पूंजी             | 18,866                                                                                     | 13,948                 | 9,765                   |
| अनुपात                     | 0.96                                                                                       | 1.5                    | 2.03                    |
| % परिवर्तन                 | -36%                                                                                       | -26%                   | -62%                    |
| कारण                       | मुख्यतः पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी (देनदार और बैंक बैलेंस) में वृद्धि के कारण। |                        |                         |

| शुद्ध लाभ अनुपात          |                                                                      |                        |                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                   | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                               | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| वर्ष के लिए शुद्ध लाभ     | 4,047                                                                | 2,577                  | 6,616                   |
| परिचालन से प्राप्त राजस्व | 18,107                                                               | 20,907                 | 19,792                  |
| अनुपात                    | 0.22                                                                 | 0.12                   | 0.33                    |
| % परिवर्तन                | 81%                                                                  | -63%                   | -24%                    |
| कारण                      | कर व्यय के प्रभाव के कारण पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में कमी आई है। |                        |                         |

| नियोजित पूंजी पर रिटर्न                        |                                                                                                                    |                        |                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट                                        | 31 मार्च, 2025 पर जैसा                                                                                             | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| असाधारण मद और कर तथा वित्त लागत से पहले का लाभ | 5,725                                                                                                              | 8,162                  | 8,362                   |
| नियोजित पूंजी                                  | 26,883                                                                                                             | 21,956                 | 17,990                  |
| अनुपात                                         | 0.21                                                                                                               | 0.37                   | 0.46                    |
| % परिवर्तन                                     | -43%                                                                                                               | -20%                   | -11%                    |
| कारण                                           | पिछले वर्ष की तुलना में असाधारण मद और कर तथा वित्त लागत से पहले के लाभ में कमी और नियोजित पूंजी में सुधार के कारण। |                        |                         |

| निवेश पर प्रतिफल      |                         |                        |                         |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| विशिष्ट               | 31 मार्च, 2025 पर जैसा  | 31 मार्च, 2024 पर जैसा | 01 अप्रैल, 2023 पर जैसा |
| निवेश से होने वाली आय | शून्य                   | शून्य                  | शून्य                   |
| निवेश का समापन शेष    | शून्य                   | शून्य                  | शून्य                   |
| अनुपात                | शून्य                   | शून्य                  | शून्य                   |
| % परिवर्तन            | शून्य                   | शून्य                  | शून्य                   |
| कारण                  | कोई निवेश नहीं किया गया |                        |                         |

1. कुल ऋण= गैर-चालू उधार + चालू उधार
2. ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)= असाधारण मद और कर से पहले का लाभ + वित्त लागत
3. बेचे गए माल की लागत= प्रयुक्त सामग्रियों की लागत + व्यापारिक स्टॉक की खरीद + तैयार माल और निर्माणाधीन माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन
4. कार्यशील पूंजी= कुल चालू परिसंपत्तियाँ - कुल चालू देनदारियाँ
5. नियोजित पूंजी= कुल इक्विटी + कुल गैर-चालू देनदारियाँ
6. कुल इक्विटी= गैर-नियंत्रणकारी हित को छोड़कर कुल इक्विटी (घटाएं) / आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ जोड़ें / आस्थगित कर देयता (शुद्ध)



## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को खत्म हुए साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

### नोट "36" : वित्तीय उपकरण और उचित मूल्य माप

#### नोट 36.i. पूंजी प्रबंधन

कैपिटल मैनेज करते समय कंपनी का मकसद है:

- कंपनी को चलते रहने की क्षमता को सुरक्षित रखना ताकि वह स्टैकहोल्डर्स को रिटर्न और दूसरे स्टैकहोल्डर्स को फ़ायदे दे सके; और
- डेब्ट और इक्विटी बैलेंस का एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए रखें।
- कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।
- कंपनी की ऑडिट कमिटी और BOD समय-समय पर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का रिव्यू करते हैं। कमिटी ज़रूरत पड़ने पर कैपिटल की कॉस्ट और हर तरह के कैपिटल से जुड़े रिस्क पर विचार करती है।
- 31 मार्च 2025 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट से जुड़े मकसद, पॉलिसी या प्रोसेस में कोई खास बदलाव नहीं किए गए।

नीचे दी गई टेबल में फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज के कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू दिखाए गए हैं, जिसमें फेयर वैल्यू हायरार्की में उनके लेवल भी शामिल हैं।

(₹ मिलियन में)

| 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां | गैर वर्तमान      | मौजूदा           | कुल              | लाभ और हानि के माध्यम से |          |          |          | OCI के माध्यम से रूट किया गया |          |          |          | परिशोधित लागत पर वहन किया गया | कुल राशि         |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|------------------|
|                                                    |                  |                  |                  | स्तर 1                   | लेवल 2   | स्तर 3   | कुल      | स्तर 1                        | लेवल 2   | स्तर 3   | कुल      |                               |                  |
| <b>वित्तीय पूंजी</b>                               |                  |                  |                  |                          |          |          |          |                               |          |          |          |                               |                  |
| व्यापार प्राप्तियां                                | -                | 11,360.66        | 11,360.66        | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 11,360.66                     | 11,360.66        |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ                         | -                | 41.93            | 41.93            | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 41.93                         | 41.93            |
| नकद और नकद के समान                                 | -                | 3,698.56         | 3,698.56         | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 3,698.56                      | 3,698.56         |
| नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष       | -                | 5,841.00         | 5,841.00         | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 5,841.00                      | 5,841.00         |
| <b>कुल वित्तीय संपत्तियाँ</b>                      |                  | <b>20,942.14</b> | <b>20,942.14</b> |                          |          |          |          |                               |          |          |          | <b>20,942.14</b>              | <b>20,942.14</b> |
| <b>वित्तीय देनदारियाँ</b>                          |                  |                  |                  |                          |          |          |          |                               |          |          |          |                               |                  |
| पट्टा देयताएं                                      | 28.42            | 19.07            | 47.49            | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 47.49                         | 47.49            |
| व्यापार देयताएँ                                    | -                | 1,927.64         | 1,927.64         | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 1,927.64                      | 1,927.64         |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ                            | 22,636.45        | 855.59           | 23,492.03        | -                        | -        | -        | -        | -                             | -        | -        | -        | 23,492.03                     | 23,492.03        |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b>                      | <b>22,664.87</b> | <b>2,802.30</b>  | <b>25,467.16</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>25,467.16</b>              | <b>25,467.16</b> |

| 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय संपत्तियाँ और देनदारियाँ                                                                                       | नैर वर्तमान      | मौजूदा           | कुल              | लाभ और हानि के माध्यम से |        |        |     | OCI के माध्यम से रूट किया गया |        |        |     | परिशोधित लागत पर वहन किया गया | कुल राशि         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|--------|-----|-------------------------------|--------|--------|-----|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                          |                  |                  |                  | स्तर 1                   | लेवल 2 | स्तर 3 | कुल | स्तर 1                        | लेवल 2 | स्तर 3 | कुल |                               |                  |
| वित्तीय पूंजी<br>व्यापार प्राप्तियाँ<br>अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ<br>नकद और नकद के समान<br>नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष | -                | 12,900.27        | 12,900.27        | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 12,900.27                     | 12,900.27        |
|                                                                                                                                          | 1.00             | 40.72            | 41.72            | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 41.72                         | 41.72            |
|                                                                                                                                          | -                | 2,213.27         | 2,213.27         | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 2,213.27                      | 2,213.27         |
|                                                                                                                                          | -                | 2,401.38         | 2,401.38         | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 2,401.38                      | 2,401.38         |
| <b>कुल वित्तीय संपत्तियाँ</b>                                                                                                            | <b>1.00</b>      | <b>17,555.63</b> | <b>17,555.63</b> | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | <b>17,555.63</b>              | <b>17,555.63</b> |
| वित्तीय देनदारियाँ<br>पट्टा देयताएं<br>व्यापार देयताएँ<br>अन्य वित्तीय देनदारियाँ                                                        | -                | 13.12            | 46.27            | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 46.27                         | 46.27            |
|                                                                                                                                          | 33.14            | 2,331.47         | 2,331.47         | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 2,331.47                      | 2,331.47         |
|                                                                                                                                          | -                | 812.49           | 21,635.45        | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | 21,635.45                     | 21,635.45        |
|                                                                                                                                          | 20,822.96        |                  |                  | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   |                               |                  |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b>                                                                                                            | <b>20,856.11</b> | <b>3,157.08</b>  | <b>24,013.19</b> | -                        | -      | -      | -   | -                             | -      | -      | -   | <b>24,013.19</b>              | <b>24,013.19</b> |

होलिंग कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को कंपनियों के रिसीवेबल/पेयबल का कॉन्ट्रैक्ट मार्केट रेट ऑफ़ इंटरस्ट पर किया गया है, जो रेगुलर इंटरवल पर रीसेट होता रहता है। इसलिए, ऐसे उधारों की कैरिंग वैल्यू (ब्याज मिलाकर) फेयर वैल्यू के आस-पास होती है।

\* ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेयेबल, कैश और कैश इक्विवैलेंट, और दूसरे करंट फाइनेंशियल एसेट्स का कैरिंग अमाउंट, उनके शॉर्ट-टर्म नेचर की वजह से फेयर वैल्यू के लगभग बराबर होता है।

## उचित मूल्य पदानुक्रम

फेयर वैल्यू हायराकी वैल्यूएशन टेक्नीक के इनपुट पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल फेयर वैल्यू को मापने के लिए किया जाता है, जो या तो ऑब्जेक्टिव या अनऑब्जेक्टिव होते हैं और इनमें ये तीन लेवल होते हैं:

**लेवल 1:** इनपुट, एक जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए एक्टिव मार्केट में कोट की गई कीमतें (अनएडजस्टेड) हैं।

**लेवल 2:** इनपुट, लेवल 1 में शामिल कोट की गई कीमतों के अलावा दूसरे इनपुट होते हैं, जिन्हें एसेट या लायबिलिटी के लिए सीधे (यानी कीमतों) या इनडायरेक्टली (यानी कीमतों से मिले) देखा जा सकता है।

**लेवल 3:** इनपुट ऑब्जेक्टिव मार्केट डेटा पर आधारित नहीं होते हैं, इनपुट अनऑब्जेक्टिव होते हैं। फेयर वैल्यू पूरी तरह या कुछ हद तक एक वैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल करके तय की जाती है, जो उन अंदाजों पर आधारित होती है जो न तो उसी इस्टीमेट में ऑब्जेक्टिव मौजूदा मार्केट ट्रांज़ेक्शन की कीमतों से सपोर्टेड होती हैं और न ही वे उपलब्ध मार्केट डेटा पर आधारित होती हैं।

## एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को खत्म हुए साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

### नोट "37" : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से होने वाले इन रिस्क का सामना करना पड़ सकता है:

- क्रेडिट जोखिम
- तरलता जोखिम
- बाज़ार जोखिम – ए) विदेशी मुद्रा और बी) ब्याज दर

कंपनी की मुख्य फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में ट्रेड और दूसरे पेयेबल्स शामिल हैं। इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का मुख्य मकसद रिसीवेबल, और कैश और कैश इक्विवलेंट को फाइनेंस करना है जो सीधे इसके ऑपरेशन्स से मिलते हैं।

कंपनी को क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क का सामना करना पड़ता है। कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट इन रिस्क के मैनेजमेंट की देखरेख करता है। एक बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स इन हर रिस्क को मैनेज करने के लिए पॉलिसी को रिव्यू करता है और उन पर सहमत होता है, जिनकी समरी नीचे दी गई है:

#### i. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट रिस्क कंपनी को होने वाले फाइनेंशियल नुकसान का रिस्क है, अगर कोई कस्टमर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काउंटरपार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है। कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ (खासकर ट्रेड रिसीवेबल्स) से क्रेडिट रिस्क का सामना करना पड़ता है।

रिपोर्टिंग डेट पर क्रेडिट का सबसे ज्यादा एक्सपोज़र मुख्य रूप से ट्रेड रिसीवेबल्स से होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स आमतौर पर अनसिक्योर्ड होते हैं और कस्टमर्स से कमाए गए रेवेन्यू से मिलते हैं। कंपनी उस इकोनॉमिक माहौल को मॉनिटर करती है जिसमें वह काम करती है। कंपनी क्रेडिट अप्रूवल और उन कस्टमर्स की क्रेडिट योग्यता की लगातार मॉनिटरिंग करके अपने क्रेडिट रिस्क को मैनेज करती है, जिन्हें कंपनी नॉर्मल बिज़नेस के दौरान क्रेडिट की शर्तें देती है।

ट्रेड रिसीवेबल्स में एक ही एविएशन इंडस्ट्री के कई कस्टमर्स शामिल हैं। इसका बड़ा हिस्सा इसकी ग्रुप कंपनियों से है और जिसके लिए मैनेजमेंट को कोई क्रेडिट रिस्क की उम्मीद नहीं है। इसलिए, ग्रुप कंपनियों से रिसीवेबल्स पर किसी भी अनुमानित क्रेडिट लॉस पर विचार नहीं किया गया है।

ग्रुप कंपनी के अलावा, सरकार और दूसरी पार्टियों के मामले में क्रेडिट रिस्क का कोई खास कंसंट्रेशन नहीं है। IAF-SESF को छोड़कर, बताए गए किसी भी साल में किसी भी एक कस्टमर का रेवेन्यू में 10% या उससे ज्यादा हिस्सा नहीं था। बकाया ट्रेड रिसीवेबल्स को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है, और ओवरड्यू रिसीवेबल्स के कलेक्शन के लिए सही एक्शन लिया जाता है।

आसान तरीके के हिसाब से, कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स पर होने वाले क्रेडिट लॉस का प्रोविज़न करती है, जिसका इस्तेमाल प्रोविज़न मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके डिफ़ॉल्ट पेमेंट के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है और हर रिपोर्टिंग डेट पर सही प्रोविज़न करती है, जहाँ भी आउटस्टैंडिंग लंबे समय से है और जिसमें ज्यादा रिस्क है। रिसीवेबल्स इकट्ठा करने का हमारा पुराना अनुभव कम क्रेडिट रिस्क दिखाता है। इसलिए, ट्रेड रिसीवेबल्स को फाइनेंशियल एसेट्स का एक ही क्लास माना जाता है। जिस बिज़नेस माहौल में कंपनी काम करती है, उसके आधार पर मैनेजमेंट मानता है कि अगर पेमेंट 36 महीने से ज्यादा समय से बकाया हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिफ़ॉल्ट (क्रेडिट इम्पेयर्ड) हैं। इसके अलावा, कंपनी ने पार्टी ऑन गोइंग कंसर्न की मौजूदा स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत आधार पर भी क्रेडिट रिस्क इम्पेयर्ड किया है। प्रोविज़निंग नॉर्म्स 36 महीने से ज्यादा समय से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स के रेश्यो को लेकर कैलकुलेट किए गए प्रोपोर्शन के आधार पर कैलकुलेट किए गए हैं। इसके अनुसार ECL इन रेट्स का इस्तेमाल करके प्रोवाइड कर रहा है:

| बकेट                                                    | 31 मार्च, 2025 पर जैसा | 31 मार्च, 2024 पर जैसा |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| सरकारी कंपनी तीन साल से ज्यादा समय से बकाया है          | 100.00%                | 100.00%                |
| समूह कम्पनी                                             | 0.00%                  | 0.00%                  |
| अन्य पक्ष जिनका बकाया एक साल से ज्यादा और तीन साल तक है | 2.79%                  | 2.26%                  |
| अन्य पक्ष जो तीन साल से ज्यादा समय से बकाया हैं         | 100.00%                | 100.00%                |
| व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट क्रेडिट जोखिम हानि            | 100.00%                | 100.00%                |



ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए कंपनी का क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर इस तरह है:

(₹ मिलियन में)

| विवरण      | 31 तक मार्च 2025 |              | 31 तक मार्च 2024 |              |
|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|            | सकल वहन          | हानि भत्ता   | सकल वहन          | हानि भत्ता   |
| बकाया ऋण   | -                | -            | -                | -            |
| बकाया ऋण   | 11,962.36        | 601.7        | 13,569.36        | 669.1        |
| <b>कुल</b> | <b>11,962.36</b> | <b>601.7</b> | <b>13,569.36</b> | <b>669.1</b> |

एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए अलाउंस में मूवमेंट इस तरह है:

(₹ मिलियन में)

| विवरण                           | 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| साल की शुरुआत में बैलेंस        | 669.1                               | 597.3                               |
| वर्ष के दौरान गतिविधि (नेट)     | -67.39                              | 71.8                                |
| <b>वर्ष के अंत में शेष राशि</b> | <b>601.7</b>                        | <b>669.1</b>                        |

## (ii) तरलता जोखिम प्रबंधन

लिक्विडिटी रिस्क वह रिस्क है जिसमें कंपनी को अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ से जुड़ी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मुश्किल होगी, जिन्हें कैश या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स देकर पूरा किया जाता है।

लिक्विडिटी को मैनेज करने का कंपनी का तरीका यह है कि नॉर्मल और मुश्किल, दोनों तरह के हालात में, अपनी देनदारियों को समय पर पूरा करने के लिए काफ़ी लिक्विडिटी हो, बिना ज़्यादा नुकसान उठाए या कंपनी की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुँचाए।

कंपनी का मानना है कि उसकी लिक्विडिटी की स्थिति, जिसमें टोटल कैश (बैंक डिपॉज़िट लियन और जमा हुए लेकिन बाकी ब्याज को छोड़कर) शामिल है, भविष्य में ऑपरेशंस से अंदरूनी तौर पर मिलने वाले फंड, बिना किसी रुकावट वाले एसेट्स की वैल्यू का अनुमान है, जिससे वह अपनी चल रही कैपिटल, ऑपरेटिंग और लिक्विडिटी की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगी।

कंपनी के लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेजमेंट मॉनिटर करता है, जिसमें ये शामिल हैं:

- रोज़ाना की फंडिंग, भविष्य के कैश फ्लो को मॉनिटर करके मैनेज की जाती है ताकि ज़रूरत पूरी हो सके।

उम्मीद के मुताबिक कैश फ्लो के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति का रोलिंग फोरकास्ट बनाए रखना।

- अलग-अलग तरह की क्रेडिट लाइन बनाए रखना।

रिपोर्टिंग डेटा पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की बाकी कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी ये हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी उस सबसे पहले की तारीख पर आधारित है जिस पर कंपनी को पेमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है:

## तरलता जोखिम के प्रति अनावरण

31 मार्च, 2024 तक

(₹ मिलियन में)

| विवरण                   | वहन राशि | संविदात्मक नकदी प्रवाह |          |                |          |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
|                         |          | 1 वर्ष तक              | 1-5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल      |
| <b>मौजूदा</b>           |          |                        |          |                |          |
| व्यापार देयताएँ         | 1,927.64 | 1,927.64               | -        | -              | 1,927.64 |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 903.07   | 1,946.71               | 28.42    | -              | 1,975.13 |

31 मार्च, 2024 तक

(₹ मिलियन में)

| विवरण                   | वहन राशि | संविदात्मक नकदी प्रवाह |          |                |          |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
|                         |          | 1 वर्ष तक              | 1-5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल      |
| <b>मौजूदा</b>           |          |                        |          |                |          |
| व्यापार देयताएँ         | 2,331.47 | 2,331.47               | -        | -              | 2,331.47 |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 858.76   | 825.61                 | 33.14    | -              | 858.76   |

### (iii) बाजार जोखिम

मार्केट रिस्क यह है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो मार्केट प्राइस में बदलाव की वजह से ऊपर-नीचे होंगे। मार्केट रिस्क में दो तरह के रिस्क होते हैं: करेंसी रिस्क और इंटररेस्ट रेट रिस्क। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का मकसद एक्सेप्टेबल पैरामीटर के अंदर मार्केट रिस्क एक्सपोजर को मैनेज और कंट्रोल करना है, साथ ही रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करना है।

#### (ए) ब्याज दर जोखिम

इंटररेस्ट रेट रिस्क वह रिस्क है जिसमें मार्केट इंटररेस्ट रेट में बदलाव के कारण किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भविष्य के कैश फ्लो में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी किसी भी उधार के संपर्क में नहीं है।

#### (बी) मुद्रा जोखिम

करेंसी रिस्क वह रिस्क है जिसमें किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भविष्य के कैश फ्लो में फॉरेन एक्सचेंज रेट में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्थिति और कैश फ्लो पर मौजूदा फॉरेन करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव के असर के संपर्क में आती है। यह रिस्क मुख्य रूप से फंक्शनल करेंसी और कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से दूसरी करेंसी के बीच एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के कारण होता है।

## विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति जोखिम

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के करेंसी रिस्क के बारे में क्वांटिटेटिव डेटा की समरी, जैसा कि भारतीय रुपये में बताया गया है, नीचे दी गई है:

31 मार्च, 2024 तक

| विवरण                         | ईडी          | एयूडी        | बीडीटी       | सीएनवाई  | ईयूआर        |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <b>नकद और नकद समकक्ष</b>      | 1.05         | -            | -            | -        |              |
| अन्य वित्तीय संपत्तियाँ       | 0.01         | 0.01         | 0.01         | 0        | 0            |
| व्यापार प्राप्तियाँ           | -0.04        | -            | -            | -        | 0.01         |
| <b>कुल वित्तीय संपत्ति</b>    | <b>1.02</b>  | <b>0.01</b>  | <b>0.01</b>  | <b>0</b> | <b>0.01</b>  |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ       | -0.01        | -0.01        | -0.01        | 0        | 0            |
| व्यापार देयताएँ               | -0.01        | -            | -            | -        | -0.17        |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b> | <b>-0.02</b> | <b>-0.01</b> | <b>-0.01</b> | <b>0</b> | <b>-0.17</b> |

| विवरण                      | जीबीपी   | एचकेडी      | जेपीवाई  | एलकेआर   | एनपीआर      |
|----------------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| नकद और नकद समकक्ष          | -        | -           | -        | -        | -           |
| अन्य वित्तीय संपत्तियाँ    | -        | 0.02        | -        | -        | 0.11        |
| व्यापार प्राप्तियाँ        | -        | -           | -        | -        | -           |
| <b>कुल वित्तीय संपत्ति</b> | <b>-</b> | <b>0.02</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0.11</b> |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ    | -        | -0.02       | -        | -        | -0.11       |

| व्यापार देयताएँ               | 0.00         | -            |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b> | <b>0.00</b>  | <b>-0.02</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-0.11</b> |
| विवरण                         | एसएआर        | एसईके        | एसजीडी       | यूएसडी       |              |
| नकद और नकद समकक्ष             | -            | -            | -            | 0            |              |
| अन्य वित्तीय संपत्तियाँ       | 0.01         | -            | 0.01         | 0            |              |
| व्यापार प्राप्तियाँ           |              |              | -            | 12.31        |              |
| <b>कुल वित्तीय संपत्ति</b>    | <b>0.01</b>  | <b>-</b>     | <b>0.01</b>  | <b>12.31</b> |              |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ       | -0.01        | -            | -0.01        | 1.37         |              |
| व्यापार देयताएँ               | -            | -            |              | 3.01         |              |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b> | <b>-0.01</b> | <b>-</b>     | <b>-0.01</b> | <b>4.38</b>  |              |

**31 मार्च, 2024 तक**

| विवरण                         | ईडी          | एयूडी    | बीडीटी       | सीएनवाई       | ईयूआर        |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| नकद और नकद समकक्ष             | 0.85         | -        | -            | -             | -            |
| अन्य वित्तीय संपत्तियाँ       | 0.01         | -        | -            | -             | -            |
| व्यापार प्राप्तियाँ           | -0.03        | -        | -            | -             | 0.01         |
| <b>कुल वित्तीय संपत्ति</b>    | <b>0.83</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>0.01</b>  |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ       | -            | -        | -            | -             | -            |
| व्यापार देयताएँ               | -0.01        | -        | -            | -             | -0.34        |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b> | <b>-0.01</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-0.34</b> |
| विवरण                         | जीबीपी       | एचकेडी   | जेपीवाई      | एलकेआर        | एनपीआर       |
| नकद और नकद समकक्ष             | -            | -        | -            | -             | -            |
| अन्य वित्तीय संपत्तियाँ       | -            | -        | -            | -             | -            |
| व्यापार प्राप्तियाँ           | -            | -        | -            | -             | -            |
| <b>कुल वित्तीय संपत्ति</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ       | -            | -        | -            | -             | -            |
| व्यापार देयताएँ               | 0.01         | -        | -0.07        | 0.08          | 0.04         |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b> | <b>0.01</b>  | <b>-</b> | <b>-0.07</b> | <b>0.08</b>   | <b>0.04</b>  |
| विवरण                         | एसएआर        | एसईके    | एसजीडी       | यूएसडी        |              |
| नकद और नकद समकक्ष             | -            | -        | -            | 0             |              |
| अन्य वित्तीय संपत्तियाँ       | -            | -        | -            | -             |              |
| व्यापार प्राप्तियाँ           |              |          | -            | 9.53          |              |
| <b>कुल वित्तीय संपत्ति</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>9.54</b>   |              |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ       | -            | -        | -            | 0.95          |              |
| व्यापार देयताएँ               | -            | -        | 0            | -10.98        |              |
| <b>कुल वित्तीय देनदारियाँ</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>0</b>     | <b>-10.03</b> |              |



## संवेदनशीलता का विश्लेषण

रिपोर्टिंग डेट पर INR के मुकाबले USD के (5%) मज़बूत होने/(कमज़ोर होने) का एक ठीक-ठाक मुमकिन बदलाव, नीचे दिखाए गए ₹ से US डॉलर में मौजूद फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मुनाफ़े या नुकसान और मेज़रमेंट पर असर डालता। यह एनालिसिस यह मानकर चलता है कि बाकी सभी वैरिएबल, खासकर इंटररेस्ट रेट, एक जैसे रहते हैं और अनुमानित बिक्री और खरीदारी के किसी भी असर को नज़रअंदाज़ करता है।

| INR में असर (टैक्स से पहले)                 | लाभ या हानि |        |
|---------------------------------------------|-------------|--------|
| 31 तारीख को खत्म हुए साल के लिए मार्च, 2025 | सुदृढ़      | कमज़ोर |
| 5% संचलन                                    | शून्य       | शून्य  |
|                                             |             |        |
| INR में असर (टैक्स से पहले)                 | लाभ या हानि |        |
| 31 तारीख को खत्म हुए साल के लिए मार्च, 2024 | सुदृढ़      | कमज़ोर |
| 5% संचलन                                    | शून्य       | शून्य  |
|                                             |             |        |

### नोट "38" : Ind-AS 115: परफ़ॉर्मंस ऑब्लीगेशंस और बाकी परफ़ॉर्मंस ऑब्लीगेशंस

31 मार्च, 2025 तक पूरी तरह या कुछ हद तक पूरी न की गई प्रदर्शन ज़िम्मेदारियों की कुल कीमत ₹Nil है (31 मार्च, 2024 को ₹Nil)।

**नोट "39"** : AESL ने 4 मार्च, 2021 को इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) के साथ एक लॉन्ग-टर्म मेंटेनेंस एग्रीमेंट (LTMA) पर साइन किया है। स्पेशल एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट्स (SESF) के दो B-777 ER एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। यह एग्रीमेंट लागू होने की तारीख से पांच साल के लिए है। LTMA की लागू होने की तारीख 28 मार्च, 2021 है।

**नोट "40"** : कंपनी ने MIAL के दिए गए ड्राफ्ट एग्रीमेंट के आधार पर, जिसमें किराए में बढ़ोतरी शामिल थी, FY 2022-23 में MIAL के किराए में बढ़ोतरी के लिए ₹318.80 मिलियन का प्रोविज़न किया है। यह कंपनी बढ़े हुए किराए को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। इसके अलावा, क्योंकि पार्टियों के बीच इस विषय पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हो सका, इसलिए FY 2023-24 में बढ़ी हुई दर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है और क्योंकि MIAL चालू फ़ाइनेंशियल साल में पुरानी दरों के अनुसार बिल करना जारी रखे हुए है, इसलिए FY 2022-23 में ₹318.80 मिलियन के लिए बनाया गया प्रोविज़न वापस ले लिया गया है।

**नोट "41"** : पिछले साल के आंकड़ें जहां भी आवश्यक समझा गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुकूल होने के लिए और इंड-एस में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार, उपलब्ध सूचना और संकलन के लिए आवश्यक सीमा तक पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

के लिए और उनकी ओर से

बोर्ड की ओर से

एजेवी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 007739एन

एसडी/-

अमित कुमार

अध्यक्ष

डीआईएन 11001643

एसडी/-

पदम लाल नेगी

निदेशक

डीआईएन 10041387

एसडी/-

सीए अजय के बजाज

साथी

एम. नं. 086306

यूडीआईएन : 25086306PHBSJL8721

एसडी/-

शरद अग्रवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एसडी/-

राकेश कुमार जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26-12-2025

एसडी/-

साक्षी मेहता

कंपनी सचिव

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ**

कंपनीज़ एक्ट, 2013 (एक्ट) के तहत तय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना कंपनी के मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। एक्ट के सेक्शन 139(5) के तहत भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त स्टैच्युटरी ऑडिटर, एक्ट के सेक्शन 143(10) के तहत तय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार इंडिपेंडेंट ऑडिट के आधार पर एक्ट के सेक्शन 143 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी राय देने के लिए ज़िम्मेदार है। यह उनके द्वारा 26 फरवरी 2026 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की ओर से, एक्ट के सेक्शन 143(6)(a) के तहत 31 मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सप्लीमेंट्री ऑडिट किया है। यह सप्लीमेंट्री ऑडिट स्टैच्युटरी ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स तक पहुंच के बिना अकेले किया गया है और यह मुख्य रूप से स्टैच्युटरी ऑडिटर और कंपनी के लोगों से पूछताछ और कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक ऑडिट के आधार पर, मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(b) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक करने की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं  
महालेखा परीक्षक की ओर से

एसडी/-

(प्रमोद कुमार)

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(अवसंरचना), नई दिल्ली

दिनांक: 26-02-2026

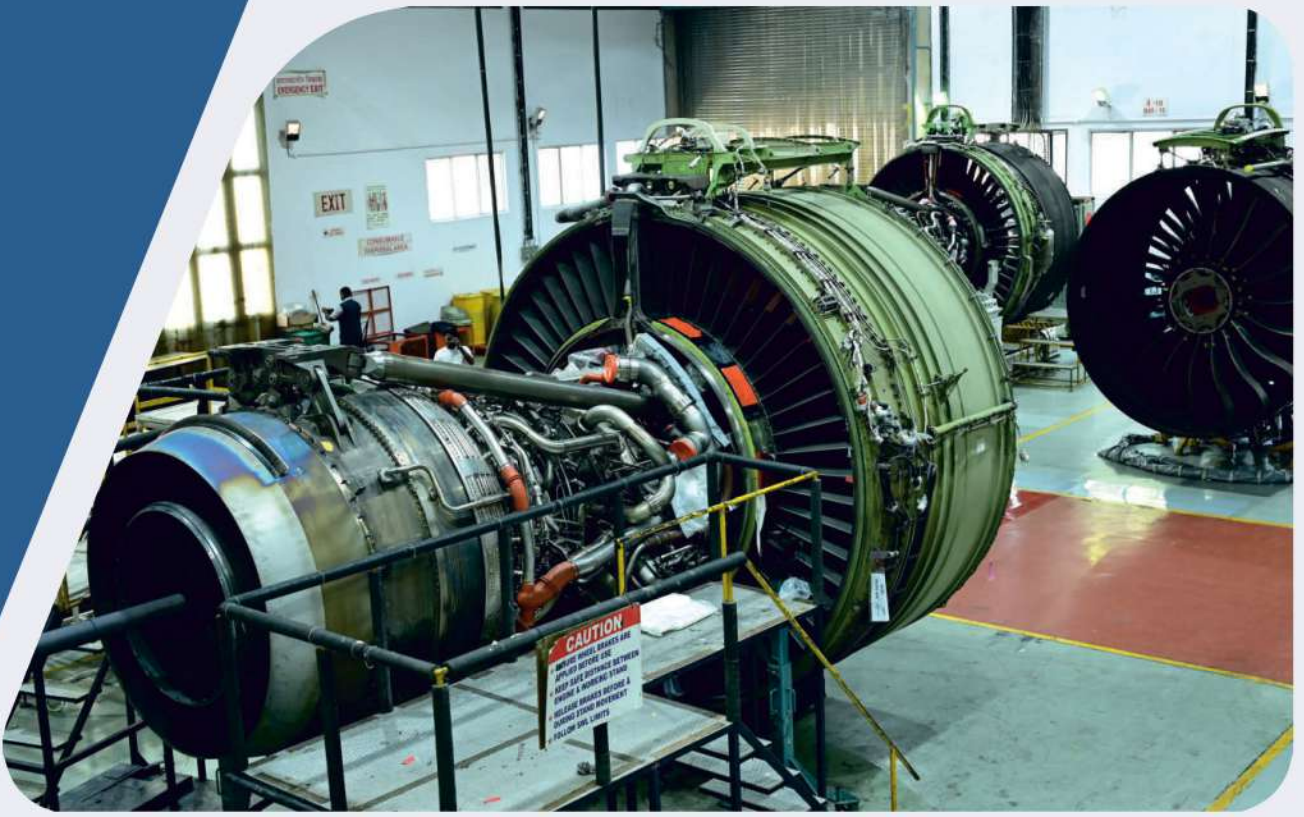
स्थान: नई दिल्ली



## नोट्स







# एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट क्षेत्र,  
सफदरजंग एयरपोर्ट, मध्य दिल्ली - 110003

टेलीफोन नंबर : 011 24600763

ईमेल: [marketing.aiesl@aiesl.in](mailto:marketing.aiesl@aiesl.in); वेबसाइट: [www.aiesl.in](http://www.aiesl.in)  
CIN: U74210DL2004GOI125114

Follow us on:



@AIESL\_MRO



@AIESL



@aiesl\_mro



@AIESL\_MRO